वार्षिक रिपोर्ट

2011–12

मुख्य आयुक्त (विकलांगजन) कार्यालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

2011-12

मुख्य आयुक्त (विकलांगजन) कार्यालय
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1–5
2.	कार्य योजना तथा पहलें	6–13
3.	केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निःशक्त जन अधिनियम का कार्यान्वयन	14–26
4.	राज्यों / संघ क्षेत्रों द्वारा निःशक्त जन अधिनियम का कार्यान्वयन	27–110
5.	शिकायतों का निवारण	111–120
6.	धन के उपयोग की मानीटरिंग	121
7.	सिफारिशें	122–124

परिशिष्ट

I.	राज्यों / संघ क्षेत्रों में निःशक्तजन अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति	125–153
II.	राज्यों / संघ क्षेत्रों में निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने की स्थिति	154–155
III.	राज्यों / संघ क्षेत्रो में निःशक्तता पेंशन योजनाएं	156–159
IV.	राज्यों / संघ क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता	160–162
V.	विशिष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा निःशक्त छात्रों को प्रदान की गई सुविधाएं	163–164
VI.	निःशक्तता के क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संगठन / संस्थान	165–175
VII.	राज्यों / संघ क्षेत्रों के निःशक्त जनों के लिए आयुक्तों की सूची	176–180
VIII.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य–सचिवों के नामों और पतों की सूची	181–187
IX.	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की सूची	188–191
X.	व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची	192–194
XI.	संगठनात्मक चार्ट	195

अध्याय
1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 एशियाई और प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा 1 से 5 दिसम्बर, 1992 तक आयोजित बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी तथा समानता संबंधी स्वीकृत उद्घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों पर विकलांग व्यक्तियों की निःशक्तता की रोकथाम, शीघ्र बचाव, शिक्षा, रोजगार सहायता, उपकरणों तथा उपस्करों के प्रावधान, सार्वजनिक स्थानों पर उनकी पहुंच को सुगम बनाने तथा वाहन सुविधा आदि के लिए विशेष उपाय करने का निश्चित दायित्व सौंपता है। इस अधिनियम में विकलांगजनों के बारे में अनुसंधान, जनशक्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिकायतों के निवारण तन्त्र, निधियों के उपयोग की मानीटरिंग के प्रावधान भी शामिल हैं। केन्द्र में केन्द्रीय समन्वय समिति अधिनियम में दिए गए प्रावधानों की जाँच करती है तथा केन्द्रीय कार्य पालक समिति केन्द्रीय समन्वय समिति के आदेशों को लागू करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यपालक समिति द्वारा कार्य किए जाते हैं।

1.2 निःशक्त व्यक्तियों की परिभाषा

1.2.1 अधिनियम के अनुसार, "निःशक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा एक व्यक्ति, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता से 40 प्रतिशत से कम ग्रस्त न है। 'निःशक्तता' जैसा कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है, से तात्पर्य है। (i) अंधता; (ii) कम दृष्टि; (iii) कुष्ठ रोग मुक्त; (iv) श्रवण शक्ति का ह्रास; (v) चलन निःशक्तता; (vi) मानसिक मंदता; (vii) मानसिक रुग्णता। निःशक्तता की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं–

i. अंधता– दृष्टि का पूर्ण अभाव; या सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो; या दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बेहतर है;

ii. कम दृष्टि– कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय है, जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है, किन्तु

जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है;

iii. कुष्ट रोग मुक्त- कुष्ट रोग मुक्त ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो कुष्ट रोग से मुक्त हो गया है, परन्तु हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त है, किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं है; प्रकट विरूपता और आंशिक घात से ग्रस्त है, किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रिया–कलाप कर सकता है; अत्यन्त शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है, जो उसे कोई भी लाभपूर्ण व्यवसाय करने से रोकती है, तथा ''कुष्ठ रोग मुक्त'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

iv. श्रवण शक्ति का ह्रास- से अभिप्रेत है, संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबेल या अधिक की हानि;

v. चलन निःशक्तता- से हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिसमें अंगों की गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो;

vi. मानसिक मंदता - से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति के चित्त की अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था, जो विशेष रूप से वृद्धि की अवसामान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है;

vii. मानसिक रुग्णता - से तात्पर्य है, मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार;

राष्ट्रीय न्यास (स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–निःशक्तता) अधिनियम, 1999 और अधिक निशक्तताओं जैसै आटिज्म, सेरेब्राल पाल्सी तथा बहु–निःशक्तताओं के लिए उपाय करता है, यद्यपि सैरेब्राल पाल्सी चलन निःशक्तता के अन्तर्गत आती है तथा बहु–निःशक्तताएं दो या दो से अधिक निःशक्तताओं का संयोजन है। यद्यपि आटिज्म निःशक्त जन अधिनियम, 1995 में निःशक्तता की अलग श्रेणी में परिभाषित नहीं की गई है, मानसिक रुग्णता की परिभाषा में मानसिक मंदता के अलावा मानसिक विकार सहित निःशक्तताएं परिवेष्टित हैं।

1.3 निःशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या

1.3.1 सन् 2001 की जनगणता के अनुसार विविध प्रकार के निःशक्त व्यक्तियों की जनसंख्या निम्नलिखित थी :

निःशक्तता का क्रमवार विवरण (लाखों में)

निःशक्तता	जनगणना (लाखों में) (प्रतिशत)
चलन	61.05 (27.86%)
दृश्य	106.03 (48.54%)
श्रवण	12.62 (5.76%)
वाक्	16.41 (7.49%)
मानसिक	22.64 (10.33%)
कुल	219.02 (2.19%)

स्रोत : जनगणना 2001

1.4 निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (सी.सी.पी.डी.) तथा आयुक्त (एस.सी.डी.)

1.4.1 अधिनियम, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण तथा अधिनियम के कार्यान्वयन को मोनीटर करने के संबंध में कदम उठाने के लिए केन्द्र में एक मुख्य आयुक्त निःशक्तजन (सी.सी.पी.डी.) तथा प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त (एस.सी.डी.) की नियुक्ति की व्यवस्था करता हैं यद्यपि निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस अधिनियम की धारा 57(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और इस अधिनियम की धारा 60(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न सरकारों

द्वारा अपने–अपने राज्य में आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं।

1.5 मुख्य आयुक्त-निःशक्त जन (सी.सी.पी.डी.) का कार्यालय

1.5.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्त जन का कार्यालय 01.09. 1998 को प्रथम मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के साथ अस्तित्व में आया। मुख्य आयुक्त (सी.सी.पी.डी.) के कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलंग्नक XI पर है।

1.6 मुख्य आयुक्त के कार्य

1.6.1 धारा 58–मुख्य आयुक्त–

क. आयुक्तों के कार्य का समन्वय करेंगे।

ख. केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मोनीटर करेंगे।

ग. निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।

घ. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को, ऐसे अन्तरालों पर, जो कि सरकार निर्धारित करे, रिपोर्ट करेगा।

1.6.2 धारा 59–धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या अन्यथा किसी शिकायत के संबंध में–

क. निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करना।

ख. उपयुक्त सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई विधियों, नियमों, उपनियमों, विनियमों, जारी किए गए, कार्यपालक आदेशों, मार्ग दर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों को कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित मामलों के बारे में शिकायतों की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के सामने उठाएगा।

1.7 निःशक्त जन आयुक्तों के कार्य-

1.7.1 धारा 61–राज्यों में आयुक्त–

क. निःशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

ख. राज्य सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग को मोनीटर करना।

ग. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों और उनको उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएगा।

घ. अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को ऐसे अन्तरालों पर, जो वह सरकार निर्धारित करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति मुख्य आयुक्त को अग्रेषित करेगा।

1.7.2 धारा 62–धारा 61 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आयुक्त स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर या किसी शिकायत के संबंध में अन्यथा–

क. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने पर

ख. समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाये गए कानूनों, नियमों, उपविधियों, विनियमों, जारी किए गए कार्यालय आदेशों, दिशा–निर्देशों या अनुदेशों को कार्यान्वित न किए जाने से संबंधित मामलों के बारे में परिवादों की जांच कर सकेगा और मामले को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठा सकेगा।

1.8 मुख्य आयुक्त-निःशक्त जन (सी.सी.पी.डी.) तथा राज्य आयुक्त-निःशक्त जन (एस.सी.डी.) की शक्तियां।

1.8.1 मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त–निःशक्त जन को, अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गम उनके कार्यों के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की निश्चित शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो नीचे दी गई हैं–

(i) धारा 63(1) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को, इस अधिनियम के अधीन उनके कार्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, किसी न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्–

क. साक्षियों को समन करना तथा हाजिर करना;

ख. किसी दस्तावेज के स्पष्टीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

ग. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

घ. शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, और

ङ. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(ii) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही होगी और मुख्य आयुक्त, आयुक्त, सक्षम अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय xxvi के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

1.9 राज्य आयुक्त-निःशक्तता (एस.सी.डी.) की नियुक्ति।

1.9.1 यद्यपि आसाम, दिल्ली, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकार पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति कर चुकी है, अन्य राज्यों / संघ क्षेत्रों में प्रतिवेदित वर्ष के दौरान राज्य आयुक्त का कार्य अतिरिक्त प्रभार के रूप में अन्य अधिकारी को सुपुर्द रहा।

1.10 मुख्य आयुक्त-निःशक्त जन (सी.सी.पी.डी.) के कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप के क्षेत्रों का एक संक्षिप्त विवरण।

1.10.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय बहुविध सक्षम व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए केन्द्रीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करता हैं जैसे ही किसी सरकारी निकाय द्वारा पीड़ित के अधिकारों का हनन होता है, मामला चाहे केन्द्र सरकार से संबंधित हो या विविध राज्य सरकारों से संबंधित हो, बड़े पैमाने पर निःशक्त जन इस कार्यालय में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं।

1.10.2 प्रेस, मीडिया में प्रतिवेदित निःशक्त व्यक्ति के विरुद्ध रोजगार, दाखिले, भेदभाव की घटनाओं जैसे अधिनियम के अनुपालन न करने के मामले में अपने संज्ञान में आने पर यह कार्यालय स्वयं भी कार्यवाही करता है और मामले संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है। इस तरह की दूरगामी पहलों से न केवल निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हुई, बल्कि संवेदनशील विभिन्न स्टेक होल्डर्स तथा निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता भी पैदा हुई।

1.10.3 निधि के उपयोग की मानीटरिंग की दृष्टि से मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय में ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.एस. इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से सहायता अनुदान पाने वाले संगठनों का निरीक्षण करता है। लाभार्थियों की वास्तविक जांच की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।

1.10.4 राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में निःशक्त जनों के लिए आयुक्तों के कार्य का समन्वय करना मुख्य आयुक्त निःशक्त जन के प्रमुख कार्यों में से एक है। राज्य आयुक्त निःशक्तजनों के लाभ के लिए कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। मुख्य आयुक्त निःशक्त जन का कार्यालय आयुक्त के साथ बैठकों तथा परस्पर क्रिया के माध्यम से राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा अधिनियम की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों और प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करता है।

1.10.5 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय, आयुक्तों के कार्य के समन्वय तथा निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से आयुक्तों की वार्षिक रूप से एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित करता है। इसमें राज्य आयुक्त गण वर्ष के दौरान निःशक्तता के क्षेत्र में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य तथा उनके द्वारा की गई पहलों तथा उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। बैठक के दौरान आयुक्तगण सूचना तथा विचारों के आदान–प्रदान का अवसर प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें अधिनियम तथा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से योगदान करने में भी सहायता मिलती है। विभिन्न राज्यों / संघ क्षेत्रों में जो अच्छे कार्य होते हैं, उन्हें दूसरों द्वारा अनुसरण के लिए बैठक में परिचालित किया जाता है।

1.10.6 राज्य आयुक्तों की 11वीं वार्षिक बैठक, जो कि फरवरी / मार्च के महीने में निर्धारित की गई थी, कुछ राज्यों में विधान सभा चुनावों के आयोजन के कारण जून, 2012 में आयोजित की जा सकी।

1.10.7 मुख्य आयुक्त – निःशक्तजन के कार्यालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निःशक्तता पर अलग से अध्याय जोड़ने के लिए प्रेरित किया। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, 16 मंत्रालयों/विभागों, जैसे–नागरिक विमानन मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग, सूचना तथा प्रसारण, मानव संसाधन विकास, अल्पसंख्यक मामले, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, ग्रामीण विकास, जनजाति मामले, शहरी विकास, जल संसाधन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, डाक, संचार, उपभोक्ता मामले तथा आयुष विभागों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निःशक्तजनों पर अलग अध्याय जोड़ा है। वर्ष, 2010–11 तक केवल 9 मंत्रालयों/विभागों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अलग अध्याय जोड़ा था।

1.10.8 मुख्य आयुक्त – निःशक्त जन के कार्यालय ने कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन तथा बैठकों के आयोजन द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध कराने, बाधारहित वातावरण बनाने जैसे विभिन्न निःशक्तता संबंधित मुद्दों के बारे में विशेष तौर पर जागरूकता बढ़ाने में भी पहल की।

1.10.9 मुख्य आयुक्त – निःशक्तजन के कार्यालय ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सरकारी कार्यालयों, भवनों, अस्पतालों, स्टेडियम, विपणन केन्द्रों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों आदि की जांच की भी पहल की और अपेक्षित संशोधन हेतु संबंधित प्राधिकरण के साथ संपर्क किया।

अध्याय 2

2.1 कार्य योजना तथा पहलें

2.1.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष, 2011–12 के लिए अधोलिखित कार्य योजना बनाई। कार्य योजना गतिविधियों के उन विस्तृत क्षेत्रों की ओर संकेत करती है, जो वर्ष के दौरान फोकस के लिए प्रस्तावित किए गए और उन पर कार्यवाही की गई।

अप्रैल-जून, 2011

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
निधियों के उपयोग की मानीटरिंग	• डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.सी. आदि के अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निधि के उपयोग की जांच दो राज्यों / संगठनों में की जाएगी।	आंध्र प्रदेश / उ.प्र. / एन.सी.आर.	समाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से डी.डी.आर.एस. के अन्तर्गत अनुदान पाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन संगठनों का निरीक्षण किया गया।
बाधायुक्त वातारण पर कार्यशाला	• बाधायुक्त वातावरण तथा एक्सेस आडीटर्स के पूल के सृजन पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।	आयुक्त निःशक्तता से परामर्श करके स्थान का निर्णय किया।	आयोजित नहीं की जा सकी।
वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी	• वार्षिक रिपोर्ट 2009–10 का अन्तिम प्रारूप मुद्रण तथा हिन्दी अनुवाद के लिए तैयार किया जाएगा। • वार्षिक रिपोर्ट, 2010–11 के लिए तैयारी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।	–	उचित कार्यवाही की गई।
एक्सेस आडिट	• एक सार्वजनिक स्थान/संगठन की सुगम पहुंच की जांच की जाएगी।	दिल्ली / एन.सी.आर.	आयोजित नहीं की जा सकी।

अप्रैल-जून, 2011

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन स्थिति की पुनरीक्षा	• दो राज्यों में निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।	राजस्थान	राजस्थान में निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की गई।

जुलाई-सितम्बर, 2011

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
निधियों के उपयोग की मानीटरिंग	• डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.सी. आदि के अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता मंत्रालय द्वारा वितरित निधि के उपयोग की जांच दो राज्यों / संगठनों में की जाएगी।		सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ए.डी.आई.पी. योजना के लाभार्थियों का सत्यापन हरियाणा तथा उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में किया गया।
वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी	• वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 की सूचना डाटा समेकित किया जाएगा और प्रथम प्रारूप तैयार किया जाएगा।		उचित कार्यवाही की गई।
एक्सेस आडिट	• एक सार्वजनिक स्थान / संगठन की सुगम पहुंच की जांच की जाएगी।	एन.सी.आर. / दिल्ली	सफदरजंग अस्पताल की कैजुअल्टी, पी.एम.आर. तथा जरा चिकित्सा विभाग की सुगम पहुंच की दृष्टि से जांच की गई।
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन स्थिति की पुनरीक्षा	• निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा दो राज्यों में की जाएगी।	पश्चिम बंगाल / उड़ीसा	आयोजित नहीं की जा सकी।
जगरूकता तथा जानकारी	• निःशक्तता मुद्दों पर एक सेमीनार आर.सी.आई./एन.आई./राज्य आयुक्तों के सहयोग से किया जाएगा।	सहभागी संगठनों के विचार विमर्श से स्थान निश्चित किया जाएगा।	आयोजित नहीं किया जा सका।

जुलाई-सितम्बर, 2011

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
रोजगार	• फिक्की, सी.आई.आई., पी.एच.डी. चैम्बर ऑफ कामर्स तथा ऐसोचेम आदि के माध्यम से कारपोरेट सैक्टर को निःशक्त जनों को रोजगार देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। • एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु डी.ओ.पी.टी. के अनुदेशों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाएगा।		उचित कार्यवाही की गई।

अक्टूबर-दिसम्बर, 2011

विषय	गतिविधि	स्थान	स्थिति
निधियों के उपयोग की मानीटरिंग	• डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.सी. आदि के अन्तर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वितरित निधि के उपयोग की मानीटरिंग दो राज्यों / संगठनों में की जाएगी।	–	आयोजित नहीं की जा सकी
वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी	• वार्षिक रिपोर्ट 2010–11 के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया	–	उचित कार्यवाही की गई।
एक्सेस आडिट	• सुगम पहुंच के लिए एक सार्वजनिक स्थान / संगठन की जांच की जाएगी।	–	आनन्द विहार बस अड्डा तथा भारतीय जीवन बीमा निगम भवन, लक्ष्मी नगर की सुगम पहुंच के लिए जांच की गई।
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति का पुनरीक्षा	• दो राज्यों में निःशक्त जन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।		आयोजित नहीं की जा सकी।
बाधायुक्त वातावरण पर कार्यशाला।	• बाधायुक्त वातावरण तथा एक्सेस आडीटर्स के पूल के सर्जन पर एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी।	आयुक्त निःशक्ता के परामर्श से स्थान निश्चित किया जाएगा।	

जनवरी–मार्च, 2012			
विषय	**गतिविधि**	**स्थान**	**स्थिति**
निधियों के उपयोग की मानीटरिंग	• डी.डी.आर.एस., ए.डी.आई.पी., डी.डी.आर.सी. आदि के अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी निधियों के उपयोग की मानीटरिंग दो राज्यों / संगठनों में की जाएगी।	–	समाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से डी.डी.आर.एस. के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर रहे हरियाणा में एक संगठन का निरीक्षण किया गया।
एक्सेस आडिट	• सुगम पहुंच के लिए एक सार्वजनिक स्थान / संगठन की जांच की जाएगी।		इंडियन स्पाइनल इंजरीज सैन्टर, नई दिल्ली में आयोजित ''भारत में निःशक्त पैदल चलने वालों के लिए सड़कों की डिजाइन'' सम्मेलन के भागीदारों को संबोधित किया गया।
निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा	• दो राज्यों में निःशक्त जन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी।	–	कर्नाटक तथा आसाम में निःशक्त जन अधिनियम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई।
जागरूकता तथा जानकारी	• निःशक्तक्ता मुद्दों पर एक सेमिनार आर.सी.आई./एन.आई./राज्य आयुक्त निःशक्तता के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।	सहभागी संगठन के परामर्श से स्थान निर्धारित किया जाएगा।	• फरवरी, 2012 में राज्य आयुक्त निःशक्तता, झारखंड के सहयोग से वृहत जागरूकता तथा शिकायत कैम्प आयोजित किया।
अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा, योजनाओं आदि के लिए बैठक	• निःशक्तजन अधिनियम की कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए राज्य आयुक्तों की वार्षिक बैठक की जाएगी।		विधान सभा चुनावों के कारण इस तिमाही में वार्षिक पुनरीक्षा बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि बैठक जून, 2012 में आयोजित की गई।

2.1.2 पिछले वर्षों के दौरान निःशक्त जन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में और सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों के अधीन संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों से निःशक्त जनों की पात्रता के प्रति उनमें, उनके अभिभावकों, परिवारों, सिविल सोसायटी, निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों में जागरूकता बढ़ी है। मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने विभिन्न तरीके अपनाकर समस्त देश के स्टेक

होल्डरों के बीच ऐसी जागरूकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2.1.3 परिणामस्वरूप, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिकायतों, प्रतिवदेनों, सूचना प्राप्त करने के बारे में मुख्य आयुक्त कार्यालय के सीमित संसाधनों पर दावा विविध रूप से बढ़ा है। निःशक्तता संबंधी मुद्दों पर गठित विभिन्न समितियों, सरकारी एवं कारपोरेट/गैर सरकारी क्षेत्र के सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजनों से मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन तथा विविध शेयर धारकों के बीच संवाद भी बढ़ा है।

2.1.4 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय ने सीमित संसाधनों से ही अपने विधिक दायित्वों का निष्पादन करने का प्रयास किया है। वर्ष, 1998 में इस कार्यालय में मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 02 उप मुख्य आयुक्तों, 02 डैस्क अधिकारियों, 13 सचिवालयीन/लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, 01 ड्राइवर तथा 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृति हुई थी। परंतु पिछले 14 वर्षों से अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, जबकि कार्य बहुत बढ़ गया है। इसी कारण केंद्र सरकार द्वारा संवितरित निधि के उपयोग की मानीटरिंग तथा राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्वय बहुत सीमित स्तर पर ही हो सका और इस वर्ष में कोई कार्यशाला भी आयोजित नहीं की जा सकी। इस कार्यालय को वर्ष, 2011–12 के लिए 'गैर योजना शीर्ष' के अंतर्गत रु. 2.275 करोड़ आबंटित किए गए।

2.1.5 मुख्य आयुक्त–कार्यालय के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण रूपेण मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यह नितांत आवश्यक है, जिससे यह अपने विधिक कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम हो सके और देश में निःशक्त व्यक्तियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार राज्यों में निःशक्त जन आयुक्तों के कार्यालयों को भी मानवोचित तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराते हुए सशक्त बनाने की जरूरत है।

2.2 मुख्य आयुक्त-निःशक्तजन के कार्यालय द्वारा अंगीकृत प्रमुख गतिविधियां-

¼d½ vk;Drk d s dk;Z dk leUo; vkSj vf/kfu;e d s dk;kZUo;u dh iqujh{kk

2.2.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन कार्यालय ने निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा कर्नाटक में 28 जनवरी, 2012 तथा आसाम में 17 तथा 18 फरवरी, 2012 को की।

2.2.2 निःशक्त जन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा के लिए, जो वार्षिक राष्ट्रीय बैठक, फरवरी, 2012 में आयोजित की जानी निश्चित थी, वह विधान सभा चुनाव, 2011 के कारण वर्ष 2011–12 के दौरान आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि यह बैठक 13 तथा 14 जून, 2012 को आयोजित की गई।

¼[k½ vf/kfu;e d s dk;kZUo;u dh fLFkfr dh iqujh{kk d s fy, eq[; vk;qDr&fu%'kDr tu rFkk mieq[; vk;qDr dk jkT; nkSjkA

2.2.3 मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन तथा उपमुख्य आयुक्त ने कर्नाटक, राजस्थान में अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा की। मुख्य आयुक्त निःशक्तजन ने अपने सभी दौरों में बेहतर नतीजे सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती फॉरमेट अपनाया। प्रारंभ में मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन ने आयुक्त तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव / प्रधान सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया। इसके बाद

प्रत्येक सम्बन्धित विभाग के सम्बन्ध में स्थिति की पुनरीक्षा की, जिसे संयुक्त बैठक में सम्बन्धित सचिव / निदेशक द्वारा पुनः प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में, जो उच्च स्तर पर अन्तर विभाग समन्वय तथा हस्तक्षेप में शामिल है, मुख्य आयुक्त निःशक्त जन मुख्य सचिव से मिले और कुछ मामलों में मुख्यमंत्री से भी मिले ताकि मुद्दों पर सर्वोच्च स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सके। प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही और कई राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का हल निकाला गया। मुख्य आयुक्त निःशक्तजन मुख्य सचिव / मुख्यमंत्री से बैठक के बाद आयुक्त निःशक्तजनों उनकी देखभाल करने वाले माता–पिता, निःशक्तता क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठनों के साथ परस्पर प्रभावों के बारे में प्रेस मीटिंग द्वारा अभिप्राय स्पष्ट किया। यह फॉरमेट जागरूकता के सृजन, कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सूचना के प्रचार तथा संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बेहतर कार्यान्वयन के लिए उचित कार्यवाही में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ।

¼x½ fuf/k dk mi;ksx dh ekuhVfjax

2.2.4 मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय ने निधियों के उपयोग की मानीटिरिंग के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तराखंड राज्यों में 7 संगठनों का निरीक्षण संपादित किया, जिन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त किया था। मानीटरिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट उचित कार्यवाही के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को भेज दी।

¼?k½ tkx:drk c<+kuk

2.2.5 निःशक्तजनों के लिए एक विशाल जागरूकता तथा शिकायत निवारण कैम्प राज्य आयुक्त निःशक्तजन, झारखण्ड के सहयोग से हजारी बाग जिले में 25.2.2012 को आयोजित किया गया। 345 व्यक्ति कैम्प में शामिल हुए और राज्य सरकार, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों से संबंधित 5 शिकायतों का निवारण किया गया।

¼3½ ck/kk;qDr okrkoj.k

2.2.6 लम्बे समय से बाधायुक्त वातावरण का सृजन मुख्य आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय की एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र रहा है। निःशक्त व्यक्तियों को उनके लिए सुलभ विभिन्न सुविधओं की नियमित मानीटरिंग तथा सार्वजनिक स्थलों की केवल सुगम जांच ही नहीं की गई, बल्कि ऐसे स्थलों पर इनकी पहुंच को सुगम बनाने के लिए सहयोग भी किया गया। इससे निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के समक्ष दूसरों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने हेतु विभिन्न सेवा प्रदायकों तथा सहयोग के लिए तत्पर सभी सम्बन्धितों के बीच पर्याप्त जागरूकता बढ़ी। प्रतिवेदित वर्ष में मुख्य आयुक्त निःशकत जन कार्यालय ने सफदरजंग अस्पताल, आनन्द विहार बस टर्मिनल तथा जीवन बीमा निगम भवन, लक्ष्मीनगर की अभिगम जांच (एक्सेस आडिट) संपादित की तथा संबंधित प्राधिकरणों की आवश्यक संशोधनों की सिफारिश की। मुख्य आयुक्त निःशक्तजन ने निःशक्तजनों की पहुंच के लिए सुगमनीय, यू.टी.सी. एस., दिल्ली सरकार को प्रशिक्षण निदेशालय भवन बनाने के लिए अधीक्षण अभियंता (एम–23) लोक निर्माण विभाग, दिल्ली को निर्देश देते हुए एक आदेश भी पारित किया।

¼p½ fofHkUu ikf/kdj.kksa dk e[; vk;qDr fu%'kDr tu dk;kZy; }kjk iLrkfor ;kstukc) l/kkj%

(i) राज्य तथा केन्द्र सरकार में निःशक्त कर्मचारियों का सर्वेक्षण, निःशक्त महिलाओं के विशेष संदर्भ में :

प्रस्तावित सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य/लक्ष्य है, सामान्य में निःशक्त कर्मचारियों की स्थिति/संख्या का पता लगाना और विशेष रूप से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में निःशक्त महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को भी समझना।

(ii) आयुक्त निःशक्तजन का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखना; यह देखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा निःशक्त अधिनियम की धारा 65 का अनुपालन नहीं किया जाता है, इसलिए अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के विधिवत अनुपालन के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iii) स्वतंत्र प्रभार सहित पूर्णकालिक आयुक्त की नियुक्ति और प्राथमिकता के आधार पर पोषक व्यवस्था; यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में राज्य सरकारें पूर्ण कालिक आयुक्त नियुक्त नहीं किया और न निःशक्तजन आयुक्त को पर्याप्त स्टाफ, पोषक व्यवस्था तथा अवसंरचना उपलब्ध कराई गई, जिससे आयुक्त अतिरिक्त प्रभार सहित निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 65 के शाासनादेश के अनुसार कार्य करने में बाधा महसूस करता है। इसलिए राज्य सरकारों से स्वतंत्र प्रभार सहित पूर्ण कालिक आयुक्त नियुक्त करने और उन्हें पर्याप्त स्टाफ, आवश्यक पोषक व्यवस्था, संरचना तथा आयुक्त को बजट आवंटन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है तथा आयुक्त का पद राज्य सरकार के प्रधान सचिव / सचिव के स्तर का तथा वेतनमान में होना चाहिए।

(iv) सुगम पहुंच के मानकों तथा दिशा–निर्देशों का अनुपालनः निःशक्तजन अधिनियम की धारा 44, 45 तथा 46 निःशक्त जनों को सड़क पर, निर्मित वातावरण में तथा परिवहन में बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित करती है। तथापि यह देखा गया है कि शहरी विकास मंत्रालय तथा इस कार्यालय द्वारा प्रतिज्ञापित सुगम पहुंच के मानकों तथा दिशा–निर्देशों का अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे निःशक्त जनों को बाधायुक्त पहुंच सुलभ कराने के उद्देश्य के लिए प्रत्येक विभाग में बजट प्रावधानों सहित सुगम पहुंच के मानकों तथा दिशा–निर्देशों को लागू करने के लिए ठोस तथा समयबद्ध कदम उठाएं तथा अंतिम वैब सार सुगम पहुंच दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए सभी सरकारी वैबसाइट सुगमनीय भी बनाएं।

(v) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 40 के कार्यान्वयन के संबंध में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 40 के अनुसार निःशक्तजनों के पक्ष में सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में कम से कम 3 प्रतिशत के आरक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों को गम्भीरता से कार्यान्वित करें तथा लिंग, निःशक्तता की श्रेणी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./सामान्य आदि द्वारा विभिन्न स्तरों पर निःशक्त लाभार्थियों का डाटा बेस बनाएं तथा उक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन की अनदेखी के लिए मानीटरिंग तन्त्र लागू करें।

(vi) निःशक्त जनों के पक्ष में उच्चतर आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में : यह देखा गया है कि निःशक्त व्यक्ति, निःशक्तता रहित व्यक्तियों की तुलना में औसतन देरी में नियुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 38(बी) के आदेश के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को भर्ती तथा सेवानिवृत्ति दोनों में उच्चतर आयु सीमा में छूट प्रदान करें।

(vii) ''हैंडीकैप'' अभिव्यक्ति के प्रयोग पर पाबंदीः राज्य सरकारें, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता

मंत्रालय तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि ''हैंडीकैप'' अभिव्यक्ति निःशक्त जन के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तथा अन्य ऐसी अभिव्यक्ति ''विविध रूप से सक्षम'' को भी तो हतोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि गुणवत्ता आयामों को उन्नत करने की आवश्यकता है, ऐसे समय में यह विविधता पूर्ण आयाम पर अरुचिकर ढंग से प्रभाव डालती है। इसलिए विकलांग तथा इस प्रकार नीचा दिखाने वाले शब्दावली पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया गया है। यह सुझाव भी दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को ''निःशक्त जन'' के रूप में पुकारा जाए या स्थिति के अनुसार 'नेत्रहीन व्यक्ति', 'वाक् तथा श्रवण बाधित व्यक्ति' 'चलन निःशक्त व्यक्ति' आदि, जहां जैसा आवश्यक और उपयुक्त हो।

(viii) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत समन्वय तथा मानीटरिंग तन्त्र को मजबूत बनाना; यह देखा गया है कि उचित तन्त्र की आवश्यकता के लिए निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 61 में आदेश के अनुसार उचित तन्त्र के अभाव में समन्वय तथा मानीटरिंग कार्य कई राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा संपादित नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि उपयुक्त क्षेत्र में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को त्वरित तथा सुसाध्य बनाएं और प्रभावी समन्वय तथा मानीटरिंग तन्त्र विकसित करें।

(ix) प्रत्येक राज्य द्वारा निःशक्त जन पर अलग राज्य नीति का बनाना : यह देखने में आया है कि केवल बहुत कम राज्यों / संघ क्षेत्रों ने निःशक्तता पर कुछ अलग प्रकार की नीति बनाई है, अधिकतर ने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे निःशक्त जनों पर प्रगतिशील और दूरगामी नीति बनाएं, जो यू.एन.सी.आर.पी.डी. के अनुरूप हो। बहुत कम राज्य / संघ क्षेत्र, जिन्होंने पहले निःशक्तता पर किसी प्रकार की नीति बनाई है, उनसे भी अनुरोध हे कि विद्यमान नीति को संशोधित करें तथा निःशक्तजनों पर राज्य / संघ क्षेत्र नीति द्वारा रूपान्तरित करें, जो यू.एन.सी.आर.पी.डी. के साथ समरस हो।

(x) नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा तथा अन्य राज्य अधीनस्थ सेवाओं की पहचानः सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि नेत्रहीन व्यक्ति विधि सम्मत पात्रता के लिए वंचित नहीं है, उन पर आरक्षण के उद्देश्य के लिए राज्य प्रशासनिक सेवाओं तथा अन्य राज्य अधीनस्थ सेवाओं के लिए गम्भीरता से विचार किया जाए और पदों की पहचान का उक्त प्रावधान आवेदन करने तथा प्रतियोगी होने से किसी निःशक्त व्यक्ति को नहीं रोकता है, चाहे पद निरपेक्ष के साथ में चिन्हित हो या उसकी लिखित परीक्षा या साक्षात्कार पास करने की शर्त पर न हो।

¼N½ e[; vk;Dr fu%'kDr tu dk;kZy; dh igy d dN ifj.kke %

(i) मुख्य आयुक्त निःशक्तजन के परामर्श पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा निःशक्त छात्रों को शुल्क में छूट देने तथा निःशुल्क आवास तथा परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना परिचालित की है तथा सभी अन्य विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे भी अपने विश्वविद्यालयों / विद्यालयों में निःशक्त छात्रों को इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करें।

(ii) हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश ने 'हैंडीकैप' शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

अध्याय
3

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय अपने विभागों में निःशक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को लगातार अभिप्रेरित करता रहा है और उनके विभागों द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रकाश डालते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अलग अध्याय जोड़ने के लिए भी प्रेरित किया। इसके अनुपालन में 15 मंत्रालयों / विभागों, जैसे नागरिक विमानन मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग, सूचना तथा प्रसारण, अल्प संख्यक मामले, विद्युत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, ग्रामीण विकास, जन जाति मामले शहरी विकास, जन संसाधन, तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, डाक, संचार, उपभोक्ता मामले, आयुष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निःशक्त जनों के सम्बन्ध में अलग अध्याय / सार संक्षेप जोड़ा।

केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा निःशक्त जनों के लिए विस्तृत विभिन्न सुविधाओं के संबंध में मुख्य–मुख्य बातें नीचे दी गई हैं–

3.1 lpkj rFkk lpuk iks|kfxdh e=ky;

3.1.1 nj lpkj foHkkx

- दूर संचार विग्भाग ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति में आरक्षण उपलब्ध कराया और इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया।
- विभाग के आई.पी. तथा टी.ए.एफ. सेवा ने हाल ही में राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ विकलांग संस्थान (एन.आई.वी.एच.) की सिफारिशों के आलोक में इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 2 (यू) में दी गई परिभाषा के अनुसार कम दृष्टि (एल.वी.) वाले व्यक्ति को कैडर में लिया जा सकता है।
- 7 सितम्बर, 2011 को सम्पूर्ण सेवा दायित्व निधि ने ग्रामीण भारत में निःशक्त जनों के लिए आई. सी.टी. अधिकारित सेवाओं हेतु पहुंच के लिए इसकी पायलट प्रोजेक्ट योजना पर स्टेकहोल्डर्स की एक बैठक आयोजित की। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सहायक तकनीक (ए.टी.) सहित समर्पित आई.सी.टी. केन्द्रों, निःशक्तजनों के लिए पुनर्वास या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, गांवों में सुगमनीय सार्वजनिक पहुंच बिन्दुओं तथा पुंजित या बिना पुंजित तत्व के विशेष हैंड सैटों नामक पायलट परियोजनाओं की तीन

श्रेणियों के लिए आवेदन पत्र मंगाने का प्रस्ताव किया गया है।

- इस योजना के माध्यम से, सुगमनीय दूर संचार के लिए, जो कि वर्तमान में सूत्रीकरण के अन्तर्गत है, यू.एस.ओ.एफ. को आशा है कि इससे निःशक्त जनों के आर्थिक अधिकारिता तथा सामाजिक राजनीतिक समावेशन में सहायता मिलेगी। यह भी आशा की गई कि सफल प्रदर्शन से, प्रयोक्ताओं का सकारात्मक प्रभाव तथा उपयोग होगा। यह योजना ग्रामीण निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय फोरमेट तथा क्षेत्रीय भाषाओं में सहायक तकनीकों के विकास तथा उचित संतोष को प्रोत्साहन देगी। यह आशा की गई है कि इस योजना की सफलता से व्यापक स्तर स्टेकहोल्डरों पर ऐसी पहलों को आगे लाने में प्रेरणा मिलेगी।

3.1.2 lUVj Qkj Moyiesa V vkQ VsyhefVd ¼lh&MkV½

- सी–डॉट निःशक्त जनों के लिए नौकरियों में आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है।
- सी डॉट के दिल्ली स्थित परिसर इस प्रकार बनाया गया है, ताकि निःशक्त जनों के लिए बाधामुक्त वातावरण सुनिश्चित हो सके। मुख्य प्रवेश / विकास सीढ़ीनुमा प्रवेश के साथ रैम्प के माध्यम से उपगमन हो सकता है। निःशक्त जन एक विंग से दूसरी विंग में मुख्य रूप से जा सके, इस सुविधा के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले एलिवेटर भी लगाए गए हैं।

3.1.3 Hkkjr lapkj fuxe fyfeVM ¼ch-,l-,u-,y-½

- बी.एस.एन.एल. में 534 निःशक्त व्यक्तियों को नौकरी दी गई है।
- दृष्टिगत नेत्रहीन व्यक्ति अपने टेलीफोन पर निम्नलिखित रियायत के पात्र हैं–

किराये में छूट : सामान्य किराये का 50 प्रतिशत

अग्रिम किराया : सामान्य अग्रिम किराये का 50 प्रतिशत

सामान्य ग्राहकों के लिए जो लागू है।

पंजीकरण : नान ओ.वाई.टी. विशेष श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकार्य

उपयुक्त रियायत प्राप्त करने के लिए 'दृष्टिगत नेत्रहीन प्रमाण–पत्र' जिला स्तर या उससे ऊपर के सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक। नेत्र रोग विज्ञान सर्जन द्वारा जारी तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए। पहले से टेलीफोन सुविधा प्राप्त कर रहे नेत्रहीन आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किराये में छूट प्राप्त कर सकते हैं, रियायत श्रेणी में परिवर्तन की तिथि से प्रभावी होगी।

3.1.4 egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVM ¼,e-Vh-,u-,y-½

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने हमेशा इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कार्य योजनाओं में परिवर्तन तथा निष्पादन करके निःशक्त जनों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। निगम में 31 दिसम्बर, 2011 की तिथि को 202 निःशक्त कर्मचारी हैं।

अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में एम.टी.एन.एल. द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

- विभिन्न धाराओं में अधिकारियों की भर्ती में भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को जीविका उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पी.सी.ओ. आवंटित किए गए हैं और उन्हें दूसरों की 20 प्रतिशत के समक्ष 22 प्रतिशत कमीशन दिया गया है।
- आगे पी.सी.ओ. के आवंटन में देरी से बचने के लिए उन्हें सी.डी.एम.ए. / जी.एस.एम. प्रोद्योगिकी पर आधारित मोबाइल बूथ प्रदान किए जा रहे हैं।

3.1.5 vkb-Vh-vkb- fyfeVM

आई.टी.आई. लिमिटेड सामाजिक रूप से जागरूक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, प्रारंभ से ही कर्मचारियों के कल्याण की संकल्पना के प्रति समर्पित रहा है। निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को उचित महत्व दिया है। इसमें 30 सितम्बर, 2011 की तिथि को 124 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं। निःशक्त जनों को प्रदान की जा रही सुविधाएं निम्नलिखित हैं :

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, जो टाउनशिप में रह रहे हैं, उन्हें मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है, बशर्ते कि वह अधिकतम रु. 75/– प्रतिमास हो।
- वे कर्मचारी जो कम्पनी की टाउनशिप में नहीं रह रहे हैं, परन्तु अपने निवासत तथा फैक्टी के बीच आने–जाने के लिए कंपनी के वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनहें मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिया जाता है, बशर्ते कि वह अधिकतम रु. 100/– हो।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को शिफ्ट शुरू होने तथा शिफ्ट समाप्त होने के दौरान क्रमशः अन्दर आने तथा बाहर जाने के लिए 10 मिनट छूट के समय की अनुमति दी गई है। उन्हें बिना बारी के आधार पर क्वार्टर आवंटित किए जाते हैं।
- आई.टी.आई., सरकार के निर्देशों के अनुसार भर्ती में विकलांगों के लिए 3% (1% ओ.एच. के लिए, 1% वी.एच. के लिए तथा 1% एच.एच. के लिए) आरक्षण बरकरार रख रहा है और जहां कहीं लागू है, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा रहा है।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में, कम्पनी ग्रुप सी तथा ग्रुप डी पदों के लिए भर्ती में आयु में 10 वर्ष की छूट तथा ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के पदो ंके मामले में आुय में 5 वर्ष की छूट प्रदान कर रहा है। एस.सी./एस.टी. / ओ.बी.सी. से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में ग्रुप ए तथा ग्रुप जी के पदो ंके लिए उन्हें आयु में एस.सी./एस.टी. के लिए 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट तथा ओ.बी.सी. को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को व्यावसायिक कर से पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते कि सरकारी डाक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो।
- शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

3.1.6 Vyhd EI;fud'kUl dUlYVUVl bfM;k fyfeVM ¼Vh-lh-vkb-,y-½

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम के रूप में टी.सी.आई.एल. से निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत की सीमा तक भर्ती में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित है।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन श्रेणियों में दिया जाता है–जो दृष्टिबाधित, विकलांग चिकित्सा सम्बन्धी निःशक्त (ऑर्थोपेडिकली डिस्एबल) तथा श्रवण बाधित तीनों श्रेणियों में प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत है।

टी.सी.आई.एल. अपने कर्मचारियों के लिए निःशक्त मैत्रीपूर्ण कार्य स्थल उपलब्ध करा रहा है और सुरक्षा मानक सख्ती से लागू किए गए हैं तथा संगठन दूसरे कर्मचारियों के बराबर सभी निःशक्त कर्मचारियों को समान अवसर उपलब्ध कराता है। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से सम्बन्धित उम्मीदवारों की त्वरित नियुक्ति व्यापक स्तर पर करने का कार्य हाथ में लिया गया है, परन्तु अपर्याप्त आवेदकों तथा / या आवेदकों के निर्धारित मानकों में अपेक्षित छूट के स्तर तक न आ पाने के कारण यह कमी पूरी नहीं हो पा रही है।

3.1.7 byDVªkfud rFkk lpuk izkS|ksfxdh foHkkx

विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों की अधिकारिता के लिए आई.सी.टी.

- नेत्रहीन व्यक्ति के लिए एक खुला स्त्रोत वेब ब्राउजर वाक सुविधा सहित नेत्रहीन के लिए एक वेब पेज में नौचालन विधा या डाटा एन्ट्री के लिए वाक् परिष्करण सहित एक खुले स्त्रोत वेब ब्राउजर के विकास की परिकल्पना की गई हैं। विषय निष्कर्षण इंजन (टैक्स्ट एक्सटेक्शन) सहित विकसित औजार : ब्रेल लिप्यंतरण पद्धति के लिए टैक्स्ट। वेब ब्राउजर के लिए ब्रेल चिन्हों से युक्त तथा खुला स्त्रोत अंग्रेजी टी.टी.एस. प्रक्रियाधीन है।
- संयोग (सेरेब्राल पाल्सी तथा वाक् बाधा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आइकॉनिक संचार टूल) के अन्तर्निहित रूपान्तर का विकास।

  इस परियोजना के अन्तर्गत उद्देश्यपरक आइकौनिक संचार अन्तराफलक बंगाली, हिन्दी तथा अंग्रेजी के लिए बढ़ाया गया है। उद्देश्यपरक आइकॉन चयन द्वारा सिस्टम सभी तीन भाषाओं में सरल वाक्यों का निर्माण कर सकता है। सिस्टम से विशेष एक्सेस स्विचों को जोड़ने के लिए एक यू.एस.बी. अल्तराफलक डिजाइन किया गया है। अन्तर्निहित संयोग लिनक्स आधारित पोर्टबल डिवाइस पर जांचा गया है। सहयोगी एजेन्सी एन.टी. खडगपुर है।
- नेत्रहीनता तथा कम दृष्टि युक्त व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कान्टेण्ट जेनेरेशन

  स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर, दृष्टि बाधित व्यक्तियों को ब्रेल, ऑडियो, बड़े प्रिंट तथा ई–टैक्स्ट में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराकर, उन्हें आसानी से शिक्षा देकर मजबूत बनाने के लिए परियोजना हाथ में ली गई है। 184 शीर्षक (1915.5 घंटे) डेयसी ऑडियो बुक में परिवर्तित किए गए हैं तथा 44 बुकों (558 घंटे) संश्लेषात्मक ध्वनि में निर्मित किए गए हैं। सहयोगी एजेन्सी नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइन्ड (एन.ए.बी.) नई दिल्ली है।
- निःशक्तता क्षेत्र में एडुसेट आधारित चैनल 'नवशिखर' के अभिग्रहण के लिए देश के उत्तर–पूर्व क्षेत्र में 40 डी.आर.एस. (प्रत्यक्ष अभिग्रहण पद्धति) केन्द्रों की स्थापना :

  यह परियोजना ऊपर उल्लेखित निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अधिकारिता प्रदान करने के लिए ''सेटेलाइट / इन्टरनेट पर आधारित राष्ट्रीय नेटवर्क'' परियोजना की सफलता के आधार पर चलाई गई हैं। सहयोगी

एजेन्सी आर.सी.आई., नई दिल्ली तथा आई.एस. आर.ओ. (इसरो) है।

- देश में 100 स्कूलों में 'पुनरज्जनी' का परिनियोजन

  आई.सी.टी. आधारित समन्वित मूल्यांकन औजार 'पुनरज्जनी' का सी–डेक तिरुवनन्तपुरम के सहयोग से मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के आसान, दक्ष, त्वरित तथा नियमित मूल्यांकन के लिए विशेष शिक्षकों को समर्थ बनाने हेतु विकास किया गया है। टूल पिछले दो सालों के लिए केरल राज्य में जांच के तौर पर परिनियोजित किए गए हैं। स्कूलों से प्रति पुष्टि अनुकूल रही हैं। एम.एल. एसिया ने सी–डेक तिरुवनन्तपुरम के सहयोग से पूरे देश के 100 विशेष स्कूलों में टूल के परियोजन का कार्य हाथ में लिया है। सहयोगी एजेन्सी सी–डेक तिरुवनन्तपुरम है।

- डिजिटल प्रोगामेबिल हीयरिंग ऐड (डी.पी.एच.ए.)

  सी–डेक तिरुवनन्तपुरम ने डी.पी.एच.ए. आधारित एक अनुप्रयोग विशेष समन्वित सर्किट (एप्लीकेशन स्पेसिफिक इन्टेग्रेटेट सर्किट्स) विकसित किया है। ए.एस.आई.सी. ने 130 नैनो मीटर प्रौद्योगिकी के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। लगभग 1632 की संख्या में श्रवण यंत्र (बॉडी बर्न टाइप) पी. जी.बी. जोड़े गए हैं और जांचे गए हैं तथा 617 यूनिटों को यांत्रिक रूप से जोड़कर पूर्ण भी किया गया है। बॉडी बर्न टाइप डी.पी.एच.ए. की पूर्व में, पृष्ठभूमि जांच राष्ट्रीय अलीयावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई, अखिल भारतीय वाक् या श्रवण संस्थान, मैसूर, सी.एम.सी. बैल्लौर तथा एम.ई.आर.एफ. चैन्नई जैसे अग्रणीय अस्पतालों / संस्थानों में कार्यान्वित की गई थी।

- निःशक्तों के लिए अनुकूलनशील ई–लर्निंग अभिगमनीयता माडल

  इसका उद्देश्य ई–लर्निंग के प्रभाव क्षेत्रों में निःशक्त व्यक्तियों के लिखे अभिगमनीयता हेतु एक समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में अनुसंधान तथा विकास (आर. एण्ड. डी.) कार्यान्वित करना है। इससे औजारों के विकास में निर्गमित तथा वचनबद्ध प्रौद्योगिकी से अभिगमनीयता के क्षेत्र में उत्पादन के विकास में अच्छे परिणाम निकलेंगे।

  सी–डेक बंगलुरु तथा सी–डेक हैदराबाद बाल पंजीकरण शैक्षणिक हस्तक्षेप में उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा प्रविधि को समझने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एन. आई.एम.एच.) के साथ परस्पर जुड़े हैं। दोनों सी–डेक यूनिटें निःशक्त बच्चों के लिए विद्यमान मूल्यांकन, सीखने तथा प्रान्नति प्रक्रिया को समझने के लिए एन.आई.एम.एच. में संयुक्त रूप से क्षेत्र अध्ययन परिचालित करते हैं। गृहीत उपयोग कर्त्ता आवश्यकताओं से चिन्हित माड्युल्स निम्न हैं : (i) मूल्यांकन बाल प्रोफाइल तथा आई.ई.पी. माडयुल, (ii) अनुदेशात्मक हस्तक्षेप, (iii) सीखने का वातावरण माड्युल, (iv) अधिकार क्षेत्र विशेषज्ञ पद्धति तथा (v) प्रशासनिक माड्युल।

  सी–डेक यूनिटों ने हाई लेबल डिजाइन डोक्यूमेंट (एच.एल.डी.) के प्रथम चरण के भाग के रूप में 'यूज केस डिजाइन' भी पूर्ण किया है। प्राज्ञता वातावरण मूल्यांकन तथा टूल बाक्स माड्युल्स के कुछ मूल रूप विकसित किए गए है।

- निःशक्त बच्चों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल सृजन के लिए आई.सी.टी. व्यावसायिक केन्द्र

  फेज–1 में स्थापित 20 आई.सी.टी. केन्द्रों के अतिरिक्त शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों के प्रशिक्षण हेतु 100 आई.सी.टी. केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन आई.सी.टी. केन्द्रों के सान्निध्य में कम सुविधा वाले बच्चे कुशल होकर रोजगार प्राप्त करते हैं और जीविका अर्जित करते हैं। स्कूलों में अब संरचना एल.ए.एन. तथा इन्टरनेट से जुड़ी है तथा परियोजना प्रारंभ की गई है।

- मानसिक मंदता ग्रस्त बच्चों के लिए आई.सी.टी. तथा सेटेलाइट आधारित दूरस्थ प्रशिक्षण सुविधा व्यवस्थित करना।

  मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों के विशेष शिक्षकों, माता–पिताओं तथा शिक्षकों को दूरस्थ प्रशिक्षण देने के लिए सी–डेक तिरुवनन्तपुरम में एक परियोजना चालू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य एडुसेट प्रयुक्त विशेष शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों तथा अन्य पुनर्वास व्यावसायिकों को दूरस्थ प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अवसंरचना सुविधा सृजित करना है। 8 सैटेलाइट इन्टरैरेक्टिव टर्मिनल्स (एस.आई.टी.) पहले से स्थापित है तथा प्रशिक्षण पूरा करने वाले स्टुडियों भी तिरुवनन्तपुरम में परिचालित है।

- निःशक्त बच्चों के लिए आई.सी.टी. व्यावसायिक केन्द्र फेज–2

  तमिलनाडु तथा एन.सी.आर., दिल्ली में 21 स्कूलों में आई.सी.टी. केन्द्र स्थापित करके पाइलेट परियोजना के कार्यान्वयन के बाद इरनेट इंडिया ने परियोजना का दूसरा फेस कार्यान्वित किया है। इस फेस में शारीरिक रूप से निःशक्त तथा श्रवण या दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए आई. सी.टी. केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से निःशक्तों के अनुकूल बनाने के लिए सम्पूर्ण देश में फैले 100 स्कूलों का चयन किया है।

3.1.8 Mkd foHkkx

निःषक्त जनों के लाभ के लिए डाक विभाग द्वारा संचालित योजनाएं /नीतियां

- कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने निःशक्त जन अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत ग्रुप 'ए', 'बी' तथा 'सी' की सीधी भर्ती के सम्बन्ध में 3 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है (i) 1% नेत्रहीनता तथा निम्न दृष्टि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, (ii) 1% आरक्षण श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए, (iii) 1% आरक्षण चलन निःशक्तता या सेरेब्राल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए। रिक्तियों का 3 प्रतिशत ग्रुप 'सी' के पदों में, जिसमें सीधी भर्ती मूल तत्व यदि कोई है, जो प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों में उपर्युक्त निःशक्तता से ग्रस्त के लिए आरक्षित भी है, यदि 75% से अधिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में प्रवेश के बाद निःशक्त होते हैं, उन्हें भी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। सरकार की नीति के अनुपालन में विभाग ने दिनांक 15.11.2009 से बैकलाग नियुक्तियों को भरने का विशेष भर्ती अभियान चलाया है। इस अभियान के पूर्ण होने की तिथि 31.12.2012 है।

- डाक विभाग की छात्रवृतियों तथा अन्य शैक्षणिक योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध निधि में से 528 विभाग के कर्मचारियों के शारीरिक रूप से विकलांग / मानसिक मंदता ग्रस्त बच्चों की

छात्रवृत्ति के लिए 3% निधि सुरक्षित की गई है, छात्रावृत्ति का यह अनुदान इससे अलग है, जो नियमित छात्रों को उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत रु. 27,790/– प्रतिमास तक वेतन पाने वाले डाक कर्मचारियों के शारीरिक रूप से विकलांग / मानसिक मंदता ग्रस्त / नेत्रहीन / बहरे / गूंगे बच्चे एक वार्षिक छात्रवृत्ति पाने के पात्र हैं।

- विकलांग चिकित्सा ग्रस्त निःशक्ता (ऑरथोपेडिकली) कर्मचारी कल्याण निधि से निम्नलिखित वित्तीय सहायता पाने के पात्र हैं :

(क) एक विकलांग कर्मचारी मैकेनाइन्ड ट्राई साइकिल की खरीद पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र है, बशर्ते कि इसकी सीमा रु. 2,000/– तक हो।

(ख) एक विकलांग कर्मचारी रु. 15,000/– या मोटराइन्ड ट्राई साइकिल का 50% जो भी कम हो, वित्तीय सहायता के रूप में क्षेत्र कल्याण निधि से प्राप्त कर सकता है। यदि यही कर्मचारी स्कूटर अग्रिम के अनुदान के लिए आवेदन करता है, तो उसके मामले पर प्राथमिकता के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

(ग) कृत्रिम अंगों के प्रावधान के लिए विकलांग कर्मचारियों के मामले में कल्याण निधि से कर्मचारी कृत्रिम अंग केन्द्र पर ड्यूटी के स्थान से जाने और आने के लिए द्वितीय श्रेणी, रेलवे किराये की प्रति पूर्ति के भी पात्र हैं, यदि ऐसी प्रति पूर्ति किसी अन्य स्त्रोत से न हुई हो।

- डाक विभाग के कर्मचारियों के पहली से 12वीं तक पढ़ रहे शारीरिक रूप से विकलांग / मानसिक मंदता ग्रस्त / नेत्रहीन / बहरे तथा गूंगे बच्चों को वाहन प्रभार / मैस सबसीडीज (वाहन प्रभार के बदले) के रूप में 'क' वर्ग शहरों में प्रतिमास रु. 100/– तथा 'ख' वर्ग शहरों रु. 80/– प्रतिमास की दर से दिए जाते हैं।
- 7 किलो वजन तक का ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट डाक विभाग द्वारा निःशुल्क भेजा जाता है।

3.2 LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k ea=ky;

3.2.1 vk;|on] ;kx] ikdfrd fpfdRlk] ;ukuh] fl) rFkk gkE;kiFkh ¼vk;’k½ foHkkx

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36038/2/2008 स्थान (आई.ई.एस.), दिनांक 28.7.2011 के अनुपालन में इस विभाग के अनतर्गत 18 स्वायत्तशासी निकायों / संस्थाओं / 34 कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बैकलाग रिक्तियां भरने के लिए विशेष भर्त्ती अभियान पुनः प्रारंभ करके निःशक्त जनों के लिए आरक्षण विभिन्न श्रेणियों में 31.03.2012 की तिथि को स्थित बैकलाग रिक्तियों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विभाग ने शारीरिक रूप से विकलांग के रोजगार के लिए 3% आरक्षण (नेत्रहीनता तथा निम्न दृष्टि व्यक्तियों, श्रवण शक्ति का ह्रास तथा चलन निःशक्तता या सेरेबराल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रत्येक के लिए 1%) निर्धारित किया है। मुख्य आयुक्त निःशक्तजन की सिफारिशों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया कि उपयुक्त उम्मीदवारों की संस्तुति करें, जो आयुष फिजिसियन पद से सम्बद्ध कार्यों को निष्पादित कर सकें।

3.3 okf.kT; rFkk m|kx ea=ky;

3.3.1 okf.kT; foHkkx

- वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत संगठनों ने निःशक्त जनों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किए हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भी निःशक्त जनों की आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत सरकारी रोजगार में निःशक्तों के लिए (15.11.2009 की तिथि को) सभी बैकलाग रिक्तियों को भरने के निर्देश दिए हैं।

3.4 vUrfj{k foHkkx

- निःशक्त जनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :

निर्देशों का पालन करने के अनुदेश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निःशक्तों के 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों पर अनुवर्ती कार्यवाही की है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.जी.एस.आई. / एन.आर.एल.एम.) जो अब 'आजीविका' के नाम से जाना जाता है, इन्दिरा

क्र. सं.	केन्द्र/यूनिट	२०११-१२ में कर्मचारियों की कुल सं.	निःशक्तजनों की स्वीकृत सं.	निःशक्त कर्मचारियों का वर्गीकरण			
				बहिरे एवं गूंगे	नेत्रहीन	आंशिक नेत्रहीन	ओ. एच.
1.	डी.ओ.एस./आई.एस.आर.ओ. मुख्या.	437	5	0	0	0	5
2.	बी.एस.एस.सी.	4273	77	11	1	13	52
3.	आई.एस.ए.सी	2519	62	8	2	2	50
4	एस.डी.एस.सी.एस.एच.ए.आर	2099	53	61	1	0	46
5	एस.ए.सी. तथा डी.ई.सी.यू.	1827	26	3	2	0	21
6	एल.पी.एस.सी.	1754	37	4	0	0	33
7	एन.आर.एस.सी.	885	10	1	0	0	9
8	आई.एस.टी.आर.ए.सी.	445	7	2	0	0	5
9	एम.सी.एफ.	326	4	0	0	0	4
10	ए.डी.आर.आई.एन.	170	1	0	0	0	1
11	आई.आई.आर.एस.	124	2	0	1	0	1
	योग	14859	284	35	7	15	277

3.5 xkeh.k fodkl e=ky;

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को 'निःशक्त जन अधिनियम, 1995' के कार्यान्वयन में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के दिशा

आवास योजना। निःशक्तजनों के सम्बन्ध में योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

3.5.1 egkRek xk/kh jk"Vªh; xkeh.k jkstxkj xkjaVh vf/kfu;e ¼eujsxk½

मनरेगा, किसी भी ग्रामीण परिवार को, जिसके व्यस्क सदस्य हाथ से अकुशल कार्य करना चाहते हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। यह अधिनियम, 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 चयनित जिलों में लागू हो चुका है। सभी जिलों में अप्रैल, 2008 से इसका विस्तार हुआ है। मनरेगा के अनुसार यह योजना मांग के आधार पर है, इसमें निःशक्त जनों के लिए अलग से कोई रोजगार / संसाधन चिन्हित नहीं किए गए हैं।

प्रचालन दिशा–निर्देशों के पैरा (5.5.10) के अनुसार यदि ग्रामीण निःशक्त व्यक्ति कार्य के लिए आवेदन करता है तो उसकी क्षमता तथा शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर कार्य दिया जाए। यह सेवाओं के रूप में भी हो सकता है, जो कार्यक्रम के पूरक के रूप में चिन्हित हैं। निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के लिए प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा और कार्यान्वित किया जाएगा आगे योजना के अन्तर्गत अनु. जाति/जनजाति/अ.पि.व. आदि को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और यह निःशक्तजनों के लिए आवेदित रहेगा। हालांकि मनरेगा के अन्तर्गत निःशक्तजनों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, परन्तु निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विशेष रूप से निःशक्तजनों के समावेश में मानीटर करता है।

वर्ष 2011–12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान 2,53,367 निःशक्त जन मनरेगा के अन्तर्गत समावेशित किए गए।

3.5.2 Lo.kZ t;Urh xzke Lojkstxkj ;kstuk@jk"Vªh; xzkeh.k vkthfodk fe'ku ¼,e-th-,l-okbZ-@,u-,-vkj-,y-,e-½ vc ^vkthfodk* ds :i esa ifjfpr gSA

आजीविका के दिशा–निर्देश तय करते हैं कि निःशक्तजन कुल स्वरोजगारों का कम से कम 3 प्रतिशत होंगे। जहां कहीं संभव हो, निर्मित समूह आदर्श रूप में निःशक्तता विशिष्ट हों, तथापि व्यक्ति के पर्याप्त संख्या के मामले में निर्माण के लिए निःशक्तता विशिष्ट समूह उपलब्ध नहीं है, एक समूह में विभिन्न निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं या एक समूह में गरीबी रेखा से नीचे वाले निःशक्त तथा अनिशक्त दोनों प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं।

यह भी उल्लेखित है कि एस.जी.एस.वाई. दिशा–निर्देश प्रस्तुत करता है कि बी.पी.एल. परिवार का एक सदस्य स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) का सदस्य हो सकता है। ऐसे मामले में यदि परिवार का एक सदस्य स्वयं सहायता समूह का सदस्य होता है, तब परिवार का दूसरा सदस्य, यदि वह निःशक्त व्यक्ति हो, तो एस.जी.एस.वाई के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं हो सकता, तथापि यह एस.जी.एस.वाई. से लाभ प्राप्त करते हैं।

ऐसे स्वरोजगारियों की कुल सं. 877391 रही, जिन्होंने वर्ष 2011–12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान इस योजना में सहायता प्राप्त की, उनमें से स्वयं सहायता समूहों तथा निःशक्तजनों हेतु व्यक्तिगत स्वरोजगारी उपलब्धि वालों की संख्या 12417 (1.41 प्रतिशत) थी।

3.5.3 bfUnjk vkokl ;kstuk ¼vkbZ-,-okbZ-½

इदिरा आवास योजना (आई.एस.वाई.) गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों को आवास यूनिटें उपलब्ध

कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। तीन प्रतिशत निधियां ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के निःशक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आरक्षित की गई है।

वर्ष, 2011–12 (जनवरी, 2012 तक) के दौरान स्वीकृत आवास यूनिटों की संख्या 24,92,408 थी, जिनमें से निःशक्त व्यक्तियों के नाम में 30,038 (1.21 प्रतिशत) आवास स्वीकृत किए गए थे।

- मंत्रालय की आर्थिक तथा मॉनीटरिंग विंग में आर्थिक सलाहकार को 'निःशक्तजन अधिनियम, 1995' से सम्बन्धित मामलों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऑटिज्म, सेरेब्राल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा विविध निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्याय में प्रतिनिधित्व किया है।

3.6 ty lalk/ku ea=ky;

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में 3 प्रतिशत कोटा मंत्रालय तथा इसके अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए भर्ती की मॉनीटरिंग की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जा रही है। तदनुसार 3 प्रतिशत पद / रिक्तियों (1 प्रतिशत प्रत्येक अस्थि बाधित, नेत्रहीन तथा श्रवण विकलांग के लिए) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नियमानुसार परीक्षा / साक्षात्कार के समय पर सुविधाएं, रियायतें तथा छूट प्रदान की जाती है। चिन्हित पद सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पदों की संशोधित सूची के अनुसार समूह 'क', 'ख', 'ग', तथा 'घ' के पद निःशक्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण की योजना के लिए सरकार द्वारा निर्देश के अनुसार सुसंगत आरक्षण रोस्टर भी रखे जाते हैं।

3.7 miHkkDrk ekeys] [kk| rFkk lkoZtfud forj.k ea=ky;

3.7.1 [kk| rFkk lkoZtfud forj.k foHkkx

- सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से जैसे और जब भी आदेश प्राप्त हो, उनका पालन करें। विभिन्न ग्रेडों तथा सेवाओं के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति मे निःशक्त जनों को प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों का पालन किया जाता है।

वर्ष, 2011–12 के लिए विभाग कुल बजट प्रावधान नियमानुसार है :

वित्तीय वर्ष, 2011-12	योजना	गैर योजना	(करोड़ में) योग
बजट अनुमान	120.00	72211.32	72331.32
संशोधित अनुमान	93.48	84393.93	84487.41

वार्षिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी. एण्ड टी.) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुपालन में विभाग ने निःशक्त जनों की आरक्षित रिक्तियों (15.11.2009 को स्थित) के बैकलाग को पूरा करने के लिए दो अलग विशेष भर्ती अभियान (एस.आर.डी.) चलाए। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित समय रेखा के अनुसार चिन्हित रिक्तियां अधिक से अधिक 31 मार्च, 2012 तक भरी जानी है।

3.8 xg ekeyk e=ky;

- केन्द्र सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार 3 प्रतिशत (1 प्रतिशत नेत्रहीन या निम्नदृष्टि, श्रवण शक्ति का ह्रास तथा चलन निःशक्तता या सेरेब्राल पाल्सी से ग्रस्त प्रत्येक के लिए) आरक्षण निर्धारित किया है।
- मंत्रालय में 11 दृष्टि बाधित, 01 श्रवण बाधित, 15 ऑर्थोपेडिकली विकलांग व्यक्ति कार्यरत है।
- कार्य की प्रकृति के कारण, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 'यौद्धा कार्मिक' (कम्बेटेण्ट पर्सनल) के पदों की सभी श्रेणियों को निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्रदान की गई है।

3.8.1 dUnzh; vkjf{kr ifyl cy ¼lh-vkj-ih-,Q-½

- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के योद्धा कार्मिक के पदों की सभी श्रेणियों को निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्रदान की गई हैं। सी.आर.पी.एफ. के ऐसे कार्मिक जो विभिन्न परिस्थितियों के अन्तर्गत अपनी वास्तविक कार्यालय ड्यूटी के निष्पादन में अपंग हो जाते हैं तथा आरोपणीय निःशक्तता के कारण सेवा से बाहर कर दिए जाते हैं या सेवा में अपवर्धित हैं, उन्हें 100 प्रतिशत निःशक्तता के लिए रु. 9 लाख की राशि का अनुग्रह पूर्वक क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जाता है, जैसा कि गृह मंत्रालय मामले के पत्र सं. 27011/64/2010–आर. एण्ड डब्ल्यू. दिनांक 12.6.2012 में उल्लेख किया गया है।
- इसके साथ–साथ सी.आर.पी.एफ. योद्धा बल की समस्त दक्षता से समझौता किए बिना अपने निःशक्त कार्मिक की देखभाल के लिए सभी प्रयास कर रहा है। एक बीमार / घायल व्यक्ति की यूनिट स्तर पर सिविल अस्पताल तथा जी.सी. अस्पताल / कम्पोजिट अस्पताल या अन्य किसी सुविधाजनक अस्पताल में पूर्ण चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाता है। पूर्ण चिकित्सा उपचार में उन कृत्रिम अंगों को लगाना भी शामिल है, जो आवश्यक हैं। सभी बीमार / घायल व्यक्ति पूर्ण चिकित्सा उपचार प्राप्त करते हैं और यदि चिकित्सा अधिकारी प्रभारी का यह मत है कि उसकी स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है और वह व्यक्ति बल में सामान्य सक्रिय ड्यूटी के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति का मामला सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा शीघ्र विभाग पुनर्वास बोर्ड को सौंप दिया जाता है।
- उपर्युक्त विषय पर विस्तृत अनुदेश महानिदेशालय के स्थायी आदेश सं. 04/2011 द्वारा जारी किए गए हैं तथा संशोधन आदेश पत्र सं. पी. III/2011–कल्याण, दिनांक 14.08.2012 द्वारा जारी किया गया है।

3.9 tutkrh; ekeyk e=ky;

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्त छात्रों के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

- जनजाति छात्रों के लिए पश्च मैट्रिक भत्ता (रु. प्रतिमास)

पाठ्य क्रम का स्तर	पठन भत्ता (रु. प्रतिमास)
समूह I, II	240
समूह III	200
समूह IV	160

जनजाति के निःशक्त छात्रों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं :

(क) नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए पठन भत्ता;

(ख) निःशक्त छात्रों के लिए रु. 160 प्रतिमास तक वाहन भत्ते का प्रावधान, यदि कोई छात्र छात्रावास में नहीं रहता है, जो शैक्षिणिक संस्थान के परिसर में है।

(ग) निम्न चरम सीमा निःशक्तता सहित दिन में पढ़ने वाले विभिन्न रूप से विकलांग छात्रों के लिए रु. 160/– प्रतिमास अनुरक्षक भत्ता।

(घ) एक शैक्षणिक संस्थान के छात्रावास में रहने वाले विभिन्न रूप से अस्थि बाधित छात्र जिसे एक सहायक की मदद की जरूरत है, की सहायता करना चाहते हैं, छात्रावास के ऐसे किसी कर्मचारी को रु. 160/– प्रतिमास की दर से विशेष वेतन स्वीकार्य है।

(ङ) मानसिक मंदता तथा मानसिक रुग्णता ग्रस्त छात्रों के लिए अतिरिक्त कोचिंग के समक्ष रु. 240/– प्रतिमास का भत्ता

जनजाति छात्रों के लिए गुणवत्ता का स्तर बढ़ाना

जहां कहीं संभव है, 3 प्रतिशत निःशक्त जनजाति के समावेशन के लिए प्रावधान है। निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि के साथ–साथ निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है :

(क) कक्षा IX से XII तक पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्रों के लिए रु. 150/– प्रतिमास पठन भत्ता

(ख) निःशक्त छात्रों के लिए रु. 100/– प्रतिमास वाहन भत्ता, यदि ऐसे छात्र उस छात्रावास में नहीं रहते हैं, जो शैक्षणिक संस्थान के परिसर में स्थित हो, जैसे नेत्रहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, चलन निःशक्तता, मानसिक मंदता तथा मानसिक रुग्णता।

(ग) छात्रावास के उन कर्मचारियों को रु. 150/– प्रतिमास विशेष वेतन स्वीकार्य है, जो एक शैक्षणिक संस्थान या राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रावास में रहने वाले विभिन्न रूप से अस्थि बाधित ऐसे छात्र की सहायता करना चाहते हैं, जिसे एक सहायक की मदद की जरूरत है।

(घ) निम्न चरम सीमा निःशक्तता युक्त दिन में पढ़ने वाले विभिन्न रूप से विकलांग छात्रों के लिए 100/– प्रतिमास का अनुरक्षक भत्ता।

(ख) से (घ) तक के प्रावधान कुष्ठ रोग मुक्त छात्रों पर भी लागू होंगे।

अनु. जनजाति छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शोध वृत्ति

- शारीरिक तथा दृष्टिगत विकलांग अभ्यार्थियों के मामले में रु. 2000/– प्रतिमास की दर से अनुरक्षक / पठन सहायता दी जाती है।

अनु. जनजाति बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावास

- योजना के प्रावधान में यह ध्यान रखा गया है कि अनु. जनजाति निःशक्त छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावास के कुछ कमरे/ब्लाक बाधामुक्त तथा रैम्प आदि जैसी सुविधाओं से युक्त निर्भित किए जाएं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूलों की स्थापना

- योजना के प्रावधान में यह ध्यान रखा गया है कि अनु. जनजाति निःशक्त छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावास के कुछ कमरे/ब्लाक बाधामुक्त तथा रैम्प आदि जैसी सुविधाओं से युक्त निर्मित किए जाएं।

गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) योजनाएं

- राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे एन.जी.ओ. योजनाओं के अन्तर्गत तथा विशेष रूप से समीक्षा जनजातिय समूहों (पी.टी.जी.) के विकास की योजना के अन्तर्गत निधियां प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को निःशक्तजन, 2006 के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार आवासीय स्कूलों / गैर आवासीय स्कूलों, छात्रावासों, 10 या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों तथा भवनों, जैसे कि सामुदायिक भवनों आदि में 'बाधामुक्त वातावरण' सुविधाएं उपलब्ध कराने की सलाह दें।

3.10 fon'k ekey e=ky;

मंत्रालय अपने कार्मिकों के मध्य समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, निःशक्तजनों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए भी पूर्णतया समर्पित है। लक्ष्य प्राप्त करने के समक्ष, मंत्रालय, भारत सरकार के उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत निर्धारित के अनुसार, विभिन्न निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उचित स्थिति निर्धारित की है।

3.11 lMd ifjogu rFkk jktekx e=ky;

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय निःशक्तजन (समान, आकार, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सत्यनिष्ट प्रयास कर रहा है। चयनित / नामित व्यक्ति उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के समक्ष नियुक्त किए जाते हैं तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों के समक्ष भी समायोजित किए जाते हैं।

3.12 ;ok ekey rFkk ØhMk e=ky;

- मंत्रालय ने वर्ष, 2009 के दौरान निःशक्त जनों के बीच क्रीड़ा तथा खेलों के विकास के लिए एक योजना सूत्रबद्ध की है। इस योजना का उद्देश्य निःशक्त जनों में क्रीड़ा में भाग लेने योग्य व्यापक आधार बनाना है। निःशक्त जनों के लिए इस क्रीड़ा तथा खेल योजना में निम्नलिखित संघटक हैं :

(क) स्कूलों के लिए क्रीड़ा कोचिंग तथा उपभोज्य तथा गैर उपभोज्य तथा गैर उपभोज्य क्रीड़ा उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान।

(ख) प्रशिक्षकों (कोचों) के प्रशिक्षण के लिए अनुदान

(ग) निःशक्तों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए अनुदान।

- वर्ष, 2011–12 के दौरान, 31.1.2011 तक इस योजना के अन्तर्गत 78 स्कूलों को अनुदान दिया गया है। आगे इसके समस्वर में, नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित स्पेशल ओलंपिक भारत को, सामुदायिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए रु. 3 करोड़ की राशि प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत 31.12.2011 तक जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 22,500 निःशक्त व्यक्तियों ने भाग लिया। 4500 सामुदायिक प्रशिक्षकों को (31.12.2011 तक) प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय
4

राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा नि:शक्तजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति

4.1 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

4.1.1 fu%'kDrk dh jkdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk&25½ %

- सभी तीन जिलों में नि:शक्तता की उत्पत्ति के कारणों की पहचान के लिए परा–चिकित्सा कार्मिकों के माध्यम से सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों में सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व लिया गया है।
- खतरनाक मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की जा रही है। खतरनाक मामलों वाले बच्चों को आगे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल को भेजा जा रहा है। राज्य में तीन जिलों में 22,000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
- विभाग समय–समय पर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता पर आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पराचिकित्सा कर्मी, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके जागरूकता अभियान चला रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्टाफ नि:शक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के बारे में प्रशिक्षित हैं।
- माता तथा बच्चे की पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान, प्रसव के बाद देखभाल के उपाय के लिए विभिन्न स्थितियों में माता बच्चे का समुचित रूप से प्रतिरक्षण किया जा रहा है।

4.1.2 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- राज्यों में सभी शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे नियमित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। राज्य द्वारा नि:शक्त बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की गई है।
- सभी शिक्षण संस्थानों को नार्मल स्कूलों में नि:शक्त बच्चों को प्रवेश से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- सभी तीन जिलों में 151 सरकारी स्कूल चल रहे हैं और सभी स्कूल नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं।
- प्रशासन के पास नि:शक्त बच्चों की छात्रवृत्ति की योजना है। 781 बच्चों ने छात्रवृत्ति प्राप्त की है।

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत, 146 सरकारी, 02 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 03 प्राइवेट संस्थानों को, नए सहयोगी साधनों, शिक्षण सहायता, विशेष शिक्षण सामग्री आदि के विकास हेतु अनुसंधान के लिए सहायता दी गई है।
- प्रशासन निःशक्तों की शिक्षा के लिए आधार पाठ्यक्रम (एफ.सी.ई.डी.) चलाने के लिए आर.सी. आई. के सहयोग से इग्नू का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने जा रहा है।
- राज्य में 22 विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। सभी 9 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- सभी 781 निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें तथा सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
- निःशक्त बच्चों की सुविधा के लिए पाठ्यचर्या पुनर्गठित की गई है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प पाठ्यक्रम में है तथा दृष्टि बाधित विकलांग (वी.एच.) के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाने हेतु परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है।
- प्रशासन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाहन भत्ता अनुरक्षक भत्ता तथा निःशुल्क बस पास उपलब्ध कराता है।
- लिपिकार/लेखक–नेत्रहीन/निम्नदृष्टि छात्रों के लिए सुनिश्चित किया जा रहा है। लिखित परीक्षा में प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

4.1.3 jkt xkj ¼kkjk 32&41½ %

- राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निःशक्त जनों के लिए चिन्हित नौकरियों की अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए पद्धति सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालित की गई है।
- रोजगार कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान को निःशक्तों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय घोषित किया गया है।
- आरक्षण के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है :

समूह	कुल स्वीकृत संख्या	निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	नियुक्त निःशक्तजनों की संख्या
क	177	4	–
ख	469	10	–
ग तथा घ	6693	223	165
योग	7339	237	165

4.1.4 l dkjkRed dk;lokgh ¼kkjk 42&43½ %

- प्रशासन ने शारीरिक रूप से विकलांग जनों को पुनर्वास उपकरणों/उपस्करों की खरीद तथा चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह–योजना के नाम से एक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत निःशक्त जनों को रु. 3000/– की राशि तक के उपकरण/उपस्कर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 68 निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं।

4.1.5 foHkn dk u fd;k tkuk ¼kkjk 44&47½ %

- राज्य में सभी बसें निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय हैं। पुलिस/यातायात विभाग से निःशक्त जनों की आसान पहुँच के लिए यातायात

प्रकाश पर श्रवण सम्बन्धी संकेत रखने का अनुरोध किया गया है।

4.1.6 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- निदेशक (समाज कल्याण), अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को निःशक्त जनों के लिए संस्थानों की मान्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में पद नामित किया गया है। निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत 04 संस्थानों को पंजीकृत किया गया है।

4.1.7 fu%'kDr tuk d fy, vk;Dr ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½ %

- संघ में आयुक्त निःशक्तजन (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त हैं।

4.2 आन्ध्र प्रदेश

4.2.1 jkT; leUo; lfefr lxBu ¼/kkjk 13&18½ %

राज्य समन्वय समिति जी.ओ.एम.एस., दिनांक 26–04–2010 द्वारा पुनर्गठित की गई थी। समिति कार्यरत है। पिछली बैठक 30–06–2011 को हुई।

4.2.2 jkT; dk;ikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

राज्य कार्यपालक समिति जी.ओ.एम.एस., दिनांक 23–02–2011 द्वारा पुनर्गठित की गई है और कार्यरत है। पिछली बैठक दिनांक 07–04–2011 को आयोजित की गई।

4.2.3 fu%'kDrrk dh jkdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼/kkjk 25½ %

राज्य सरकार निःशक्ततओं की उत्पत्ति के कारणों की पहचान के लिए सकारात्मक उपाय कर रही है तथा एसएडीए आरईएम के माध्यम से, निःशक्तता की रोकथाम के लिए पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, कुष्ठरोग समाप्ति कार्यक्रम, नेत्रहीनता पर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनुपूरक पोष्टिकता कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास सेवाएँ, प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के लिए दिशामान प्रशिक्षण, निःशक्तता की उत्पत्ति के कारणों से सम्बन्धित सर्वेक्षण, जांच तथा अनुसंधान, निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए उन्नयन के तरीके, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ का प्रशिक्षण, सामान्य स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य तथा सफाई पर जागरूकता अभियान, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, प्रिंट तथा इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम के द्वारा जागरूकता का सृजन जैसे तरीके अपना रही है।

आयु वर्ग 0–6 में आनेवाले सभी वाले सभी बच्चों की शारीरिक तथा बौद्धिक विशेष आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए ग्रामीण स्तर पर जांच की जाती है।

4.2.4 f'k{kk /kkjk ¼26&31½ %

- विशेष स्कूलों में अध्ययनरत निःशक्त छात्रों की संख्या निम्न हैं–

नेत्रहीन / निम्न दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधित	अन्य निःशक्तताएँ
7,546	ओ.आई.–27801	35086	एस.पी. 13349	एम.डी.–9,123
27,464	सी.पी.–12610		एच.आई.–25437	एल.डी.–56834
				आटिज्म–2912

- निःशक्त बच्चों को विशेष स्कूलों, समन्वित स्कूल पद्धति तथा समावेशी शिक्षा पद्धति के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
- सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- आन्ध्र प्रदेश सरकार सभी शैक्षिक संस्थानों, जैसे महाविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में निःशक्त जनों के पक्ष में स्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है।
- राज्य में कुल 210 विशेष स्कूल, जैसे सरकारी 22, सरकारी सहायता प्राप्त (गैर सरकारी संगठन) 140 तथा प्राइवेट 48 हैं।
- सभी जिलों में विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं, चाहे वे सरकार के अन्तर्गत हो या केन्द्रीय सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हो। शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन भी 11 आवासीय स्कूल, 5 वी एच तथा 6 एच.एच. स्कूल, 2 आवासीय जूनियर कालिज चल रहे हैं।
- सामान्य स्कूल निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सभी सुविधाओं से सज्जित हैं। संपूर्ण राज्य में शिक्षा विभाग ने 115 स्कूलों में समन्वित शिक्षा प्रारम्भ की है।
- सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों दोनों में 166 विशेष स्कूल निःशक्त बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- 31,917 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है।
- 39 में से 26 विश्वविद्यालय निःशक्त छात्रों के आसान अभिगम्यता की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों में बाधामुक्त सुविधा के समावेश के लिए एस आई डी पी ए के अन्तर्गत रु. 6.60 करोड़ की राशि आवंटित की है।
- छात्रवृत्ति में निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाती है :

पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति में :

कक्षा	छात्रवृत्ति	अन्य भत्ते प्रतिमाह		
		वाहन भत्ता (केवल ओएच के लिए में)	प्रोस्थेटिक/ऑर्थोपेडिक को अनुरक्षण सहायता (केवल ओ.एच. के लिए) (में)	पठन भत्ता (केवल वी.एच. के लिए) (रु. में)
I से V	70/–	50/–	25/–	25/–
VI से VIII	100/–	50/–	25/–	25/–
IX से X	182/–	50/–	25/–	25/–

पश्च–मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ :

समूह	आन्ध्र प्रदेश सरकार के आदेशानुसार वर्तमान दरें (प्रतिमाह)		
	छात्रावासी (छात्रावास-सी.ए.एच./ डी.ए.एच. से सम्बद्ध)	छात्र प्रबंधित छात्रावास (एस.एम.एच.)	दिवस छात्र (डी.एस.)
I	962/–	442/–	429/–
II	682/–	442/–	429/–
III	520/–	325/–	240/–
IV	520/–	325/–	182/–

- 10764 निःशक्त बच्चों की पूर्व–मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए रु. 125 लाख की राशि स्वीकृत की गई।
- पश्च मैट्रिक छात्रवृत्तियों की स्वीकृति की योजना के अन्तर्गत रु. 322 लाख की राशि से 2550 निःशक्त बच्चे लाभान्वित हुए।
- दृष्टिबाधित क्षेत्रों के शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून तथा राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है।
- 160 (85 श्रवणबाधित तथा 75 दृष्टि बाधित) 11 आवासीय स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित हो रहे राजीव विद्या मिशन (एस.एन.ए.) के अन्तर्गत 1495 विशेष प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं।
- विशेष पुस्तकें, सामग्री, वर्दी आदि निःशुल्क प्रदान की जाती है।
- शिक्षा में डिप्लोमा का निर्धारित पाठ्यक्रम नार्मल स्कूलों में पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत के अनुसार संशोधित किया गया है।
- श्रवणबाधित बच्चों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, माध्यमिक लोक परीक्षा में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, भाग I या II के अन्तर्गत एक भाषा की छूट है। सरकार ने निःशक्त छात्रों (एच आई, ओएच तथा वी आई) के पक्ष में परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट तथा सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 प्रतिशत तक पास अंकों की कमी का भी विस्तार किया है।
- दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को लिपिक की सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है।

4.2.5 jkt xkj /kkjk ¼32&41½

सरकार ने निःशक्त जनों के लिए चिन्हित नौकरियों को अधिसूचित किया है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	ओ.एम.	नेत्रहीन	निम्न दृष्टि	एच.एच.	योग
समूह 'क'	17	17	–	17	51
समूह 'ख'	6	5	–	6	17
समूह 'ग'	78	20	33	56	187
समूह 'घ'	174	51	127	159	511
योग	275	93	160	238	766

- रोजगार में निःशक्त जनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, जिसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित

तथा अस्थिबाधित विकलांगों में तीनों के लिए 1 प्रतिशत की दर से बांट दिया जाता है।

- राज्य में 35,722 विकलांग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
- निःशक्त जनों के लिए आरक्षित विक्लांग रिक्तियों के साथ 2002–2012 तक 3608 रिक्तियाँ भरी गई, जिनमें से 289 रिक्तियाँ 2011–12 के दौरान भरी गई।
- सरकार ने निःशक्त जनों की पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण के लिए 19–10–2011 को आदेश जारी किए हैं।
- राज्य में, आईटीआई कैम्पस, मैल्ला पल्ली, हैदराबाद में 01 विशेष रोजगार कार्यालय स्थित है।
- सभी 23 जिलों में सभी सामान्य रोजगार कार्यालयों में अलग विशेष कक्ष स्थित है।
- निःशक्त जनों को जिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता रहा है तथा गैर सरकारी संगठन भी विभिन्न ट्रेड/क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- सरकार ने निःशक्त जनों के पक्ष में सीधी भर्ती में आयु में 10 वर्ष की छूट प्रदान की है।
- निःशक्त जनों के लाभ के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत निधि आरक्षित है। सभी 23 जिलों में विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत 69,394 निःशक्त जन शामिल हुए, जिन पर रू. 6576.26 लाख की राशि खर्च हुई।
- आन्ध्र प्रदेश नगर योजना नियमों में भवन उपनियमों में संशोधन किया गया है। ये उपनियम सभी भवनों, मनोरंजन क्षेत्रों, शापिंग मॉल, सिनेमा थियेटर, पार्कों तथा अन्य मनोविनोद स्थानों तथा बस तथा रेलवे स्टेशनों सहित जनता द्वारा प्रयुक्त सुविधाओं पर भी लागू होंगे।

4.2.6 l dkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42&43½ %

- वर्ष के दौरान 10,148 निःशक्तजनों को निःशुल्क साधन तथा उपकरण उपलब्ध कराए गए।
- व्यस्क अविवाहित निःशक्तजनों को एक अलग यूनिट/परिवार मानते हुए घर भी स्वीकृत किए जाएंगे।
- इन्दिराम्मा योजना के अन्तर्गत सभी फ्लैटों के प्रथम तल निःशक्त जनों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
- ऐसे सभी फ्लैटों/मकानों की डिजाइन का प्रकार निःशक्तजनों के अनुकूल होगा।
- मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों के मामले में, मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्ति के नाम में मकान उसके संरक्षक को आवंटित किया जाएगा।
- इंदिराम्मा भवन योजना के अन्तर्गत निःशक्त जनों के लिए 59,929 मकान बनाए गए हैं।
- योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित कलेक्टर से संपर्क किया जाए।

4.2.7 vu|l/kku rFkk tu 'kfDr fodkl ¼/kkjk 48&49½ %

- राष्ट्रीय संस्थान, क्षेत्रीय संस्थान निःशक्तता क्षेत्र की सेवा के लिए जनशक्ति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संचालित कर रहे हैं। कुछ गैरसरकारी संगठन बहुप्रशासनिक अभिगम सहित व्यापक सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं।
- जी.ओ.आर.टी. संख्या–454, वित्त तथा योजना विभाग, दिनांक 08–07–1999 द्वारा नैल्लौर टाउन में स्पास्टिक केन्द्र स्थापित किया गया है।

4.2.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkku dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- सहायक निदेशक–निःशक्त कल्याण को जिले में संस्थानों के पंजीकरण को जारी करने के उद्देश्य

से सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और निदेशक निःशक्त कल्याण को राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।

- सभी 23 जिलों में 159 संस्थान पंजीकृत किए गए हैं।

4.2.9 vk;qDr&fu%'kDrtu ¼kkjk 60½ %

- यहां राज्य आयुक्त निःशक्तजन अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत हैं।
- वर्ष, 2011–12 के दौरान निधियों के उपयोग की मानीटरिंग के लिए आयुक्त निःशक्तजन के कार्यालय द्वारा 9 निरीक्षण कार्यान्वित किए गए।

4.2.10 f'kdk;rk dk fuokj.k ¼kkjk 62½ %

दर्ज मामलों की संख्या : 219
निपटाए गए मामले : 200
लम्बित मामले : 19

4.2.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼kkjk 66&68½ %

निःशक्तजनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	(क) छात्रवृत्तिः शैक्षणिक का पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति : I से X कक्षा)	पूर्व मैट्रिक I से V कक्षा : रु. 70/= प्रतिमास, VI से VII कक्षा : रु. 100/= प्रतिमास, IX से X कक्षा : रु. 182/= प्रतिमास	10.764
	(ख) एम आर बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	रु. 1000/= प्रतिमास	2300
	(ग) पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति	समूह I रु. 962/= प्रतिमास समूह II रु. 682/= प्रतिमास समूह III रु. 520/= प्रतिमास समूह IV रु. 520/= प्रतिमास	2550
2.	सहायताः शैक्षणिक सहायता सामग्री	सर्वाशिक्षा अभियान, आ.प्र. द्वारा नियुक्ति कुल राशि रु. 1,21,05,565/=	11 आवासीय स्कूल
3.	आर्थिक पुनर्वास	रु. 3000/=	1517
4.	विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार	रु. 3000/=, रु. 10,000/=, रु. 50,000/=	–
5.	निःशक्तता पेंशन	रु. 500/= प्रतिमास	8,25,099
6.	साधन तथा उपकरण	–	10148
7.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	रु. 24.60 करोड़	14,779
8.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	353722
9.	वाहन उपदान	नगरेत्तर क्षेत्रों में जिला/साधारण/ एक्सप्रेस/ डीलक्स बसों में पी.एच. व्यक्ति के लिए यात्री किराए में 50 प्रतिशत रियायत	2,52,281
		नगरीय साधारण बस सेवाओं में पी.एच. व्यक्तियों के लिए यात्री किराए में 100 प्रतिशत रियायत	91,084
10.	कोई अन्य योजना	पेट्रोल/डीजल के लिए 50 प्रतिशत उपदान 'क' 2 पी.एच. तथा नीचे वाले वाहन 15 लीटर प्रतिमास, 'ख' 2 एच.पी. से ज्यादा वाले वाहन 25 लीटर प्रतिमास	80

4.2.12 fofo/k

- निःशक्तजनों के जिला/साधारण/एक्सप्रेस/डीलक्स बसों से यात्रा के लिए यात्री किराए में 50 प्रतिशत रियायत।
- नगरीय साधारण सेवाओं में निःशक्तजनों के लिए निःशुल्क यात्रा।

4.2.13 e|[; miyfC/k;k

- सरकार ने निःशक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के बीच शादी के लिए शादी प्रोत्साहन पुरस्कार रु. 10,000/= से बढ़ाकर रु. 50,000/=किया है।
- सरकार ने निःशक्त कर्मचारियों की पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए निदेश जारी किए हैं।
- सरकार ने निःशक्त जनों के पक्ष में पदों के आरक्षण के लिए अधिनियम के अनुसार निःशक्त जनों की (3) श्रेणियों के बीच अदली–बदली के निदेश जारी किए हैं।
- सरकार ने आदेश जारी किए है कि पदों में आरक्षण की प्रतिशतता सहित निःशक्त जनों के पक्ष में आरक्षण की योजनाएं, भर्ती के उद्देश्य से आयु में 10 वर्ष की रियायत, विभिन्न पदों के चयन के लिए ए.पी.पी.एस.सी. के प्रस्तुत आवेदनों के संबंध में निर्धारित आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट अगले 10 साल अर्थात् 31 मई, 2021 तक मिलती रहेगी।
- वर्ष, 2011–12 के दौरान, निःशुक्त जनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलाग को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया। 193 निःशक्त जनों को भर्ती किया गया।

  सरकार ने निःशक्त जनों को सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक भवनों/विधानसभा भवनों/वाणिज्यक परिसरों तथा थियेटरों तथा इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त सुविधा प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।
- सरकार ने निःशक्तों के लिए जाति/धर्म का विचार किए बिना सभी कल्याण विभागों में कोचिंग तथा प्रशिक्षण सुविधाओं में 3 प्रतिशत स्थान उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।
- सरकार ने इंजीनियरिंग, फारमेसी, एम.बी.ए. तथा एम.जी.ए. पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट तथा पास करने के अंकों में कमी की सुविधा को भी विस्तृत किया है, जिसे बी.ए., बी.एस.सी. तथा बी.कॉम छात्रों के लिए भी बढ़ाया है।
- सरकार ने स्टेडियम में निःशक्त बच्चों को खेल तथा क्रीड़ा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
- सरकार ने श्रवणबाधित छात्रों को एम.पी.–3 सीडी प्लेयर की बजाए एम.पी.–3 प्लेयर उपलब्ध करने के आदेश जारी किए हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करने तथा रोजगार क्षमता बढ़ाने में सहायक उपाय है।

4.3 अरुणाचल प्रदेश

4.3.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&8½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित है और कार्यरत है।

4.3.2 jkT; dk;ikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्य पालक समिति गठित की गई है और कार्यरत है।

4.3.3 fu%'kDrrk dh jkdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- निःशक्त जनों के पुनर्वास के लिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में, राज्य निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र से प्रशिक्षित समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं तथा बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के 9 जिलों में समुदाय स्तर तथा जमीनी स्तर पर निःशक्त जनों की घर–घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- सर्वशिक्षा अभियान के समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग, निःशक्तता की पहचान, इसकी उत्पत्ति, रोकथाम तथा हस्तक्षेप के कार्य में संलग्न है।
- निःशक्तता की रोकथाम के लिए पोस्टर्स, बैनर्स तथा होर्डिंग लगाना, सी.बी.आर डब्ल्यूज तथा एम.आर. डब्ल्यूज द्वारा घर–घर जाकर सर्वेक्षण, सी.बी.आर. डब्ल्यूज तथा एम.आर. डब्ल्यूज द्वारा जागरूकता शिविरों, सामुदायिक बैठकों का संचालन तथा जमीनी स्तर तथा ब्लाक स्तर पर चिकित्सा कैम्प कार्यशाला तथा सेमिनार का आयोजन।
- सी.बी.आर. डब्ल्यूज जोखिम पर बच्चो की पहचान के लिए एम.पी.आर.पी.डी. योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई पर नियमित रूप से सामुदायिक बैठकों के माध्यम से जागरूकता सृजित कर रहे हैं।
- समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों/चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्तागण (सी.वी. आर. डब्ल्यूज) अपने घर–घर सर्वेक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं को, माता तथा बच्चे की पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा पश्चात प्रसव देख भाल के बारे में भी जागरूक करते हैं।

4.3.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- निःशक्त बच्चों की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- सभी संबंधित विभागों तथा एस.एम.ए. राज्य मिशन को निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के संबंधी अनुदेश दिए गए हैं।
- जिला पापुमेपर में विशेष स्कूल, 01 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 01 निजी स्कूल चल रहा है।
- निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम संशोधन किया जा रहा है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक की सेवाएं उपलब्ध कराने/प्रयोग करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

4.3.5 jkt xkj ¼kkjk 32&41½ %

- राज्य सरकार ने निःशक्त जनों के लिए चिन्हित पद/नौकरियों की केन्द्रीय सूची को अपनाया है तथा सभी संबंधित विभागों के अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वित के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
- विभाग विशेष रोजगार कार्यालय के लिए रिक्तियों अधिसूचित कर रहे हैं।

- निःशक्त जनों के प्रशिक्षण तथा कल्याण, उच्चतम आयु सीमा में छूट तथा सुरक्षा उपायों एवं कार्यस्थल पर बाधामुक्त वातावरण सृजित करने की व्यवस्था के लिए धारा 38 के अन्तर्गत आदेश/योजनाएं जारी की गई हैं।

4.3.6 ldkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42&43½ %

- राज्य के पास निःशक्त जनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.आर.पी.डी) के अन्तर्गत चल रही केन्द्र सरकार की योजनाओं के अलावा, निःशक्तजनों के लिए साधन तथा उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है। निःशक्त व्यक्ति को ऐसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निदेशक भूमि प्रबन्ध, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर के पास पहुँचना चाहिए।

4.3.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- परिवहन विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सार्वजनिक वाहन तथा सार्वजनिक स्थानों/भवनों को निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय बनाएं।

4.3.8 vuql/kku rFkk tu'kfDr fodkl ¼/kkjk 48&49½ %

- 536 सी.बी.आर. डब्ल्यूज एन.पी.आर.पी.डी. योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए गए हैं, जो जागरूकता सृजित करने, रोकथाम तथा हस्तक्षेप के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण संचालित करके पंचायत स्तर पर कार्य करते हैं। एन.पी.आर.पी.डी. योजना के अन्तर्गत, राज्य निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र, नहर लगुन समय–समय पर विभिन्न जिलों में जागरूकता–सह–उपचार कैम्प संचालित करते हैं।
- डोनी पोलो मिशन, ईटानगर, जो एक पंजीकृत संस्था है, तथा आर.के. मिशन अस्पताल ईटानगर राज्य में निःशक्तजनों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास में सक्रिय रूप से लगे हैं। इन संगठनों को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान भी दिया जाता है। राज्य ने भी विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान रु. 223 लाख प्राप्त किए।

4.3.9 fu%'kDr tuksa ds fy, lLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- श्री हेग बट्ट, सचिव तथा आयुक्त निःशक्तजन, समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार को निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
- 04 संस्थान पंजीकृत किए गए।

4.3.10 d"Vlk/; fu%'kDr tuks ds fy, lLFkku ¼/kkjk 66½ %

- श्रवण बाधितों के लिए डोनी पोलो मिशन स्कूल, चिम्पू, ईटानगर–791113 अरुणाचल प्रदेश को कष्टसाध्य निःशक्तजनों के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में स्वीकृत किया गया है।

4.3.11 fu%'kDr tu vk;qDr ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½ %

- आयुक्त–निःशक्तता को अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.3.12 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼/kkjk 66&68½ %

नि:शक्तजनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	आर्थिक पुनर्वास	9.94 (लाख में)	149
2.	नि:शक्तता पेंशन	रु. 500/= प्रतिमास	–
3.	नि:शक्त कर्मचारियों के लिए बीमा	केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए	–
4.	साधन तथा उपकरण	–	361
5.	वाहन उपदान	80 प्रतिशत	
6.	कोई अन्य योजना (एन.पी.आर.पी.डी)	63.00 (लाख में)	9 अधिसूचित जिलों में कार्यान्वित

4.3.13 fofo/k %

- नि:शक्त छात्रों को नि:शुल्क/रियायती बस पास दिए जाते हैं।
- तेजू, पासीघाट तथा तवांग में जिला प्रशासन के सहयोग से समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित 3 उपचार तथा साधनों और उपकरणों के नि:शुल्क वितरण कैम्पों में 241 साधन तथा उपकरण नि:शुल्क वितरित किए गए।
- चांगलांग तथा पापुमेयर में डी.सी. कार्यालयों के लिए (एस.आई.पी.डी.ए.) के अन्तर्गत रैम्पों के निर्माण के लिए दो योजनाएं/डी.पी.आर. सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता मंत्रालय को विचारार्थ भेजी गई।
- डी.सी. पापुमेयर से प्राप्त डी.डी.आर. सीज को लगाने के लिए प्रस्ताव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्राालय को विचारार्थ भेजा गया।
- सचिव, समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास तथा आयुक्त नि:शक्तजन ने उन विभिन्न कार्यवाहियों के मामले में सभी आयुक्तों के साथ सम्मेलन आयोजित किया, जो जिला प्रशासन द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं।

4.4 आसाम

4.4.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13-13½%

- राज्य समन्वय समिति गठित हो गई है और कार्यरत हैं।
- पिछली राज्य समन्वय समिति की बैठक 12.12.2011 को हुई।

4.4.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½%

- राज्य कार्यपालक समिति गठित हो गई है और कार्यरत है।

4.4.3 fu%'kDrrk dh jksdFkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk 25½ %

- नि:शक्तता की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए सभी 27 जिलों में जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया है।
- नि:शक्तता की रोकथाम के उपाय : टीकाकरण कार्यक्रम, कुष्टरोग समाप्ति कार्यक्रम, नेत्रहीनता

के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, अनुपूरक पौष्टिक तथा पूर्व प्रसव स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम नि:शक्तता की रोकथाम के लिए जारी रखे गए हैं।

- चिकित्सीय मूल्यांकन तथा वितरण कैम्प, श्रवण बाधित, दृष्टिगत बाधित तथा अस्थिगत बाधित (ऑर्थोपेडिकली) बच्चों के लिए 8 जिलों में आयोजित किए गए।
- चिकित्सीय जागरूकता सृजित करने के लिए सचल चिकित्सा यूनिट, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और पोष्टिकता दिवस आयोजित किए गए।
- नि:शक्तता की रोकथाम तथा शीघ्र पता लगाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं।
- एम.आर.एचएम. के अधीन जननियों की पूर्व प्रसव, प्रसव के समय, पश्च प्रसव देखभाल के लिए 'ममोनी', 'मैजोनी' जैसी कुछ योजनाएं जारी रखी गई है। जन्म से बच्चों की देखभाल आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से भी की जाती है।

4.4.4 f'k{kk ¼/kkjk 26-21½ %

- स्कूलों में अध्ययनरत नि:शक्त बच्चों की संख्या 73220 है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के नि:शक्त बच्चे सहित सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। सरकार द्वारा संचालित विशेष स्कूलों में भी बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- राज्य में तीन सरकारी तथा पांच सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल हैं। राज्य के 8 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। सरकारी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त दो विशेष स्कूल है तथा निजी क्षेत्रों में भी दस स्कूल हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 32,421 स्कूलों में रैम्प लगे हैं तथा 6712 स्कूलों में सुगमनीय शौचालय हैं।
- 2463 नि:शक्त बच्चे, रु. 2400/= प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए तीन अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।
- नि:शक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। इसके अन्तर्गत सभी ब्लाक आते हैं।
- नि:शक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि नि:शुल्क प्रदान की जाती है।
- परीक्षा पद्धति परिवर्धित की गई है तथा नेत्रहीन/निम्न दृष्टि बच्चों के लिए ज्योमेट्री से छूट दी गई है।
- श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प को लागू किया गया है।

नेत्रहीन निम्न दृष्टि	चलन नि:शक्तता ग्रस्त	मानसिक मंदताग्रस्त	वाक् तथा श्रवण बाधित	अन्य नि:शक्तताएं (विशेष)
1135	13815	6119	22771	19149

- नेत्रहीन/निम्नदृष्टि निःशक्त बच्चों को लिपिकार/लेखक की सेवा प्राप्त करने/प्रयोग करने के अनुदेश जारी किए गए हैं, निःशुक्त बच्चों से प्राप्त आवेदन पर उन्हें लिपिकार उपलब्ध कराया जाता है।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षार्थियों के लिए श्रवजता ग्रस्त बच्चों के लिए 20 मिनट अतिरिक्त समय का प्रावधान है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 77,720 निःशक्त बच्चे नामांकित हैं।
- एलिमको को नए सहयोगी उपकरणों, शिक्षण सहायता, विशेष प्रशिक्षण सामग्री आदि के विकास हेतु अनुसंधान की स्थापना/सहयोग के लिए भूमि का एक प्लाट उपलब्ध कराया गया है। विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता युक्त प्रशिक्षण के लिए राज्य में 2 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं। यहां सरकारी क्षेत्र में 16 विशेष शिक्षा के ब्लाक स्तर पर समावेशित शिक्षा के लिए 176 संसाधन शिक्षक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 2528 स्वयंसेवी हैं। सभी ब्लाकों में निःशक्त जनों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाएं हैं। निःशक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य के विशेष पुस्तकें तथा उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। 1120 निःशक्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं। निःशक्त जनों को संस्थापन की सुविधा वी.टी.आर.सी. के माध्यम से गुवाहाटी में है।
- नेत्रहीन तथा कम दृष्टि वाले बच्चों को ज्योमेट्री विषय से छूट प्राप्त है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प लागू किया गया है। वी.एच./निम्न दृष्टि वाले बच्चों को लेखक उपलब्ध कराया जा रहा है।
- 3 स्कूल निःशक्त बच्चों को निःशुल्क वाहन सुविधा–उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी स्कूल मुख्यतया आवासीय हैं जो सी.डब्ल्यू.एस.एन. अपनी कष्टसाध्य निःशक्तताओं के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं आ पाते, उन्हे परिवहन भत्ते तथा एस्कार्ट भत्ते के रूप में रु. 50/= + रु. 50/= प्रतिमास प्रति सी.डब्ल्यू. एस.एन. दिए जाते हैं।

4.4.5 jkt xkj /kkjk ¼32&41½

- आसाम सरकार ने सभी चार समूहों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों को चिन्हित किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

समूह	ओ एच	बी एच	एच एच	1 से अधिक या सभी श्रेणियां
समूह 'क'	18	4	–	–
समूह 'ख'	79	3	12	–
समूह 'ग'	189	–	–	96
समूह 'घ'	18	–	–	87
योग	304	7	12	183

- निःशक्तजनों को न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- 515 निःशक्तजन सरकारी नौकरियों में नियुक्त किए गए।
- कुछ विभाग विशेष रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित कर रहे हैं।
- निःशक्तजनों के प्रशिक्षण, कल्याण, अधिकतम आयु सीमा में छूट, स्वास्थ्य तथा मुख्य मापदण्ड तथा कार्यस्थल पर बाधामुक्त वातावरण के सृजन की व्यवस्था के लिए धारा 38 के अन्तर्गत आदेश/योजनाएं जारी/परिचालित की गई है। सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षण नीति कार्यान्वित की जा रही है।

4.4.6 ldkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42&43½ %

- सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय तथा सर्वशिक्षा अभियान के योजना ए.डी.आई.पी. के अन्तर्गत उपकरण तथा उपस्कर उपलब्ध कराए गए।
- अधिसूचना संख्या–आर.एस.एस.860/2005/57, दिनांक 14–01–2010 द्वारा राजस्व तथा डी.एम. विभाग ने सभी संबंधितों को परिपत्र जारी किया है कि निःशक्तजनों को रियायती दर पर, प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन किया जाए।
- यह लाभ संबंधित जिले के कलैक्टर के माध्यम से दिया जाता है।

4.4.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, जी.एम.सी. हाउस फेड तथा कई अन्य विभागों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है कि बिना बाधामुक्त नक्शे वाले भवनों को अनुमति न दी जाए।
- धारा 47 के अन्तर्गत तीन मामले सामने आए, जिनमें से दो रैक गए और एक मुख्य आयुक्त निःशक्त जन को अग्रेषित किया गया।
- बेटकुची में एक अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बाधामुक्त बनाया गया है। 150 निम्न तल बसें गोहाटी शहर क्षेत्रों तथा गोहाटी के निकट के जिलों में भी आ जा रही है।

4.4.8 fu%'kDr tuksa ds fy, laLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&50½ %

- निदेशक–समाज कल्याण, अजन बाजार, गोहाटी को निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत समक्ष प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
- राज्य के प्राधिकार के अन्तर्गत 118 संस्थान पंजीकृत किए गए।

4.4.9 vk;qDr&fu%'kDr tu ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½ %

- एक पूर्णकालिक आयुक्त–निःशक्त जन नियुक्त किया गया है।

4.4.10 f'kdk;rksa dk fuokj.k ¼/kkjk 62½ %

दर्ज मामलों की कुल संख्या	:	63
निपटाए गए मामले	:	63
लम्बित मामले	:	–

4.4.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk ¼/kkjk 66&68½ %

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं के लिए तालिका अगले पृष्ठ पर देखें।

4.4.12 fofo/k

- केवल दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निःशुल्क/रियायती बस पासों की अनुमति है।

निःशक्तजनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	निधि आवंटित (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	4.04 (लाख में)	2020
2.	आर्थिक पुनर्वास	1.80 (लाख में)	180
3.	बेरोजगारी भत्ता	27.60 (लाख में)	5460
4.	उपकरण तथा उपस्कर	सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता मंत्रालय की ए.डी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत प्रदत्त	
5.	स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान	50,00 (लाख में)	9 संख्या
6.	अवसंरचनात्मक विकास	30.00 (लाख में)	2 नए स्कूल लखीमपुर जिले तथा तिनसुकिया जिले में निर्माण की प्रक्रिया में है।
7.	कोई अन्य योजना : श्रवण बाधित बच्चों के परिवारों को सहायता	500/= प्रति परिवार	1600 (चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य)

- राज्य सरकार ने निःशक्तता नीति बनाई है और उसे पत्र संख्या सी.ओ.एम. (डी) 30/2007–08/36, दिनांक 13–03–2012 द्वारा पुनः प्रस्तुत किया है।
- निःशक्त जनों के लाभ के लिए सर्वोच्च उपाय :
  - रु. 10,000/= का पुनर्वास अनुदान
  - गैर सरकारी संगठनों को अनुदान
  - निःशक्त बच्चों के परिवारों को भत्ता

4.5 बिहार

4.5.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&24½ %

- राज्य समन्वय समिति पुनर्गठित की गई है। वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।
- राज्य कार्यपालक समिति पुनर्गठित की गई है, इसकी वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.5.2 fu%'kDrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼/kkjk 25½ %

- जोखिम के मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की गई। प्रतिरक्षण तथा टीकाकरण के माध्यम से निःशक्तता की रोकथाम के उपाय किए गए।

- निःशक्तता की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए, स्वास्थ्य तथा स्वास्थकर आदि की प्रोन्नति के लिए, प्रेस, एन.जी.ओ. तथा प्रशासन संस्थान जैसे विभिन प्रसार उपाय प्रयुक्त किए गए तथा जननी और बच्चे की पूर्व प्रसव, प्रसव के समय तथा पश्चात प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया।

4.5.3 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा।
- मुख्य धारा के स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना करने के विरुद्ध अनुदेश जारी किए गए।
- विभिन्न प्रकार के सरकारी स्कूल, जिसमें निःशक्त तथा सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं। (प्राइमरी–41497, मिडिल–29288, बेसिक–391, उच्च (हाई)–3260 कुल : 74436 स्कूल।
- राज्य में सरकार के अधीन 08 विशेष स्कूल तथा निजी क्षेत्र में 25 स्कूल चल रहे हैं।
- राज्य के 4 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- राज्य में 33,000 संस्थान स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है।
- 14,000 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- राज्य में निःशक्तता के प्रबन्ध में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु एक संस्थान चल रहा है।
- निःशक्त बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पुस्तकें तथा सामग्री प्राप्त कर रहे हैं।
- छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 8 विशेष स्कूल वाहन भत्ता प्रदान कर रहे हैं।

4.5.4 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½ %

- समूह 'ग' तथा 'घ' के 26 पद अधिसूचना दिनांक 05–01–2007 द्वारा चिन्हित किए गए हैं।
- 01 विशेष रोजगार कार्यालय बेलीरोड, पटना में स्थित है।
- विशेष रोजगार कार्यालय में 2359 निःशक्तजन पंजीकृत किए गए तथा 55 रिक्तियां विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा आधिसूचित की गई, जिसमें से 17 निःशक्त जनों ने नियुक्ति प्राप्त की।
- रोजगार में उच्च आयु सीमा की छूट उपलब्ध है।

4.5.5 ldkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42 rFkk 43½ %

- मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत 9068 निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए गए।
- निःशक्त, उद्यमियों के लिए घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, फैक्टरी की स्थापना के लिए रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन की योजना है।

4.5.6 vuqla/kku rFkk tu'kfDr fodkl ¼/kkjk 48&49½

- सी.आर.सी. पटना के लिए 3.53 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

4.5.7 fu%'kDr tuk d fy, lLFkku dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½

- राज्य आयुक्त–निःशक्त जन को संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- 134 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए गए हैं।

4.5.8 vk;qDr&fu%'kDr tu ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½

- एक पूर्णकालिक आयुक्त निःशक्तता नियुक्त किया गया है।
- वर्ष, 2011–12 के दौरान, 16 गैरसरकारी संगठनों को रु. 141.33 लाख का सहायता अनुदान दिया गया।
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के सफल कार्यान्वयन के लिए जिलों के सभी कलैक्टरों को अतिरिक्त आयुक्त निःशक्तता के रूप में अर्ध सूचित किया गया है और इन्हें निःशक्तजनों द्वारा ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग तथा अन्य जरूरी चीजें खरीदने के लिए निधि स्वीकृत करने के अधिकार दिए गए हैं।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।
- निःशक्त जन आधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान प्रतिपादित किए गए मामले निम्नलिखित हैं–

  कुल दर्ज मामले : 1769

  निपटाए गए मामले : 1765

  लम्बित मामले : 04

4.5.9 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk, ¼/kkjk 66&68½

निःशक्तजनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	550	14,000
2.	सहायता शैक्षणिक सहायक सामग्री	240	110
3.	आर्थिक पुनर्वास	260	170
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	निःशक्तता पेंशन	5278	3,11,000
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निःशक्त कर्मचारियों की बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	500	10,069
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुमान	–	–
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कोई अन्य योजना (सर्वेक्षण)	80	4,80,000

4.5.10 fofo/k

- निःशक्तजन अधिनियम अधिसूचित किए गए हैं।
- निःशक्तजनों के लिए बी.एस.आर.टी.सी. बसों में निःशुल्क रियायती बस यात्रा की अनुमति है।

4.6 चंडीगढ़

4.6.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½

- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 की धारा 13(3) के अनुसार संघ शासित क्षेत्र में राज्य समन्वय समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

4.6.2 राज्य कार्यपालक समिति संगठन (धारा 19–21) :

- चंडीगढ़ प्रशासन की अधिसूचना संख्या–एस. डब्ल्यू.–3 एस.ई.सी/2005/2810 दिनांक 17–05–2008 के द्वारा सचिव समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है।

4.6.3 निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान (धारा 25) :

- निःशक्तता की उत्पत्ति की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपाय, जैसे प्रतिरक्षण तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल से कई शहर में कार्यरत 5 अस्पतालों तथा 44 डिस्पेंसरियों में उपलब्ध है।
- राज्य संसाधन केन्द्र तथा जिला पुनर्वास केन्द्र सरकारी मेडिकल कालेज, अस्पताल, सेक्टर–32, चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं।
- राज्य संसाधन केन्द्र ने 12 निःशक्तता पहचान कैम्प आयोजित किए, जिसमें अलग–अलग रोगी से ग्रस्त 1531 रोगियों का उपचार किया गया।
- चंडीगढ़ संघ शासित कोटा के स्लम तथा कालोनियों में 420 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं और इस नेटवर्क के माध्यम से समाज के सुविधारहित वर्गों के लक्षित समूहों के बीच जागरूकता पैदा की गई है।

4.6.4 शिक्षा (धारा 26–31) :

- 3 प्रतिशत स्थान शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में निःशक्तजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने शैक्षणिक/तकनीकी संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए हैं कि किसी भी योग्य निःशक्त छात्र को प्रवेश पाने से वंचित न किया जाए।
- लड़कियों को +2 स्तर तक तथा लड़कों को 8वीं के स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। आस्थिबाधित विकलांग छात्र सामान्य स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं।
- सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों के सभी विभागाध्यक्षों को अनुदेश दिए हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को किसी स्कूल में दाखिले से मना नहीं किया जाएगा। निःशक्त बच्चे के नामांकन के बाद स्कूलों के प्रमुख उसकी प्रगति, विकास तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी होंगे।
- कुछ संस्थान निःशक्त बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे है।

- निम्न आई.क्यू. वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को उन्नत करने के लिए उन्हें सरकारी स्कूलों में मुख्य धारा वर्गों में समायोजित किया जा रहा है।

vukSipkfjd f'k{kk dk;Øe ¼/kkjk 27½

- सरकार का मानसिक मन्दताग्रस्त बाल संस्थान, सैक्टर–32, चंडीगढ़ दैनिक जीवन की प्रशिक्षण गतिविधियों (जैसे शौचालय प्रशिक्षण, खान–पान, प्रसाधन आदि) के संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का बीड़ा उठा रहा है। इन मंदताग्रस्त बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमवत्ती बनाना, चाक बनाना, कुकिंग तथा बेकरी, कुर्सियों, जिल्द जन्दी, फाइल बनाना, कटिंग तथा टेलरिंग में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- चंडीगढ़ बाल तथा महिला विकास निगम द्वारा कम्प्यूटर, व्यूटी पार्लर, स्टैनोग्राफी जैसे ट्रेडों में भी निःशक्त जनों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- चंडीगढ़ प्रशासन ने डबल स्टोरी बिल्डिंग, सैक्टर–46 चंडीगढ़ में निःशक्त जनों के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र 'आशा किरण' स्थापित किया है।

v/;kid izf'k{k.k lLFkku dh LFkkiuk ¼/kkjk 29½

- मानसिक मंदताग्रस्त सरकारी संस्थान, सैक्टर–32, चंडीगढ़, मानसिक मंदताग्रस्त बच्चों को संभालने के लिए सभी प्राथमिक तथा पूर्व प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

f'k{kk dh fy, O;kid ;kstuk] okgu lqfo/kk miyC/k djkuk] Nk=o`fÙk;ka rFkk iqLrdksa dh vkiwfrZ ¼/kkjk 30½

- चंडीगढ़ प्रशासन निःशक्त छात्रों को कक्षा–I से लेकर आगे तक अध्ययन की कक्षा के आधार पर रु. 50/= से 500/= की श्रेणी में छात्रवृत्ति दे रहा है।
- निःशक्त जनों के लाभ हेतु उनके उन्मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए 04 कालिजों तथा 35 स्कूलों के भवनों में रैम्प लगाए गए हैं। सभी संस्थानों को बाधामुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.6.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½

- भारत सरकार द्वारा चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची संघ शासित क्षेत्रा में लागू है।
- निःशक्त जनों को 3 प्रतिशत आरक्षण देने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- चंडीगढ़ प्रशासन ने निःशक्त जनों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किया है, जो क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, संघ शासित क्षेत्र, चंडीगढ़ में कार्य कर रहा है। उसमें 31–01–2012 को 62 नेत्रहीन, 935 ओएच तथा 85 एचआई सहित 1082 निःशक्तजन पंजीकृत हैं।
- चंडीगढ़ बाल तथा महिला विकास निगम को राष्ट्रीय विकलांग वित्त तथा विकास विभाग का सरणीबद्ध अभिकरण घोषित किया गया है। यह निगम शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्व–रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करा रही है।
- सभी विभागों/कार्यालयों/बोर्ड तथा निगम के प्रमुखों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में

शारीरिक रूप से विकलांग जनों को 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

4.6.6 l dkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42&43½

- ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्रा, गोगल्स, मुड़ने वाली छड़ी, क्रेचेज जैसी उपकरण तथा उपस्कर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता तथा क्लिपर्स तथा कृत्रिम अंग आदि समाज कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क दिए जा रहे हैं। 2733 निःशक्त व्यक्ति 13–3–3011 को पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा निःशक्तजन 31–3–2011 को 2165 से बढ़कर 2302 हो गए हैं, जो रु. 500/= प्रतिमाह की दर से पेंशन ले रहे हैं।
- चंडीगढ़ प्रशासन ने एस.टी.डी. बूथ, ज्यूस बार आदि स्थापित करने के लिए रियायती दर पर निशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की एक योजना अधिसूचित की है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अधिसूचना संख्या–3370 यू.टी.एफ.आई. (3)–2009/1266, दिनांक 2–3–2009 द्वारा एक योजना जारी की है, इसे निःशक्त जनों को रिक्त बूथ स्थान/बूथ बनाने का लाइसेंस योजना, 2009 कहा गया है।
- नए सार्वजनिक भवन डिजाइन किए जा रहे हैं और उनके रैम्पों तथा लिफ्टों के प्रावधान किए हैं, ताकि सभी स्तर/तलों पर पहुँच सुगम हो सके, और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रथम तल शौचालय का प्रावधान अनिवार्य किया जा रहा है।

4.6.7 fu%'kDr tuksa ds fy, laLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½

- निदेशक समाज कल्याण को, पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 9 संस्थानों के पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किए जा चुके हैं।

4.6.8 vk;qDr fu%'kDr tu dh fu;qfDr ¼/kkjk 60&62½

आयुक्त निःशक्तजन को अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.6.9 fofo/k

- चंडीगढ़ प्रशासन ने अधिसूचना संख्या–एस. डब्ल्यू–2/पी.डब्ल्यू.डी.डी.आई. रूल्स/2001/2418, दिनांक 11–9–2002 द्वारा "चंडीगढ़ निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्णभागीदारी) नियम, 2002", को अधिसूचित किया है।

4.7 छत्तीसगढ़

4.7.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित हो गई है और कार्यरत है। पिछली बैठक 12–03–2012 को हुई।

4.7.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित हो गई और कार्यरत है ।

4.7.3 jkdFkke rFkk loi{k.k ¼/kkjk 25½

- पल्स पोलियों अभियान पूरे राज्य में चलाया गया है।
- स्वास्थ्य, स्वास्थय विज्ञान तथा स्वच्छता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, डब्ल्यू.सी.डी. तथा पी.एच.ई. द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पता लगाने के लिए 234 चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया।

4.7.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½

- राज्य द्वारा निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही हैं। सभी सम्बन्धितों को नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राज्य के सभी स्कूलों में निःशक्त बच्चे तथा सामान्य बच्चे दोनों साथ–साथ पढ़ रहे हैं।
- राज्य में कुल विशेष स्कूल 56 हैं (सरकारी–18 तथा सरकारी सहायता प्राप्त 38)। राज्य के 11 जिले ऐसे हैं, जहां कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। 4 विशेष स्कूल भी हैं, जिनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की योजना विद्यमान है।
- राज्य में विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता प्रशिक्षण के लिए चार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं।
- निःशक्त बच्चों को निःशल्क विशेष पुस्तकें तथा लेखन सामग्री दी जा रही है। राज्य ने नेत्रहीन/निम्न दृष्टि बच्चों के लाभ के लिए गणीतीय प्रश्न हटा दिए हैं। निःशक्त बच्चों के कल्याण के लिए एक भाषा विकल्प पाठ्यक्रम प्रयोग किया गया है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों को परीक्षा में लिपिकार/लेखक के प्रयोग की अनुमति दी गई है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 54583 निःशक्त बच्चे हैं।

4.7.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½

- प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों की संख्या निम्नलिखित हैं–

	ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	योग
समूह 'क'	–	–	–	–
समूह 'ख'	17	06	07	30
समूह 'ग'	46	19	32	97
समूह 'ग' शिक्षा कर्मी	1336	816	742	2894
समूह 'घ'	15	14	12	41
योग	1414	855	793	3062

- समूह II, III तथा IV पदों के लिए निःशक्त जनों को 6 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- निःशक्तजनों के लिए एस.जे.जी.एस.वाई. (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना), अटल तथा बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना तथा इंदिरा आवास योजना में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

4.7.6 ldkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42 rFkk 43½

- जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी.) तथा निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र (डी.आर.सी.) निःशक्तजनों को उपकरण तथा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं।
- निःशक्त जन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए निदेशक पंचायत तथा समाज कल्याण, रायपुर के पास पहुँचे।

4.7.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½

- 103 भवनों तथा सार्वजनिक स्थानोंकी जांच की गई।

4.7.8 fu%'kDr tuk d: fy, l:LFkkuk dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- संयुक्त/उपनिदेशक,
  पंचायत तथा समाज कल्याण,
  महानदी खंड, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय,
  रायपुर (सी.जी.);
  फोन : 0771–2236197, 4257816;
  ई–मेल : dpsw@eg.nic.in

  को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभाग द्वारा चार संस्थान पंजीकृत किए गए।

4.7.9 vk;Dr fu%'kDr tu ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½ %

आयुक्त निःशक्तजन को अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की मानीटरिंग के लिए निःशक्त जन आयुक्त कार्यालय द्वारा 5 निरीक्षण सम्पन्न किए।
- पिछले वर्ष, प्रतिपादित मामलों का विवरण :

कुल मामले	:	67
निटाए गए मामले	:	59
लम्बित मामले	:	08

4.7.10 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,¡ ¼/kkjk 66&68½ %

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं (विभागीय)

क्र.सं.	योजना	निधि आवंटित (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति–शैक्षणिक	35.75	7793
2.	सहायता–शैक्षणिक, सहायक सामग्री	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास (स्वरोजगार)	47.00	123
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	161.00	675
5.	निःशक्तता पेंशन	536.83	30267
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निशक्त कर्मचारियों का बीमा	पहले से विद्यमान	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	37.35	1083
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	108.04	1179
10.	मानव संसाधन विकास	7.00	21 (निःशक्त जन पुरस्कार योजना (वार्षिक रूप से) राज्य सरकार द्वारा संचालित
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कोई अन्य आयोजन	–	–

4.8 दादरा तथा नगर हवेली

कोई सूचना नहीं

4.9 दमन तथा द्वीव

कोई सूचना नहीं

4.10 दिल्ली

4.10.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½

- राज्य समन्वय समिति 17–06–2011 को पुनर्गठित की गई है। पुनर्गठन के साथ राज्य समन्वय समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4.10.2 jkT; dk;lkyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति 19–1–2012 को पुनर्गठित की गई है। राज्य कार्यपालक समिति के पुनर्गठन के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई।

4.10.3 jkdFkke rFkk lo{k.k ¼/kkjk 25½ %

- महिला तथा बाल विकास विभाग ने आई.सी.डी. एस. योजनाओं के लाभार्थियों के बीच निःशक्तता का शीघ्र पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को निःशक्तताओं का शीघ्र पता लगाने के प्रयास करने, जागरूकता सृजित करने तथा बचपन की निःशक्तता की रोकथाम के लिए समुचित सम्पर्क करने के निदेश दिए गए हैं।
- सभी बच्चों में निःशक्तता को रोकने के लिए, अस्पतालों में उचित सलाह हेतु एंटी नेटल क्लीनिक चल रहे हैं, अर्थोपोडिक विभाग में आर्थोपेडिक निःशक्तों की सुरक्षा तथा उपचार, नेत्र बाह्य रोगी विभाग में मोतिया बिंदु की जांच की जाती है तथा ई.एन.टी., ओ.पी.डी. में जांच की जाती है, पल्स पोलियो असंक्रमणीकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, पांच वर्ष से कम के बच्चों के लिए विटामिन ए सम्पूरक तथा टी.बी., डिप्थीरिया हूपिंग कफ, टिटनेस, हैपेटाइटिस आदि जैसी बीमारियों के असंक्रमीकरण की सुविधा दी जा रही है।
- समय–समय पर प्रभावशाली सत्रों द्वारा डाक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा आम जनता के लिए जागरूकता अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है।
- सरकार अस्पतालों के माध्यम से गर्भवती महिला तथा बच्चों का असंक्रमणीय कार्यक्रम, जननी तथा बच्चों की प्रसव पूर्व, प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद की देखभाल के लिए है। शुरू के स्तर पर सुनने की कमी को दूर करने के लिए उत्सर्जन परीक्षा द्वारा नवजात शिशु के श्रवण की

नियमित जांच की जाती है/जन्मगत असंगत बचाव तथा निदानयुक्त बच्चे के जन्म की रोकथाम के लिए नियमित एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड तथा कलर डॉपलर संचारित होते हैं।

4.10.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- निशक्त बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उलब्ध कराई जाती है।
- जी.एन.सी.टी, दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा चार जिलों में विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं।

गया है। नेत्रहीन छात्रों को लिपिक/लेखक उपलब्ध कराने के अनुदेश दिए गए हैं।

- स्कूलों में नि:शक्त बच्चों को लिखित परीक्षा में प्रतिघंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
- नि:शक्त बच्चों के लिए नि:शुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।
- 18 वर्ष की आयु तक के स्कूलों में पढ़ रहे नि:शक्त बच्चों की कुल संख्या 16,389 है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

स्कूल का प्रार	नेत्रहीन/कम दृष्टि	चलना नि:शक्तता	मासिकता मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधित	अन्य नि:शक्तताएं
नियमित स्कूल	6503	4148	171	986	3743
विशेष स्कूल	100	–	35	703	–

- विशेष स्कूलों में 838 नि:शक्त बच्चे पढ़ रहे हैं तथा नियमित स्कूलों में 15551 नि:शक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- नि:शक्त बच्चों को निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है :
- शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ रहे सभी नि:शक्त बच्चों को रु. 600/= प्रति वर्ष।
- नि:शक्त छात्राओं को रु. 200/= प्रति मास अतिरिक्त।
- शिक्षा विभाग, जी.एन.सी.टी, दिल्ली के अधीन सभी सरकारी भवन नि:शक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं।
- नि:शक्त छात्रों को पुस्तकें, पठन सामग्री, वर्दियां नि:शुल्क प्रदान की जाती है।
- नि:शक्त छात्रों के लिए लचीले पाठ्यक्रम के डिजाइन का कार्य एस.सी.ई.आर.टी. को सौपा

- शिक्षा निदेशालय के सभी स्कूल नि:शक्त बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं से सज्जित हैं। शिक्षा निदेशालय में 283 स्कूल व्यावसायिक धारा के हैं, जो नि:शक्त छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए हैं।
- दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के अधीन लगभग सभी स्कूल परिवर्धित शौचालय, रैम्प तथा रेलिंग से युक्त हैं।
- एन.सी.टी.–दिल्ली में 6 स्थायी विशेष शिक्षक तथा 50 विशेष शिक्षक अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे हैं। 306 और संसाधन अध्यापक/विशेष शिक्षा अध्यापकों द्वारा अनुबंध के आधार पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण किया जाना अपेक्षित है। एक स्कूल में एक अध्यापक के मानक के अनुसार 758 विशेष अध्यापकों की कमी है। प्रत्येक स्कूल में एक विशेष अध्यापक प्रदान करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

- केंद्रीय रूप से प्रयोजित योजनाएं आई.ई.डी.एस. एस. तथा आई.ई.एस.एस.ए. पहले ही मुख्य धारा स्कूल पद्धति की सुविधा प्रदान करती है।
- निःशक्त बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपकरण/उपस्कर तथा पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है :

सुविधाएं	बच्चों की संख्या
पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दी	शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चे
उपकरण/उपस्कर	1801
ब्रेल पुस्तकें	1238

- आई.सी.टी. संसाधनों के अतिरिक्त नेत्रहीन तथा कम दृष्टि छात्रों के लाभ के लिए, दो स्कूलों, नामतः शहीद हेमू कालानी एस.बी.वी., लाजपतनगर तथा एस.बी.वी. रानी झांसी रोड में जाव्स तथा खुली पुस्तकें रखी गई हैं।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के समान अवसर प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालय स्तर पर निःशक्त छात्रों के संस्थापन के विभिन्न उपाय प्रारंभ किए हैं।
- गणितीय प्रश्नों को हटाने के लिए सभी स्कूल प्रमुखों की उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी किए हैं। निःशक्त बच्चों के लिए लचीले पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना का कार्य एस.सी.ई.आर.टी. को सौंपा गया है। कक्षा VIII तक श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा की छूट लागू है।
- शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में अध्ययनरत निःशक्त छात्र, गम्भीर निःशक्तताओं के मामले में वाहन सहायता के अंतर्गत आते हैं।
- निःशक्त बच्चों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है, नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक/लेखक उपलब्ध कराने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

4.10.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- भारत सरकार द्वारा चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची एन.सी.टी., दिल्ली में लागू है।
- भारत सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित है।
- दिल्ली के 2 विशेष जागरूक केन्द्र हैं–

I. रोजगार केन्द्र भवन, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032, यह यमुना पार क्षेत्र जैसे–पूर्वी दिल्ली तथा उत्तरी दिल्ली में रहने वाले उम्मीदवारों को सेवा उपलब्ध कराता है।

II. विशेष रोजगार केन्द्र, कैपनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, यह शेष दिल्ली के निवासियों को सेवा प्रदान करता है। यहां प्रत्येक जिले के रोजगार केन्द्रों पर निःशक्तों के लिए पंजीकरण की सुविधा है।

- पंजीकरण दिनांक 15–06–2009 से ऑन–लाइन कर दिया गया है और नामों का प्रायोजन दिनांक 16–12–2009 से लागू है।
- लगभग सभी विभाग निःशक्त जनों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित कर रहे हैं। समूह 'ग' तथा 'घ' के पद दिल्ली राज्य सेवा चयन बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा रहे हैं।
- आरक्षण के कार्यान्वयन का विवरण निम्नानुसार है।

समूह	ग्रेड	1996 तक भरी गई रिक्तियां की संख्या	1996 तक नियुक्त निःशक्तों की संख्या	रिक्तियों का बैकलाग संख्या	बैकलाग भरने हेतु कार्य योजना
समूह 'ग'	आशुलिपिक ग्रेड–II	452	07	07	ये बैकलांग नियुक्तियां पदोन्नति कोटा के संदर्भ में है। तथापि कोई निःशक्त जन कार्मिक संभरक संवर्ग में उपलब्ध नहीं है।
आशुलिपिक ग्रेड–II	474	07	02		
ग्रेड IV (डी.ए.एस.एस.)	2736	76	48		
ग्रेड II तथा ग्रेड III (डी.ए.एस. एस.)	9276	171	41		
योग	12938	263	98		

- सभी उद्देश्यों की व्यवस्था के लिए आदेश/योजनाएं धारा 38 के अंतर्गत पहले ही जारी/सूत्रबद्ध की गई है।
- दिल्ली परिवहन निगम निःशक्त जनों की सुलभता के लिए निम्न तल सी. एन. जी. बसें उपलब्ध रही है।
- निःशक्त जनों को कम से कम 5 प्रतिशत रोजगार के लिए नियोक्ता (सार्वजनिक/निजी) को प्रोत्साहन देने हेतु निःशक्त जन अधिनियम की धारा 41 के संबंध में सरकार की योजना विभिन्न विभागों/स्थानीय प्राधिकरणों को परिचालित की गई है।

4.10.6 ldkjkRed dkjZokbZ ¼/kkjk 42&43½ %

- निःशक्त जनों को निःशुल्क/रियायती दर पर उपकरण तथा उपस्कर प्रदान करने की योजना विद्यमान है।

4.10.7 foHkkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- उपायुक्त (राजस्व) सभी भवनों को निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। एन.डी.एम.सी. अपने क्षेत्र में सार्वजनिक भवनों के सुगमनीय रूप को सुधारने के लिए कदम उठा रही है।

4.10.8 fu%'kDr tuks dk fy, lLFkkuks dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

4.10.9 vk;qDr fu%'kDr tu ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½

- पद रिक्त है।
- पिछले वर्ष प्रतिपादित मामलों का विवरण

  कुल मामले : 85

  निपटाए गए मामले : 56

  लम्बित मामले : 29

4.10.10 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼/kkjk 66&68½ %

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	क्या योजना विद्यमान है, योजना का नाम तथा विवरण		आवंटित निधि (रु.)	1-4-2011 से 31-3-12 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणियां
		हां	नहीं			
1.	छात्रवृत्ति	–	–	–	–	–
2.	निःशक्त जन को बेरोजगारी भत्ता	हां, विशेष प्रयोजन 2009, निःशक्तजन हेतु दिल्ली वित्तीय सहायता	–	प्रतिव्यक्ति रु. 1000/= प्रतिमाह	16,365	–
3.	निःशक्त जनों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधाएं	हां, निशक्त जनों के लिए निःशुल्क डी.टी.सी. बस पास	–	लागू नहीं	लागू नहीं	–
4.	शैक्षणिक सहायक सामग्री के लिए सहायता	हां, निःशक्त छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें, पठन सामग्री, वर्दियां दी जाती है।	–	लागू नहीं	लागू नहीं	–
5.	आर्थिक पुनर्वास	–	–	–	–	–
6.	उपकरण तथा उपस्कर	–	–	–	–	–
7.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	हां	–	87,62,662	–	–
8.	मानव संसाधन विकास	–	–	–	–	–
9.	अवसंरचना का सुगमनीय विकास	–	–	–	–	–
10.	अन्य योजनाओं पर खर्च	–	–	50 लाख	3281	–
11.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–	–	–	–

4.11 गोवा

कोई सूचना नहीं

4.12 गुजरात

कोई सूचना नहीं

4.13 हरियाणा

4.13.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½%

- राज्य समन्वय समिति (एस.सी.सी.) गठित हो चुकी है तथा कार्यरत है। राज्य समन्वय समिति की पिछली बैठक 21–4–2011 को हुई।

4.13.2 jkT; dk;ikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति (एस.ई.सी.) गठित हो गई है तथा कार्यरत है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बैठक नहीं हुई।

4.13.3 fu%'kDrrk dh jkdFkke rFkk 'kh?k igpku d fy, dh xbl dk;okgh ¼/kkjk&25½ %

- स्वास्थ्य विभाग ने निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए 21 जिले में सर्वेक्षण/पहचान शिविर आयोजित किए।
- पल्स पोलियो विमुक्ति कार्यक्रम राज्य में प्रारम्भ है।
- स्वास्थ्य, स्वास्थयकर तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजन के लिए कार्यवाही की जा रही है।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया गया है।
- जननी तथा बच्चों की पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान तथा पश्च प्रसव देखभाल के उपाय किए जा रहे हैं।
- विमुक्ति, सड़क सुरक्षा, आयोडीन नमक के प्रयोग, स्वच्छता, क्लोरीनयुक्त पीने का सुरक्षित पानी के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निःशक्तताओं की पहचान के लिए विटामिन घोल का वितरण तथा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

4.13.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। मुख्यधारा स्कूलों को निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- राज्य में 3118 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। राज्य में 32 विशेष स्कूल निःशक्त बच्चों के लिए है, जिनमें 03 सरकारी, 25 गैरसरकारी सहायता प्राप्त हैं, तथा 04 निजी हाथों में है।
- 16 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। राज्य में सभी 21 जिले निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं। 22 सामान्य/विशेष स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- राज्य के कुल 79 कालिजों में से 20 स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं, 07 बाधामुक्त के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।
- 4300 निःशक्त छात्र–छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के लिए कुछ आवंटित राशि रु. 122.67 लाख है।
- एक सरकारी तथा दो सहायता प्राप्त संस्थानों को नए सहायक कौशल, अध्यापकीय सहायता तथा विशेष शिक्षण सामग्री आदि के विकास के लिए अनुसंधान हेतु सहायता दी गई।
- विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 10 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।

- 119 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों की उनकी जरूरत के अनुसार विशेष पुस्तकें तथा उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं।
- सभी स्कूलों द्वरा निःशक्त बच्चों के लिए निःशल्क वाहन/वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों के संस्थापन के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि तथा अन्य निःशक्त बच्चों के लिए लिपिक/लेखक की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। स्कूल/विश्वविद्यालय की परीक्षा में लिखने के लिए निःशक्त बच्चों को अतिरिक्त समय की अनुमति है।

4.13.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½

- दिनांक 2–1–2012 की अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने निःशक्त जनों के लिए चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची को अपनाया है।
- एक विशेष रोजगार कार्यालय बेज संख्या–55–88, सैक्टर–2, पंचकुला, हरियाणा में चल रहा है और 13024 निःशक्त जनों को संस्थापन उपलब्ध कराया गया।
- निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- सार्वजनिक परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों/भवनों को निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय बनाने हेतु राज्य स्थापत्य कला, पी.डब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर.) तथा पंचायत राज विभाग को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

4.13.6 ldkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42&43½

- निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए राज्य द्वारा ए.डी.आई. योजना विकसित की गई है। उक्त योजना 2696 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- मकान बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष, मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना, निःशक्त उद्यमी के साथ फैक्टरी की स्थापना के उद्देश्य से निःशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि का आवंटन।

4.13.7 foHksn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½

- निःशक्त जनों को लाने तथा ले जाने के लिए 106 निम्न तल बसे लगाई गई है।
- हरियाणा सरकार निःशक्त जनों को एक परिचर के साथ हरियाणा रोडवेज बसों में केवल हरियाणा के सीमा क्षेत्र में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान कर रही है।
- सार्वजनिक भवनों में रैम्प, रेलिंग तथा सुगमनीय शौचालय उपलब्ध है।

4.13.8 vuqla/kku rFkk tu'kfDr fodkl ¼/kkjk 48&49½

- समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए एन.पी.आर.पी.डी. योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान दिया जाता है। सहायक साधन विभिन्न रेड क्रास संस्थाओं तथा साकेत अस्पताल चांदी मंदिर के माध्यम प्रदान किए जा रहे हैं तथा सहायता अनुदान के रूप में उदार वित्तीय सहायता, हरियाणा में निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत, गैर सरकारी संगठनों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

4.13.9 fu%'kDr tuksa ds fy, ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- सभी उपायुक्तों को अधिसूचना संख्या–11961/एस.डब्ल्यू. (4)–96, दिनांक 21–8–96 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

4.13.10 vk;qDr fu%'kDr tu ¼/kkjk 60½ %

- डॉ. बदलेव करोड़ा (त्याग पत्र 23–11–2011) राज्य आयुक्त–निःशक्तजन, (स्वतंत्र प्रभार)

- प्रतिपादित मामलों का विवरण :

कुल दर्ज मामले	:	52
निपटाए गए मामले	:	52
लम्बित मामले	:	शून्य

4.13.11 lkekftd lqj{kk vU; ;kstuk, ¼/kkjk 66&68½ %

4.13.12 fofo/k

- वी.आई./ओ.एच./एच.एच. तथा मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्ति के लिए निःशुल्क/रियायती बस पासों की अनुमति है।

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधिओं 2011-12 (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या- 2011-12
1.	छात्रवृत्ति–शैक्षणिक	122.67	4360
2.	सहायता–शैक्षणिक, सहायक सामग्री	–	145 स्कूल
3.	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	निःशक्तता पेंशन	9181.87	136.137
6.	बेरोजगारी भत्ता	105.04	1500
7.	निशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	37.06	2696
9.	स्वैच्छिक संगठनों के सहायता अनुदान	315.19	22 संस्थान
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	115.40	132 (2 संस्थान)
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कोई अन्य आयोजन	207.07	1600

कुल व्यय : रु. 10084.30 लाख

4.14 हिमाचल प्रदेश

4.14.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½ %

- राज्य स्तर की समन्वय समिति गठित की गई है।

4.14.2 jkT; dk;ikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित है।

4.14.3 jkdFkke rFkk lo{k.k ¼/kkjk 25½ %

- निःशक्तता–कार्यकर्ताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए आई.सी.डी.एस. के माध्यम से सर्वेक्षण प्रतिपादित किया गया। वर्ष के दौरान स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा 0–12–आयु वर्ग के 6,70,496 बच्चों की चिकित्सीय जांच की गई।
- जागरूकता प्रदान करने के लिए–राज्य में ब्लॉक तथा जिला स्तर पर संयुक्त शिविर आयोजित किए गए। सी.एच.सी.ज/पी.एच.सी.ज/सी. डी.ज. के डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे निःशक्तता के मामलों की पहचान करने के समर्थ हो सकें। पंचायत राज संस्थान तथा विभागीय कार्यकर्ता योजना पम्पलेट बांटकर भी जागरूकता सृजित करते हैं। आई.सी.डी.एस. के कार्यकर्त्ताओं द्वारा स्वास्थ्यकर, स्वास्थ तथा स्वच्छता के लिए सूचना का प्रचार किया जा रहा है।

4.14.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- राज्य सरकार निःशक्त बच्चों को निःशुलक शिक्षा प्रदान कर रही है।
- सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए विभाग/एन.जी.ओ. द्वारा सात जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- राज्य में विशेष आवश्यकता वाले कुल 19,658 बच्चों में से 19,108 सी.डब्ल्यू.एस.एस.आई.ई.डी. एस. के अन्तर्गत सम्मिलित है। शेष 550,24 गैरसरकारी संगठनों द्वारा अपनाए गए हैं।
- निःशक्त बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। निःशक्त बच्चों को उनकी कक्षा के स्तर पर आधारित रु. 350/= से रु. 2000/= तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 2407 निःशक्त बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
- 6566 प्राथमिक स्कूल बाधामुक्त बने हैं।
- शिक्षा विभाग द्वारा 8वीं कक्षा तक सामान्य श्रेणी छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है।
- हरियाणा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मिडिल तथा मैट्रिकुलेशन परीक्षा में निःशक्त बच्चों की विशेष आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संशोधन न किए हैं। नेत्रहीन, गूंगे तथा बहरे परीक्षार्थियों को 8वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल होने से छूट दी गई है।
- ऐसे परीक्षार्थियों को मैट्रिकुलेशन परीक्षा में गणित के पेपर में शामिल होने से भी छूट दी गई है। गणित के स्थान पर ये छात्र एक वैकल्पिक विषय अपना सकते हैं और उस विषय से प्राप्त अंकों को अनुपाति रूप से गणित के लिए स्वीकार किया जाता है।
- नेत्रहीन, गूंगे तथा बहरे 8वीं तथा 10वीं के छात्रों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से पूर्णतया छूट दी गई है तथा नेत्रहीन छात्रों को परीक्षा के लिए आधा घंटा अधिक समय भी दिया जाता है।

- नेत्रहीन, अस्थिबाधित निःशक्त बच्चों को लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है।
- सभी निःशक्त बच्चों को राज्य में राज्य परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। दृष्टि बाधित जनों के लिए यह सुविधा राज्य के बाहर भी प्रदान की जाती है।

4.14.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½ %

- शारीरिक आवश्यकता के अनुसार सभी विभागों द्वारा पदों की पहचान की जा रही है।
- निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निःशक्त जनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। पिछले चार सालों के दौरान 1387 पद भरे गए।
- वर्ष के दौरान 35 पद अन्य व्यक्तियों के बीच से भरे गए।
- उच्चतर शिक्षा में अवसर प्रदान करने के लिए निःशक्त जनों के लिए विभिन्न संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।
- निम्नलिखित गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत निधियां सुरक्षित की जा रही है :

योजना का नाम	कुल लाभार्थी	लाभान्वित निःशक्त जनों की संख्या	प्रतिशत
ए.ए.वाई.	2099	40	1.90
आई.ए.वाई.	5659	104	1.83
एस.जी.एस.वाई.	12298	102	1.00

उद्योग विभाग ने निःशक्तजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 100 व्यवसाय/ट्रेड चिन्हित किए हैं, जिनमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और बाद में निजी/औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार दिया जा सके।

4.14.6 l dkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42&43½ %

- राज्य सरकार ने निःशक्त जनों को भूमि आवंटन के लिए अनेक उपाय किए हैं। हिमाचल प्रदेश, हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित/विकसित 3 प्रतिशत यूनिटें निःशक्तजनों के लिए आरक्षित की गई है। अभी तक 11 फ्लेट तथा 23 प्लाट निःशक्त जनों को आवंटित किए जा चुके हैं।
- हिमाचल प्रदेश, नियमावली, 2001 में नगरपालिकाओं द्वारा निर्मित स्थलों/दुकानों के पट्टे पर लेने के अनुसार राज्य में निःशक्त जनों को 2 प्रतिशत स्टाल आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
- निःशक्तजनों को बाजार दर के 5 प्रतिशत पर 25 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि वे स्वरोजगार के लिए उद्यम स्थापित कर सकें। अभी तक 10 निःशक्त जनों को भूमि आवंटित की जा चुकी है।
- राज्य में निःशक्त जन उद्यमियों द्वारा फैक्टरी लगाने के लिए रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने का प्रावधान है।

4.14.7 ck/kkeDr okrkoj.k d l'tu dh fLFkfr ¼/kkjk 45&46½ %

- विभाग निःशक्त जनों के लाभ के लिए रैम्प, लिफ्ट, शौचालय तथा पार्किंग आदि के प्रावधान सख्ती से सुनिश्चित कर रहा है।

4.14.8 vu lá/kku rFkk tu'kfDr fodkl ij e[; igy ¼/kkjk 48&49½ %

- विश्वविद्यालयों/व्यावसायिक निकायों के माध्यम से निःशक्तता के क्षेत्र में अनुसंधान का उत्तरदायित्व लेने के लिए निःशक्त जनों हेतु एकीकृत योजना सहयोग प्रारम्भ की गई। सी आर सी, सुन्दर नगर जनशक्ति विकास के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहा है। 40 व्यक्तियों को

एच आई में विशेष शिक्षा, 20 व्यक्तियों में एम आर में विशेष शिक्षा तथा 118 को वी आई में विशेष शिक्षा का डिप्लोमा प्रदान किया गया।

4.14.9 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½

- निदेशक, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले को अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।

4.14.10 fu%'kDr tu vk;Dr dh fu;fDr ¼/kkjk 60&62½

- प्रधान सचिव (समाज कल्याण तथा अधिकारिता) तथा आयुक्त निःशक्तता, हिमालच प्रदेश सरकार।
- निदेशक, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले को संयुक्त आयुक्त (निःशक्तता) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- सभी 12 जिलों में उपायुक्तों को उपायुक्त (निःशक्तता) के रूप में तथा जिला कल्याण अधिकारियों को जिला अधिकारी (निःशक्तता) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

4.14.11 lkekftd lj{kk ¼/kkjk 66&68½

- एक अनिवार्य सामान्य बीमा योजना रूप में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निःशक्त सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित किए जा रहे हैं।
- तथापि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 33482 निःशक्त जनों को राज्य सरकार द्वारा रु. 400/= प्रति मास की दर से निःशक्तता पुनर्वास भत्ता दिया जा रहा है।

4.14.12 fu%'kDr tu fu;ek dh vf/klpuk ¼/kkjk 73½

- दिनांक 18–2–2005 को राज्य सरकार द्वारा पहले ही आधिनियम के अन्तर्गत निःशक्तजन नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं। नियमों का संशोधन प्रक्रियाधीन है।

4.14.13 fofo/k

- राज्य सरकार द्वारा निःशक्त जनों के लाभ के लिए रु. 1613.09 लाख खर्च किए गए, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	योजना का नाम	व्यय लाखों में	लाभार्थियों की संख्या
1.	निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति	67.94	2407
2.	निःशक्तों की वैवाहिक अनुदान	25.47	289
3.	स्वरोजगार वाले निःशक्तों को सहायता	2.40	85
4.	वी.आई. तथा एच.आई. ढाली के लिए आवास	68.67	129
5.	कौशल सुधार	10.66	42
6.	एन.पी.आर.पी.डी.	15.00	उल्लिखित नहीं
7.	जागरूकता अभियान	7.08	उल्लिखित नहीं
8.	आई.सी.एस.ए., सुन्दर नगर	14.84	102
9.	एम.आर. के लिए आवास	8.55	30
10.	निःशक्तजनों की पुरस्कार	0.30	उल्लिखित नहीं
11.	डी.आर.ए.	1392.18	33482
	योग	1613.09	

4.15 जम्मू तथा कश्मीर

कोई सूचना नहीं

4.16 झारखंड

4.16.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.16.2 jkT; dk;kikyd lfefr dk xBu ¼kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.16.3 fu%'kDrrk dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- जागरूकता सृजन, पूर्व तथा पश्च प्रसव जांच, प्रतिरक्षण, पल्स पोलियो कार्यक्रम तथा आई. एफ.ए. टैबलेटो का वितरण जैसे साधन निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए अपनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर स्टाफ निशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- जोखिम मामलों की पहचान के लिए समाज कल्याण निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत 24 जिलों के 260 ब्लाकों में 80,000 बच्चों की जांच की गई, जागरूकता सृजन के लिए दिनांक 3–12–2011 को दो टी. वी. कार्यक्रम तथा एक रेडियो कार्यक्रम आयोजित किया गया।

4.16.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- सरकारी शिक्षण संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान निःशक्तजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
- निःशक्तजनों के लिए राज्य में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- राज्य के 10 जिलों में प्रत्येक में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- राज्य में 24 विशेष स्कूल (सरकारी–03, सहायता प्राप्त–14 तथा प्राइवेट–07) उपलब्ध है। 14 विशेष स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। सरकार ने एन.जी.ओ. द्वारा चलाए जाने के लिए 7 नेत्रहीन स्कूल तथा 12 बधिर तथा मूक स्कूल स्वीकृत किए हैं। गिरिडीह में एक नेत्रहीन स्कूल तथा 04 बधिर तथा मूक स्कूल हजरत गंज, चाईबासा, गुमला तथा धनवाद में चालू किए गए हैं।
- सिमडेगा, गुमला तथा सराय केला में नेत्रहीन स्कूल शीघ्र प्रारम्भ किए जाने हैं।
- 900 निःशक्त बच्चे विशेष स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- स्कूलों में 84,464 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 04 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।
- राज्य में निःशक्त छात्रों के लिए ''विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति'' छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है,

जिसके अन्तर्गत 1328 निःशक्त छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। छात्रवृत्ति की अनुमोदित दरें निम्न हैं–

कक्षा I से 8वीं : रु. 50/= प्रतिमास
कथा 9 से स्नातक : रु. 50/= प्रतिमास
स्नातक तथा उच्चतर : रु. 260/= प्रतिमास
सरकारी/गैरसरकारी
आवासीय स्कूल : रु. 100/=

- नए निर्मित प्राथमिक स्कूल निःशक्त जनों के लिए बाधामुक्त बनाए गए हैं। 14 कालिज/व्यावसायिक संस्थान तथा 42.571 स्कूल राज्य में स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। राज्य में 28678 स्कूलों/कालिजों में रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय आदि है।
- निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें तथा सामग्री निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों को लिपिक/लेखक प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। दृष्टिगत विकलांग व्यक्तियों को 20 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में कुल 70,224 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है।

4.16.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य सरकार ने निःशक्त जनों के लिए 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' समूहों में विभिन्न पद चिन्हित किए हैं।
- अपने पत्र संख्या–7281, दिनांक 7–11–2007 के माध्यम से कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखंड सरकार द्वारा भर्ती में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- निःशक्त जनों के लाभ के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.16.6 l dkjkRed dk;lokgh ¼/kkjk 42&43½ %

- निःशक्त जनों की उपकरण तथा उपस्कर निःशुल्क/रियायती दर पर उपलब्ध कराने की योजनाएं हैं। वर्ष के दौरान लाभार्थियों की कुल संख्या 2462 है।

4.16.7 foHkkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भवन उपनियमों में संशोधन किया गया है।

4.16.8 fu%'kDr tuksa ds fy, lLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- निदेशक, समाज कल्याण विभाग,
  इजीनियर्स हास्टल–II,
  एच.ई.सी. सैक्टर–III, धुवा, रांची,
  झारखंड–834004
  फोन : 0651–2400893,
  फैक्स : 0651–2400749
  ई–मेल : dswjharkhrand@yahoo.com.in
  को निःशक्त जन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अभी तक 30 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

4.16.9 xEHkhj fu%'kDrrkvk ls xLr 0;fDr;k d fy, lLFkku ¼/kkjk 56½

- राज्य में एक नेत्रहीन स्कूल (हजारीबाग) तथा दो बाधिर तथा मूक स्कूल (चाईबासा तथा गुमला) चल रहे हैं।

4.16.10 vk;Dr fu%'kDrtu ¼/kkjk 60½

- राज्य आयुक्त–निःशक्तजन के पास स्वतन्त्र प्रभार है।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों की मॉनीटरिंग के लिए आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय द्वारा 27 निरीक्षण सम्पादित किए गए।

4.16.11 f'kdk;rk dk fuokj.k ¼/kkjk 62½

कुल मामले	:	10095
निपटाए गए मामले	:	9414
लम्बित मामले	:	681

4.16.12 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk, ¼/kkjk 66&68½

- स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना : यह महत्वाकांक्षी योजना झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2006 से प्रारम्भ की गई थी। इसके अन्तर्गत जाति, धर्म, आयु तथा लिंग का विचार किए बिना सभी निःशक्त जनों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप रु. 400/= प्रतिमास दिए जा रहे हैं।

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधियों (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्तियां	73,00,000	1,382
2.	सहायता–शैक्षणिक सहायक सामग्री	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास	1,24,00,000	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	निःशक्तता पेंशन (प्रोत्साहन राशि)	40,00,00,000	1,28,012
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निःशक्त कर्मचारियों की बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	40,00,000	2462
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	91,16,310	1072
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13.	वाहन उपदान	निःशक्त जनों को निःशुल्क बस पास	–
14.	अन्य कोई योजना	–	–

4.16.13 fu;e cukus ds fy, lehphu ljdkj ds vf/kdkj ¼/kkjk 73½ %

- निःशक्तता प्रमाण पत्र के सरलीकरण के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। अनुमानतः 4 लाख निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

4.16.14 fofo/k %

- सरकारी अधिसूचना संख्या–85 दिनांक 22–1–04 द्वारा निःशक्तजन नियम अधिसूचित किए गए हैं।
- परिवहन विभाग, सरकारी अधिसूचना संख्या–76, दिनांक 20–08–2009 द्वारा निःशक्तजन (नेत्रहीन) को निःशुल्क बस पास की अनुमति दी गई है। 47,281 दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने निःशुल्क बस पास प्राप्त किए हैं।

4.17 कर्नाटक

4.17.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½%

- दिनांक 12–09–1997 को गठित। पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बैठक नहीं हुई।

4.17.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- दिनांक 23–04–1998 को गठित। वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य कार्यपालक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4.17.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk&25½ %

- राज्य में विमुक्ति, आई.सी.डी.एस. से डिब्बा बन्द खाना, लौह तथा फोलिक एसिड की गोलियां निःशक्तजनों को दिए गए हैं।
- जागरूकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तथा अन्य संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रसार किया गया।
- रोड शो प्रतिपादन के साथ–साथ स्वास्थ्य विभाग, टी.वी. तथा रेडियो के माध्यम से अनेक कार्यक्रम प्रतिपादित कर रहा है।

4-17-4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- निःशक्त बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रवधान।
- राज्य के 28 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- 220 विशेष स्कूलों (सरकारी–8, सरकारी सहायता प्राप्त–132 निजी–80) में 15991 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। 27 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- 1,31, 017 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से पुस्तक तथा अध्ययन सामग्री भी निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं।
- 365 विशेष/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है।
- 35379 स्कूल रैम्पों तथा सुगमनीय शौचालय जैसे स्वरूप से बाधामुक्त बने हुए हैं।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के कल्याण के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। पाठ्यक्रम में श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प दिया गया

है। निःशक्त जनों को लिपिक/लेखक के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

- 7वीं कक्षा से नीचे के निःशक्त बच्चों तथा श्रवणबाधित छात्रों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध है। दूसरों के लिए रियायती बस पास उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :

निशक्त जनों की छात्रवृत्ति	प्रतिमास रु. छात्रावास में रह रहे (प्रतिमास रु. में)		नेत्रहीन छात्रों को पठन भत्ता (प्रतिमास रु. में)	ओ एच के वाहन भत्ता (प्रतिमाह रु. में)
पहली से पांचवी कक्षा	50	25	25	25
छठी से दसवीं कक्षा	100	140	75	50
पी.यू.सी.	150	140	75	50
उपाधि पाठ्यक्रम	200	180	75	–
बी.ए/एम.बी.बी.एस./एल.एल.बी./ डिप्लोमा इन प्रोफेसन तथा इंजीनियरिंग	250	240	100	–
एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम./ एल.एल.एम. तथा समकक्ष	300	240	100	–

4.17.5 jkt xkj ¼kkjk 32&41½ %

- समूह क तथा ख के पद अधिसूचना संख्या–डी.पी.ए.आर.–21 एस.आर.आर.–2008, दिनांक 03–08–2009 द्वारा चिन्हित किए गए हैं।
- समूह ग तथा घ के बाद अधिसूचना संख्या–डी.पी.ए.आर.–52/एस.आर.आर./1999, दिनांक 29–11–2002 द्वारा 37 विभागों द्वारा चिन्हित किए गए हैं।
- समूह क तथा ख के पदों 3 प्रतिशत रिक्तियां तथा समूह ग तथा घ के पदों के मामले 5 प्रतिशत आरक्षित की जा रही है।
- 7813 निःशक्त जन राज्य सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नियुक्त है।

4.17.6 l dkjkRed dk;Zokgh ¼kkjk 42&43½ %

- राज्य निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर खरीदने के लिए सहायता दे रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 317 निःशक्तजन लाभान्वित हुए।

4.17.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼kkjk 44&47½ %

- सार्वजनिक वाहन तथा सार्वजनिक भवन निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय बनाने के लिए राज्य सरकार ने परिपत्र जारी किया है और भवन उपनियम संशोधित किए गए हैं। इस संबंध में 30 सुगमनीय जांच की गई।
- राज्य आयुक्त की वेबसाइट निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय है।

4.17.8 fu%'kDr tuksa d fy, lLFkkuksa dh ekU;rk ¼kkjk 50&55½ %

- उपनिदेशक महिला तथा बाल विकास विभाग को अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अन्तर्गत अभी तक 220 संस्थानों के पंजीकरण जारी किया गया है।

4.17.9 vk;qDr fu%'kDrtu dh fu;qfDr ¼/kkjk 60½ %

- राज्य आयुक्त–निःशक्तजन स्वतन्त्र प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

आयुक्त ने 30 संस्थानों का दौरा किया और निधियों की जांच के लिए 10 निरीक्षण किए।

4.17.10 f'kdk;rksa dk fuokj.k ¼/kkjk 62½ %

कुल दर्ज मामले : 51
निपटाए गए मामले : 33
लम्बित मामले : 18

4.17.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼/kkjk 66&68½ %

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधियों (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	239	24793
2.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
3.	निःशक्तता पेंशन	57154	552897
4.	निःशुल्क/रियायती यात्रा	1620	1,00,000
5.	शैक्षणिक सहायक सामग्री के लिए सहायता	–	–
6.	आर्थिक पुनर्वास	100	285
7.	उपकरण तथा उपस्कर	225	4759
8.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	780.16	3600
9.	मानव संसाधन विकास	–	–
10.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
11.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
12.	अन्य योजना	1120	8823

4.18. केरल

कोई सूचना नहीं

4.19 लक्षद्वीप

4.19.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½%

- निःशक्त जन अधिनियम की धारा 13 (3) के अनुसार संघ शासित क्षेत्र में समन्वय समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

4.19.2 jkT; dk;kZikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&20½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है।

4.19.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼/kkjk 25½ %

- सभी प्राय द्वीपों में निःशक्तता की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के पर्यवेक्षण में एम.आर.डब्ल्यू. द्वारा सर्वेक्षण संचालित किया गया। गम्भीर मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की गई।
- सभी प्रायद्वीपों में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य निरीक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों के द्वारा जागरूकता प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का सृजन किया।
- राज्य सरकार 365 निःशक्त जनों को रु. 500/=प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान कर रही है।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्यकर तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजन के लिए डी.डब्ल्यू.सी.डी. के ग्राम प्रसारण अधिकारियों, चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं/एम. आर. डब्ल्यूज द्वारा घर–घर दौरा किया गया।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सी एच सीज तथा अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा विभाग द्वारा पूर्व प्रसव तथा पश्च प्रसव देखभाल की जा रही है।

4.19.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- कुल 389 (बालक–194, बालिकाएं–195) निःशक्त छात्र विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं तथा सभी छात्रों को विशेष पुस्तकें तथा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- सभी निःशक्त छात्रों की निःशुल्क शिक्षा, विशेष पुस्तक तथा वर्दी तथा अन्य सामग्री प्रदान की जा रही है।
- सभी स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी स्कूलों में रैम्प निर्मित किए गए हैं।

4.19.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- केन्द्र शासित क्षेत्र ने सचिव प्रशासन सचिवालय, कावारत्ती अधिसूचना संख्या–1/11/2000 एस.एस. (सी.सी.) दिनांक 05–03–2000 द्वारा समूह ग तथा घ में निःशक्त जनों के लिए 117 पद चिन्हित किए हैं।
- सभी विभागों से निःशक्त जनों के लिए आरक्षित खाली पदों को भरने का अनुरोध किया गया है।
- सरकार ने अधिनियम की धारा 33 के अनुसार समूह ग तथा घ में न्यूनतम 3 प्रतिशत पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है। संघ शासित क्षेत्र में 25 निःशक्त व्यक्ति नियुक्त किए गए।

एक शिक्षित रोजगार कार्यालय कवारत्ती में स्थित हैं, जहां 48 निःशक्त व्यक्ति पंजीकृत हैं।

- सम्बन्धित विभागों से गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
- निःशक्त जनों के लिए पहुंच आसान बनाने हेतु सरकारी भवनों में रैम्प निर्मित किए गए हैं।
- सभी जिलों में निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है।

4.19.6 ldkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42&43½ %

- संघ शासित क्षेत्र प्रशासन निःशक्त जनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण तथा उपस्कर जारी करता है।

4.19.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- लक्षद्वीप में सभी पानी के जहाज निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय है।

4.19.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- रजिस्ट्रार–को–ऑपरेटिव सोसाइटीज,

  संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, कवारत्ती,

  फोन नम्बर : 04896–262016,

  ई–मेल पता : IK-coop.@nic.in

  को अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एक स्वैच्छिक संगठन, एस.आर.एच.डी., कदमात पंजीकृत किया गया।

4.19.9 vk;Dr&fu%'kDr tu dh fu;fDr ¼/kkjk 60&62½ %

- अतिरिक्त प्रभार के साथ निःशक्त जनों के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया है।

4.19.10 lkekftd lj{kk ¼/kkjk 66&68½ %

- संघ शासित क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाएं उपलब्ध हैं :

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधिओं 2011-12 (रु. लाख में)	लाभार्थियों की संख्या- 2011-12
1.	निःशक्त पर कृत्रिम अंगों/ पहियेदार कुर्सी/ श्रवण उपकरण तथा सर्वेक्षण की लागत	6,00,000	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को स्वीकृत
2.	एक अनुचर सहित निःशक्त के विशिष्ट उपचार के लिए वित्तीय सहायता	5,00,000	उपरोक्त
3.	आर्थिक पुनर्वास (i) कियोस्क का निर्माण (ii) बी.डी.पी. के अन्तर्गत विशेष नौकरियां	 5,00;000 3,00,000	छात्र निःशक्त जनों के लिए कियोस्क के निर्माण तथा विशेष नौकरियों हेतु चिकित्सीय तथा ग्राम द्वीप को स्वीकृति
4.	निःशक्तता पेंशन	21,90,000	365
5.	पुनर्वास कार्यक्रम	5,00,000	–

4.20 मध्य प्रदेश

4.20.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&18½%

- राज्य समन्वय समिति गठित नहीं है।

4.20.2 jkT; dk;ikyd lfefr dk xBu ¼kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित तथा कार्यरत है। वर्ष 2011–12 के दौरान एक बैठक 14–11–2011 को हुई।

4.20.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk&25½

- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा पता लगाने के लिए 50 जिलों में सर्वेक्षण सम्पादित किया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता तथा आशा कार्यकर्त्ता 50 जिलों के 313 ब्लाकों में निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं। कुल 20644 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- जोखिम मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की गई।
- निशक्तता तथा अन्य मामलों की रोकथाम के लिए माता–पिता को पहचान तथा परामर्श के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्यकर तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजन के लिए महिला तथा बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्टाफ प्रशिक्षित किया गया है।
- जननी तथा बच्चों की पूर्व प्रसव, प्रसव के दौरान, पश्च प्रसव देखभाल के उपाय किए जा रहे हैं।

4.20.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- स्कूलों में 1,28.251 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। कुल 48,272 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- निःशक्त बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
- 53,462 निःशक्त बच्चे नियमित सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- राज्य में 20 सरकारी, 41 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 35 प्राइवेट विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं। 20 सरकारी स्कूल तथा 76 गैर सरकारी संगठन विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा से सज्जित है।
- 35 जिलों में प्रत्येक में एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- 95,126 स्कूलों तथा कालिजों में निःशक्त जनों के लिए रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय उपलब्ध हैं। राज्य में कुल 91,851 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है।
- आठ संस्थान (सरकारी–1, सरकारी सहायता प्राप्त–5, प्राइवेट–2) निःशक्तजनों के लिए शिक्षण सहायता, विशेष प्रशिक्षण सामग्री तथा नए सहायक साधनों के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि बच्चों के लाभ के लिए गणीतीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिपिक/

लेखक के प्रयोग करने तथा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नामित स्कूलों में 87,691 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं तथा 20,644 निःशक्त बच्चे आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

4.20.5 jkst xkj

¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य ने भारत सरकार द्वारा निःशक्तजनों के लिए चिन्हित पदों की सूची को अपनाया है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने निःशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण अनुमोदित किया है, जो वी.आई.एच.आई, एच.एच. में अपने जी.ए.डी. आदेश संख्या–8–4/2001, दिनांक 30–06–2001 द्वारा समान रूप से बांटा गया है।
- 15 रिक्तियां विशेष रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने के लिए अधिसूचित है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- निःशक्त जनों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार दिया जाता है।

4.20.6 l dkjkRed dk;okgh

¼/kkjk 42&43½ %

- पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्य ने निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर उपलब्ध कराने की अलग योजना चलाई, जिसके अन्तर्गत 36,254 निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर निशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराए।
- निःशक्त जनों की व्यवसाय स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध है।

4.20.7 foHkn dk u fd;k tkuk]

¼/kkjk 44&47½ %

- राज्य में सड़क तथा खडंजे सुगमनीय है।
- राज्य ने सार्वजनिक वाहन तथा सार्वजनिक स्थानों/भवनों को निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय बनाना अनिवार्य किया है।
- 60 भवनों/सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई।

4.20.8 fu%'kDr tuks dk fy, lLFkkuks dh ekU;rk

¼/kkjk 50&55½ %

- प्रत्येक जिले का संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, समाज कल्याण विभाग अपने जिले में सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। अभी तक 307 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

4.20.9 vk;Dr&fu%'kDr tu dh fu;fDr

¼/kkjk 60½ %

- एक पूर्ण कालिक आयुक्त–निःशक्तता की नियुक्ति की गई है।

4.20.10 f'kdk;rk fuokj.k

¼/kkjk 62½ %

कुल मामले : 221 (वर्ष 2011–12 के दौरान)

निपटाए गए मामले : 1752 (बैकलाग सहित)

लम्बित मामले : 185 (बैकलाग सहित)

4.20.11 lkekftd lj{kk rFkk vU; ;kstuk,

¼/kkjk 66&68½ %

- निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	राशि प्रतिलाभार्थी (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	984.11	48272
2.	सहायता शैक्षणिक सहायक सामग्री	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	25000	1182
5.	निःशक्तता पेंशन	200	140654
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निःशक्त कर्मचारियों की बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	–	44019
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	1411.90	7526
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	1937.81	1702
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कोई अन्य योजना (कुष्ट रोग मुक्त का पुनर्वास)	योजना के लिए कुल रु. 9,00 लाख	200

4.20.12 fofo/k ¼/kkjk 73½ %

- राज्य निःशक्तता नीति बनाई गई है।

4.21 महाराष्ट्र

4.21.1 jkT; leUo; lfefr ¼/kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित है तथा कार्यरत है। पिछली बैठक 7–9–2011 को हुई।

4.21.2 jkT; dk;kikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित है तथा कार्यरत है। वर्ष 2011–12 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.21.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk 25½ %

- निःशक्तताओं की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बाल विकास विभाग के सहयोग से 35 जिलों में सर्वेक्षण किया गया।
- जोखिम मामलों की पहचान के लिए सभी 35 जिलों में बच्चों की जांच की गई।

- जागरूकता सृजन के लिए स्थानीय चैनल तथा समाचार पत्रों का प्रयोग किया गया।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्टाफ को नियमित आधार पर प्रशिक्षण दिया गया।
- बधिरता नियंत्रण कार्यक्रम की पी.आई.पी. में मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ को बधिरता की पहचान में प्रशिक्षण का प्रावधान।
- संस्थानिक डिलावरीज को बढ़ाया गया और इसके लिए शहरी स्तर पर रु. 600/= तथा ग्रामीण स्तर पर रु. 700/= प्रदान किए जा रहे हैं।

4.21.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&61½ %

- 369 नि:शक्त छात्र स्कूल (आई.ई.डी. यूनिट) में पढ़ रहे हैं।
- राज्य में 18 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध है।
- महाराष्ट्र सरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकार में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए हैं।
- 119 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा 369 प्राइवेट स्कूलों में नि:शक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- सभी 35 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। राज्य में 22 सरकारी, 737 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 907 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जिनमें कुल लाभार्थी 35108 है।
- राज्य में 5 सरकारी, 83 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 98 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं।
- 1,08, 329 स्कूल तथा कालेजों में से राज्य में 62,478 स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं तथा 89,481 में नि:शक्त जनों के लिए रैम्प लगे हैं, सुगमनीय शौचालय है।
- 66,507 नि:शक्त बच्चे निम्नलिखित दरों पर पश्च–मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं :

	छात्रावासी (रु.)	दिवस छात्र
डिग्री पाठ्यक्रम	425	190
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	290	190
पी.जी. पाठ्यक्रम	290	190
द्वितीय वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम	230	120
10वीं से प्रथम वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम	150	90

- नेत्रहीन तथा निम्न दृष्टि बच्चे निम्नलिखित दरों पर पठन भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।
  समूह–क, ख, ग – रु. 100/= प्रतिमास
  समूह–घ – रु. 75/= प्रतिमास
  समूह–ङ – रु. 50/= प्रतिमास

  ट्यूशन शुल्क–सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार
  अध्ययन ट्यूर खर्च– रु. 500/= प्रतिमास तक,
  परियोजना टंकण खर्च–रु. 600/= प्रतिमास तक
- 15 निजी संस्थान नए सम्पूरक साधनों तथा तकनीकी के विकास के लिए कार्यरत रहे हैं।
- नि:शक्तताओं के प्रबंन्धन में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण के लिए आर.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त 59 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान है।
- राज्य में वी.आई.–373, एच.आई.–1900 तथा मानसिक मंदता–1323 के लिए विशेष शिक्षक उपलब्ध है।
- 7741 नि–शक्त बच्चों को नि:शुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी प्रदान की गई।
- नि:शक्त जनों के अनुकूल पाठ्यक्रम पुनः संरचित किया गया है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

- डाइसलेक्सिया से युक्त छात्र को भी लिपिक/लेखक प्रदान किया जाता है।
- स्कूल/विश्वविद्यालय तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षण में निशक्त जनों को लिखित परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों 3,05,096 निःशक्त बच्चे तथा आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में 369 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

4.21.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½ %

- महाराष्ट्र सरकार के सभी 27 विभागों में समूह क, ख, ग तथा घ में निःशक्त जनों के लिए पद चिन्हित किए हैं।
- निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं।
- रिक्तियां विशेष रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की जा रही है। 22633 निःशक्तजन राज्य में नियोजित किए गए।
- निःशक्त जनों के प्रशिक्षण तथा कल्याण पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्त जनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

4.21.6 ldkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42&43½ %

- राज्य सरकार की अपनी एडीआईपी योजना है। वर्ष के दौरान 3540 निःशक्त जनों को निःशुल्क रियायती दर पर उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए गए।
- निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा 43 के अन्तर्गत दिए गए विभिन्न उद्देश्यों के लिए निःशक्तजनों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध है।
- निःशक्तजन प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने जिला कलेक्टर तथा निगम आयुक्त के पास पहुंच सकते हैं।

4.21.7 foHksn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- निःशक्त जनों के लिए नई बसे सुगमनीय बनाई गई है।
- सुगमनीय फुटपाथ तथा जेबरा क्रासिंग के माध्यम से निःशक्तजनों के लिए सड़कें सुगमनीय है।
- भवन उपनियम संशोधित किए गए हैं।

4.21.8 fu%'kDr tuksa ds fy, laLFkku dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- आयुक्त निःशक्तजन महाराष्ट्र को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तथा 144 संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

4.21.9 xEHkhj fu%'kDrrk ;qDr O;fDr;ksa ds fy, laLFkku ¼/kkjk 56½ %

- 80 प्रतिशत तथा अधिक निःशक्तता वाले संस्थान गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

1. बधिर, नेत्रहीन के लिए हेलन केलर संस्थान, नवी मुम्बई

2. मानसिक मंदता तथा विविध निःशक्तताओं के लिए साल्वी संस्थान, भुसारी कालोनी, पुणे।

3. विशेष शिक्षा के लिए केन्द्र, शुक्रवार पेठ, पुणे

4. भारतीय स्पास्टिक सोसायटी, बान्द्रा, मुम्बई

5. सोफोस ढापाडले, नवी सांगवी

4.21.10 vk;qDr fu%'kDrtu dh fu;qfDr ¼kkjk 60½%

- एक पूर्णकालिक आयुक्त निःशक्तजन की नियुक्ति की गई है।

4.21.11 f'kdk;rksa dk fujkdj.k ¼kkjk 62½ %

कुल मामले	:	90
निपटाए गए मामले	:	34
लम्बित मामले	:	56

4.21.12 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼kkjk 66&68½ %

क्र.सं.	योजनाएं	निधियां आवंटित (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति (शैक्षणिक)	553.98	33507
2.	सहायता : शैक्षिक सहायक सामग्री	18.25	3540
3.	आर्थिक पुनर्वास	537	164
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	निःशक्तता पेंशन	–	–
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	18.25	3540
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	28720.86	33114
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थाओं को सहायता अनुदान	923.46	1087
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कई अन्य योजनाएं	–	–
	(क) निःशक्तों के लिए अवार्ड	2.50	–
	(ख) मार्ग दर्शन तथा परामर्श केन्द्र	181.16	70
	(ग) विश्व निशक्तता दिन का आयोजन	1.21	–
	(घ) निःशक्त बच्चों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन	50	50.00

4.21.13 विविध (धारा 73) :

- निःशक्त जनों के लिए निःशुल्क/रियायती बस पास को अनुमति है।
- निःशक्त जनों के लाभ के लिए महाराष्ट्र आयुक्त कार्यालय अधिनियम तथा योजनाएं कार्यान्वित करता है।

4.22 मणिपुर

कोई सूचना नहीं

4.23 मेघालय

4.23.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है। बैठक दिनांक 15–09–2011 को हुई।

4.23.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की जा चुकी है तथा कार्यरत है।

4.23.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk 25½

- सभी सात जिलों में निःशक्तताओं की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया।
- वाल पेटिंग, बैठकों, प्रतिरक्षण के महत्त्व, फ्लेक्सेज, मिडिया, कैम्पस मिलनसारी तथा प्रशिक्षण के माध्यम से निःशक्तताओं की रोकथाम पर जागरूकता अभियान।
- अधिक जागरूकता अभियान, शिविरों, फिल्म शो तथा आई.ई.सी. कार्यक्रम के द्वारा आई.सी.डी.एम. कर्मियों के साथ समन्वय के माध्यम से स्वास्थ्य, स्वास्थ्यकर तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजन।
- निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया गया।
- क्षेत्रीय भाषा में शिविरों तथा पम्पलेटों के वितरण द्वारा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण के बीच समन्वय के माध्यम से जननी तथा बच्चों की पूर्व प्रसव, प्रसव के समय तथा पश्च प्रसव देखभाल के लिए उपाय।

4.23.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½

- राज्य में 18 वर्ष तक के सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 3028 नियमित सरकारी स्कूलों में निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- राज्य में 11 विशेष स्कूल (सरकारी सहायता प्राप्त–05 तथा प्राइवेट–06) चल रहे हैं। राज्य के 6 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल है। 06 विशेष/सामान्य स्कूल व्यावसायिक सुविधाओं से सज्जित हैं।
- पी.ए.बी. द्वारा अनुरोध के अनुसार आई.ई. निधियों से 140 स्कूल स्थापत्य की दृष्टि से बाधामुक्त बनाए गए हैं। 141 स्कूलों तथा कालिजों में रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय उपलब्ध है।
- निम्नलिखित दरों पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का प्रकार	दिन के समय पढ़ने वाले छात्रों के लिए दर प्रतिमास (रु. में)	छात्रावास में रहने वालों के किए दर प्रतिमास (रु. में)	केवल वी.एच. के लिए वाहन भत्ता प्रतिमास (रु. में)
1.	पूर्व प्राइमरी से कक्षा III के स्तर तक	100/–	180/–	–
2.	मिडिल तथा हाई स्कूल कक्षा VIII तक	120/–	220/–	–
3.	कक्षा IX, X तथा पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम	200/	340/–	150/–
4.	बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. आदि	300/	440/–	200/–
5.	बी.ई./बी.टैक./एम.बी.बी.एस./ एल.एल.बी./बी.एड/ व्यावसायिक तथा अभियंत्रण में डिप्लोमा आदि/ इन–प्लांट प्रशिक्षण	420/	580/–	300/–
6.	एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम./एल. एल.एम./एम.एड. आदि	420/	580/–	300/–

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत योजना वर्ष, 2011–12 के अधीन, 1067 सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए अनुरक्षक। वाहन भत्ते के रूप में रु. 500/– प्रतिमास की राशि 10 महीने के लिए स्वीकृत की गई।
- नेहू के अन्तर्गत आर.सी.आई. 04 अध्ययन केन्द्र स्वीकृत किए गए। राज्य आई.ई.पी. अध्ययन केन्द्रों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संसाधन केन्द्रों के उन्नयन की प्रक्रिया है। अपेक्षित 195 में से 53 संसाधन अध्यापक नियुक्त किए गए।
- 39 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा है।
- सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि दी जाती है। 8134 निःशक्त बच्चे नियमित स्कूलों में नामांकित है।
- पाठ्यक्रम निःशक्तजनों के अनुकूल पुनः संरचित किया गया है। श्रवणबाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू किया गया है।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि बच्चों के लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है, निःशक्त बच्चों के स्कूलों/विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा राज्य चयन बोर्ड की परीक्षा में लिखित परीक्षा में प्रति घंटा अतिरिक्त समय की भी अनुमति दी गई है।

4.23.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य ने अपनी अधिसूचना संख्या पी.ई.आर. (ए. आर.) 150/88 पीटी 1282, दिनांक 25–01–2012 भारत सरकार द्वारा निःशक्त जनों के लिए चिन्हित पदों की सूची को अपनाया है।

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत रिक्तियों में कम से कम 3 प्रतिशत आरक्षण का कार्यान्वयन निर्धारित और परिचालित किया गया है।
- धारा 38 के अन्तर्गत प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था तथा निःशक्त जनों का कल्याण, उच्चतम आयु सीमा में छूट, रोजगार का नियमन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय तथा बाधामुक्त वातावरण निश्चित करने के लिए आदेश/योजनाएं जारी की गई है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्तजनों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2011–12 के दौरान सी. एण्ड आर.डी. के अन्तर्गत लाभान्वित निःशक्त जनों का विवरण निम्नानुसार है :

योजनाएं	–	लाभान्वित निःशक्त जनों की संख्या
आई.ए.वाई.	–	219
एस.जी.एस.वाई.	–	219
नरेगा	–	375
आई.जी.एन.डी.पी.एस.	–	1341

4.23.6 l dkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42&43½

- राज्य सरकार ने राज्य संसाधन केन्द्र के माध्यम से 814 निःशक्त जनों के उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए।

4.23.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½

- 30 भवनों/सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई और सभी संबंधित विभागों को निःशक्त जनों के लिए सार्वजनिक वाहन तथा सार्वजनिक स्थानों/भवनों को सुगमनीय बनाने के अनुदेश तत्काल अनुपालन के लिए परिचालित किए गए।

4.23.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk ekU;rk ¼/kkjk 50&55½

- निदेशक–समाज कल्याण,
  बाबरी मेंशन, तृतीय तल,
  धनखेती, शिलोग–1, मेघालय,
  फोन : 0361–2229826,
  फैक्स : 0361–2225187

  को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 8 संस्थानों को पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

4.23.9 vk;qDr fu%'kDr tu ¼/kkjk 60&63 rFkk 65½

- आयुक्त–निःशक्तजन (अतिरिक्त प्रभार) सहित नियुक्त किया गया है।
- निःशक्तों के लिए क्रीड़ा तथा खेलों की योजना के अन्तर्गत करार के आधार पर प्रशिक्षकों की व्यवस्था करने तथा उपभोज्य तथा गैर उपभोज्य क्रीड़ा उपकरणों की खरीदने के लिए अनुदान के अन्तर्गत क्रीड़ा तथा युवा मामले मंत्रालय द्वारा विमुक्त की गई निधियों पर तीन निरीक्षण किए गए।

4.23.10 f'kdk;rk fuokj.k ¼/kkjk 62½

कुल मामले	:	06
निपटाए गए मामले	:	06
लम्बित मामले	:	00

4.23.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,¡

¼kkjk 66&68½ %

नि:शक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित निधियां (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	12.00 (योजना)	905
		3.00 (गैर योजना)	217
2.	सहायता शैक्षणिक सहायक सामग्री	600	508–ब्लाक अनुदान
			327–वर्दी अनुदान
			247–वाहन भत्ता (छात्र)
3.	आर्थिक पुनर्वास	3.00 (योजना)	30
		3.00 (गैर योजना)	39
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	नि:शक्तता पेंशन	–	–
6.	बेरोजगारी भत्ता	6.00	45
7.	नि:शक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	–	–
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	5.00	3 एनजीओ (2011–12 के दौरान) (i) नि:शक्त जनों के लिए रिलांग व्यावसायिक केन्द्र लेटुखराह, शिलांग– रु. 1,70,000 (ii) बेथानी सोसाइटी माक्याखत शाखा रु. 30,000/= (iii) फैरान्डो वाक् तथा श्रवण केन्द्र, अमनियू ख्वान, रिभाई–रु. 30,000/=
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसरंचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कोई अन्य योजना	रु. 25,000/=	2 योजनाएं

4.23.12 fofo/k ¼kkjk 73½ %

- अधिसूचना संख्या टी.पी.टी. 185/83/रियायती बस पास दिए गए।

4.24 मिजोरम

4.24.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&18½%

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है और कार्यरत है।

4.24.2 jkT; dk;Zikyd lfefr xBu ¼kkjk 19&21½%

- राज्य कार्यालक समिति गठित की गई है और कार्यरत है।

4.24.3 fu%'kDrrkvksa dk jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- सभी 8 जिलों में नियमित आधार पर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग से विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई, जिसने मूल्यांकन/प्रमाणन किया। कुल जनसंख्या 8,90,158 (जनगणना–2001) में से 16,011 निःशक्त जनों की पहचान की गई।
- बच्चों में निःशक्तता की रोकथाम के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी सरकारी स्कूल तथा अनेक निजी स्कूल शामिल किए गए। आवश्यक मामले आगे उपचार के लिए अस्पतालों को भेजे गए।
- नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नेत्रहीनता की पहचान के लिए राज्य के विभिन्न भागों में मोतिया बिन्द की पहचान तथा शल्य क्रिया शिविर आयोजित किए गए पोलियो की रोकथाम के लिए नवजात बच्चों को 1) माह, 2) तथा 3) माह के अन्तराल पर मुख पोलियो दवा वेक्सीन पिलाई गई।
- पांच वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिए प्रतिरक्षण कार्यान्वित किया गया तथा वर्ष में दो बार वेक्सीन दी गई। मोतियाबिन्द की पहचान तथा इसके ऑपरेशन के लिए नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम प्रतिपादित किया गया। 7205 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान का तथा स्वच्छता पर मुद्रित तथा प्रचार सामग्री के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई। निःशक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित किया गया।
- सभी अस्पतालों में एन्टी–नेटल जांच कार्यान्वित की गई। सी.एच.सी.पी.एच.सी., एस.सी.ज., आई. एफ.ए. तथा कैल्शियम अनुपूरक वितरित किया गया। स्थानापन्न डिलीवरीज पर दृढ़ता से जोर दिया गया। संस्थानिक डिलीवरी के मामले में प्रसव के पश्चात् जननी / नवजात शिशु की देखभाल की गई।

4.24.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- स्कूलों में कुल 5040 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। सभी को निःशुल्क पुस्तकें, वर्दियां तथा अन्य सामग्री प्रदान की जाती है।
- सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों के दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 5610 नियमित सरकारी स्कूलों में 900 निःशक्त बच्चे छात्रावृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- राज्य में 08 प्राइवेट विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- राज्य में 1217 स्कूल/कालिज स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है तथा रैम्पों, सुगमनीय शौचालयों से भी सज्जित हैं।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्न को हटाकर परीक्षा पद्धति को

संशोधित किया गया है। दृष्टिगत विकलांग/निम्न दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को स्कूलों/कालिजों की लिखित परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है।

- यहां 85 विशेष शिक्षक हैं। एस.सी.ई.आर.टी. विशेष शिक्षा के अध्यापकों को विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है।

4-24-5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½ %

- अधिसूचना सं. ए–14011/1/97–पी. एंड ए.आर. (जी.एस.डब्ल्यू.) दिनांक 14.10.2007 द्वारा राज्य ने सभी चार समूहों में 873 पदों की पहचान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

समूह	ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	योग
क	13	103	21	137
ख	14	104	70	188
ग	120	135	171	426
घ	28	70	24	122
			कुल योग	873

- अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कम से कम 3 प्रतिशत रिक्तियों के कार्यान्वयन के लिए पद्धति निर्धारित तथा परिचालित की गई है।
- राज्य के विभिन्न विभागों ने विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रिक्तियां अधिसूचित की है। राज्य के विभिन्न विभागो/संगठनों में 32 निःशक्तजन नियुक्त किए गए। स्थापना विभाग निःशक्त कर्मचारियों का रिकार्ड रख रहा है।
- निःशक्त जनों के प्रशिक्षण तथा कल्याण और उच्चतम आयु सीमा मे छूट के लिए आदेश/योजनाएं जारी/सूत्रबद्ध की गई है।

4.24.6 ldkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42&43½ %

- राज्य ने अपनी निजी योजनाओं के अन्तर्गत 329 निःशक्त जनों को निःशुल्क उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए हैं।

  (क) पहियेदार कुर्सी : 70
  (ख) एड्ज क्रच : 69
  (ग) एल्बो क्रच : 50
  (घ) श्रवण यंत्र : 140

- निःशक्त जनों को, जिनके अपने नाम कोई जगह नहीं है, मकान बनाने के लिए, परिवार के प्रमुख के नाते रियायती दर पर भूमि प्रदान की है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, मिजोरम सरकार से सम्पर्क किए जाना चाहिए।

4.24.7 foHksn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- आईज्वाल विकास प्राधिकरण ने नए भवनों में बाधा मुक्त वातावरण के लिए भवन विनियम बनाए हैं।

4.24.8 fu%'kDr tuksa ds fy, laLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- निदेशक–समाज कल्याण विभाग,
  चाल्ट लांग–796012 मिजोरम सरकार;
  फोन : 0389–2340923,
  ई–मेल–vanlaldini@yahoo.co.in

  को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक राज्य में 8 संस्थानों को पंजीकरण जारी हो चुके हैं।

4.24.9 vk;qDr fu%'kDrtu ¼/kkjk 60½ %

- आयुक्त निःशक्तजन (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किया गया है।

4.24.10 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,¡ ¼kkjk 66&68½ %

क्र.सं.	योजना	प्रति लाभार्थी राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	उपलब्ध नहीं	5040
2.	आर्थिक पुनर्वास	2500 (अन्य कार्यरत), 3000 (स्वयं रोजगार)	244
3.	निःशक्तता पेंशन	रु. 250/= प्रतिमास	200
4.	बेरोजगारी भत्ता	रु. 250/= प्रतिमास	25
5.	वाहन भत्ता	1000 प्रति माह	निःशक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए
7.	विकलांग छात्रवृत्ति की	कक्षा IV तक; रु. 30/= प्रतिमास, कक्षा V से VII रु. 40/= प्रतिमास, कक्षा VIII से कक्षा XII रु. 85/= प्रतिमास	811

4.25 नागालैण्ड

4.25.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&21½%

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है। वर्ष के दौरान इसकी दो बैठकें हुई।

4.25.2 jkT; dk;kikyd lfefr dk xBu ¼kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है और कार्यरत है। वर्ष में दो बैठकें हुईं।

4.25.3 fu%'kDrkvksa dh jkdFkke rFkk 'kh?kz igpku ¼kkjk 25½ %

- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने निःशक्त बच्चों के मूल्यांकन के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित की है। विशेष आवश्यकता वाले कुल 9468 बच्चे चिन्हित किए गए, जिनमें से 473 को उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए गए।
- समुदाय के नीचे जागरूकता सृजन के लिए विश्व विकलांग दिवस मनाया गया।

4.25.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- विशेष आवश्यकता वाले 9468 बच्चों को रु. 3000/= प्रति बच्चा प्रतिवर्ष स्वीकृत किए गए।
- 399 गंभीर निःशक्त बच्चों को 46 ई.बी.आर. सीज के अन्तर्गत गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई। 6 माह की अवधि के लिए उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को रु. 300/= प्रति बच्चा, प्रतिमास भुगतान किया गया।
- गम्भीर चलन निःशक्तताग्रस्त बच्चों को 6 मास के लिए रु. 500/= प्रतिमास परिचर भत्ता दिया गया।
- राज्य गम्भीर तथा संयत निःशक्त बच्चों के लिए मनोचिकित्सक तथा प्रशिक्षित संसाधन व्यक्ति नियुक्त करके संसाधन कक्ष तथा दिवस देखभाल केन्द्र चला रहा है।

- शिशो सोरोथी, गोहाटी में 40 शिक्षक विशेष शिक्षा पर आधार पाठ्यक्रम में भेजे गए हैं।

4.25.5 jkstxkj
¼/kkjk 32&41½ %

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की पद्धति निर्धारित तथा परिचालित की गई है। समूह क, ख, ग तथा घ में निःशक्त जनों के लिए नौकरियां चिन्हित की गई है।

4.25.6 vk;qDr fu%'kDrrk dh fu;qfDr
¼/kkjk 60&62½ %

- आयुक्त–निःशक्तता (अतिरिक्त प्रभार) की नियुक्ति की गई है।

4.25.7 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,¡
¼/kkjk 66&68½ %

क्र. सं.	योजना	राशि प्रति लाभार्थी	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	200/=	300
2.	निःशक्तता पेंशन	200/=	1232
3.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	10,000/= से 2,00,000/= को रेजों में	7

4.25.8 fofo/k

- नागालैड राज्य परिवहन के अन्तर्गत निःशक्त जनों को रियायती बस पास प्रदान किए गए।

4.26 ओडीशा

कोई सूचना नहीं

4.27 पुडुचेरी

4.27.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu
¼/kkjk 13&18½%

- निःशक्ति जन अधिनियम की धारा 13 (3) के अनुसार समन्वय समिति का गठन संघ क्षेत्रों के लिए अपेक्षित नहीं है।

4.27.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu
¼19&21½%

- राज्य कार्यपालक समिति की अवधि समाप्त हो चुकी है।

4.27.3 fu%'kDrrkvksa dh jksd Fkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk 25½ %

- जोखीम मामलों की पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, पुडुचेरी सरकार तथा एनआईई पीएमडी की सहायता से जागरूकता शिविरों, बैठकों के माध्यम से जागरूकता सृजित की गई तथा इस कार्य से 5100 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।

- संघ क्षेत्र में प्रतिवर्ष स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता सृजित करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन जागरूकता शिविरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पराचिकित्सा कर्मी सम्मिलित होते हैं और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। योजनाओं की प्रगति के लिए टी.वी. तथा रेडियो कार्यक्रमों में क्रमश उपनिदेशक तथा सहायक निदेशक उपस्थिति होते हैं।
- गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेषज्ञ डाक्टरों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों द्वारा आवश्यक अनुदेश/दिशा निर्देश दिए गए हैं।
- 06 विशेष/नार्मल स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित है।
- 450 स्कूल तथा कालिजों में से 212 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है। 5 स्कूल तथा कालिज रैम्पों तथा सुगमनीय शौचालय से युक्त हैं।
- 280 निःशक्त बच्चे निम्नलिखित दरें पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

  I से Vवीं कक्षा : रु. 250/= प्रतिवर्ष
  VI से VIIIवीं कक्षा : रु. 500/= प्रतिवर्ष
  IX से XIIवीं कक्षा : रु. 850/= प्रतिवर्ष
  अन्डर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम : रु. 1250/= प्रतिवर्ष

नेत्रहीन / कम दृष्टि		चलन निःशक्तता		मानसिक मंदता		वाक् तथा श्रवण बाधित		अन्य निःशक्तताएं (विशिष्ट)	
नियमित स्कूलों में	विशेष स्कूलों में	नियमित स्कूलों में	विशेष स्कूलों में	नियमित स्कूलों में	विशेष स्कूलों में	नियमित स्कूलों में	विशेष स्कूलों में	नियमित स्कूलों में	विशेष स्कूलों में
–	826	532	–	–	222	138	254	–	–

- 18 वर्ष की आयु तक के 2118 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। संघ क्षेत्र में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 427 सरकारी स्कूलों में सामान्य तथा निःशक्त दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। संघ क्षेत्र में 02 सरकारी तथा 08 प्राइवेट विशेष स्कूल चल रहे हैं।
- 2 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। नार्मल स्कूल निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सभी सुविधाओं से सज्जित है।
- संघ क्षेत्र में निःशक्त बच्चों के लिए 12 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। 2 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। 2013 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। निःशक्त जनों को नौकरी दिलाने की सुविधाएं हैं।
- दृष्टि बाधित/निम्न दृष्टि बच्चों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए भी पाठ्यक्रम पुनः निर्मित किया गया तथा उन्हें एक भाषा का विकल्प दिया गया। दृष्टिबाधित/निम्न

दृष्टि छात्रों को लेखक प्रदान किया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को स्कूलों तथा कालिजों में लिखित परीक्षा में भी अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।

4.27.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित तथा परिचालित की गई है।
- सभी विभाग रिक्तियों को विशेष रोजगार कार्यालय, गांधी नगर, पुडुचेरी को अधिसूचित कर रहे हैं।

4.27.6 ldkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42&43½

- संघ क्षेत्र प्रशासन 318 निःशक्त जनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण तथा उपस्कर निःशुल्क जारी करता है।
- निःशक्त जनों को केवल घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने तथा विशेष स्कूल की स्थापना के लिए रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने की योजना है।
- सभी नए सरकारी भवनों में निःशक्त जनों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित की गई है।
- इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए निःशक्त जनों को निदेशक–समाज कल्याण विभाग से संपर्क करना चाहिए।

4.27.7 foHksn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½

- निःशक्त जनों की आसान पहुंच के लिए 20 नवनिर्मित बसें तैयार की गई तथा संघ क्षेत्रों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त किया गया।
- सड़के तथा खडंजे निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं।

4.27.8 fu%'kDr tuksa ds fy, laLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½

- निदेशक–समाज कल्याण विभाग,
  नम्बर 1, सरदमबल नगर,
  पुडुचेरी–605005,
  फोन : 0413–2206812, 2205871
  ई–मेल : socwel.pon@nic.in

  को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत 11 संस्थान पंजीकृत किए गए।

4.27.9 vk;qDr&fu%'kDr tu ¼/kkjk 60&62½

- आयुक्त–निःशक्त जन (अतिरिक्त प्रभा.) की नियुक्ति की गई है।

4.27.10 f'kdk;rksa dk fuokj.k ¼/kkjk 62½

प्राप्त मामले	:	07
निपटाए गए मामले	:	07
लम्बित मामले	:	शून्य

4.27.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼/kkjk 66&68½

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित नीधियां (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या (2011-12)
1.	छात्रवृत्ति : शैक्षणिक	1.89	220
2.	सहायता : शैक्षणिक सहायक सामग्री	3.5	53
3.	वैवाहिक प्रोत्साहन	13.25	53
4.	निःशक्तता पेंशन	2674.00	20,952
5.	नेत्रदान दाताओं के लिए प्रोत्साहन	11.00	110
6.	निःशक्त सरकारी कर्मचारियों का बीमा	1.00	–
7.	उपकरण तथा उपस्कर	2.10	105
8.	मानव संसाधन विकास	1.00	10
9.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	6.00	1 संस्थान
10.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	30.00	72
11.	वाहन उपदान	30.00	2535
12.	धोती तथा साड़ियों की निःशुल्क आपूर्ति	39.65	17,000
13.	चावल की निःशुल्क आपूर्ति	540.37	20,952
14.	मृतक निःशक्त व्यक्तियों के अन्त्येष्टि खर्च के लिए वित्तीय सहायता	7.34	367
15.	अन्य योजनाएं	513	25257

4.27.12 fofo/k

निःशुल्क/रियायती बस पास की अनुमति वालों की संख्या :

दृष्टि क्षीणता ग्रस्त : 698

आर्थोपेडिकली विकलांग : 3398

श्रवण शक्ति का ह्रास : 1025

मानसिक मंदता : 460

4.28 पंजाब

4.28.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½

- राज्य समन्वय समिति गठित तथा कार्यरत है। पिछली बैठक 22.06.2011 को हुई।

4.28.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.28.3 fu%'kDrrkvk dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼/kkjk 25½

- सभी 11 जिलों में निःशक्तताओं की उत्पत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया। निःशक्तताओं को रोकने के लिए पल्स पोलियों तथा अन्य कार्यक्रम प्रतिपादित किए गए।

- एन.आर.एच.एम., राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ट रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय लवण न्यूनता विकृति नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से निःशक्तताओं की जांच का कार्य कराया गया। इससे राज्य में 32691 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- परावर्तित दोषों के लिए स्कूली बच्चों की जांच की गई तथा निःशक्त बच्चे चिन्हित किए गए तथा आगे उपचार के लिए अस्पतालों को भेजे गए।
- सामान्य स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अन्य निरोधक उपायों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए समय–समय पर विशेष चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा शिविर आयोजित किए गए। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य संबंधी तथा पौष्टिकता के बारे में बच्चे शिक्षित किए गए।
- व्यवसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र, लुधियाना में 66 पी.एच.सी. मेडिकल स्टाफ तथा मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- परिवार कल्याण विभाग जननी तथा बच्चों की पूर्व प्रसव, प्रसव के समय पश्च प्रसव देखभाल उपलब्ध कराता है। सभी गर्भवती जननियों को आयरन तथा फोलिक एसिड गोलियां दी जा रही है।

4.28.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- राज्य में सभी निःशक्तजनों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। 13,338 नार्मल स्कूलों में सी.डब्ल्यू. एस.एन. पढ़ रहे हैं।
- राज्य में कुल 15 विशेष स्कूल है, जिनमें 03 सरकारी तथा 12 प्राइवेट हैं। राज्य के सभी 15 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त 03 स्कूल भी निःशक्त बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं।
- राज्य में 20,320 स्कूल तथा कालिज हैं, जिनमें से 18,512 स्थापत्यकला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं तथा 6760 में रैम्पों तथा सुगमनीय शौचालय आदि की सुविधा है।
- कुल 462 छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
- अध्यापकों के लिए विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 04 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान हैं। राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए 470 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं।
- राज्य के 216 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। निःशक्त बच्चों को अध्ययन सामग्री तथा पुस्तकें निःशुल्क दी जाती है। पाठ्यक्रम में श्रवण ह्रास से प्रभावित बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प है तथा राज्य में वी एच के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूलों कालिजों की परीक्षा तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षाओं में भी निःशक्त जनों को लिखित परीक्षा में प्रतिघंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 1,12,596 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं तथा आई. ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में 3084 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

4.28.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 18–08–1999 द्वारा भारत सरकार द्वारा निःशक्त

जनों के लिए चिन्हित नौकरियों की सूची को अपनाया है। प्रत्येक निःशक्तता के लिए चिन्हित पदों की संख्या निम्ननुसार है :

समूह	ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	योग
'क'	435	13	419	857
'ख'	257	22	245	524
'ग'	827	110	827	1774
'घ'	200	45	214	459
योग	1229	190	1695	3614

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई तथा परिचालित की गई है।
- निःशक्त जनों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र एस सी ओ संख्या–1118–1119/22–सी, चंडीगढ़ पर कार्यरत है।
- निःशक्तजनों को उच्चतर आयु सीमा में 10 बर्ष की छूट दी गई है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 84 निःशक्त जन लाभान्वित हुए तथा इंदिरा आवास योजना से 238 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।

4.28.6 l dkjkRed dk;lokgh

¼kkjk 42 rFkk 43½ %

- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने, अनुसंधान केन्द्र की स्थापना तथा निःशक्त उद्यमियों के साथ फैक्टरी की स्थापना के लिए निःशक्त जनों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि के आवंटन की योजना उपलब्ध है।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त जनों को मुख्य प्रशासक, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जी.एम.ए.डी.ए.), एस.ए.एस. नगर, मोहाली से संपर्क करना चाहिए।

4.28.7 foHkkn dk u fd;k tkuk

¼kkjk 44&47½ %

- राज्य में सभी बसें निःशक्तजनों के लिए सुगमनीय हैं। 23 सड़कें तथा खण्डजे भी निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय हैं।

4.28.8 fu%'kDr tuk dh fy, lLFkkuk dh ekU;rk

¼kkjk 50&55½ %

- निदेशक–सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बाल विभग, एस.सी.ओ. 103–103, सेक्टर–34ए, चंडीगढ़ को पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। निःशक्तजन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अभी तक 217 संस्थानों को पंजीकरण किया जा चुका है।

4.28.9 vk;qDr&fu%'kDr tu

¼kkjk 60&60 rFkk 65½ %

- आयुक्त निःशक्तता (अतिरिक्त प्रभार) की नियुक्ति की गई है।

4.28.10 f'kdk;rksa dh fuokj.k

¼kkjk 62½ %

प्राप्त मामले	:	195
निपटाए गए मामले	:	195
लम्बित मामले	:	शून्य

4.28.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,¡ ¼kkjk 66&68½ %

नि:शक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित नीधियां (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	28.28	462
2.	सहायता शैक्षणिक सहायक सामग्री	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	नि:शक्तता पेंशन	3427.24	139,508
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	नि:शक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	–	–
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	30.60 (बिलों के स्पष्ट न होने के कारण राशि प्रयुक्त नहीं हुई)	2477
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसरंचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–

4.28.12 fofo/k ¼kkjk 73½ %

- नि:शक्त जनों को नि:शुल्क/रियायती बस पासों की अनुमति है। इस योजना के अन्तर्गत 19,000 नि:शक्त जन लाभान्वित हुए हैं। नि:शक्त जनों के लिए सभी बस अड्डों पर पहियेदार कुर्सी तथा शौचालय उपलब्ध है।

4.29 राजस्थान

4.29.1 jkT; leUo; lfefr xBu ¼kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित नहीं की गई है।

4.29.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼kkjk19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित नहीं की गई है।

4.29.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- राज्य के सभी 23 जिलों तथा 249 ब्लाकों में नि:शक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान का कार्य हाथ में लिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफ नि:शक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए प्रशिक्षित है।
- लोगों के बीच नि:शक्तताओं के संबंध में जागरूकता सृजन विज्ञापन, चिकित्सा शिविरों, एन.जी.ओ. के माध्यम से किया जाता है तथा पोलियो सुधार अभियान भी चलाए जाते हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता पर जागरूकता

सृजित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (वी.एच.एस.सी.) गठित की गई है।

- जननी शिक्षा कार्यक्रम (जे.एस.ए.के.) के उन्नत संस्थानिक डिलीवरीज में पूर्व प्रसव जांच की जाती है तथा चिकित्सा मानकों के अनुसार प्रतिरक्षण सहित जननी तथा बच्चे को प्रसव के बाद जांच प्रतिपादित की जाती है।

4.29.4 f'k{kk ¼/kkjk 26-31½ %

- राज्य में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी गई है। नार्मल स्कूलों में निःशक्त बच्चों की दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। राज्य के सभी 33 जिलों में कुल 33 विशेष स्कूल चल रहे हैं। निःशक्त बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क पुस्तकें तथा उपकरण भी दिए गए हैं।
- 48081 स्कूलों के साथ–साथ, 415 देखभाल प्रदाताओं द्वारा 4854 निःशक्त बच्चों को गृह आधारित शिक्षा भी प्रदान की जा रही है।
- राज्य में 06 सरकारी, 22 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 06 प्राइवेट विशेष स्कूल है।
- राज्य में 7,90,096 स्कूल है, जिनमें से 63,470 स्कूल बाधामुक्त हैं तथा 70,214 स्कूलों में रैम्प तथा 1319 स्कूलों में सुगमनीय शौचालय है।
- आई.ई.डी.एस.एस. योजना के अन्तर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को रु. 600/= प्रतिवर्ष प्रदान किए जा रहे हैं।
- भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर निःशक्त जनों के लाभ के लिए कार्य कर रही है। 4 अन्य संस्थान सामान्य शिक्षकों को विशेष शिक्षा में 90 दिन का आधार पाठयक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य में कुल 554 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं।
- राज्य के 247 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेल पुस्तकें, उपकरण तथा उपस्कर एन.जी.ओ. द्वारा एस.एस.ए. के अन्तर्गत सरकार द्वारा वितरित किए गए।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा निःशक्त छात्रों को एक घंटा अतिरिक्त दिया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाथियों में निःशक्त जनों को लिपिक की सुविधा भी दी जाती है।
- सभी सरकारी/प्राइवेट/सहायता प्राप्त कालिजों में निःशक्त बच्चों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में 94,525 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं तथा आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में 6273 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

4.29.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या–एफ–14 (18) डी.ओ.पी./ए–प्प/96/पी.टी. दिनांक 10–10–2002 द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निःशक्त जनों के लिए चिन्हित पदों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित तथा परिचालित की गई है।
- राजस्थान पंचायत द्वारा अधिनियम, 1994 की धारा 90 के अन्तर्गत निर्धारित के अनुसार भर्ती में 3 प्रतिशत आरक्षण देकर 703 निःशक्त जनों को प्रत्यक्षा रूप से ग्राम सेवक तथा सचिवों के

रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ विभाग भी विशेष रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित कर रहे हैं।

- एनआरएचएम, मनरेगा आदि द्वारा करार रोजगार में हस्तक्षेप किया गया है तथा इन योजनाओं में निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं–एस.जी.एस.वाई., आई.ए.वाई., मनरेगा में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.29.6 l dkjkRed dk;okgh ¼/kkjk 42 rFkk 43½ %

- निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर प्रदान करने के लिए आर्थिक संयुक्त सहायता अनुदान योजना उपलब्ध है।
- संयुक्त सहायता योजना (निर्योग्य व्यक्तियों को राजस्थान सरकार वित्तीय सहायता नियम) 1986 के अन्तर्गत निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर प्रदान करके स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत कुल 8,322 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।
- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष स्कूलों तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए निःशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने की योजना उपलब्ध है।
- राजस्थान आवास बोर्ड द्वारा निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत घर/प्लाट आरक्षित है।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त जनों को कलैक्टर, सी.ई.ओ., नगर निगम आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण आदि से संपर्क करना चाहिए।

4.29.7 foHkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसें निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय हैं। बसों में निःशक्त जनों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर में निम्न तल बसें भी चल रही हैं।
- भवनों में बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मानक भवन उपनियम अधिसूचित किए जा रहे हैं। 557 भवन/सार्वजनिक स्थान निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय हैं तथा 16 श्रवण संकेत स्थापित किए गए हैं।
- निःशक्त जनों को सुगमनीयता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता भवनों की पहुंच जांच की गई।

4.29.8 fu%'kDr tuksa ds fy, lLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग को, अपने जिलों में सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। निःशक्त जन अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अभी 315 संस्थानों की पंजीकृत किया जा चुके हैं।

4.29.9 xEHkhj fu%'kDrrkvksa 0;fDr;ksa ds fy, lLFkku ¼/kkjk 56½ %

- सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता विभाग, सेठी कालोनी, जयपुर में महिला तथा बाल (एम.आर.) के लिए एक घर।
- भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर में एस.ए.पी. विभाग द्वारा 50 एम. आर्स की क्षमता वाले 5 एम.आर. घर चलाए जा रहे हैं तथा दो

अतिरिक्त एमआर घर जोधपुर तथा जयपुर में स्थापित किए जा रहे हैं।

4.29.10 vk;qDr&fu%'kDrrk ¼kkjk 60½ %

- आयुक्त–निःशक्तता (अतिरिक्त प्रभार) की नियुक्ति की गई है।
- पंचायत स्तर पर 15 जिलों में 27 शिविर आयोजित किए गए, जिसके अन्तर्गत 9149 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।

4.29.11 f'kdk;rksa dk fuokj.k ¼kkjk 62½ %

प्राप्त मामले : 34 (स्वविवेक मामलों सहित)
निपटाए गए मामले : 11
लम्बित मामले : 23

4.29.12 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ekeys ¼kkjk 67&68½ %

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित नीधि (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	124.59	5255
2.	शैक्षणिक सहायता सामग्री के लिए सहायता	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास : विश्वास योजना के अन्तर्गत	189.23	850
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	151.25	577
5.	निःशक्तता पेंशन		
	(राज्य निःशक्तता पेंशन)	5761.05	1115239
	(इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन)	429.82	15442
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	327.31	9149
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	214.44	–
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	230	2 भवन
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता	–	–

नि:शक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजनाएं	आवंटित नीधि (लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या
13.	वाहन उपदान	नि:शक्त जनों के स्वामित्व में या उनके द्वारा प्रयुक्त सभी अवेध वाहनों को अधिसूचना संख्या–एफ 11(11) होम/17175, दिनांक 04–10–1976, दिनांक 04–10–1976 द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है। अधिसूचना संख्या–एस.ओ. 405, दिनांक 9.03.2010 के अनुसार प्रयोग किए जाने वाले अवैध दुपाहिया/तिपाहिया वाहनों पर वाहन की लागत के 0.3 प्रतिशत की दर से कर देय है, बशर्ते कि यह अधिकतम रु. 50/= तक हो। अधिसूचना संख्या–एफ–7 (94) ट्रांस/रूल्स/एच.क्यू. पार्ट–ष्ष्2011 दिनांक 25.09.2003 के अनुसार नि:शक्त जनों द्वारा प्रयुक्त अवैध वाहनों पर पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई है।	
14.	अन्य योजनाएं		
	क्रीड़ा	17.06	35
	आस्था	4.72	7831 कार्ड्स

4.29.13 fofo/k

- वर्ष के दौरान 28,62,197 नि:शक्त जनों को नि:शुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- नि:शक्त जनों के लिए 16 बस अड्डों पर पहिएदार कुर्सी प्रदान की गई है। 34 अड्डों पर रैम्प तथा शौचालय भी उपलब्ध है।
- राज्य सरकार ने नि:शक्त जनों के कल्याण के लिए राज्य नि:शक्तता समिति बनाई है।

4.30 सिक्किम

4.30.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है और कार्यरत है। वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.30.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½%

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई और कार्यरत है। वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.30.3 fu%'kDrrkvksa dh jksd Fkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk 50½ %

- राज्य के 4 जिलों में नि:शक्तताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए सर्वेक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने नि:शक्तताओं की रोकथाम के लिए एन.पी.सी.बी., कुष्ट रोग आई.डी.डी., प्रतिरक्षण कार्यक्रम, आर.सी.एच. कार्यक्रम जैसे विभिन्न सी.ए.ए.एस. कार्यक्रम गर्भवती, बाल तथा

अन्य आयु वर्गों के सहयोग से सफलता पूर्वक कायान्वित किए। राज्य सरकार ने रोकथाम योग्य बीमारियों से राज्य को मुक्त करने के लिए सिक्किम की सम्पूर्ण आवादी को शामिल करते हुए मुख्यमंत्री की वार्षिक सकल तथा व्यापक स्वास्थ्य जांच (सी.ए.टी.सी.एच.) प्रारंभ किया, जिससे निःशक्तता की घटनाओं में भी कमी आई।

- स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के बीच सामान्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता के लिए सूचना के प्रसार हेतु कुछ जागरूकता शिविर आयोजित किए।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्टाफ एन.आर.एच.एम./सी.एस.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत आवधिक रूप से प्रशिक्षित किया। कुछ एन.जी.ओ. भी निःशक्तताओं के क्षेत्र में निःशक्ताओं की रोकथाम तथा शीघ्र पहचान के लिए कार्य कर रही है।

4.30.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके साथ–साथ उन्हें विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दियां आदि भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। 778 सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- राज्य में 2 सरकारी तथा 01 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल भी कार्य कर रहा है। राज्य के 28 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है।
- राज्य के दो जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। सिक्किम विकलांग सहायता समिति शिक्षा सहायता तथा विशेष शिक्षण सामग्री दे रही है। अध्यापकों के लिए डाइट आधार पाठ्यक्रम के संचारण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण संस्थान भी चल रहा है। राज्य में 27 विशेष शिक्षक उपलब्ध है।
- रु. 500/= से रु. 6500/= तक की दर से 33 निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है।

4.30.5 jkstxkj ¼/kkjk 32 ls 41½ %

- राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या–107/जी.ई.एन./डी.ओ.पी., दिनांक 4.2.2005 द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित चिन्हित पदों की सूची को अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की पद्धति को अपनाया तथा परिचालित किया है।
- राज्य में 25 निःशक्त जनों को रोजगार दिया गया है।

4.30.6 ldkjkRed dk;Zokgh ¼/kkjk 42&43½ %

- एस.टी.एन.एस. काम्पलैक्स, गंगटोक पर कार्यरत जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्र निःशक्त जनों को उपकरण तथा उपस्कर प्रदान कर रहा है।
- व्यवसाय स्थापित करने, विशेष स्कूल बनाने के लिए निःशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराने की योजना उपलब्ध है। अभी तक 20 मामलों में रियायती दर पर भूमि प्रदान की गई।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त जनों को आयुक्त तथा सचिव, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

4.30.7 foHkkn dk u tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- एस.एन.टी. डिविजन, परिवहन विभाग के अन्तर्गत सभी बसें निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय है।
- पहिये पर कुर्सियों के माध्यम से सभी सड़कें तथा खडंजे निःशक्त जनों के लिए आसानी से सुगमनीय हैं।

4.30.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk ¼/kkjk 50&55½ %

- आयुक्त तथा सचिव
  सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण
  विभाग, लोअर सचिवालय भवन,
  गंगटोक–737101

पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्यरत है। निःशक्त जन अधिनियम की धारा–50 के अन्तर्गत अभी तक 4 संस्थानों को प्रमाण–पत्र जारी किए जा चुके हैं।

4.30.9 vk;Dr&fu%'kDr tu ¼/kkjk 60½ %

- आयुक्त–निःशक्तताएं (अतिरिक्त प्रभार) की नियुक्ति की गई है।

4.30.10 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk, ¼/kkjk 67&68½ %

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	राशि-प्रति लाभार्थी (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	कक्षा 1 से छठी : रु. 300/= प्रति लाभार्थी	7
		कक्षा 7 तथा 8 वीं : रु. 500/= प्रति लाभार्थी	5
		कक्षा 9वीं से 12वीं : रु. 700/= प्रति लाभार्थी	7
		उच्चतर अध्ययन : रु. 2000/= प्रतिवर्ष	1
		राज्य से बाहर : कक्षा 1 से 8वीं रु. 500/= प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष वर्दी भत्ते के रूप में	13
2.	शैक्षणिक सहायता सामग्री के लिए सहायता	–	50
3.	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	निःशक्तता पेंशन (राज्य निःशक्तता पेंशन (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	रु. 600/= प्रतिमास	586
6.	बेरोजगारी भत्ता	–	–
7.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	–	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	–	200
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	–	9
10.	मानव संसाधन विकास	–	–

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	राशि-प्रति लाभार्थी (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
11.	अवसरंचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	कोई अन्य योजना (निर्वाह भत्ता) 100 प्रतिशत राज्य शेयर	रु. 600 प्रतिमास	3344

4.31 तमिलनाडु

4.31.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½

- राज्य समन्वय समिति पुनर्गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.31.2 jkT; dk;Zikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति पुनर्गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.31.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼/kkjk 25½ %

- निःशक्तताओं की उत्पत्ति के कारणों का शीघ्र पता लगाने के लिए पी.एच.सी. स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य नर्स द्वारा तथा म्युनिसिपल स्तर पर ए.एन.एम. द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जिसमें राज्य के 32 जिले सम्मिलित किए। निःशक्तताओं की शीघ्र पहचान तथा रोकथाम के लिए जागरूकता सृजित करने हेतु सभी जिलों में जागरूकता शिविर संचालित किए गए। इस संबंध में नैमित्तिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया। 10,040 ए.डब्ल्यू.डब्ल्यूज., सुपरवाइजर्स तथा वी.एच.एन., 4650 सी.आर. डब्ल्यूज., 629 वोडाप तथा 17053 कल्याण कार्यकर्त्ता भी विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए निःशक्ततओं की शीघ्र रोक थाम के लिए प्रशिक्षित किए गए।
- 'वजही कट्टुम थिट्टम' के अन्तर्गत नियुक्त विविध रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्यकत्ताओं ने सर्वेक्षण का बीड़ा उठाया है तथा इस योजना के अन्तर्गत 32 जिले सम्मिलित किए गए हैं।
- तीन फिल्में (बधिरता बाधा नहीं है, निःशक्त जनों के लिए राज्य आयुक्त द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाएं, सरकारी संस्थानों में मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों के लिए समर्पित सेवाएं) बनाई गई है।
- तमिलनाडु में जागरूकता सृजन तथा निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए 68.59 लाख बच्चे मुख पोलियो वेक्सीन में व्यस्थित किए गए।
- 10 जिलों में निःशक्तताओं की शीघ्र पहचान के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा विभाग से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

- तमिलनाडु सरकार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए सभी 32 जिलों में 'वजही कट्टुम थिट्टुम' (मार्ग दर्शन योजना) कार्यान्वित कर रही है। शीघ्र उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो प्रसूति अस्पतालों तथा सरकारी अस्पतालों के सहयोग से नवजात शिशुओं की जांच सम्पादित करते हैं। पूर्व प्रसव जननियों के लिए पौष्टिक भोजन दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन दिन के लिए, एक दिन में तीन बार पोषाहार दिया जाता है तथा एक परिचर सात दिन के लिए गर्भवती जननी की देखभाल करता है।

4.31.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&3½ %

- राज्य में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिला दिया जाता है। निःशक्त बच्चे सामान्य सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
- राज्य में 23 सरकारी, 54 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 345 प्राइवेट विशेष स्कूल चल रहे हैं। गम्भीर संक्रमित बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों में 368 दिवस देखभाल केन्द्र कार्यरत रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से 7215 गंभीर श्रेणी बच्चे लाभान्वित हुए। निःशुल्क वाहन सुविधा, पौष्टिक आहार, खेल सामग्री की आपूर्ति तथा वर्दियों का प्रावधान किया गया है।
- 17 जिलों में 25 एस.आर.बी. सीज चल रहे हैं। अभी तक इन केन्द्रों में 979 एम.आर. बच्चे नामांकित किए गए, जो एन.जी.ओ. के समन्वय से कार्य कर रहे हैं। 23,660 सी.डब्ल्यू.एस.एन. को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई।
- राज्य के सभी 32 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। सभी जिलों में सामन्य स्कूल निःशक्त जनों की शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं। 55 विशेष स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित हैं।
- 34,750 स्कूलों में रैम्प लगे हैं और 5900 स्कूल संशोधित शौचालयों से सज्जित हैं। सभी विशेष स्कूलों में निःशक्त जनों के लिए बाधामुक्त वातावरण है।

		वी.एच. के लिए
कक्षा/पाठ्यक्रम	छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष (रु.)	पठन भत्ता प्रतिवर्ष (रु.)
1 से 5 वीं कक्षा	रु. 500/=	–
6ठीं से 8 वीं कक्षा	रु. 1500/=	–
9वीं से 12 वीं कक्षा	रु. 2000/=	रु. 1500/=
स्नातक	रु. 3000/=	रु. 2500/=
उच्च स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम	रु. 3500/=	रु. 3000/=

- राज्य में निःशक्तताओं के प्रावधान में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 03 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।
- 36 संस्थान आर सी आई के अनुमोदन से बी. एड.. विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा में डिप्लोमा संचालित कर रहे है।
- राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए कुल 931 विशेष शिक्षक उपलब्ध है। विशेष शिक्षकों को प्रतिवर्ष विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य के 835 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा है। कुल 1889 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक तथा

संबंधित सामग्री प्रदान की गई। 1740 निःशक्त बच्चे राज्य सरकार से निःशुल्क वर्दी प्राप्त कर रहे हैं।

- नेत्रहीन/निम्नदृष्टि तथा गम्भीर रूप से निःशक्त बच्चों को लिपिक/लेखक को सुविधा उपलब्ध है। कक्षा–XI से आगे के नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्र गणित से छूट प्राप्त है। परीक्षा के दौरान निःशक्त छात्रों को एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा रही है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा की छूट दी गई है। निःशक्त बच्चों को अपने स्कूलों के लिए निःशुल्क वाहन प्रदान किया जाता है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियमित स्कूली में 95,901 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं तथा आई.ई. डी.एस.एस. के अन्तर्गत 5,340 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।

4.31.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य ने विभिन्न समूहों में निःशक्त जनों के लिए नौकरियों/पद चिन्हित किए हैं, जो निम्नानुसार है : समूह 'क'–09, समूह 'ख' 108, समूह 'ग' तथा 'घ' सभी पद।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा सभी विभागाध्यक्षों, जिला कलैक्टरों तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को परिचालित की गई है।
- सन् 2006–2012 की अवधि में 4,232 निःशक्त विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त किए गए तथा 1,385 निःशक्त जन तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए।
- सभी जिला कलैक्टर निःशक्त जनों की एस.जी. एस.वाई., मनरेगा तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्त जनों को सहायता प्रदान कर रहे है।

4.31.6 l dkjkRed dk;ckgh

- कुल 7630 निःशक्त जनों को निःशुल्क उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए गए।
- मकान बनाने, व्यवसाय, विशेष स्कूल तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने तथा निःशक्त उद्यमियों द्वारा फैक्टरी लगाने के लिए निःशक्त को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करने की योजना उपलब्ध है। अभी तक 4 मामलों में रियायती दरों पर भूमि प्रदान की गई है।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त जन प्रधान सचिव/राज्य आयुक्त–विविध रूप से सक्षम, चेन्नई तथा संबंधित जिलों के जिला विविधा रूप से सक्षम कल्याण अधिकारियों से संपर्क करें।
- गम्भीर आस्थिबाधित विकलांगों के लिए मदुराई में एक सरकारी विशेष स्कूल चल रहा है।

4.31.7 foHkkn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 44&47½ %

- महानगर परिवहन निगम ने पहियेदार कुर्सी बद्ध व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए 7 निम्न तल बसों को पुनः डिजाइन किया है। इसके साथ–साथ, राज्य परिवहन, निगम द्वारा 100 निम्न तल बसें प्रारंभ की गई है।
- 12 यातायात चौराहे में श्रवण संकेत स्थापित किए गए हैं। सड़कें तथा खडंगे सुगमनीय है। सभी क्षेत्रों के निःशक्त जनों के लिए, सार्वजनिक भवनों में पहुंच जांच परिचालित करने तथा,

बाधामुक्त वातावरण प्रदान करने में उचित सुधारों के सुझाव देने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है।

4.31.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk ¼/kkjk 50½

- प्रधान सचिव/राज्य आयुक्त को संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 205 संस्थान पंजीकृत किए गए तथा आवाधिक रूप से नवीनीकृत किए गए।

4.31.9 vk;qDr fu%'kDr tu ¼/kkjk 60½

- एक पूर्णकालिक आयुक्त–निःशक्तता नियुक्त किया गया है।

4.31.10 f'kdk;rk dk fuokj.k ¼/kkjk 62½

प्राप्त मामले	:	69
निपटाए गए मामले	:	69
लम्बित मामले	:	शून्य

4.31.11 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ekeys ¼/kkjk 66&68½

क्र.सं.	योजनाएं	राशि-प्रतिलाभार्थी (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2011-12
1.	छात्रवृत्ति शैक्षणिक	1 से 5वीं कथा = 500/= प्रतिवर्ष	23.453
		6 से 8वीं कक्षा–1500/= प्रतिवर्ष	
		9 से 12 वीं कक्षा=रु. 2000/= प्रतिवर्ष	
		स्नातक रु. 3000/= प्रतिवर्ष	
		उच्च्य स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम रु. 3500/= प्रतिवर्ष	
2.	शैक्षिणिक सहायता सामग्री के लिए सहायता	–	
3.	आर्थिक पुनर्वास	स्वरोजगार	3421
		एन.एच.एफ.डी.सी. –10.58 करोड़	
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	894.73 लाख	3779
5.	मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों के लिए निःशक्तता पेंशन तथा अनुरक्षण भत्ता	9637.22 लाख	89.081
6.	बेरोजगारी भत्ता	9,09,94200	22,235
7.	निःशक्त कर्मचारियों का बीमा	यह तमिलनाडु सरकार की नई बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है	–
8.	उपकरण तथा उपस्कर	4,46,13,000	7630

क्र.सं.	योजनाएं	राशि-प्रतिलाभार्थी (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2011-12
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान		
	1. 32 जिलों में एच.आई. के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र	89.2 लाख	0–2 वर्ष के आयु वर्ग के 930 बच्चे
	2. 30 जिलों में एम.आर. के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र	161.72 लाख	0–6 आयु वर्ग के 1600 बच्चे
	3. एम.आर. के लिए कार्यरत विशेष शिक्षकों का वेतन	3.6 करोड़	400 विशेष शिक्षक, 200 थेरोपिस्ट
	4. एम.आर. के लिए एन.जी. ओ. द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को वित्तीय सहायता	रु. 1.8 करोड़	91 स्थान
	5. 14 वर्ष की आयु से ऊपर के एम.आर. व्यक्तियों के लिए 7 आवास	रु. 62,49,600/=	280 व्यक्ति
6.	23 जिलों में ईआईसी	रु. 40.63 लाख	460 व्यक्ति
7.	वर्ष 2011–12 के दौरान नए रूप में स्थापित व्यस्क मंदता ग्रस्त पुरुषों के लिए 10 आवास तथा वयस्क मंदताग्रस्त महिलाओं के लिए 10 आवास–	रु. 35.68 लाख	800 व्यक्ति
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	निःशक्तजनों द्वारा प्रयुक्त सभी जिला कलैक्ट्रेरेट, जिला पुनर्वास केन्द्रों तथा सभी सार्वजनिक स्थानों में बाधायुक्त वातावरण सृजित किया गया है। पहियेदार कुर्सीबद्ध व्यक्तियों की आसान पहुंच के लिए 7 निम्न तल बसें हैं। भारत सरकार द्वारा एस.आई. पी.डी.ए. के अन्तर्गत रु. 4.30 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	रु. 13.10 करोड़	सरकारी संस्थानों को पूर्ण समर्थन दिया गया है।
13.	वाहन उपादान	रु. 7.08 करोड़	10,23,752 फेरे
14.	अन्य योजनाएं 1. छात्रवृत्ति 2. वैवाहिक प्रोत्साहन 3. अंत्येष्टि/मृत्यु खर्च 4. प्रदर्थनी सहायता 5. प्रसुति/गर्भपात सहायता 6. दुर्घटना सहायता	सूचीबद्ध सामाजिक सुरक्षा योजनाएं विभिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए तमिलनाडु कल्याण बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। वर्ष–2011–12 में इसके लिए रु. 90.00 लाख स्वीकृत किए गए।	–

4.31.12 fofo/k

- राज्य सरकार ने राज्य निःशक्तता नीति तैयार की है।
- निःशक्त जनों के निःशुल्क तथा रियायती बस पासों की अनुमति दी गई है।

4.32 त्रिपुरा

4.32.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.32.2 jkT; dk;kZikyd lfefr dk xBu ¼kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.32.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- वर्ष 2008–2011 के दौरान सभी 04 जिलों में सर्वेक्षण किया गया।
- राज्य ने निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए जागरूकता का सृजन, शीघ्र पता लगाना तथा निःशक्तताओं की पहचान तथा इसके इलाज के लिए शीघ्र हस्तक्षेप जैसे विभिन्न तरीके अपनाए।
- स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान पर जागरूकता सृजन के लिए ब्लाक तथा स्कूल स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ तथा चिकित्सक निःशक्तताओं की शीघ्र पहचान तथा इसकी रोकथाम के लिए प्रशिक्षित हैं। राज्य में 5849 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।

4.32.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- राज्य में निःशक्त जनों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। विशेष आवश्यकतावालें 3457 बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूलों में तथा 491 निःशक्त बच्चे आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में नामांकित किए गए हैं। सामान्य स्कूलों में निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 8 विशेष शिक्षक व्यवस्थित किए गए हैं :
- 4263 सरकारी स्कूलों में सामान्य तथा निःशक्त दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं। 03 सरकारी तथा 06 व्यक्तिगत विशेष स्कूल राज्य में चल रहे हैं।
- सभी 04 जिलों के सामान्य स्कूल निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित है। गम्भीर निःशक्तता वाले 96 सी.एस.डब्ल्यू. एन. को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- राज्य में 2396 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त है।
- प्रत्येक निःशक्त बच्चे को रु. 3000/= प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार छात्रवृत्ति के

समक्ष रु. 600/= प्रतिवर्ष प्रतिछात्र प्रदान कर रही हैं। निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि भी प्रदान की जा रही है।

- दृष्टि विकलांग/निम्न दृष्टि कलों के लिए गणितीय प्रश्नों से हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। पाठ्यक्रम पुनः संरचित किया गया तथा श्रवण ह्रास से ग्रस्त बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प लागू किया गया है। वी.एच./निम्नदृष्टि छात्रों को लिपिक प्रदान किया जा रहा है तथा निःशक्त बच्चों को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जा रहा है।
- विशेष आवश्यकता वाले 100 बच्चों को वाहन भत्ता प्रदान किया गया है।

4.32.5 jkt xkj ¼kkjk 32&41½ %

- राज्य सकार ने निःशक्तजनों के लिए समूह 'ग' तथा 'घ' में पदों को चिन्हित किया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत न्यूनतम 3 प्रतिशत आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित तथा परिचालित किया गया है। राज्य में 332 निःशक्त जन नियुक्त किए गए।
- एक विशेष रोजगार कार्यालय अगरतला में कार्य कर रहा है, परन्तु विभाग/संगठन ही इसमें रिक्तियां अधिसूचित कर रहे हैं।
- यहां निशक्त जनों के लिए प्रशिक्षण तथा कल्याण के प्रावधान हैं। निःशक्त जनों के लिए कार्यस्थल पर बाधामुक्त वातावरण सृजित करने, उच्चतम आयु सीमा में छूट देने, रोजगार का स्थायीकरण तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय करने के आवश्यक आदेश/अनुदेश जारी किए गए हैं।
- 67,171 निःशक्त जनों को विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

4.32.6 l dkjkRed dk;ksgh ¼kkjk 42&43½ %

- 5855 निःशक्त जनों को निःशुल्क उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए जा रहे हैं।
- केवल गैर–सरकारी संगठनों द्वारा विशेष स्कूलों की स्थापना के उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की योजना है।
- इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निःशक्त जनों को समाज कल्याण तथा समाज शिक्षा विभाग, त्रिपुरा से संपर्क करना चाहिए।

4.32.7 foHkkn dk u fd;k tkuk ¼kkjk 44&47½ %

- राज्य सरकार ने निःशक्त जनों के लिए सार्वजनिक वाहन, सार्वजनिक/भवन सुगमनीय बनाने की अधिसूचना जारी की है।

4.32.8 fu%'kDr tuksa ds fy, lLFkkuksa dh ekU;rk ¼kkjk 50&55½ %

- उप आयुक्त–निःशक्तता, त्रिपुरा सरकार को संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अन्तर्गत अभी तक एक संस्थान पंजीकृत हुआ है।

4.32.9 xEHkhj fu%'kDrrkvksa ls xLr 0;fDr ds fy, lLFkku ¼kkjk 56½ %

- आई.एस.आर., अगरतला गम्भीर निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चल रहा है।

4.32.10 vk;Dr&fu%'kDr tu ¼kkjk 60½ %

- आयुक्त–निःशक्तता, अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.32.11 f'kdk;rk dk fuokj.k ¼kkjk 62½ %

प्राप्त मामले : 14

निपटाए गए मामले : 13

लम्बित मामले : 01

4.32.12 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼kkjk 66&68½ %

- निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	राशि : प्रतिलाभार्थी (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1.	छात्रवृत्तियों शैक्षणिक	रु. 2400/= 100 प्रतिशत निःशक्तता वालों के लिए तथा रु. 1500/= यदि निःशक्तता 100 प्रतिशत से कम है	5 19
2.	सहायता शैक्षणिक सहायक सामग्री	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	रु. 5000/= (विवाह के समय पर)	–
5.	निःशक्तता पेंशन	रु. 400/=	1565
6.	बेरोजगारी भत्ता	रु. 1000/=	33
7.	उपकरण तथा उस्कर	–	5855
8.	वाहन उपदान	हां,	–

4.32.13 fofo/k ¼kkjk 73½ %

- नियम अधिसूचित किए गए हैं।

4.33 उत्तर प्रदेश

4.33.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित तथा कार्यरत है। वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

4.33.2 jkT; dk;ikyd lfefr dk xBu ¼kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.33.3 fu%'kDrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- निःशक्तताओं की रोकथाम के लिए ट्रामा केन्द्र में उपचार सुविधाएं उपलब्ध है, सभी निःशक्तजनों को कोमल जूते दिए जा रहे हैं तथा निःशक्तजनों को उनकी प्राथमिक जांच के बाद उचित उपचार तथा पुनर्वास सुविधाएं दी जा रही है।

- गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को कैल्सियम तथा विटामिन 'डी' के कैप्सूल दिए जा रहे हैं। बच्चे में निःशक्तता की पहचान के बाद एम.टी.पी. का प्रावधान किया जा रहा है।
- स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जोखिम पर पहचान के लिए सभी बच्चों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान तथा स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए नगर निगमों/नगर परिषदों द्वारा जागरूकता कार्यक्रम प्रतिपादित किया जा रहा है।
- निःशक्ततओं से शीघ्र पहचान तथा रोक थाम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ प्रशिक्षित है।

4.33.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½ %

- स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की संख्या निम्न है–

कुल सं.	नेत्रहीन निम्न दृष्टि	चलन निःशक्तता	मानसिक मंदता	वाक् तथा श्रवण बाधित	अन्य
3,75,329	30,825	1,49,530	75007	58562	49514

- राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। निःशक्त बच्चों को सामान्य स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश दिए गए हैं।
- राज्य में 21 सरकारी तथा 105 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल चल रहे है। राज्य के 34 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है।
- 72 जिलों के समान्य स्कूल निःशक्तजनों की शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं। विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत 21 स्कूल तथा 09 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं।
- समाज कल्याण, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निःशक्त छात्रों की छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है।
- विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए राज्य में 02 सरकारी तथा एन.जी.ओ. के अन्तर्गत 07 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य के सभी ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। सरकार विशेष स्कूलों में निःशक्तजनों द्वारा आवश्यक विशेष पुस्तकें तथा उपकरण निःशुल्क प्रदान कर रही है। सरकार के विशेष स्कूलों में 1083 निःशक्त बच्चे यह सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।
- नेत्रहीन/निम्न दृष्टि छात्रों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति को पहले से ही संशोधित किया हुआ है। निःशक्तजनों के अनुकूल पाठ्यक्रम को पुनः निर्मित किया गया है। नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों तथा अन्य निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिपिक/लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। निःशक्त जनों को परीक्षा में लिखने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है।

4.33.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- सरकार ने अपने आदेश संख्या–35/63–3 11–78/99 दिनांक 12–01–2011 द्वारा

निःशक्तजनों के लिए सभी समूहों में 585 पद चिन्हित किए हैं।

- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत चिन्हित आरक्षण के लिए सभी विभागों को न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

4.33.6 l dkjkRed dk;okgh
¼/kkjk 42&43½

- निःशक्तता कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011–12 के दौरान 8317 निःशक्तजनों को निःशुल्क उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए हैं।
- घर बनाने, व्यवसाय स्थापित करने, विशेष स्कूल तथा अनुसंधान केन्द्र खोलने तथा निःशक्त उद्यमियों के लिए फैक्टरी लगाने के लिए निःशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आबंटित करने की योजना विद्यमान है।

4.33.7 foHkn dk u fd;k tkuk
¼/kkjk 44&47½

- सभी संबंधित अधिकारियों के निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय भवन/सार्वजनिक स्थान बनाने हेतु अनुदेश जारी किए गए है।

4.33.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk
¼/kkjk 50&55½

- निदेशक–विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश,
9वां तल, इंदिरा–भवन लखनऊ,
फोन : 0522–2287089
को संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक इसके अन्तर्गत 220 संस्थानों का पंजीकरण किया जा चुका है।

4.33.9 xEHkhj fu%'kDrrkvk l xLr 0;fDr;k d fy, lLFkku ¼/kkjk 56½

- निदेशक–विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत गम्भीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए तीन संस्थान गोरखपुर, बरेली तथा मेरठ में चल रहे हैं।

4.33.10 vk;Dr&fu%'kDr tu
¼/kkjk 60&63 rFkk 65½

- आयुक्त–निःशक्तता, अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किया गया है।

4.33.11 f'kdk;rk dk fooj.k
L¼/kkjk 62½

प्राप्त मामले	:	4460
निटपाए गए मामले	:	4448
लम्बित मामले	:	12

4.33.12 lkekftd lj{kk rFkk vU; ;ktuk,
¼/kkjk 66&68½

- निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

4.33.13 fofo/k
¼/kkjk 73½

- निःशक्तताओं की सभी तीन श्रेणियों के लिए अलग से उपायुक्त नियुक्त किए गए।
- निःशक्त व्यक्तियों की उच्च तथा प्रबन्धन शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग विकास डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय की स्थापना।

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	प्रति लाभार्थी राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या (फरवरी, 2012 तक)
1.	आर्थिक पुनर्वास/शाप	10,000,00 20,000.00	654
2.	वैवाहिक प्रोत्साहन	11,000,00 14,000.00	1277
3.	निःशक्तता पेंशन	300.00 प्रतिमास	717381
4.	उपकरण तथा उपस्कर	6,000.00 प्रतिमास	7006
5.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	30.00	–
6.	वाहन उपदान	450.00 लाख	–
7.	कोई अन्य योजना पुनर्वास विश्वविद्यालय	–	–

4.34 उत्तराखंड

4.34.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼kkjk 13&18½%

- राज्य समन्वय समिति 05–07–2011 को पुनर्गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.34.2 jkT; dk;kZikyd lfefr dk xBu ¼kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति एक बार गठित की गई थी, परन्तु अब कार्यरत नहीं है। इसके सदस्यों के पुनः नामांकन के लिए कार्यवाही प्रक्रिया में है।

4.34.3 fu%'kDrrkvksa dk jksdFkke rFkk 'kh?k igpku ¼kkjk 25½ %

- राज्य में स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय से एक सर्वेक्षण संचालित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारियों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों, बाल विकास कार्यक्रम अधिकारियों तथा जिला आशा संसाधन केन्द्रों के जिला स्तर पर मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- निःशक्ततओं की रोकथाम के लिए पल्स पोलिया कार्यक्रम भी प्रयुक्त किया गया।

4.33.4 f'k{kk ¼kkjk 26&31½ %

- राज्य में विभिन्न स्कूलों में 19,723 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे है।।
- राज्य के 5 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। 15 गैर सरकारी स्कूल भी राज्य में चल रहे हैं।
- कुल 9,094 स्कूल बाधामुक्त बनाए गए हैं तथा 320 स्कूलों में निःशक्तों के अनुकूल शौचालय निर्मित किए गए हैं।

- राज्य के विभिन्न स्कूलों में 19,357 विशेष शिक्षक कार्य कर रहे है। निःशक्त जनों के कल्याण के लिए प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक उपलब्ध है।
- निःशक्त बच्चों को निम्न लिखित दरों पर छात्र वृत्ति प्रदान की जाती है–

कक्षा	राशि
कक्षा I से V	रु. 50/= प्रतिमास
कक्षा VI से VIII	रु. 80/= प्रतिमास
कक्षा IX से X	रु. 170/= प्रतिमास
कक्षा XI से XII	रु. 85/= प्रतिमास
स्नातक	रु. 125/= प्रतिमास
उच्च स्नातक पाठ्यक्रम	रु. 170/= प्रतिमास
उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रम	170/= प्रतिमास

वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति के रूप में 3583 निःशक्त छात्रों को रु. 37.72 लाख वितरित किए गए।

4.34.5 jkt xkj ¼/kkjk 32&41½ %

- अधिनियम की धारा 33 के अनुसार न्यूनतम 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित तथा परिचारित की गई है। सरकारी आदेश दिनांक 17–01–2011 द्वारा उत्तराखंड सरकार ने पदों को चिन्हित किया है। निःशक्त जनों की 3 प्रतिशत बैकलाग रिक्तियों को भरने का सभी विभागों को निर्देश दिया है। अभी तक राज्य के विभिन्न विभागों में 941 निःशक्तजन नियुक्त किए गए।
- देहरादून जिले में एक विशेष रोजगार कार्यालय चल रहा है।
- दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत 31 निःशक्त जनों को रु. 5.50 लाख की राशि वितरित की गई।

4-34-6 l dkjkRed dk;lokgh ¼/kkjk 32&43½ %

- बी.पी.एल. निःशक्त जन (जिनकी मासिक आयु रु. 1000/= से कम है।) उन्हें निःशक्तता पेंशन के रूप रु. 600/= प्रतिमास दिए गए तथा कुष्ट रोगमुक्त रोगियों को रु. 1000/= प्रतिमास दिए गए। वर्ष 2011–12 में रु. 3281. 45 लाख की लागत पर इस योजना के अन्तर्गत कुल 50,006 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।
- यहां कृत्रिम अंग प्रदान करने की योजना है, बशर्ते कि लागत सीमा रु. 3500/= तक हो। वर्ष, 211–12 में रु. 24.68 लाख की लागत पर इस योजना के अन्तर्गत कुल 552 निःशक्तजन लाभान्वित हुए।
- निःशक्त जन (महिला) की शादी के मामले में रु. 11,000/= वैवाहिक अनुदान तथा जहां पुरुष या महिला दोनों निःशक्त हों, ऐसे मामले में रु. 14,000/= वैवाहिक अनुदान दिया जाता है। वर्ष, 2011–12 में रु. 18.37 लाख की लागत पर इस योजना के अन्तर्गत 152 निःशक्त जन लाभान्वित हुए।
- हलद्वानी, नैनीताल तथा छमियाला (टेहरी) जिलों में निःशक्त जनों के प्रशिक्षण के लिए तीन विभागीय प्रशिक्षण तथा उत्पादन संस्थान चल रहे हैं। वर्ष 2011–12 में इन संस्थानों पर रु. 59. 11 लाख व्यय हुए।
- विश्व निःशक्तता दिवस के अवसर पर 34 प्रशिक्षित निःशक्त जनों, उनके संस्थापन आधिकारियों को पुरस्कार दिए गए, 2 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को, प्रत्येक को प्रमाण–पत्र, पदक तथा रु. 5000/= दिए गए।

- घर बनाने तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए निःशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की योजना उपलब्ध है।

4.34.7 foHkn dk u fd;k tkuk
¼/kkjk 44&47½

- परिवहन विभाग, उत्तराखंड सभी संबंधित अधिकारियों को सभी बस अड्डों पर रैम्पों की व्यवस्था करने के निदेश दिए हैं तथा निःशक्तों के अनुकूल शौचालय भी बनाए गए हैं। निःशक्तजन राज्य परिवहन की बसों में रियायती यात्रा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं।
- सचिवालय भवन में सुगमनीय लिफ्ट भी लगाई गई है।

4.34.8 fu%'kDr tuk d fy, lLFkkuk dh ekU;rk
¼/kkjk 50&55½

- निदेशक–समाज कल्याण विभाग को निःशक्तजनों के लिए संस्थानों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक 47 संस्थानों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

4.34.9 xEHkhj fu%'kDrrk xLr 0;fDr;k d fy, lLFkku ¼/kkjk 56½

- राज्य सरकार ने गम्भीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित दो संसाधन केन्द्र स्वीकृत किए हैं :

(1) बजाज इंस्टीट्यूट आफ लर्निंग, 155 राजपुर रोड, देहरादून, फोन : 0135–2733189

(2) हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर तथा रिसर्च एसोसिएशन, सुभाष नगर, रुड़की, हरिद्वार। टेलीफोन : 01332–263468

4.34.10 vk;Dr&fu%'kDrrk
¼/kkjk 60½

- आयुक्त–निःशक्तता, अतिरिक्त प्रभार सहित नियुक्त किये गए हैं।

4.34.11 f'kdk;rk dk fuokj.k
¼/kkjk 62½

प्राप्त मामले	:	59
निपटाए गए मामले	:	59
लम्बित मामले	:	शून्य

4.34.12 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,
¼/kkjk 66&68½

- निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

निःशक्त जनों के लिए योजनाएं

क्र.सं.	योजना	आवंटित निधि लाख में (रु.)	लाभार्थियों की संख्या
1.	निःशक्तता पेंशन	3281.45	5
2.	वैवाहिक प्रोत्साहन	18.37	152
3.	निःशक्त जनों का प्रशिक्षण	59.11	3 संस्थान
4.	अन्य योजनाएं (कृत्रिम अंगों के लिए)	24.68	552

4.35 पश्चिम बंगाल

4.35.1 jkT; leUo; lfefr dk xBu ¼/kkjk 13&18½ %

- राज्य समन्वय समिति गठित है तथा वर्ष में एक बैठक हुई।

4.35.2 jkT; dk;kZikyd lfefr dk xBu ¼/kkjk 19&21½ %

- राज्य कार्यपालक समिति गठित की गई है तथा कार्यरत है।

4.35.3 fu%'kDrrkvksa dh jksdFkke rFkk 'kh?kz igpku ¼/kkjk 25½ %

- सर्वेक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा अर्द्धवार्षिक प्रतिपादित किया जाता है। ए.डब्ल्यू. सी में सभी बच्चों की जांच की जाती है तथा जोखिम मामले चिन्हित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रतिरक्षण, प्रसव रोधी, पश्च प्रसव स्वास्थ्य जांच, गर्भवती तथा नर्सिंग जननियों के साथ नियमित मासिक बैठकें। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, आईईसी के माध्यम से स्वास्थ्य तथा स्वच्छता पर सामान्य जागरूकता, स्कूल तथा कालिज के छात्रों को जागरूक करना, निःशक्तता की पहचान तथा शीघ्र रोकथाम के लिए जननी सुरक्षा योजना के कार्यक्रम सहित अन्य उपाय किए जाते हैं।
- निःशक्ता प्रमाण पत्र के निर्गमन के लिए विशेष अभियान को व्यापक प्रचार–प्रसार दिया जाता है। रेडियो तथा टीवी के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। जागरूकता संदेश के साथ साथ शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप पर पूरे साल प्रसारण किया जाता है।

4.35.4 f'k{kk ¼/kkjk 26&31½

- राज्य में निःशक्त जनों के लिए व्यापक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। राज्य के सभी 19 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है, जहां 9500 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं।
- सभी जिलों में 2,52,354 निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए नार्मल स्कूल सुविधाओं से सज्जित है। 52,000 स्कूलों में बाधामुक्त वातावरण है। निःशक्त बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान, महिला तथा बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण, पश्चिम बंगाल के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है।
- महिला तथा बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल कक्षा VIII तक के निःशक्त बच्चों को रु. 300/= प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। विभाग वी.आई. को रु 100/= प्रतिमास पठन भत्ता, एल.वी. तथा वी. आई. को. रु. 150/= प्रति मास की दर से वाहन भत्ता तथा निःशक्त बच्चों को शिक्षण पठन सामग्री के समक्ष भी रु. 500/= प्रतिवर्ष प्रदान कर रहा है।
- नेत्रहीन/कम दृष्टि तथा गम्भीर रूप से निःशक्त छात्रों को लिखित परीक्षा में लेखक/लिपिक उपलब्ध कराता है। परीक्षा के दौरान निःशक्त जनों के लिए एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाती है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा की छूट दी गई है। निःशक्त बच्चों को राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा की अनुमति है।

4.35.5 jkstxkj ¼/kkjk 32&41½ %

- राज्य सरकार ने निःशक्त जनों के लिए चिन्हित नौकरियों को आंशिक रूप से अपनाया है।
- अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत 3 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्त जनों को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान निजी नियोक्ताओं द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 95 निःशक्त जनों को रोजगार दिया गया है।

4.35.6 lkekftd lqj{kk ¼/kkjk 43½ %

- राज्य की प्रोस्थेटिक सहायता योजना के अन्तर्गत 1113 निःशक्त जनों को निःशुल्क उपकरण तथा उपस्कर प्रदान किए गए।
- निःशक्तजनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि के आवंटन की योजना उपलब्ध है।

4.35.7 foHksn dk u fd;k tkuk ¼/kkjk 45&49½ %

- कोलकाता नगर निगम ने इन्हें निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय बनाने के लिए भवन नियमों को संशोधित किए हैं। कुछ सरकारी भवन तथा कुछ ऐतिहासिक भवन निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय बनाए गए हैं। सभी जिला अधिकारियों से इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

4.35.8 vuqla/kku rFkk tu'kfDr fodkl ¼/kkjk 45&48½ %

- तीन अनुसंधान परियोजनाएं विज्ञान तथा तकनीकी विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

4.35.9 fu%'kDr tuksa ds fy, laLFkkuksa dh ekU;rk ¼/kkjk 50½ %

- संस्थानों के पंजीकरण जारी करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी तक 205 संस्थान पंजीकृत किए गए और आवधिक रूप से नवीनीकृत किए गए।

4.35.10 vk;qDr&fu'kDr tu ¼/kkjk 60½ %

- एक पूर्णकालिक आयुक्त–निःशक्त जन नियुक्त किए गए हैं।

4.35.11 f'kdk;rksa dk fuokj.k ¼/kkjk 62½ %

राज्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत मामले : 432

निपटाए गए मामले : 2518 (बैकलाग मामलों सहित)

लम्बित मामले : 31

4.35.12 fofo/k ¼/kkjk 73½ %

- राज्य सरकार ने राज्य निःशक्तता नीति बनाई है।
- निःशक्त जनों की निःशुल्क तथा रियायती बस पासों की अनुमति है।

4.35.13 lkekftd lqj{kk rFkk vU; ;kstuk,a ¼/kkjk 66&68½ %

क्र.सं.	योजना	आबंटित निधि (रु. में)	लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2011-12
1.	छात्रवृति शैक्षणिक	2.77 करोड़	8,000
2.	शैक्षणिक सहायक सामग्री के लिए सहायता	–	–
3.	आर्थिक पुनर्वास	–	–
4.	वैवाहिक प्रोत्साहन	–	–
5.	निःशक्तता पेंशन	3.63 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा)	40,276
		एन.ए. (एन.आई.जी.डी.पी.)	18,000
6.	बेरोजगारी भत्ता	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	निःशक्त कर्मचारियों की बीमा	–	–
8.	प्रोस्थेटिक सहायता योजना के अन्तर्गत उपकरण तथा उपस्कर	26,00 लाख	1113
9.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	14 लाख	एन.जी.ओ. द्वारा सेमिनार, कार्यशाला आदि के आयोजन के लिए
10.	मानव संसाधन विकास	–	–
11.	अवसंरचनात्मक विकास	–	–
12.	सरकारी संस्थानों को सहायता अनुदान	–	–
13.	वाहन उपदान	–	–
14.	अन्य योजनाएं	–	–

अध्याय
5

शिकायतों का निवारण

5.1.1 मुख्य आयुक्त–निःशक्त जन को निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 58 तथा 59 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वे निःशक्त जनों के अधिकारों तथा सुविधाओं के संरक्षण के लिए कदम उठाएं तथा निःशक्त जनों के कल्याण के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए गए कानूनों, नियमों, उपनियमों आदि के कार्यान्वित नहीं किए जाने तथा उनके अधिकारों के ह्रास से संबंधित शिकायतों का निवारण करें।

5.1.2 मुख्य आयुक्त के इस कार्यालय में रोजगार/शिक्षा में आरक्षण को लागू न किए जाने या गलत ढंग से कार्यान्वित करने, अनुचित चयन, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा संबंधी लाभ देने से इंकार करने तथा अन्य सेवा संबंधी मामले, शिक्षा हेतु मूलभूत सुविधाएं न देने, दाखिले से मना करने, परीक्षा में लिखने, हतोत्साहित करने, दिवानी/फौजदारी विवाद, सुगम्यता संबंधी मामले, बैंकिग सुविधाओं को नकारने, प्राथमिकता के आधार पर भूमि, पैट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों आदि का आवंटन न करने जैसे कई मुद्दों से संबंधित शिकायतें/अन्य आवेदन प्राप्त होते हैं। बड़ी संख्या में संगठन तथा निःशक्त व्यक्ति भी निःशक्तता से संबंधित विविध मामलों में स्पष्टीकरण मांगते हैं। निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के किसी प्रावधान अथवा निःशक्त व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के किसी कानून, नियम और विनियम आदि के उल्लंघन के मामले में मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन का कार्यालय ऐसे मामले को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाता है और या तो बातचीत/सलाह द्वारा समाधान करता है या अर्ध–न्यायिक कार्रवाई की जाती है जिन्हें संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश/सलाह के साथ आदेश पारित करके संपन्न किया जाता है।

5.1.3 इस कार्यालय ने कारण बताओ नोटिस का विस्तीर्ण प्रारूप तैयार किया है, जो संक्षेप में तथ्यों की जानकारी, कानून की स्थिति, वचनबद्धता का उल्लंघन और प्रतिवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाई के तरीके की जानकारी भी प्रदान करता है। इससे निःशक्त जनों के अधिकारों के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य आयुक्त में निहित अर्द्ध–न्यायिक अधिकारों के प्रयोग में सहायता मिली है। मुख्य आयुक्त–निःशक्त जन ने स्वयं अपनी ओर से पहल करके उन

संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें/मामले दर्ज किए हैं, जिनके कार्यों से निःशक्त जनों के लिए किए गए वैधानिक प्रावधानों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है।

5.1.4 इस प्रकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूप कानून के विविध प्रावधानों, निःशक्त जनों के प्रति स्थापनाओं की जिम्मेदारियों तथा उनके निःशक्त जनों के प्रति अभिवृत्तिक तथा व्यवहारगत परिवर्तन एवं शिकायत निवारण के तंत्र के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ी है। प्रतिवेदित वर्ष के दौरान मुख्य आयुक्त की समुक्तियां तथा निदेश भी नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिर्वतन लाने में कारगर सिद्ध हुए हैं, जैसे कि उत्पाद तथा सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निःशक्त जनों के पक्ष में समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' में अन्तर–कमीशनरी स्थानान्तण पर पाबंदी में छूट, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए नेत्रहीन व्यावसायिक के अनुकूल विन्डोज टाकिंग सोफ्टवेयर हेतु जॉब्स उपलब्ध कराना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनु. जाति/जन जाति की तरह ही निःशक्त छात्रों को नेट में कट ऑफ अंकों में इसी तरह की छूट देने का निर्णय लिया है, आईबीपीएस ने इस कोर्ट द्वारा सम्प्रेषित दिशा–निर्देशों को नोट किया और इस शर्त को हटाया कि लिपिक उम्मीदवार से कम अंक पाने वाला होना चाहिए और अपनी शैक्षणिक धारा में उसके 60 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं होने चाहिए।

5.1.5 मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने अक्टूबर, 1998 में अपनी स्थापना के समय से 31.03.2012 तक 14119

तालिका 5.1 वर्ष 2011–12 के दौरान मुख्य आयुक्त निःशक्तजन कार्यालय में पंजीकृत मामले

विस्तृत श्रेणी	पंजीकृत मामलों की संख्या	प्रतिशत
रोजगार	312	29.30
सेवा संबंधी मामले	316	29.67
उत्पीड़न/भेदभाव	3	0.28
शिक्षा संबंधी मामले	55	5.16
प्राथमिकता के आधार पर आवंटन	28	2.63
निःशक्तता प्रमाण पत्र/पहचान पत्र	18	1.69
योजनाओं के लाभ	16	1.50
परीक्षा का आचरण	34	3.19
सुगम्यता	54	5.07
परिसंपत्ति विवाद	25	2.35
ऋण संबंधी मामले	9	0.85
धोखाधड़ी	4	0.38
फौजदारी अपराध	5	0.47
विविध	186	17.46
कुल	1065	100.00

चित्र 5.1 वर्ष 2011.12 में पंजीकृत श्रेणीवार मामले (प्रतिशत में)

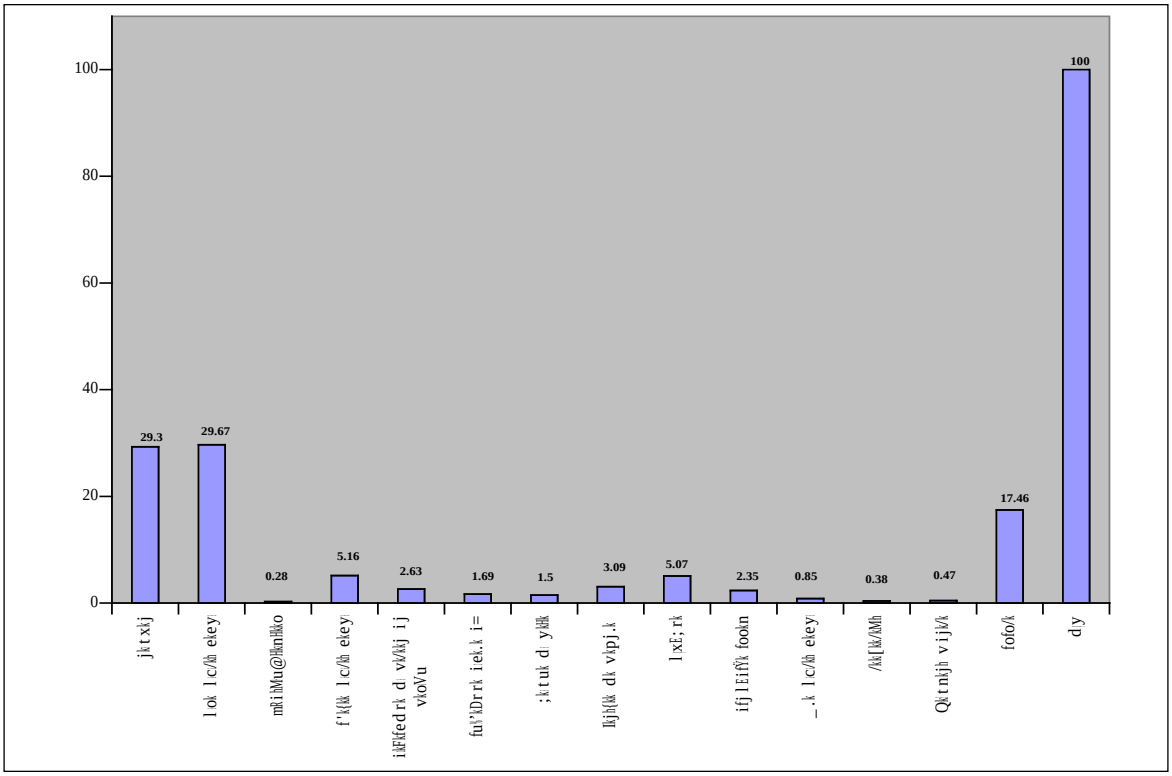

मामले (मोबाइल कोर्ट में उठाए गए मामलों के अतिरिक्त) स्वयं अपनी पहल पर या कार्यालय से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों के आधार पर हाथ में लिए। वर्ष 2011–12 में 1065 मामले दर्ज हुए, जिसमें 6 मुख्य आयुक्त–निशक्त जन के कार्यालय द्वारा स्वयं अपनी पहल पर दर्ज किए गए। वर्ष, 2011–12 के दौरान कार्यालय से प्राप्त मामलों की विस्तृत श्रेणी तालिका 5.1 तथा चित्र 5.1 में दी गई है। वर्ष, 2011–12 में 632 पंजीकृत नए मामलों के अतिरिक्त (मोबाइल अदालतों के 8 मामलों सहित) पिछले वर्ष के लंबित मामलों की उचित कार्यवाही के लिए जांच भी की गई।

5.1.6 वर्ष, 2010–11 की तुलना में वर्ष 2011–12 में मुख्य आयुक्त के कार्यालय में दर्ज मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि (लगभग 7.25 प्रतिशत तक) हुई। रोजगार मामले, परीक्षा का आचरण, सुगमनीयता, परिसम्पत्ति विवाद तथा विविध मामलों से संबंधित प्रकरणों की संख्या बढ़ी है। दूसरी तरफ जागरूकता बढ़ने तथा बेहतर अनुपालन के कारण शैक्षिक मामलों, प्राथमिकता के आधार पर आवंटन तथा योजनाओं के लाभ से संबंधित शिकायतों की संख्या कम हुई है, वर्ष, 2010–11 में यह संख्या 81 थी, जो 2011–12 में घटकर 55 रह गई।

शैक्षिक मामले, प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, योजनाओं के लाभ आदि के बारे में शिकायतों की संख्या में कमी निःशक्तता मुद्दों के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण प्रत्यक्ष रूप से बेहतर अनुपालन तथा कार्यान्वयन को दर्शाते हैं। सुगमनीयता पर मामलों की संख्या में वृद्धि दर्शाती है कि अधिकतर निःशक्त व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण में पहुंच बनाने, ए टी एम्स तथा मनोरंजन के स्थानों आदि संबंधी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं।

तालिका 5.2 वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में दर्ज मामलों की तुलना

विस्तृत श्रेणी	2010-11	2011-12
रोजगार	266	312
सेवा संबंधी मामले	318	316
उत्पीड़न/भेदभाव	09	03
शिक्षा संबंधी मामले	81	55
प्राथमिकता के आधार पर आवंटन	35	28
निःशक्तता प्रमाण पत्र/पहचान पत्र	10	18
योजनाओं के लाभ	26	16
परीक्षा का आचरण	11	34
सुगम्यता	42	54
परिसंपत्ति विवाद	09	25
ऋण संबंधी मामले	11	09
धोखाधड़ी	06	04
फौजदारी अपराध	03	05
विविध	166	186
कुल	993	1065

5.1.7 कुल 714 मामले (वर्ष 2010–11 के दौरान 1238 के समक्ष) निपटाए गए। 31 मार्च, 2012 तक 975 शिकायतें प्रक्रियाधीन थीं। इसके अतिरिक्त मोबाइल अदालतों में 8 लम्बित मामलें उठाए, उनमें से 03 मामले निपटाए गए तथा 5 मामले प्रक्रियाधीन रहे। संयुक्त मोबाइल कोर्ट, झारखंड में दर्ज 5 शिकायतें तत्काल निपटाई गई।

5.1.8 मुख्य आयुक्त के कार्यालय के कार्य प्रारंभ करने के समय से दर्ज हुए तथा निपटाए गए मामलों की संख्या नीचे तालिका 5.3 में दर्शायी गई है।

- स्टाफ की सीमितता के कारण मामलों का निपटान धीमा रहा, क्योंकि निजी सहायक के 06 पदों में से केवल 02 पद ही भरे थे।

5.2 o"k] 2011&12 d nkjku ikIr gb@ fuiVkb xb xEHkhj f'kdk;rk dk lf{kIr fooj.k fuEuku lkj g&

5.2.1 f'k{kk@ijh{kk d vkpj.k l lcf/kr ekeyk

- मुख्य आयुक्त के कार्यालय में दाखिल के आरक्षण अंकों/आयु आदि में छूट से संबंधित वर्ष 2010–11 के 81 मामलों की तुलना में वर्ष 2011–12 में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त स्कूल/कालेज/भर्त्ती परीक्षा में परीक्षा के आयोजन के समय पर उपयुक्त सुविधा प्रदान नहीं किए जाने से संबंधित 34 मामले दर्ज किए गए थे। यह दर्शाता है कि आरक्षण का प्रावधान नहीं करने जैसे मामले,

तालिका 5.3 कार्यालय के प्रारंभ करने के समय से प्राप्त हुई शिकायतों (अपनी ओर से दर्ज हुए मामलों सहित), निपटाई गई तथा अग्रेषित की गई शिकायतें।

वर्ष	कार्यालय से प्राप्त हुए तथा उठाए गए मामले अपनी ओर से दर्ज किए गए मामलों सहित	मोबाइल अदालतों में शिकायतें	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए कुल मामले	पिछले वर्ष के बकाया मामले	कुल मामले	निपटाए गए मामले (कार्यालय)	कुल निपटाए गए मामले (मोबाइल कोर्ट)	कुल निपटाए गए मामले	आगे ले जाए गए
1998–99	65	–	65	0	65	12	–	12	53
1999–00	476	–	476	53	529	355	–	355	174
2000–01	944	–	944	174	1118	803	–	803	315
2001–02	2386	2200	4586	315	4901	1331	2200	3531	1370
2002–03	427	–	427	1370	1797	1409	–	14	388
2003–04	534	–	534	388	922	718	–	718	204
2004–05	970	–	970	204	1174	977	–	977	197
2005–06	1413	144	1557	197	1754	1333	144	1477	277
2006–07	1576	366	1942	277	2219	1401	366	1767	452
2007–08	1178	3941	5119	452	5571	680	3941	4621	950
2008–09	1161	3591	4752	950	5702	1103	3580	4683	1019
2009–10	931	–	931	1019	1950	1070	1	1071	879
2010–11	993	–	993	879	1872	1238	2	1240	632
2011–12	1065	05[#]	1070	632	1702	714	8	722[*]	980
	14119	10242	–	–	–	13144	10237	13381	

[*] कर्मचारियों की कमी के कारण मामलों का निपटारन धीरे हुआ।

[#] मामलों का पंजीकरण (सी.एम.आई.एस. में) अप्रैल 2012 में किया गया।

जिन पर इस कार्यालय द्वारा समान्यतया अपनी ओर से कार्यवाही की गई, कम हुए हैं।

(i) मामला संख्या 107/1032/11–12

एक छात्र श्री अर्जुन, जो 40 प्रतिशत अस्थिबाधित है, उसने पोलिटैक्निक में अपने दाखिले से संबंधित शिकायत दर्ज की। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र दिल्ली के मूल्यांकन के अनुसार वह इलैक्ट्रॉनिक्स तथा कम्पयूटर/डिजिटल इलैक्ट्रानिक/मेडिकल इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में ही कोर्स कर सकते हैं और आटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के योग्य

नहीं होंगे। उसने समझा कि उसे उसके लिए उपयुक्त शाखा में दाखिला नहीं दिया जा सकता। मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन कार्यालय के हस्तक्षेप से उसे उसकी पसंद की ट्रेड में दाखिला दिया गया।

(ii) मामला संख्या 44/1037/11–12

गणित में एम.फिल कर रहे 75 प्रतिशत अस्थि बाधित श्री चरण सिंह ने अपने कोर्स में कम्बीनेट्रिक्स की इच्छा के संबंध में दिनांक 31–10–2011 को एक शिकायत दर्ज की। वह अपने व्यवसाय, कोर्स में कम्बीनेट्रिक्स लेना चाहते थे, परन्तु इस आधार पर कि इस कोर्स के लिए केवल 12 छात्रों को ही अनुमति दी जा सकती है, उसे शिक्षा के लिए यह कोर्स नहीं दिया गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप पर श्री चरण सिंह को कम्बीनेट्रिक्स पर एम. फिल करने की अनुमति दे दी गई।

(iii) मामला संख्या 39/1031/11–12

40 प्रतिशत निःशक्तता से ग्रस्त एक छात्र श्री तोताराम ने एक शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि उसने आईटीआई नंद नगरी में दाखिले के लिए आवेदन किया और उसका चयन भी हो गया। परन्तु दाखिले के समय उसे सूचित किया गया कि उसके पास वी.आर.सी. से प्राप्त प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए दाखिला नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्त्ता दिनांक 04–01–2012 को पुनः वी. आर.सी. से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ प्रधानाचार्य आई.टी.आई., नंद नगरी से सम्पर्क किया। उसे सूचित किया गया कि निःशक्तजनों के लिए रिक्त सीट सामान्य श्रेणी में बदल दी गई है। इस कोर्ट के हस्तक्षेप पर श्री तोताराम को इलैक्ट्रिसियन ट्रेड में दाखिला दे दिया गया।

5.2.2 jkstxkj ls lacaf/kr ekeys

नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण/छूट/अनुचित चयन आदि से संबंधित कुल 312 मामले विभिन्न केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संस्थान/मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए। इनमें से अनेक मामले निःशक्त जनों का आरक्षण प्रदान करने के लिए विज्ञापनों के शुद्धि पत्र जारी करने हेतु निर्देशों द्वारा अपनाए गए आरक्षण रोस्टरों की जांच, रिक्तियों की कमी/बैकलांग पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करने, आयु/अंकों में छूट प्रदान करना, आरक्षण का स्तर, न भरी गई रिक्तियों को आगे ले जाने से आवेष्टित थे। आरक्षण में कमी को पूरा करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु विज्ञापन का शुद्धि पत्र जारी करने का कार्य अनेक मंत्रालयों की स्थापनाओं/विभागों द्वारा हाथ में लिया गया है।

(i) मामला संख्या–340/1011/09–10

श्री सूरज कुमार सुमन, 45 प्रतिशत अस्थि बाधित ने यह बताते हुए शिकायत दर्ज की कि उसका नाम बी.एस.एन.एल., सिलचर में टेलिकाम तकनीकी सहायक के पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में क्रम संख्या–9 पर प्रतीक्षा सूची में था। अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों की सूची में कोई निःशक्त जन शामिल नहीं था। यह मामला बी.एस.एन.एल. के साथ उठाया गया, उन्होंने बाताया कि सूरज कुमार सुमन ने निःशक्त जनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के समक्ष पूर्व नियुक्ति प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करने के बाद टी.टी.ए. संवर्ग में बी.एस.एन.एल. में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(ii) मामला संख्या–10115268

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उल्लंघन का एक मामला स्वतः संज्ञान के आधार पर

भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के विरूद्ध उठाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने विज्ञापन में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किया था। मुख्य आयुक्त निःशक्त जन के कार्यालय के हस्तक्षेप करने पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ने सूचित किया कि डॉ. अरुण कुमार पाण्डेय को दिनांक 23–05–2011 को सहायक कार्यपालक सचिव के पद पर नियुक्ति कर लिया गया है।

5.2.3 lsok laca/kh ekeys

मुख्य आयुक्त–निःशक्त जन कार्यालय को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान न करने, वरिष्ठता का निर्धारण, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के लाभों की स्वीकृति, स्थानांतरण, निःशक्तता होने पर सेवा की समाप्ति, सेवा–निवृत्ति के बकायों का भुगतान न करना, सरकारी कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों के लिए आजीवन पेंशन, वाहन भत्ता आदि के संबंध में 318 शिकायतें प्राप्त हुई। आगे लाए गए बैकलाग मामले सहित 271 शिकायतें निपटाई गई।

(क) स्थानान्तरण

(i) मामला संख्या–193 / 1022 / 11–12

श्री के.एन. सूर्य नारायण, 68 प्रतिशत श्रवण ह्रास से ग्रस्त एक व्यक्ति ने अपने स्थानान्तरण आदेश को रद्द करने के लिए शिकायत दर्ज की। उसे बंगलौर से बेलगांव स्थानान्तरित कर दिया गया था। यह मामला आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ उठाया गया। उन्होंने दिनांक 26–04–2012 के पत्र द्वारा सूचित किया कि श्री के.एन. सूर्य नारायण का स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिया गया है।

(ii) मामला संख्या–120 / 1022 / 10.11

श्री अशोक एम. श्रीमाली, 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित ने अपना स्थानान्तरण जन्मगत स्थान पर करने की शिकायत दर्ज की। यह मामला केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) के साथ पत्र दिनांक 28–06–2010 तथा 02–12–2010 के द्वारा उठाया गया। केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने पत्र संख्या–28–02–2011 द्वारा सूचित किया कि 50 प्रतिशत निःशक्तताओं से तीन श्रेणी या उपर्युक्त श्रेणियों की रिक्तियों की उपलब्धता के समय नियुक्त कर्मचारियों के मामले में एक संवर्ग से दूसरे में नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से समूह ख, ग, तथा घ कर्मचारियों के अन्तर कमिश्नरी स्थानान्तरण की अनुमति के अनुदेश जारी कर दिए गए है। तद्नुसार श्री श्रीमाली के अन्तर कमिशनरी आधार पर सैन्ट्रल एक्साइज, मुम्बई में स्थानान्तरित तथा तैनात कर दिया गया है और उसकी वरिष्ठता की पात्रता को कायम रखा गया है।

(iii) मामला संख्या–146 / 1022 / 10–11

श्री भंवरलाल का पुत्र मास्टर दिनेश मानसिक मंदता से ग्रस्त है। उसकी रेजीमेन्ट के अनुसार थोड़े समय के अन्तराल पर स्थानान्तरण बार–बार होता रहता है। उसने अपना स्थानान्तरण प्रथम रेंज, अजमेर, डी.आई.जी.पी. कार्यालय में करने का अनुरोध किया। यह मामला गृह मामले मंत्रालय तथा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) के साथ पत्र दिनांक 10–01–2011 द्वारा उठाया गया। गृह मामले मंत्रालय के उत्तर पर विचार करने के बाद इस मामले में एक सुनवाई सुनिश्चित की गई। सी.आर.पी.एफ. ने अपने पत्र दिनांक 14–09–2011 द्वारा सूचित किया कि श्री भंवर लाल को समूह केन्द्र, 1 सी.आर.पी.एफ., अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा श्री भंवर लाल, सिपाही को समूह केन्द्र, 1 अजमेर को सहायता देने के लिए कमान्डेन्ट 83 बटालियन को उचित निदेश जारी कर दिए गए।

(ख) पदोन्नति

(i) मामला संख्या–88 / 1021 / 09–10

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, 70 प्रतिशत से अधिक अस्थि बाधित ने पदोन्नति के मना करने के संबंध में एक शिकायत दिनांक 01–12–2009 को दर्ज की। यह मामला राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एन.आई.एम.आर.) के साथ पत्र दिनांक 10–05–2010 के द्वारा उठाया गया। इस मामले में एन.आई.एम.आर. से उत्तर प्राप्त हुआ। यह मामला 17–03–2011 को सुना गया और प्रतिवादी को शिकायतकर्त्ता को पदोन्नति देने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई। प्रतिवादी ने दिनांक 26–04–2011 के पत्र द्वारा सूचित किया कि प्रमोद कुमार शर्मा को टेक्निसियन–ए के पद पर दिनांक 01–04–2011 से पदोन्नत कर दिया गया।

(iii) मामला संख्या–126 / 1021 / 10–11

श्रीमती उमा बसु पत्नी श्री अभिजित बसु, जो 90 प्रतिशत श्रवण ह्रास से ग्रस्त व्यक्ति हैं उन्होंने दिनांक 21.06.2011 के पत्र में अपनी निर्धारित जाब्स में पदोन्नति तथा 16–08–2007 से लियन का लाभ उपलब्ध न कराने के बारे में भी शिकायत की। रेल मंत्रालय को 15–07–2010 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्वी रेलवे, कोलकाता के कार्यालय ने पत्र दिनांक 15–04–2011 द्वारा सूचित किया कि श्री अभिजीत बसु का लियन सियालदह डिविजन में निर्धारित किया गया था और उसकी वरिष्ठता 01–09–1998 से निर्धारित की गई थी। श्री अभिजित बसु को एम.ए.सी.पी. का लाभ भी 01–09–2008 से दे दिया गया।

(ग) पेंशन

(i) मामला संख्या–151 / 1023 / 11–12

श्रीमती मारजोरी ब्रिटो ने अपने निःशक्त बच्चों के लिए पारिवारिक पेंशन के संबंध में एक शिकायत दर्ज की। उसके दो बच्चे दृष्टिगत निःशक्तता से ग्रस्त थे और उसके परिवार पेंशन के लिए अपने दो बच्चों के नाम जोड़ने के लिए बैंक से अनुरोध किया, जो इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि उसने सेवा निवृत्ति के बाद इसके लिए अनुरोध किया। मुख्य आयुक्त निःशक्त जन कार्यालय के हस्तक्षेप पर बैंक ने परिवार पेंशन निःशक्त लाभार्थी के रूप में उनके नाम जोड़ने का अनुमोदन प्राप्त किया तथा स्थानीय मुख्य कार्यालय ने इस संबंध में व्यवस्था करने की सलाह दी।

(ii) मामला संख्या–118 / 1023 / 10–11

श्रीमती दीपाली गुप्ता ने अपने पुत्र श्री सोमेश्वर गुप्ता, जो 75 प्रतिशत मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्ति हैं, का नाम पारिवारिक पेंशन के लिए अपने स्व. पति श्री ए.के. गुप्ता के पीपीओ में जोड़ने के लिए अपनी शिकायत में अनुरोध किया। यह मामला दूर संचार के साथ पत्र दिनांक 29–12–2010 तथा 29–03–2011 द्वारा उठाया गया। दूरसंचार विभाग (पी.एफ.पी. अनुभाग) ने अपने पत्र दिनांक 26–04–2011 के द्वारा सूचित किया कि श्री सोमेश्वर गुप्त की नाम अभिलेख में नोटकर कर लिया गया है। जब और जैसे ही अवसर बनता है–श्री सोमेश्वर गुप्ता का परिवार पेंशन अधिकृत हो जाएगी, बशर्ते कि सी सी एस (पेंशन) नियमों में निर्धारित शर्तो पूरी हों।

(iii) मामला संख्या 62 / 1023 / 10–11

श्री दुशान्त पी. छाया, जो 60 प्रतिशत मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्ति हैं, उन्होंने आजीवन परिवार

पेंशन के मना करने के संबंध में एक शिकायत दिनांक 11–11–2009 को दर्ज की। यह मामला उपायुक्त भाव नगर, गुजरात तथा वेतन तथा लेखा कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिशनरी, भाव नगर, गुजरात के साथ पत्र दिनांक 19–01–2010 द्वारा उठया गया। पक्षों के साथ लम्बे पत्राचार के मद शिकायतकर्त्ता ने 26–08–2011 के द्वारा सूचित किया कि उसे उसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश दिनांक 01–08–2011 जारी कर दिया गया है।

(घ) अन्य सेवा संबंधित मामले

(i) मामला संख्या–21/1024/11–12

श्री राम निवास, 85 प्रतिशत चलन निःशक्तता से ग्रस्त है, उन्होंने सेवा में अपनी बहाली के संबंध में शिकायत दर्ज की। वह बादली, डाकघर में अंशकालिक चौकीदार के रूप में कार्य कर रहा था, परन्तु उसे 26–07–2011 से सेवा से हटा दिया गया। मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के हस्तक्षेप पर डाक विभाग, हरियाणा, सर्किल/अम्बाला ने सूचित किया कि श्री रामनिवास को बहादुरगढ़ मुख्यालय में उसी पारिश्रमिक पर समायोजित कर लिया गया है।

(ii) मामला संख्या–253/1028/11–12

श्री अजय चावला, जो 75 प्रतिशत अस्थि बाधित है, ने भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा नामिका में दर्ज के मापदण्ड अर्जित करने तथा पी. एस. यूज का सनदी लेखाकार नियुक्त करने में छूट के संबंध में एक शिकायत दर्ज की। उसने सी.ए. फर्म को नामिका में दर्ज करने तथा लेखा परीक्षक के चयन के लिए नीति के अनुसार निवेदन किया। मेट्रोस में फर्में, जो एक एफ.सी.ए. के लिए मैट्रो सिटी में भागीदार द्वारा रु. 3,00,000/= तथा एक ए.सी.ए. के लिए रु. 1,80,000/= से कम कुल क्षतिपूर्ति प्राप्त करती है, उस पर पूर्णकालिक भागीदार के रूप में विचार नहीं किया गया और न ही इसके लिए कोई महत्व दिया गया। मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के कार्यालय के हस्तक्षेप पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि श्री अजय चावला की फर्म चालू वर्ष में नामिका में दर्ज करने के लिए पात्रता मापदण्डों को पूरा करती है। वर्ष, 2012–13 के लिए आडिट के आबंटन के लिए उनके मामले पर नामिका में दर्ज करने की उचित प्रक्रिया के पूरा होने पर विचार किया जाएगा।

(iii) मामला संख्या–218/1028/11–12

श्री बी.के. कालरा, शिकायतकर्त्ता, जो 80 प्रतिशत अस्थि बाधित है, ने यह बताते हुए शिकायत दर्ज की कि वह जीवन बीमा निगम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। उसका कार्यालय व्हील चेयर प्रयोग कर्ताओं के लिए सुगमनीय नहीं है। यह मामला एल.आई.सी. तथा मुख्य आयुक्त निःशक्त जन टीम द्वारा निदेशित के साथ उठाया गया तथा पहुंच जांच टीम ने एल.आई.सी. प्रभागीय कार्यालय, लक्ष्मी नगर के भवन में प्रवेश किया। मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के हस्तक्षेप पर, कार्यस्थल पर बाधामुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए स्कोप मीनार के कार्यालय पर उचित परिवर्तन किया गया तथा अनुकूल वातावरण प्रदान किया गया। श्री बी. के. कालरा को स्कोप मीनार पर प्रभागीय कार्यालय में तैनात किया गया।

5.2.4 fofo/k rFkk vU; f'kdk;r%

मुख्य आयुक्त के कार्यालय ने ऊपर उल्लिखित प्रकृति की शिकायतों के अलावा, अन्य मामले जैसे :

उत्पीड़न, भेदभाव, दुर्व्यवहार, प्राथमिकता के आधार पर आवंटन, ऋण संबंधी मामले, धोखाधड़ी, निधि का दुरुपयोग, कदाचार, संपत्ति विवाद, सुगम्यता, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ, निःशक्तता प्रमाण पत्रों का निर्गमीकरण, फौजदारी, अपराध/विविध के संबंध में, 348 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष, 2010–11 के दौरान ऐसे मामलों पर कुल 317 शिकायतें दर्ज की गई।

(i) मामला संख्या–218/1141/11–12

श्री डी.पी. वर्मा, जो 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति है, ने न्यू इंडिया इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. द्वारा मोटर दुर्घटना दावे के निपटान में परेशान करने तथा अनावश्यक देरी के संबंध में शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्त्ता की कार से एक दुर्घटना हो गई थी और उसने रु. 1,39,078/= का भुगतान करके उसकी मरम्मत करा ली थी। अनेक बार जाने के बावजूद बीमा कम्पनी ने उसके दावे का समाधान नहीं किया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप पर, नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनी ने सूचित किया कि श्री डी.पी. वर्मा के दावे का निपटान रु. 80,000/= के लिए कर दिया गया।

(ii) मामला संख्या–101/1141/11–12

हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 24–06–2010 के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित अत्यधिक अभिरूचि के कारण संवेदना शून्य धारावाहिक विज्ञापन के संबंध में समाचार के आधार पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विरूद्ध स्वतः संज्ञान से एक मामला उठाया गया। इस कोर्ट के हस्तक्षेप पर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने विशेष रूप से सहारा वन तथा सोनी टी.वी. को तथा चैनलों के प्रतिनिधियों सहित सभी चैनलों को उचित सलाहकारी जारी की कि समय–समय पर संशोधित के अनुसार केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1995 के साथ पठित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।

अध्याय
6

निधि के उपयोग की जाँच

6.1 निःशक्त जनों के लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा संवितरित निधि के उपयोग की मानीटरिंग करना–निःशक्त जन अधिनियम की 58 (ख) के अंतर्गत मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन के महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.एच. तथा यू.पी. ए.), आदि के अपने बजटों में भी प्रचुर संघटक होता है। इसमें शामिल राशि कई हजार करोड़ रुपए होती है।

6.2 यद्यपि इस विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आवंटित विपुल राशि के उपयोग की मानीटरिंग के लिए समानुपातिक मानव तथा वित्तीय संसाधनों की अपेक्षा की जाती हैं, तथापि मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन कार्यालय ने बहुत ही सीमित कर्मचारियों के साथ 07 संस्थाओं की जाँच की। मानीटरिंग टीम में सम्मिलित राज्य सरकार के अधिकारियों तथा मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन कार्यालय के एक अधिकारी की देख–रेख में निःशक्तता विशेषज्ञ ने सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तराखंड में 07 गैर सरकारी संगठनों का दौरा किया। मानीटरिंग टीम की रिपोर्ट सामाजिक तथा अधिकारिता मंत्रालय को समुचित कार्यवाही के लिए भेज दी गई।

अध्याय
7

सिफारिशें

एक निश्चयात्मक तथा परिभाषित समय सीमा में संकेतित के अनुसार निम्नलिखित सुनिश्चित करना :

1. निःशक्त जनों की जन्म जात योग्यता तथा गरिमा के लिए सरकार के प्रयत्नों के एक भाग के रूप में देश की सभी भाषाओं में सभी प्रकार की निःशक्तताओं के लिए भेदभाव रहित तथा गैर–अपमानजनक शब्दावली के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा उत्साहित करना : अपमानजनक तथा भेदभावपरक शब्दावली जैसे–'विकलांग' तथा 'विविधरूप से सक्षम' आदि शब्दावली के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए निःशक्तता मामले विभाग, समाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किया जाना।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, राज्य व संघ सरकारें)

2. वर्ष, 2009 में केन्द्र सरकार के संशोधित निःशक्तजन नियमों की लीक पर निःशक्तजन नियमों का संशोधन तथा/या चिकित्सा प्राधिकरणों की तत्काल पहचान (राज्य, जिन्होंने पहले कई बार इस सिफारिश की अवज्ञा की है।

(कार्यवाही : राज्य सरकारें)

3. दृष्टिगत शक्ति का ह्रास, चलन निःशक्तता, श्रवण शक्ति का ह्रास मानसिक मंदता तथा विविध निःशक्तताओं के संबंध में दिनांक 01–06–2001 तथा सभी चिकित्सा प्राधिकरणों द्वारा मानसिक रुग्णता के संबंध में दिनांक 18–02–2002 की अधिसूचना संख्या–16–18/97–एन.आई. द्वारा सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रमाणन के लिए विभिन्न निःशक्तताओं तथा प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देशों का अपनाना।

(कार्यवाही : स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें)

4. एक निःशक्तता पुनर्वास विभाग, शारीरिक चिकित्सा पुनर्वास विभाग का गठन तथा सृजन तथा एक पूर्णतया साधन युक्त हस्तक्षेप तथा प्रत्येक जिले में प्रत्येक मेडिकल कालेज/सिविल अस्पताल में उपचार केन्द्र

(कार्यवाही : स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें।)

5- निःशक्तजन अधिनियम की धारा 60 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वतन्त्र प्रभार सहित आयुक्त निःशक्तजन की नियुक्ति : तथा यह आयुक्त राज्य सरकार के प्रधान सचिव के स्तर का हो, जैसी कि मुख्य आयुक्त–निःशक्तजन

कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य आयुक्त निःशक्तजन की बैठक में पहले भी सिफारिश की गई थी।

(कार्यवाही : मुख्य आयुक्त– निःशक्तजन तथा राज्य सरकारें)

6. मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्तों के कार्यालय को बिना किसी देरी के स्टाफ संरचना सहित पर्याप्त रूप से मजबूत बनाना, जैसे कि पहले सुझाव दिया गया तथा परिचालित किया गया था।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारें)

7. जे.जे. अधिनियम के अन्तर्गत आई.सी.पी.एस. की लीक पर आयुक्त निःशक्त जन के कार्यालय के गठन के लिए स्टाफ तथा अवसंरचना के लिए पर्याप्त निधियों का प्रावधान तथा आवंटन (कई राज्य सरकारों ने न तो राज्य आयुक्त निःशक्त जन का अलग कार्यालय गठित किया और न उन्हें आवश्यक अधिकारी, स्टाफ, कार्यालय उपकरण तथा निधि उपलब्ध कराई, जिससे वे अपने वैधानिक कर्तव्यों का निष्पादन करने में सक्षम हो सकें)। केन्द्र सरकार द्वारा जिला स्तर पर स्टाफ को उपयुक्त संख्या के लिए प्रावधान किए गए, जिसमें निःशक्तता मामलों को निपटाने के लिए एक पूर्ण कालिक अधिकारी (कल्याण अधिकारी–निःशक्तजन) सम्मिलित होना चाहिए।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय)

8. प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त समर्पित स्टाफ तथा अवसंरचना सहित एक अलग निःशक्तता मामले विभाग का सृजन तथा गठन।

(कार्यवाही : राज्य सरकारें)

9. निःशक्त जनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) के इंडिया साइनिंग के प्रबोधन तथा प्रमाणन में निःशक्त जन, 2006 पर राष्ट्रीय नीति का केन्द्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण तथा अंगीकरण तथा इसी प्रकार निःशक्त जनों के लिए राष्ट्रीय नीति को प्रत्येक राज्य द्वारा अन्तिमकरण, अंगीकरण तथा अधिसूचना, जो यू.एन.सी.आर.पी.डी. के अनुरूप होनी चाहिए। जिन राज्यों में पहले से नीति स्थिति है, वहां संशोधित नीति का पुनरीक्षण तथा अंगीकरण यू.एन. सी.आर.पी.डी. के अनुरूप होना चाहिए।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारें)

10. केन्द्रीय सूची को शीघ्र ग्रहण करने पर निःशक्तजन अधिनियम की धारा 32 के अनुसरण में प्रत्येक संबंधित सरकार के अन्तर्गत सेवा के सभी समूहों/ग्रेडों के पदों के सम्मुख समुचित प्रक्रिया के माध्यम से समय पर पहचान।

(कार्यवाही : राज्य सरकारें)

11. आरक्षित किए जाने वाले पदों की पहचान के संबंध में, पदों के आरक्षण तथा धारा 32 के संबंध में धारा 33 के अन्तर्गत प्रावधानों सहित निःशक्तजन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन न किए जाने के कारण जिम्मेदारी तथा जवाब देही निर्धारित करने हेतु क्रिया विधि।

(कार्यवाही : केन्द्र सरकार, विशेष रूप से निःशक्तजन कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा आधिकारिता मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, राज्य सरकारें : स्थानीय प्राधिकरण)

12. उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार नियमित बैठकों के संबंध में निःशक्त जन अधिनियम की क्रमानुसार धारा 13 तथा 19 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन।

(कार्यवाही : राज्य सरकारें)

13. सामाजिक तथा अधिकारिता मंत्रालय की योजना ए.डी. आई.पी. के अन्तर्गत पात्रता के लिए आय सीमा को हटाना।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय)

14. निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने का सरलीकरण, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय आर.सी. आई. तथा संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से सूत्रबद्ध मानकों तथा प्रतिमानों को प्राप्त करना चाहिए तथा एकरूपता अपनाने के लिए राज्यों के लिए इसे अधिसूचित करना चाहिए।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय)

15. व्यक्तिगत लाभर्थी निर्धारित योजनाओं के सही लक्ष्य के लिए अपेक्षित एक व्यापक डाटाबेस विकसित करने के लिए निःशक्त जनों की पहचान की दृष्टि से सभी राज्यों में घर–घर जाकर सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व।

(कार्यवाही : राज्य सरकारें)

16. केन्द्र सरकार द्वारा निःशक्त जन अधिनियम की धारा 64(2) के प्रावधानों, मुख्य आयुक्त निःशक्तजन की वार्षिक रिपोर्ट के संसद के समक्ष प्रस्तुत करना का पूरी सख्ती से अनुपालन।

(कार्यवाही : निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय)

17. निःशक्तजन अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य आयुक्त निःशक्तजन द्वारा समय पर वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना तथा राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का पूरी सख्ती से अनुपालन।

(कार्यवाही : राज्य आयुक्त–निःशक्त जन तथा निःशक्तता मामलों से सम्बंधित राज्य सरकार विभाग)

18. विद्यमान कानूनी सीमाओं के अन्तर्गत सभी सरकारी स्थापनाओं में योग्य निःशक्त महिलाओं की नियुक्ति के लिए सजग तथा ठोस प्रयास प्रारंभ करना, तथ्य के आलोक में यह स्पष्ट है कि सरकारी सेवाओं में निःशक्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व अथाह रूप से कम है।

(कार्यवाही : केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सम्बद्ध राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण)

19. सामान्य तथा मानसिक मंदताग्रस्त, मानसिक रूग्णता तथा विशेष रूप से कुष्ट रोग मुक्त व्यक्तियों में निःशक्त जनों को विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं (निःशक्तजन अधिनियम की धारा 40) का लाभ दिलाने तथा प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए भी कार्यवाही का सूत्रपात, यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो ये श्रेणियां इस प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सामने नहीं आती।

(कार्यवाही : केन्द्र प्रकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सम्बद्ध राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण)

परिशिष्ट I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति

'*' चिन्हित राज्यों के बारे में दी गई जानकारी रिपोर्ट तैयार होने तक राज्य आयुक्त निःशक्तजन द्वारा उपलब्ध न कराये के कारण पिछली रिपोर्ट में मिली जानकारी पर आधारित है।

तालिका-1 /kkjk 13 l/kkjk 31

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
1.	आंध्र प्रदेश	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों को शिक्षा से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए। ❑ 76,742 सरकारी स्कूलों में निःशक्त तथा सामान्य दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। ❑ सभी जिलों में, सरकार तथा केन्द्रीय सहायता प्राप्त एनजीओ द्वारा संचालित विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं। ❑ सभी 23 जिलों में निःशक्त बच्चों के लिए स्कूल सुविधाओं से सज्जित है। ❑ 37,917 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधा मुक्त है। ❑ 39 विश्वविद्यालयों में से 26 निःशक्त बच्चों को आसान सुगमनीय सुविधा प्रदान करा रहे हैं। ❑ उन छात्रों को, जिनकी सीट कन्वीनर कोटे के अन्तर्गत सुरक्षित है, उन्हें सरकार द्वारा ट्यूशन शुल्क तथा विशेष शुल्क की पूर्णतया प्रति पूर्ति की जाती है। ❑ 10, 764 निःशक्त बच्चों को पूर्व–मैट्रिक छात्र वृत्ति स्वीकृत की गई, जिसकी राशि रु. 125 लाख है। ❑ 2250 निशक्त बच्चे पश्च–मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभान्वित हुए, जिस पर रु. 322.00 लाख व्यय हुए।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
				❑ दृष्टि वाधित बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों हेतु एक प्रशिक्षण केन्द्र एन.आई.वी.एच., देहरादून तथा राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चल रहा है। ❑ 11 आवासीय स्कूलों में 160 विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 1495 विशेष शिक्षक राजीव गांधी मिशन (एसएसए) के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। ❑ निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण तथा वर्दी आदि प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। ❑ बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित	गठित	❑ जिला पापुमेयर में 02 विशेष स्कूल, 01 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 01 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें, उपकरण, वर्दी आदि दी जा रही है। ❑ श्रवण शक्ति के ह्रास वाले बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक की सेवा प्रदान करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।
3.	आसाम	गठित	गठित	❑ 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वर्ग के 73,220 निःशक्त बच्चे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ❑ 03 सरकारी, 05 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल तथा 03 विशेष अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान उपलब्ध है। ❑ 12027 एल.पी. स्कूल तथा 2054 यू.पी. स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। ❑ एस.एस.ए. रिपोर्ट के अनुसार, 32,421 स्कूलों में रैम्प लगे हैं तथा 6712 स्कूल सुगमनीय शौचालयों से युक्त है। ❑ 2463 निःशक्त बच्चों को रु. 2400/= प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी गई। ❑ निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। ❑ परीक्षा के लिए श्रवण बाधित बच्चों को एक भाषा विकल्प तथा 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। ❑ नेत्रहीन/कमदृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक दिया गया। नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को रेखागणित से छूट है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
4.	बिहार	गठित	गठित	❑ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे एस.एस.ए. के अन्तर्गत निःशुल्क पुस्तकें, उपकरण आदि प्राप्त कर रहे हैं। ❑ 33 विशेष स्कूल (8 सरकारी तथा 25 प्राइवेट) उपलब्ध है। ❑ 33,000 संस्थान स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधा मुक्त है। ❑ 14,000 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। ❑ निःशक्तताओं के प्रबंधन में अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान उपलब्ध है। ❑ छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूल वाहन भत्ता प्रदान कर रहे हैं।
5.	छत्तीसगढ़	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ❑ विशेष स्कूलों की संख्या–56 (सरकारी 18 तथा सरकारी सहायता प्राप्त 38) ❑ निःशक्त बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना विद्यमान है। ❑ निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें/ उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ❑ विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए चार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों के लिए गणितीय प्रश्न हटाए गए हैं। ❑ निःशक्त बच्चों के लिए एक भाषा का विकल्प है। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों को परीक्षा में लिपिक/ लेखक की अनुमति है।
6.	गोवा*	गठित	गठित	❑ प्राथमिक छात्रों के लिए 500/= रुपये, पुस्तकों के लिए 800/= रुपये वर्दी के लिए 2000/= रुपये अनुरक्षण भत्ता, 150/= रुपये प्रतिमाह मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से बीमार छात्र को अतिरिक्त कोचिंग। 5000/=रुपये उपकरणों के लिए तीन वर्ष में एक बार। 300/= प्रति माह स्कूल को। ❑ गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (धारा 27) कक्षा– प्रतिमाह सहायता की राशि

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
				पहली से चौथी तक 200/= रुपये पाठक भत्ता, पांचवीं से आठवीं तक रु. 200/= नौंवी से दसवीं तक 300/=रुपये, ग्यारहवीं से आगे 300/= रुपये, नौवीं कक्षा से आगे तक वार्षिक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति। नौवीं से बारहवीं कक्षा तक 500/= रुपये प्रतिमाह। बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. रु. 650/= प्रति माह। व्यावसायिक पाठ्यक्रम 650/=प्रतिमाह। पेशेवर पाठ्यक्रम रु. 900/= प्रतिमाह। ❑ सभी शैक्षिक संस्थनों में 3 प्रतिशत आरक्षण। ❑ प्रश्नपत्र के जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। ❑ परीक्षा के लिए नजदीकी केन्द्र को चुनने का विकल्प दिया जाता है। ❑ लेखक उपलब्ध कराया जा रहा है। ❑ निःशक्त छात्रों को विज्ञान के लिए आंकड़े, रेखांकन, नक्शे आदि बनाने से एवं प्रयोगिक प्रश्न पत्र को करने से भी छूट दी जाती है।
7.	गुजरात*	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ समेकित शिक्षा योजना के अधीन 2009–10 वर्ष के दौरान 4397 सामान्य स्कूलों में 6757 निःशक्त बच्चों को प्रवेश मिला। ❑ निःशक्तता पर 577 विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्त की गई, ताकि सामान्य धारा के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु निःशक्त छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सके। ❑ सर्वशिक्षा अभियान के अधीन प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 107924 निःशक्त बच्चे पंजीकृत किए गए हैं–उनमें से 89415 वर्ष 2009–10 के दौरान स्कूलों में पढ़ रहे दर्ज किए गए हैं। 11869 बच्चों को सहायता एवं उपकरण प्रदान किए गए हैं। निःशक्तों के लिए विभिन्न गतिविधियों पर सर्वशिक्षा अभियान के अधीन 7.02 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ❑ 32128 स्कूलों में रैम्प एवं रेलिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ❑ सर्वशिक्षा अभियान की लागत के साथ गुजरात राज्य में लगभग 12255 सामान्य अध्यापकों एवं विशेष शिक्षा अध्यापकों को अल्पावधि प्रशिक्षण दिलाया गया।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
8.	हरियाणा	गठित	गठित	❑ 22 विशेष/नार्मल स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। ❑ निःशक्त बच्चों के लिए छत्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 4300 बच्चे लाभान्वित हुए। कल आवंटित राशि रु. 122.67 लाख है। ❑ विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 10 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। सभी स्कूलों द्वारा निःशुल्क वाहन/वित्तीय सहायता भी दी गई है। ❑ निःशक्त बच्चों को संस्थापन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। ❑ परीक्षा में लिखने के लिए निःशक्त बच्चों को लिपिक/लेखक की सेवा तथा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
9.	हिमाचल प्रदेश	गठित	गठित	❑ रु. 250/= से रु. 2000/= प्रति माह की रेंज में छात्रवृत्ति। 2407 निःशक्त छात्रों के लिए रु. 67.64 लाख खर्च हुए। ❑ 6566 प्राथमिक स्कूल बाधामुक्त हैं। ❑ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मिडिल तथा मेट्रिकुलेशन परीक्षा में निःशक्त बच्चों के लिए संशोधन किया है। नेत्रहीन, बहरे तथा गूंगे परीक्षार्थियों को 8वीं की परीक्षा देने से छूट दी गई है और परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। नेत्रहीन छात्रों को परीक्षा के लिए आधा घंटा अतिरिक्त समय दिया जाता है। ❑ नेत्रहीन/अस्थिबाधित विकलांगों को लेखक की सुविधा प्रदान की गई है।
10.	झारखंड	गठित	गठित	❑ 24 विशेष स्कूल उपलब्ध है। ❑ निःशक्त बच्चों की पुस्तकें तथा उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। ❑ विशेष शिक्षा में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण के लिए 04 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। ❑ विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1328 निःशक्त बच्चे 50/= प्रतिमास से रु. 260/= प्रतिमास तक छात्रवृत्ति तथा सरकारी/गैरसरकारी आवास स्कूलों में रु. 100/= प्रतिमास प्राप्त कर रहे हैं। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक/लेखक की सुविधा उपलब्ध है। दृष्टिगत निःशक्त बच्चों को 20 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
11.	जम्मू तथा कश्मीर*	गठित	गठित	❑ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। ❑ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम विद्यमान है।
12.	कर्नाटक	गठित	गठित	❑ राज्य में 220 विशेष स्कूल चल रहे हैं। ❑ निःशक्त जनों के लिए 29 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री दी जाती है। ❑ निःशक्त बच्चों के लिए 35379 स्कूल बाधामुक्त पहुंच से युक्त हैं। 34,266 रैम्प तथा 2725 सुगमनीय शौचालय हैं। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। श्रवण शक्ति ह्रास बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम है। ❑ 7 वीं कक्षा से नीचे पढ़ने वाले तथा दृष्टिबाधित निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा है। ❑ निःशक्त जनों को परिवर्तनीय छात्रवृत्ति दी जाती है।
13.	केरल*	गठित	गठित	❑ मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को 900/= रुपये की राशि 2009–10 के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के रूप में। ❑ स्कूल, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे निःशक्त विद्यार्थी एवं वह विद्यार्थी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 36,000/= से कम होनी चाहिए और पिछले वर्ष की परीक्षा में उनके अंक कम से कम 40 प्रतिशत होने चाहिए। ❑ तिवन्नततपुरम और कोझि कोड स्थित राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे दो व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में निःशक्त युवाओं को पुस्तक जिल्साजी, सिलाई और कढ़ाई, कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क रखरखाव, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, चमड़े का काम आदि का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। ❑ ऐसे नेत्रहीन एवं अस्थि विकलांग अधिवक्ताओं को किताबों अन्तिम स्यूट्स की खरीद के लिए 2500/= रुपये और नेत्रहीन अधिवक्ताओं को पठन भत्ते के रूप में 1000/=रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय सहयाता दी जाती है जिनके परिवार की वार्षिक आय 18000/= रुपए से अधिक नहीं हो। ❑ शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए शेल्टर चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
14.	मध्य प्रदेश	गठित	गठित	❑ राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ 20 सरकारी तथा 76 एन.जी.ओ. स्कूल विशेष प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित है। ❑ 95,126 स्कूलों तथा कालिजों में निःशक्त जनों के लिए रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय उपलब्ध हैं। कुल 91,851 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधा मुक्त हैं। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि छात्रों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। निःशक्त जनों को परीक्षा में लिपिक/लेखक तथा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है।
15.	महाराष्ट्र	गठित	गठित	❑ राज्य में 18 वर्ष तक के निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। ❑ सभी 35 जिलों में विशेष स्कूल चल रहे हैं। राज्य में 22 सरकारी, 737 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 907 प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ❑ राज्य में 5 सरकारी, 83 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 78 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ❑ 1,08,329 स्कूलों तथा कालिजों में से 62,478 स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधा मुक्त है तथा 89,481 में निःशक्त बच्चों के लिए रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय हे। ❑ 6,66,507 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। ❑ रु. 50/= से रु 100/= की रेंज में क, ख, ग, घ, तथा ङ समूहों में नेत्रहीन तथा कम दृष्टि छात्रों को पठन भत्ता दिया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शिक्षण शुल्क दिया जाता है। स्टडी ट्यूर रु. 500/=प्रति मास तक। परियोजना टंकण खर्च रु. 600/= प्रतिमास तक। ❑ निःशक्तता के प्रबंध में 59 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं तथा आर.सी.आई. द्वारा स्वीकृत है। ❑ वी.आई. के लिए 373, एच.आई. के लिए 1900 तथा मानसिक मंदता के लिए 1323 विशेष शिक्षक उपलब्ध है। ❑ 7741 निःशक्त बच्चों की विशेष पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दी आदि निःशुल्क प्रदान की गई।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
				❑ डाईस्लेक्सिया से पीड़ित छात्र को लिपिक/लेखक भी दिया जाता है; स्कूलों/विश्वविद्यालयों तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षा में लिखित परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघंटा अतिरिक्त समय दिया जाता है। ❑ 3,05,096 निःशक्त बच्चे एस.एस.ए. के अन्तर्गत नियमित स्कूलों में तथा 369 निःशक्त बच्चे आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में पढ़ रहे हैं।
16.	मणिपुर*	रिपोर्ट नहीं मिली	रिपोर्ट नहीं मिली	❑ समाज कल्याण राज्य शिक्षा द्वारा संचालित दो विशेष स्कूलों में वी.आई. तथा एच.आई. छात्रों को निःशुल्क तथा उपयुक्त शिक्षा दी जा रही है। विभाग भी एस.एस.ए. के अन्तर्गत निःशक्त छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। ❑ राज्य शिक्षा विभाग अनौपचारिक शिक्षा योजना कार्यान्वित कर रहा है।
17.	मेघालय	गठित	गठित	❑ 18 वर्ष की आयु तक के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तथा निःशक्त बच्चों को नार्मल स्कूलों में दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। ❑ राज्य में 11 विशेष स्कूल चल रहे हैं, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त 05 तथा प्राइवेट–06 हैं। 6 जिलों में एक विशेष स्कूल, चल रहा है। ❑ आई ई निधि से 140 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधायुक्त बनाए गए हैं। 141 स्कूल तथा कालिजों में रैम्प, सुगमनीय शौचालय हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को रु. 100/= से रु. 580/= तक की रेंज में छात्रवृत्ति। ❑ योजना वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत 1657 निःशक्त बच्चों को एस.एस.ए. के अन्तर्गत सहायक/वाहन भत्ते के लिए 10 मास के लिए रु. 500/= प्रति मास की राशि स्वीकृत की गई। ❑ एस.एस.ए. के अन्तर्गत संसाधन केन्द्रों को उन्नत करने के लिए आर.सी.आई. के अनुमोदन की प्रस्तुति के लिए नेहू के अन्तर्गत 04 अध्ययन केन्द्र प्रक्रियाधीन हैं। ❑ 390 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध है। ❑ नेत्रहीन/कम दृष्टि बच्चों को लिपिक/लेखक उपलब्ध कराया जाता है। ❑ स्कूल/विश्वविद्यालय परीक्षाओं तथा राज्य परीक्षाओं में निःशक्त बच्चों को प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति भी दी जाती है। ❑ श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
18.	मिजोरम	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ पुस्तकें, वर्दी आदि निःशुल्क दी जाती है। ❑ 8 प्राइवेट विशेष स्कूल उपलब्ध है। ❑ 900 निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। ❑ नेत्रहीन/कमदृष्टि छात्रों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्धति को संशोधित किया गया है। वी.एच./कम दृष्टि छात्रों को लिपिक दिया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाता है। ❑ 85 विशेष शिक्षक हैं। एस.सी.ई.आर.टी. विशेष शिक्षा में अध्यापकों को विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करती है।
19.	नागालैंड	गठित	गठित	❑ विशेष आवश्यकता वाले 9,468 बच्चों के लिए रु. 3000/– प्रति बच्चा, प्रतिवर्ष की राशि स्वीकृत की गई है। ❑ 399 गम्भीर निःशक्त बच्चों को 46 ई.बी.आर.सी. के अन्तर्गत गृह अध ाारित शिक्षा दी गई। 6 मास की अवधि के लिए उनके ट्यूशन अध्यापक को रु. 300/– प्रतिमास, प्रति बच्चा दिए गए। ❑ दीमापुर तथा कोहिमा जिलों में विशेष स्कूल कार्य कर रहे हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। 500 गम्भीर चलन निःशक्त बच्चों के लिए 6 माह के लिए रु. 500/– प्रतिमाह अनुरक्षक भत्ता दिया गया। ❑ राज्य गम्भीर तथा इसी प्रकार के निःशक्त बच्चों के लिए फिजियोथरेपिस्ट तथा प्रशिक्षित संसाधन व्यक्ति नियुक्त करके संसाधन कक्ष तथा दिवस देखभाल केन्द्र चला रहा है। ❑ 40 शिक्षक शिशो सोरोथी, गुवाहाटी में विशेष शिक्षा पर आधार पाठ्यक्रम के अनुभव वाले लिए गए हैं।
20.	ओडीशा	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों को विशेष पुस्तकें, वर्दी आदि निःशुल्क दी जाती है। ❑ 2 घंटे की परीक्षा में 30 मिनटों का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ❑ दृष्टिबाधित/अल्प दृष्टिबाधित बच्चों को रीडर की सुविधा दी जाती है। ❑ 51,266 स्कूल बाधामुक्त हैं। ❑ 1,26,162 छात्र स्कूलों में नामांकित हैं, 3,194 निःशक्त छात्र गृह शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत तथा 5,748 निःशक्त छात्र विशेष स्कूलों में नामांकित हैं। ❑ 5 विशेष स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
21.	पंजाब	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ❑ 20320 स्कूल तथा कालिजों में से 18512 स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं तथा 6760 रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय से युक्त हैं। ❑ निःशक्त बच्चे छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। ❑ राज्य में निःशक्त बच्चों के लिए 04 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान तथा 470 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। ❑ राज्य के 216 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा है। श्रवण ह्रास से ग्रस्त बच्चों के लिए एक भाषा विकल्प का पाठ्यक्रम लागू है तथा बी.एस. के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। नेत्रहीन / कम दृष्टि छात्रों के लिए लिपिक / लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूल / कालिजों तथा राज्य चयन बोर्ड परीक्षाओं में निःशक्त बच्चों को लिखित परीक्षा में प्रति घंटा अतिरिक्त समय की भी अनुमति है।
22.	राजस्थान	गठित नहीं	गठित नहीं	❑ राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। निःशक्त बच्चों को दाखिले से मना न करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। ❑ 415 देखभाल प्रदाताओं द्वारा 48,081 निःशक्त बच्चों को स्कूलों में तथा 4854 को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। ❑ राज्य में 6 सरकारी, 22 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 6 प्राईवेट विशेष स्कूल हैं। ❑ राज्य के 7 जिलों में एक विशेष स्कूल चल रहा है। ❑ राजस्थान विश्व विद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तकनीकी शिक्षा बोर्ड तथा राजस्थान तकनीकी विश्व विद्यालय द्वारा प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाता है। ❑ नेत्रहीन / कम दृष्टि छात्रों को लिपिक भी प्रदान किया जाता है। ❑ 9 से 12वीं के छात्रों की आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत रु. 600/– प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ❑ राज्य में कुल 554 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। ❑ राज्य के 247 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एन.जी.ओ. के द्वारा एस.एस.ए. के अन्तर्गत सरकार द्वारा ब्रेल पुस्तकें, उपकरण तथा अन्य सामग्री वितरित की जा रही हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
23.	सिक्किम	गठित	गठित	❑ सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ❑ निःशुल्क विशेष पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा वर्दी देना। ❑ 2 सरकारी तथा एक सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल भी कार्य कर रहे हैं। राज्य के 28 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ❑ शिक्षा सहायता, विशेष शिक्षण सामग्री आदि देने के लिए सिक्किम विकलांग सहायता समिति चल रही है। ❑ अध्यापकों के लिए डाइट आधार पाठ्यक्रम के संचालन के लिए एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है। ❑ राज्य में 27 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। ❑ 33 निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई, जो रु. 500/– से रु. 6500/– की रेंज में है।
24.	तमिलनाडु	गठित	गठित	❑ राज्य में सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ राज्य में विविध रूप से सक्षम के लिए दो कालिज चल रहे हैं। ❑ गम्भीर निःशक्त बच्चों के लिए राज्य के सभी जिलों में 368 दिवस देखभाल केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से 7215 गम्भीर निःशक्त श्रेणी के बच्चे लाभान्वित हुए। निःशुल्क वाहन सुविधा, पौष्टिक आहार, क्रीड़ा सामग्री की आपूर्ति तथा वर्दी के लिए प्रावधान किया गया। ❑ 3,660 सी डब्ल्यू.एस.एन. को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई। ❑ राज्य के 32 जिलों में प्रत्येक में एक विशेष स्कूल चल रहा है। एन.जी.ओ. द्वारा संचालित स्कूलों सहित 55 विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित हैं। ❑ 23,453 निःशक्त बच्चे रु. 500/– से रु. 3500/– प्रतिवर्ष की रेंज में छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं तथा वी.एच. को रु. 1500/– से – 3000/– प्रतिवर्ष की रेंज में पठन भत्ता दिया जा रहा है। ❑ राज्य में निःशक्तता के प्रबंधन में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण के लिए 03 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आर.सी.आई. के अनुमोदन से, बी.एड. विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा के डिप्लोमा के 36 संस्थान चल रहे हैं। ❑ कुल 1889 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य संबंधित लेखन सामग्री प्रदान की गई। इसके साथ–साथ 1740 निःशक्त बच्चे राज्य सरकार से निर्मूल्य वर्दी भी प्राप्त कर रहे हैं।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
				❑ नेत्रहीन / कमदृष्टि तथा गम्भीर रूप से निःशक्त छात्रों को परीक्षा में लिखने के लिए लिपिक / लेखक दिया जाता है। कक्षा ग्प तथा आगे के नेत्रहीन / कम दृष्टि छात्रों को गणित नहीं दिया जाता। परीक्षा के दौरान निःशक्त बच्चों को एक घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा रही है। नार्मल बच्चों के बराबर लाने के लिए विषय को सीखने के लिए बच्चों को हर संभव सहायता दी जा रही है। श्रवण बाधित बच्चों को एक भाषा से छूट प्राप्त है।
25.	त्रिपुरा	गठित	गठित	❑ राज्य में निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। विशेष आवश्यकता वाले 3457 बचचे एस.एस.ए के अनतर्गत स्कूलों में तथा 491 निःशक्त बच्चे आई.ई.डी.एस.एस. के अन्तर्गत स्कूलों में नामांकित हैं। 8 विशेष शिक्षक एस.एस.ए के अनतर्गत व्यवस्थित हैं। ❑ सभी 04 जिलों में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए नार्मल स्कूल सुविधाओं से सज्जित है। गम्भीर निःशक्तता वाले 96 सी.डब्ल्यू.एस.एन. को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। ❑ मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रु. 3000/– प्रति वर्ष, प्रति निःशक्त छात्रवृत्ति दी गई। राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे को छात्रवृत्ति के समक्ष रु. 600/– प्रति वर्ष, प्रति बच्चा प्रदान कर रही है। ❑ वी.एच./ कम दृष्टि बच्चों के लिए गणितीय प्रश्न हटाकर परीक्षा पद्ध ति संशोधित की गई है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है तथा एक भाषा का विकल्प भी लागू किया गया है। वी.एच./कम दृष्टि छात्रों की लिपिक प्रदान किया जा रहा है ततथा लिखित परीक्षा में निःशक्त बच्चों के अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। ❑ विशेष आवश्यकता वाले 100 बच्चों को वाहन भत्ता प्रदान किया गया है।
26.	उत्तराखंड	गठित	गठित	❑ राज्य में विभिन्न स्कूलों में 19,723 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। ❑ राज्य के 5 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। राज्य में 15 गैर सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं। ❑ राज्य के विभिन्न स्कूलों में 19,357 विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। ❑ रु. 50/– प्रतिमाह से रु. 170/– प्रति माह की रेंज में निःशक्त बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। ❑ वर्ष 2011–12 में छात्रवृत्ति के रूप में 2583 निःशक्त बच्चों को रु. 37.72 लाख वितरित किए गए।

क्र. सं.	राज्य	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
27.	उत्तर प्रदेश	गठित	गठित	❑ राज्य में निःशक्त बचचों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। ❑ यहां 21 सरकारी तथा 105 सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूल हैं। राज्य के 34 जिलों में प्रत्येक में एक विशेष स्कूल चल रहा है। ❑ विकलांग कल्याण विभाग के अन्तर्गत 21 स्कूल तथा 09 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। ❑ निःशक्त छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाती है। ❑ विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता पूर्ण प्रशिक्षण के लिए 02 सरकारी तथा 07 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। ❑ एस.एस.ए. के अन्तर्गत राज्य के सभी ब्लाकों में अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ❑ स्करी विशेष स्कूलों में निःशक्त बच्चों के लिए विशेष पुस्तकों तथा आवश्यक उपकरणों की सुविधा 1083 निःशक्त बच्चों को उपलब्ध है। ❑ नेत्रहीन / कम दृष्टि बच्चों के लाभ के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। पाठ्यक्रम भी संशोधित किया गया है, जो निःशक्त बच्चों की आवश्यकता के अनुकूल हैं। नेत्रहीन / कम दृष्टि तथा अन्य निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिपिक / लेखक सुनिश्चित किया जा रहा है। निःशक्त बच्चों को परीक्षा में लिखने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है।
28.	पश्चिम बंगाल	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों को बड़े पैमाने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध है। राज्य के सभी 19 जिलों में कम से कम एक विशेष स्कूल चल रहा है। जहां 9500 निःशक्त बच्चे पढ़ रहे हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा अध्ययन सामग्री दी जा रही है। ❑ कक्षा टप्प् तक के निःशक्त बच्चों की रु. 300/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति, रु. 100/– प्रतिमाह की दर से अध्ययन भत्ता वी.एच. के लिए, रु. 150/– प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता एच.एच. तथा वी.एच. के लिए तथा निःशक्त बच्चों के सीखने के लिए शिक्षण सामग्री के समक्ष रु. 500/– प्रतिवर्ष दिए गए। ❑ नेत्रहीन / कम दृष्टि तथा गम्भीर रूप से निःशक्त छात्रों की परीक्षा में लिखने के लिए लिपिक / लेखक प्रदान किया जा रहा है। उनकी परीक्षा के दौरान निःशक्त छात्राों को एक घंटा अतिक्ति समय की अनुमति दी जा रही है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक भाषा की छूट दी गई है।

क्र. सं.	संघ	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	आवश्यक नहीं	–	❑ शिक्षा के लिए सुविधाओं से सज्जित सभी तीन जिलों में 151 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। ❑ निःशक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना विद्यमान है। ❑ नए सहायक कौशल विकास, शिक्षण सहायता, विशेष शिक्षण सामग्री आदि के अनुसंधान के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 146 सरकारी, 02 सरकारी सहायता प्राप्त तथा 03 प्राइवेट संस्थान स्थापित हैं। ❑ प्रशासन आधार पाठ्यक्रम चलाने के लिए आर.सी.आई. के सहयोग से इग्नू का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने जा रहा है। ❑ 22 विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं। सभी 9 ब्लाकों में बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। ❑ सभी 781 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क विशेष पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए। ❑ निःशक्त बच्चों के अनुकूल पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है। ❑ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वाहन भत्ता / अनुरक्षण भत्ता तथा निशुल्क बस पास उपलब्ध कराए गए। ❑ नेत्रहीन / कम दृष्टि छात्रों को परीक्षा में लिखने के लिए लिपिक / लेखक तथा प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया गया।
2.	चंडीगढ़	आवश्यकता नहीं	गठित	❑ लड़कियों के लिए +2 स्तर तक तथा लड़कों के लिए 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा है। ❑ मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्ति को सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। ❑ रु. 50/– से रु. 500/– तक छात्रवृत्ति दी जाती है। ❑ 4 कालिजों तथा 35 स्कूलों में रैम्प लगे हैं।
3.	दादर तथा नगर हवेली	आवश्यकता नहीं	कोई सूचना नहीं	❑ उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा / पुस्तकें, साधन सामग्री, मध्याहन भोजन आदि भी दिए जाते हैं। ❑ कम संख्या होने तथा निःशक्त बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए जनशक्ति के उपलब्ध न होने के कारण अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं हुआ।
4.	दमन एवं द्वीप	आवश्यकता नहीं	कोई सूचना नहीं	

क्र. सं.	संघ	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
5.	दिल्ली	गठित	गठित	❑ निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ❑ सभी सरकारी स्कूलों ने अपने भवन निःशक्त जनों के लिए सुगमनीय बनाए हैं। ❑ निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, शिक्षा सामग्री, वर्दियां, सहायता, साधन सामग्री प्रदान की जा रही हैं। ❑ निःशक्त जनों के लिए लचीले पाठ्यक्रम के डिजाइन का कार्य एस.जी.ई.आर.टी. को सौपा गया है। ❑ नेत्रहीन छात्रों को लिपिक / लेखक दिया गया है। ❑ स्कूलों में निःशक्त जनों को लिखित परीक्षा में प्रति घंटा अतिरिक्त समय की अनुमति दी गई है। ❑ स्कूलों में पढ़ रहे 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को कुल सं. 35,264 है। ❑ निःशक्त बच्चों को रु 600/– प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है, निःशक्त बालिकाओं को रु. 200/–प्रति मास अतिरिक्त दिए जाते हैं। ❑ नेत्रहीन तथा कम दृष्टि छात्रों के लाभ के लिए आई.सी.टी. संसाधनों के अतिरिक्त, दो स्कूलों, नामतः शहीद हेमू कलोनी, एस.बी.वी., लाजपत नगर तथा एस.बी.वी., झांसी रोड में जाब्स तथा खुली पुस्तकें रखी गई हैं। ❑ दिल्ली विश्वविद्यालय के समान अवसर प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालय स्तर पर निःशक्त छात्रों के संस्थापन के लिए उपाय प्रारंभ किए हैं। ❑ निःशक्त बच्चों के लिए गणितीय प्रश्न हटाए गए हैं। निःशक्त बच्चों के लिए लचीला पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है। कक्षा टप्प् तक के श्रवण बाधित छात्रों के लिए एक भाषा की छूट लागू हैं। ❑ गम्भीर निःशक्तओं के मामले में वाहन सहायता के लिए शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त छात्र समविष्ट हैं।
6.	लक्षद्वीप	आवश्यकता नहीं		❑ निःशक्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा विशेष पुस्तकें, वर्दी आदि निःशुल्क दी जाती हैं।
7.	पुडुचेरी	आवश्यकता नहीं	गठित अवधि समाप्त होने के कारण कार्यरत नहीं।	❑ सभी निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ❑ स्कूलों में पढ़ रहे निःशक्त बच्चों की सं. ..... ❖ विशेष स्कूलों में नेत्रहीन / कम दृष्टि – 826 ❖ नियमित स्कूलों में चलन निःशक्त–532 ❖ विशेष स्कूल में एम.आर–222 ❖ वाक् तथा एच.आई नियमित स्कूल 138 तथा विशेष स्कूल में 254

क्र. सं.	संघ	धारा 13 से 18 राज्य समन्वय समिति	धारा 19 से 21 राज्य कार्यपालक समिति	(धारा 26 से 31) शिक्षा
				❑ 06 विशेष तथा नार्मल स्कूल व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं से सज्जित है। ❑ 450 स्कूल तथा कालिजों में से 212 स्कूल स्थापत्य कला की दृष्टि से बाधामुक्त हैं। 5 स्कूल तथा कालिजों में रैम्प तथा सुगमनीय शौचालय आदि हैं। ❑ 280 निःशक्त छात्र रु. 250/– प्रति माह से रु. 1700/– तक की रेंज में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। ❑ संघ क्षेत्र में निःशक्त बच्चों के लिए 12 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं। 2 ब्लाकों में निःशक्त बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। 2013 निःशक्त बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें तथा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। ❑ वी.एच. / कम दृष्टि बच्चों के लिए गणितीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पद्धति संशोधित की गई है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रतिबंधित तथा एक भाषा विकल्प भी प्रभावी किया गया है। वी.एच. / निम्न दृष्टि छात्रों को लिपिक प्रदान किया जा रहा है। निःशक्त छात्रों को स्कूलों / कालिजों में लिखित परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जा रहा है।

* पिछली रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित

तालिका–2 /kkjk 32 l: 41

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में ३ प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' तथा 'डी' में 766 पद चिन्हित	3 प्रतिशत आरक्षण का सख्ती से पालन किया रहा है	निःशक्त व्यक्तियों के हित के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत निधि आरक्षित है।	बेरोजगार निःशक्त जनों को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	भारत सरकार द्वारा चिन्हित के रूप में चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची को अपनाया है।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्तजनों के लिए उपलब्ध है।	3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।	–
3.	असम	वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में 506 पद चिन्हित किए गए हैं।	शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	निःशक्तों के लाभ के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आरक्षण नीति कार्यान्वित की जा रही है।	
4.	बिहार	वर्ग 'सी' तथा 'डी' में 26 पद चिन्हित किए गए हैं।	शिक्षा संस्थानों में निःशक्त जनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है।	3 प्रतिशत आरक्षण निःशक्त जनों के लिए गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	
5.	छत्तीसगढ़	वर्ग 'बी', 'सी' और 'डी' में पद 3062 पद चिन्हित किए गए हैं।	शिक्षा संस्थानों तथा कालेजों में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	निःशक्तजनों के लिए सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण हैं	
6.	गोवा*	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	सभी पेशेवर डिग्री और डिप्लोमा कोर्सो में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान है।	यदि वेतन रु. 5000/– प्रतिमाह है तो रु. 500/– और यदि वेतन रु. 2000/– से 5000/– के बीच है रु. 250/– प्रोत्साहन के रूप में। उस सर्वेश्रेष्ठ नियोक्ता को रु. 25000/– का पुरस्कार दिया जाता है, जो अपने संगठन में अधिकतम निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्त करता है।

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में ३ प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
7.	गुजरात*	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।	3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।	
8.	हरियाणा	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	आरक्षण नीति कार्यान्वित की जा रही है।	3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।	संस्थापन पुरस्कार योजना मौजूद है।
9.	हिमाचल प्रदेश	वर्ग 'ए', 'बी', 'सी' और 'डी' में पद चिन्हित किए गए।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए।	आई.आर.डी.पी., जी.के. वाई., एस.जे.वाई., आई.ए.वाई., सुलभ में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	
10.	जम्मू–कश्मीर	97 राजपत्रित और 715 अराजपत्रित पद चिन्हित।	योजना विद्यमान है।	3 प्रतिशत आरक्षण के लिए निर्देश जारी।	–
11.	झारखण्ड	वर्ग ए, बी, सी और डी में पद चिन्हित किए गए।	सरकारी संस्थान प्रवेश में आरक्षण दे रहे हैं।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।	उन नियोक्तताओं को प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जो अपने कर्मचारियों में कम से कम 5 प्रतिशत निःशक्त जनों को शामिल करते हैं।
12.	कर्नाटक	वर्ग ए, बी में पद चिन्हित किए गए।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण के लिए आदेश जारी किए गए।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।	–
13.	केरल*	वर्ग ι और ιι में ιιι और प्ट में पद निःशक्तजनों के लिए चिन्हित किए गए।	शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रतिशत स्थान सीटें आरक्षित हैं। तकनीकी हाई स्कूलों में, 5 प्रतिशत स्थान ओ.एच. विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए आवंटित कुल बजट का 3 प्रतिशत विकलांग जनों के लिए सुरक्षित किया गया है।	कुशल विकलांग कर्मचारियों को बड़ी संख्या में विकलांगजनों को रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं और संस्थानों के लिए राज्य सरकार पुरस्कार।
14.	मध्य प्रदेश	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	राज्य में सभी संस्थानों में।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।	–

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में ३ प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
15.	महाराष्ट्र	वर्ग ए, बी, सी और डी में।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित है।	ग्रीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।	पुरस्कार योजना मौजूद है।
16.	मणिपुर*	वर्ग 3 और 4 पदों के लिए नौकरियां चिन्हित। वर्ग 1 और 2 के लिए पहचान की प्रक्रिया चल रही है।	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण।	20.07.2005 को अधि ासूचना जारी।	–
17.	मिजोरम	वर्ग ए, बी, सी तथा डी 873 पद चिन्हित हैं।	सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे पॉलीटैक्नीक सहित स्कूलों और कॉलेजों में 3 प्रतिशत आरक्षण अधिसूचित।	–	–
18.	मेघालय	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण विद्यमान है।	–
19.	नागालैंड	वर्ग ए, बी, सी और डी में पद चिन्हित।	3 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण निःशक्तजनों के लिए मौजूद है।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण योजना मौजूद है।	
20.	उड़ीसा	चिन्हित पदों की संख्या 603 है जिसमें 12 पद वर्ग ए में, 54 पद वर्ग बी में, 422 पद वर्ग सी में तथा 115 पद वर्ग डी में शामिल हैं।	सामान्य तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।	3 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रावधान मौजूद है।	
21.	पंजाब	ए, बी, सी और डी वर्ग में पद चिन्हित।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण हैं।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।	
22.	राजस्थान	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सूची अपनाई गई है।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	3 प्रतिशत आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं में है।	

क्र. सं.	राज्य	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में ३ प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
23.	सिक्किम	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	3 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण शिक्षा संस्थानों में किया गया।	–	योजना मौजूद है।
24.	तमिलनाडु	117 पद ग्रुप ए एवं बी में चिन्हित तथा सी और डी में सभी पद।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	सभी जिला कलैक्टरों द्व ारा एस.जी.एस.वाई. तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत निःशक्त जनों को सहायता प्रदान की गई।	राज्य सरकार की नीति के अनुसार निजी उद्यमियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय निःशक्तों को श्रमबल में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में परिच्छेद को शामिल किया जाना चाहिए।
25.	त्रिपुरा	वर्ग सी तथा डी में पद चिन्हित।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण हैं।	सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।	मौजूद है।
26.	उत्तराखंड	पद चिन्हित	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	ए, बी, सी तथा डी सभी वर्गों में 585 पद चिन्हित।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण।	आवश्यक अनुदेश जारी किए गए।	मौजूद है।
28.	पश्चिम बंगाल	सभी वर्गों में पद चिन्हित।	सभी शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण मौजूद है।	सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के लिए राज्य पुरस्कार योजना।

संघ क्षेत्र

क्र. सं.	संघ	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में ३ प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	पदों की पहचान के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी किए।	मौजूद है।	वित्तीय सहायता दी गई है।	–
2.	चंडीगढ़	भारत सरकार द्वारा चिन्हित पदों की केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	शिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण मौजूद है।	आदेश जारी।

क्र. सं.	संघ	धारा 32 पद चिन्हित	धारा 39 शिक्षा संस्थानों में आरक्षण	धारा 40 गरीबी उन्मूलन में ३ प्रतिशत आरक्षण	धारा 4 प्रोत्साहन योजना
3.	दादरा एवं नगर हवेली*	15 रिक्तियां चिन्हित की गईं।	शिक्षा विभाग द्वारा उचित आरक्षण प्रदान किया जाता है।	ऋण स्वीकृत किए गए हैं।	कोई प्रोत्साहन योजना मौजूद नहीं है।
4.	दमन एवं दीव*	अभी तक चिन्हित नहीं।	मौजूद है।	अनुदेश जारी	अभी योजनाएं तैयार की जानी हैं।
5.	दिल्ली	भारत सरकार द्वारा निःशक्त जनों के लिए अधिसूचित के अवसर चिन्हित पदों की सूची को अपनाया गया है।	सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों तथा कालेजों में 3 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।		निःशक्त जनों को कम से कम 5 प्रतिशत रोजगार देने वाले सार्वजनिक / निजि नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार की योजना है।
6.	लक्षद्वीप	वर्ग ए., बी., सी. और डी. में चिन्हित पद 117	–	गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 3 प्रतिशत आरक्षण है।	–
7.	पुडुचेरी	केन्द्रीय सूची अपनाई गई।	3 प्रतिशत आरक्षण मौजूद।	3 प्रतिशत आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजनाओं में है।।	–

* पिछली रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित

तालिका–3 /kkjk 43 l: 60

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45-46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	निःशक्तों के लिए आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में 2 प्रतिशत कोटा तथा भवन स्थल में 3 प्रतिशत आरक्षण।	भवन उपनियम संशोधित किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
2.	अरुणाचल प्रदेश	संबंधित विभागों को अनुदेश जारी किए गए।	संबंधित प्राधिकरणों को अनुदेश जारी किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)।
3.	असम	निःशक्त जनों को प्राथमिकता के आधार पर अधिमूल्य (25 प्रतिशत) की रियायती दर पर भूमि आवंटन की अधिसूचना जारी की गई।	नए सार्वजनिक भवनों को बाधामुक्त रूपक के अनिवार्य प्रावधान करने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)।
4.	बिहार	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)।

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45-46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
5.	छत्तीसगढ़	योजना मौजूद है।	कुछ सार्वजनिक भवन बाधामुक्त बनाए गए हैं।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
6.	गोवा*	सभी उद्देश्यों के लिए भूमि का 3 प्रतिशत आरक्षण।	परिवहन के आकार सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थान बाधामुक्त हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
7.	गुजरात*	प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है और वित्तीय सहायता दी जाती है।	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
8.	हरियाणा	योजना मौजूद है।	निःशक्त जनों को बाधामुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार 23.11.2011 को त्यागपत्र)
9.	हिमाचल प्रदेश	3 प्रतिशत केवल आवास तथा फैक्टरी में।	उपनियम संशोधित।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
10.	जम्मू–कश्मीर	–	प्रक्रियाधीन	–	–
11.	झारखण्ड	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
12.	कर्नाटक	योजना मौजूद है।	राज्य में निःशक्तों के लिए सुगमनीय बसों / बैसल्स की सं. 198, राज्य में लाल बत्तियों पर श्रवण संकेतों की सं. 37, राज्य में सड़क तथा पटरियां सुगमनीय हैं। अवधि के दौरान संचालित एक्सेस आडिट की सं. 42, सुगम्य जांच में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं. 4, परीक्षित भवनों / सार्वजनिक स्थानों की सं. 42।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
13.	केरल*	आवास में 1 प्रतिशत, सभी स्थानीय स्वायत सरकारी निकायों को निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के निर्देश देते हुए परिपत्र जारी किया गया है।	मौजूदा ढांचों और नए सरकारी भवनों में आवश्यक परिवर्तन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45-46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
14.	मध्य प्रदेश	केवल व्यवसाय स्थापित करने के लिए योजना मौजूद है।	नई सरकारी इमारतों की भवन निर्माण योजनाओं को तभी पारित किया जाएगा जब उनकी संरचना में निःशक्तजनों के अनुकूल आवश्यक सुविधाएं होंगी।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
15.	महाराष्ट्र	योजना मौजूद है।	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)
16.	मणिपुर*	–	–	नियुक्त	नियुक्त
17.	मिजोरम	योजना मौजूद है।	ओ.पी.डी., सिविल अस्पताल आइजोल तथा लंगलैई, नए सचिवालय भवन का प्रवेश द्वार, नई राज्य लाइब्रेरी, एम.एल.ए. एनेक्सी, 857 स्कूलों में रैम्प लगे हैं। 1217 स्कूलों में बाधामुक्त शौचालय बनाए गए हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
18.	मेघालय	मामले को जिला परिषद् प्राधिकरणों के साथ उठाया गया।	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
19.	नागालैंड	–	भवन निर्माण उपनियम में संशोधित किए जा रहे हैं। लगभग सभी सरकारी भवन, विश्राम गृह बाधा रहित हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
20.	उड़ीसा	योजना मौजूद है।	क्लैक्टेट और राज्य सचिवालयों आदि में रैंप बनाए गए। प्राथमिक स्कूलों में 288 रैंप और 33 हैंडरेलों का निर्माण किया गया। भवन निर्माण दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं।	नियुक्त	नियुक्त (स्वतंत्र प्रभार)

क्र. सं.	राज्य	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45-46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
21.	पंजाब	निःशक्तजन अधिनियम में किए गए संकेत के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।	राज्य में सुगम्य सड़कों तथा फुटपाथों की सं. 23	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
22.	राजस्थान	योजना मौजूद है।	सरकारी / निगमों, बोर्डों / स्थानीय स्वायत्त प्राधिकरणों की सभी नए भवनों में रैम्प अनिवार्य बनाने के आदेश जारी। राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक भवनों में रैम्प बनाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन किया है।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
23.	सिक्किम	व्यवसाय खड़ा करने, विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।	सरकारी भवनों में निःशक्त जनों के लिए बाधारहित सुगमनीयता निश्चित की गई।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
24.	तमिलनाडु	निःशक्त जन अधिनियम में दिए गए सुझाव के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन योजना मौजूद है।	दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
25.	त्रिपुरा	विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
26.	उत्तराखंड	घर बनाने तथा व्यवसाय खड़ा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन की योजना उपलब्ध है।	–	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
27.	उत्तर प्रदेश	योजना विद्यमान है।	दिशा निर्देश जारी	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
28.	पश्चिम बंगाल	तैयार रूप में उपलब्ध नहीं	तैयार रूप में उपलब्ध नहीं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)

संघ क्षेत्र

क्र. सं.	संघ	धारा 43 प्राथमिकता के आधार पर भू आवंटन	धारा 45-46 बाधा मुक्त	धारा 50 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति	धारा 60 आयुक्त की नियुक्ति
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	निर्देश दिए गए।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
2.	चंडीगढ़	''निशक्त जन योजना, 2009 के लिए सादा बूथ स्थल / बूथ बनाने की अनुज्ञप्ति'' नामक एक विशेष योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत आरक्षण।	भवन निर्माण विभाग को कदम उठाने, के अनुदेश दिए गए। अनेक सरकारी इमारतों में बाध ाारहित सुविधाएं उपलब्ध हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)
3.	दादरा एवं नगर हवेली*	योजना विद्यमान है।	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त
4.	दमन एवं दीव*	प्रक्रियाधीन	उपनियम संशोधित / दिशा निर्देश जारी।	नियुक्त	नियुक्त
5.	दिल्ली	योजना मौजूद है।	विभिन्न सार्वजनिक स्थलों को बाधा रहित बनाया गया।	नियुक्त	पद रिक्त
6.	लक्षद्वीप	भू क्षेत्र बहुत छोटा है।	अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैंप आदि की व्यवस्था की गई है। इस संघ क्षेत्र में कोई प्रमुख सड़क/सार्वजनिक सड़क वाहन/रेलवे स्टेशन आदि नहीं है। शिपों में उपयुक्त रूप से सुविधाएं दी गई हैं।	नियुक्त	नियुक्त
7.	पुडुचेरी	योजना मौजूद है।	सड़कें तथा खडंजें सुगमनीय हैं।	नियुक्त	नियुक्त (अतिरिक्त प्रभार)

* पिछली रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित

तालिका–4 /kkjk 67 l: 73

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 निःशक्तता पेंशन
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	–	आयु का विचार किए बिना दिनांक 01.11.08 से निःशक्तता पेंशन बढ़ाकर 500/– रु. प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कर दी गई है। इससे 8,35.099 लाभार्थियों को लाभ हुआ।
2.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	–	100 प्रतिशत निःशक्ता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रु. 500/– प्रतिमाह।
3.	असम	नहीं	5460 लाभार्थियों को रु. 500/– प्रतिमास दिया गया।	कोई योजना नहीं।
4.	बिहार	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	–	आवंटित निधि रु. 5278 लाख लाभार्थी 3,11,000
5.	छत्तीसगढ़	कोई अलग बीमा योजना उपलब्ध नहीं है।	कोई योजना अस्तित्व में नहीं।	निधि आबंटित रु. 536.83 लाख लाभार्थी 30,267
6.	गोवा*	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए निःशक्त व्यक्तियों सहित।	–	रु. 1000/– प्रतिमाह
7.	गुजरात*	एक लाख रुपये से कम आय वाले निःशक्तजनों को राज्य द्वारा प्रीमियम भुगतान करके शामिल किया जा रहा है।	संत सूरदास योजना बेरोजगारी भत्ते का विकल्प है। चूंकि ऐसी योजना अस्तित्व में नहीं और न ही निकट भविष्य में प्रारंभ किये जाने की संभावना है।	संत सूरदास योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले निःशक्त जनों को 45 वर्ष की आयु तक रु. 200/– और 45 वर्ष की आयु के बाद रु. 400/–।
8.	हरियाणा	सरकार ने योजना अधिसूचना संख्या 16/6/84–3 जी.एस. II दिनांक 20.08.1985 के द्वारा अधिसूचित की है।	आवंटित निधि रु. 105.04 लाख, लाभार्थी– 1,500	आवंटित निधि रु. 9181.87 लाख, लाभार्थी 1,36,137
9.	हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिएं	निःशक्तता पुनर्वास भत्ता निःशक्त जनों को रु. 400/– की दर से दिया गया।	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	रु. 300 मनी आर्डर द्वारा।

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 निःशक्तता पेंशन
11.	झारखण्ड	–	–	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रु. 400/– प्रतिमाह का प्रोत्साहन भत्ता।
12.	कर्नाटक	कर्नाटक सरकार के बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल। मानसिक मंदता ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों के लिए बीमा सुरक्षा मौजूद है।	–	आर्थिक रूप से पिछड़े 75 प्रतिशत तक निःशक्तता वाले व्यक्तियों वाले व्यक्तियों को 400/– रु. और आर्थिक रूप से पिछड़े 75 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों को 1000/– रु. प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
13.	केरल*	विकलांगजनों के लिए अलग से कोई योजना नहीं।	रु. 1000/– प्रति माह	रु. 250/– प्रतिमाह
14.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	–	रु. 200/– प्रतिमाह लाभार्थी–1,40,654
15.	महाराष्ट्र	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	–	बैंकों के माध्यम से संजय गांधी निराधार योजना के अंतर्गत 250/– रु. की पेशन दी जाती हैं (एक परिवार में एक से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होने पर परिवार के दो विकलांग जनों के लिए 500/– रु. की दर से और दो से अधिक विकलांग जनों के लिए 625/– की दर से पेंशन प्रदान की जाती है।
16.	मणिपुर*	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है।	बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की योजना अगस्त, 2006 से प्रारंभ की गई थी और भत्ते की दर 100 से 200 रु. प्रतिमाह के बीच है। वर्ष 2008–09 के दौरान 351 निःशक्त जनों को लाभ मिला।	1000/– रु. की प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता।
17.	मिजोरम	–	250/– रु. प्रतिमाह, लाभार्थी–25	रु. 250/– लाभार्थी–200

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 निःशक्तता पेंशन
18.	मेघालय	ऐसी कोई योजना नहीं है।	आबंटित निधि रु. 6.00 लाख, लाभार्थी–45	–
19.	नागालैंड	–	–	रु. 200/– प्रतिमाह लाभार्थी–1232
20.	उड़ीसा	–	–	200/– रु. प्रतिमाह की पेंशन / आजीविका भत्ता।
21.	पंजाब	निःशक्तजनों के लिए ऐसी कोई बीमा योजना नहीं है।	40 प्रतिशत निःशक्तता वाले नेत्रहीन, बधिर तथा मूक व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर – मैट्रिक तथा स्नातक से नीचे रु. 450/– प्रतिमाह, स्नातक तथा उच्च स्नातक रु. 600/– प्रतिमाह शारीरिक रूप से विकलांग – मैट्रिक तथा स्नातक से कम रु. 225/– प्रतिमाह, स्नातक तथा स्नातकोत्तर रु. 300/– प्रतिमाह।	आवंटित निधि रु. 3427.24 लाख, लाभार्थी–1,39,508
22.	राजस्थान	निःशक्तजनों सहित सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	कौशल विकास कार्यक्रम को अक्षत कौशल योजना में बदलने की कोई योजना नहीं है।	रु. 500/– प्रतिमाह की दर से निधि आवंटित रु. 6190.87 लाख लाभार्थी–1,30,781
23.	सिक्किम	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	निःशक्तजनों को बेरोजगारी भत्ता एस.ए.ओ. के रूप में रु. 50/– प्रतिमाह की दर से दिया जा रहा है।	रु. 600/– प्रतिमाह की दर से। लाभार्थी–586
24.	तमिलनाडु	मानसिक मंदता, स्पास्टिसिटी, आटिज्म एवं बहुअपंगता से ग्रस्त व्यक्ति राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रारंभ निर्माया योजना के अन्तर्गत आते हैं।	आवंटित निधि–9,09,94,200/– लाभार्थी–22,235	आवंटित निधि–9637.22 लाख लाभार्थी–89,381
25.	त्रिपुरा	वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण लागू नहीं।	रु. 1000/– प्रतिमाह नेत्रहीन व्यक्तियों को, रु. 300/–, 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर।	80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगजनों को रु. 400/– प्रतिमाह

क्र. सं.	राज्य	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 निःशक्तता पेंशन
26.	उत्तराखण्ड	सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना मौजूद है।	–	रु. 600/– प्रतिमाह
27.	उत्तर प्रदेश	सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना मौजूद है।	बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।	रु. 300/– प्रतिमाह लाभार्थी–7,17,381
28.	पश्चिम बंगाल	जी.आई.एस.एस. के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए।	कोई योजना नहीं।	रु. 400/– प्रतिमाह।

क्र. सं.	संघ	धारा 67 बीमा	धारा 68 बेरोजगारी भत्ता	धारा 68 निःशक्तता पेंशन
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	रु. 400 प्रतिमाह और स्वरोजगार उद्यम के लिए एकमुश्त अनुदान रु. 3000/– की दर से (3 वर्ष में एक बार)	रु. 500/– प्रतिमाह
2.	चंडीगढ़	–	योग्यता के आधार पर रु. 150–400/– तक दिया जाता है।	रु. 500/– प्रतिमाह
3.	दादरा और नगर हवेली*	–	–	रु. 60/– प्रतिमाह
4.	दमन और दीव*	प्रक्रियाधीन	–	रु. 60/– प्रतिमाह
5.	दिल्ली	कोई सूचना नहीं।	रु. 1000/– प्रतिमाह की दर से अप्रैल, 2008 से लागू है।	निधि आबंटित रु. 17.90 करोड़ लाभार्थी 16356। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांगजनों के लिए 1000/– रु. प्रतिमाह की दर पर (वृद्धावस्था पेंशन योजना)
6.	लक्षद्वीप	द्वीप सुरक्षा सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकार के कर्मचारी सी.जी.ई.आई.एस. के अन्तर्गत आते हैं।	बेरोजगारी भत्ते की कोई योजना नहीं है।	रु. 500/– प्रतिमाह
7.	पुडुचेरी	निःशक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना के अन्तर्गत 308 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।	शैक्षिक योग्यता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता इस प्रकार प्रदान किया जा रहा है उच्चतर माध्यमिक–रु.200/– रु., स्नातक से नीचे–रु.. 300/– स्नातकोत्तर –500/–	आवंटित निधि–2674 लाख लाभार्थी–20,952

* पिछली रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित

परिशिष्ट II

राज्यों / संघ क्षेत्रों से निःशक्तता प्रमाण–पत्र जारी करने के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ	जनगणना २००१ के अनुसार निःशक्तजनों की कुल आबादी	जारी किए गए निःशक्तता प्रमाण–पत्र		जारी नहीं किए गए निशक्तता प्रमाण–पत्र	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	1364981	935870	68.56	429171	31.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	33315	1,994	5.99	31.321	94.01
3.	असम	530300	118233	22.30	412067	77.70
4.	बिहार	1887611	32,3000	17.11	1564611	82.89
5.	छत्तीसगढ़	419887	202,543	48.24	217,344	51.76
6.	दिल्ली	235886	24035	10.19	211851	81.81
7.	गोवा	15749	14,009	88.95	1740	11.05
8.	गुजरात	1045465	265279	25.37	780186	74.63
9.	हरियाणा	455040	290.942	63.94	164098	36.06
10.	हिमाचल प्रदेश	66932	61179	91.40	5753	8.60
11.	जम्मू और कश्मीर	302670	117676	38.88	184994	61.12
12.	झारखंड	448377	332822	74.22	115555	25.78
13.	कर्नाटक	940643	604136	64.23	336507	35.77
14.	केरल	860794	188451	21.89	672343	78.11

क्र. सं.	राज्य/संघ	जनगणना २००१ के अनुसार निःशक्तजनों की कुल आबादी	जारी किए गए निःशक्तता प्रमाण-पत्र		जारी नहीं किए गए निशक्तता प्रमाण-पत्र	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
15.	मध्य प्रदेश	1408528	646898	45.93	761630	54.07
16.	महाराष्ट्र	1569582	691358	44.05	878224	55.95
17.	मणिपुर	28376	7423	26.16	20953	73.84
18.	मिजोरम	16011	7685	48.00	8326	52.00
19.	मेघालय	28803	21251	73.78	7225	26.22
20.	नागालैंड	26499	1532	5.78	24967	94.22
21.	उड़ीसा	1021335	452112	44.27	569223	55.73
22.	पंजाब	424523	297000	69.96	127523	30.04
23.	राजस्थान	1411979	293000	20.75	1118979	79.25
24.	सिक्किम	20367	8.052	38.53	12315	60.47
25.	तमिलनाडु	1642497	852555	51.91	789942	48.09
26.	त्रिपुरा	58940	61011	100.00	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	3453369	1253134	36.29	2200235	63.71
28.	उत्तराखंड	194769	69146	35.50	125623	64.50
29.	पश्चिम बंगाल	1847174	770087	41.69	1077087	58.31
30.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	7057	6081	86.17	976	13.83
31.	चंडीगढ़	15538	8941	57.54	6597	42.46
32.	दमन और दीव	3171	36	1.13	3138	98.87
33.	दादरा और नगर हवेली	4048	537	13.27	3511	86.73
34.	लक्षद्वीप	1678	680	40.52	998	59.48
35.	पुड्डुचेरी	25857	22502	87.02	3355	12.98
	योग	21630293	9118808	42.16	12511485	57.84

परिशिष्ट III

राज्य / संघ क्षेत्रों में निःशक्तजनों के लिए पेंशन योजनाएं

क्र सं	राज्य	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	हाँ	रु. 500/– प्रतिमास	–	01.11.2008 से प्रभावी
2.	अरुणाचल प्रदेश	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह	100 प्रतिशत निःशक्तों के लिए	–
3.	असम	नहीं	–	–	–
4.	बिहार	हाँ	रु. 100/– प्रतिमाह	गरीबी रेखा से नीचे वाले निःशक्तजन	–
5.	छत्तीसगढ़	हाँ	रु. 150/–प्रतिमाह	–	
6.	गोवा*	हाँ	रु. 1000/– प्रतिमाह	1. चलन निःशक्तता 2. वाक/ श्रवण बाधित 3. दृष्टिबाधित 4. मानसिक मंदन ग्रस्त, 5. मानसिक रोगी	
7.	गुजरात*	हाँ	रु. 200/– प्रति माह 17 वर्ष तक की उम्र वाले व्यक्ति को एवं रु. 400/– प्रतिमाह 18 से 64 वर्ष वाले व्यक्ति को।	80 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता	आई.जी.एन.डी.पी. के अन्तर्गत

क्र सं	राज्य	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
8.	हरियाणा	हाँ	रु. 400/– प्रतिमास	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश*	हाँ	रु. 400/– प्रतिमाह निःशक्तता पुनर्वास भत्ता' योजना के अन्तर्गत	निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक। स्वयं की आय रु. 6,000/– प्रतिवर्ष, परिवार की आय रु. 11,000/– से अधिक न हो।	–
10.	जम्मू और कश्मीर	हाँ	रु. 300/– प्रतिमाह	केवल 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति ही पेंशन के लिए विचारणीय	मनीआर्डर के माध्यम से भुगतान
11.	झारखंड	हाँ	रु. 400/– प्रतिमाह	–	प्रोत्साहन भत्ते के रूप में
12.	कर्नाटक	हाँ	रु. 400/– प्रतिमाह, रु. 1,000/– प्रतिमाह	40 से 74 प्रतिशत निःशक्त, 75 प्रतिशत से अधिक निःशक्त	–
13.	केरल*	हाँ	रु. 250/– प्रति माह	40 प्रतिशत या उससे ऊपर निःशक्तता	–
14.	मध्य प्रदेश	हाँ	रु. 200/– प्रतिमाह	–	–
15.	महाराष्ट्र	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह रु. 750/– प्रतिमाह	एक परिवार में एक से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, रु. 500/– की दर से, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए रु. 750/– पेंशन दी जाती है।	बैंकों द्वारा संजय गांधी निराधार योजना के अन्तर्गत पेंशन।
16.	मणिपुर*	हाँ	रु. 100/– से रु. 200/– प्रतिमाह		–
17.	मिजोरम	हाँ	रु. 250/– प्रतिमाह	–	–
18.	मेघालय	नहीं	रु. 500/– प्रतिमाह	–	मुख्यमंत्री निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत

क्र सं	राज्य	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
19.	नागालैंड	हाँ	रु. 200/– प्रतिमाह, 01.04.2010 से प्रभावी	40 प्रतिशत एवं उससे अधिक सभी वर्ग के निःशक्त व्यक्ति	–
20.	उड़ीसा	हाँ	रु. 200/– प्रति माह	–	मधु बाबू पेंशन योजना के अन्तर्गत
21.	पंजाब	हाँ	रु. 250/– प्रति माह	–	–
22.	राजस्थान	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह	–	–
23.	सिक्किम	हाँ	रु. 600/– प्रतिमाह	–	–
24.	तमिलनाडु	हाँ	रु. 300/– से 400/– प्रतिमाह	इसके अतिरिक्त गम्भीर रूप से निःशक्त तथा मानसिक मंदता ग्रस्त को रु. 500/– प्रतिमाह अनुरक्षण भत्ता	–
25.	त्रिपुरा	हाँ	रु. 400/– प्रति माह	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	हाँ	रु. 300/– प्रति माह,	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता अपेक्षित है।	–
27.	उत्तराखंड	हाँ	रु. 600/– प्रति माह	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	हाँ	बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति को रु. 750/– प्रतिमाह	–	–

क्र सं	संघ	क्या निःशक्तता पेंशन दी जा रही है	राशि का विवरण	पात्रता	टिप्पणियां
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	हाँ	रु. 1,000/– प्रति माह	माता–पिता की आय /. 2.5 लाख प्रतिवर्ष से कम हो।	इसके अतिरिक्त रु. 3000/– की वित्तीय सहायता 3 वर्ष में एक बार।
2.	चंडीगढ़	हाँ	रु. 250/– प्रति माह,		–
3.	दमन और दीव*	हाँ	रु. 60/– प्रति माह	–	–
4.	दादरा और नगर हवेली*	हाँ	रु. 60/– प्रति माह	–	–
5.	दिल्ली	हाँ	रु. 1000/– प्रति माह	1. 55 वर्ष से अधिक न हो 2. परिवार की आय 60,000/– प्रतिवर्ष से अधिक न हो 3. निःशक्तता प्रमाण–पत्र मेडिकल बोर्ड या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया हो। 4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष से प्रमाणिक निवासी रहा हो।	
6.	लक्षद्वीप	हाँ	रु. 500/– प्रति माह	–	''लक्ष्यद्वीप पेंशन रूल्स (डेस्टिट्यूट, ओल्ड इनवैलिड) पेंशन (संशोधन) नियम 1988''
7.	पुडुचेरी	हाँ	रु. 750/– रु. 1250/– रु. 1500/–	40 प्रतिशत से 74 प्रतिशत निःशक्त 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत निःशक्त 100 प्रतिशत निःशक्तता	–

* पिछली रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित

परिशिष्ट IV

राज्य / संघ क्षेत्रों में बेरोजगारी भत्ता योजना

क्र. सं.	राज्य	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ?	दर प्रति माह / प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	नहीं	–	–	आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	नहीं	–	–	–
3.	असम	हाँ	रु. 500/– प्रतिमाह	–	–
4.	बिहार	हाँ	रु. 200/– प्रतिमाह बीपीएल के लिए	ऐसे व्यक्ति, जो विकलांग है तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।	श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा
5.	छत्तीसगढ़	नहीं	–	–	–
6.	गोवा	नहीं	–	–	–
7.	गुजरात	नहीं	–	–	–
8.	हरियाणा	हाँ	रु. 1000/– प्रतिमाह शिक्षित रु. 1500/– प्रतिमाह रु. 2000/– प्रतिमाह	मैट्रिक / मिडिल पास डिप्लोमा धारक स्नातक डिप्लोमा धारक उच्च स्नातक डिप्लोमा धारक	–
9.	हिमाचल प्रदेश	नहीं	–	–	–

क्र. सं.	राज्य	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ?	दर प्रति माह / प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
10.	जम्मू और कश्मीर	नहीं	–	–	–
11.	झारखंड	नहीं	–	–	
12.	कर्नाटक	नहीं	–	–	–
13.	केरल	हाँ	रु. 1,000/– प्रतिमाह	–	–
14.	मध्य प्रदेश	नहीं	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	नहीं	–	–	–
16.	मणिपुर	हाँ	रु. 66/– प्रति माह	इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता अगस्त, 2006 से दिया जा रहा है।	–
17.	मिजोरम	हाँ	रु. 250/– प्रति माह	–	–
18.	मेघालय	हाँ	रु. 50/– प्रति माह	–	–
19.	नागालैंड	नहीं–	–	–	–
20.	उड़ीसा	नहीं	–	–	–
21.	पंजाब	हाँ	रु. 250/– प्रतिमाह	नेत्रहीन, बहरे तथा मूक व्यक्तियों के लिए	–
			रु. 450/– प्रतिमाह	मैट्रिक / स्नातक से नीचे (अस्थि बाधित विकलांग के लिए)	
			रु. 600/– प्रतिमाह	स्नातक से ऊपर (अस्थि बाधित विकलांग के लिए)	
			रु. 225/– प्रतिमाह	मैट्रिक / स्नातक से नीचे	
			रु. 300/– प्रतिमाह	स्नातक तथा ऊपर	
22.	राजस्थान	नहीं	–	–	
23.	सिक्किम	नहीं	–	–	–

क्र. सं.	राज्य	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ?	दर प्रति माह / प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
24.	तमिलनाडु	हाँ	स्नातक / उच्च स्नातक रु. 450/– स्नातक से नीचे तथा एच.एस.सी./ पी.यू.सी. रु. 375/– दसवीं के स्तर तक रु. 300/–	–	–
25.	त्रिपुरा	हाँ	रु. 1000/–	–	–
26.	उत्तर प्रदेश	हाँ	रु. 500/–	सभी स्नातक निःशक्तजन	–
27.	उत्तराखंड	नहीं	–	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	नहीं	–	–	–

क्र. सं.	संघ	क्या बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ?	दर प्रति माह / प्रति व्यक्ति	पात्रता	टिप्पणियां
1.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	हाँ	रु. 400/– प्रति माह	–	–
2.	चंडीगढ़	हाँ	रु. 150/– से रु. 400/– प्रतिमाह	–	–
3.	दमन और दीव	नहीं	–	–	–
4.	दादरा एण्ड नागर हवेली	नहीं	–	–	–
5.	दिल्ली	हाँ	–	–	–
6.	लक्षद्वीप	नहीं	–	–	–
7.	पुडुचेरी	नहीं	–	–	–

परिशिष्ट V

विशिष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा निःशक्त छात्रों के लिए शुल्क में छूट, निःशुल्क आवास, आहार तथा वाहन

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थिति
1.	के.एल.ई. विश्वविद्यालय, बेलगाम	विश्वविद्यालय ने रैम्प, विशेष रूप से डिजाइन किए हुए शौचालय निःशक्तजनों के लिए उपलब्ध कराए हैं तथा निःशक्त छात्रों को वाहन सुविधाएं, प्रोस्थेटिक तथा पुनर्वास यूनिट प्रदान की है।
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय	निःशक्त छात्रों को शुल्क में पूरी छूट दी है। विश्वविद्यालय के छात्रावास तथा भोजन (मेस) के लिए भी छूट दी गई है। विश्वविद्यालय तथा इसके अधीन कालिजों के छात्रावासों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। वे निःशक्त छात्रों को निःशुल्क सुगमनीय वाहन सुविधा भी प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय का समान अवसर कक्ष विभागों / पुस्तकालयों को पावर तथा मनुला पहिएदार कुर्सी प्रदान करता है तथा श्रवण ह्रास से ग्रस्त छात्रों को संकेत भाषा दुभाषिया तथा अन्य सुविधाएं देता है। निःशक्त छात्रों की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।
3.	एस.आर.एम. विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	विश्वविद्यालय ने निःशक्तजनों के लिए प्रत्येक भवन में विद्युतीय लिफ्टें, पहियेदार कुर्सियाँ तथा रैम्प उपलब्ध कराए हैं। वे निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। वे विविध रूप से सक्षम छात्रों को सीखने की सामग्री भी दे रहे हैं।
4.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा आवास शुल्क में छूट, शैक्षिक (अकादमिक) भवन, मैस तथा पुस्तकालय में पहिएदार कुर्सी प्रदान कर रहा है, प्रवेश तथा भर्ती में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	स्थिति
5.	विवेकानन्द तकनीकी संस्थान, जयपुर	विश्वविद्यालय निःशक्त छात्रों को शुल्क में छूट, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों / अध्यापकों को परिसर, मैस तथा पुस्तकालय पर पहिएदार कुर्सी तथा लिफ्टें और रैम्प प्रदान कर रहा है।
6.	डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ	विश्वविद्यालय निःशक्त छात्रों को 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है। मैस तथा पुस्तकालय पर विद्युतीय पहियेदार कुर्सी, निःशुल्क आवास, आहार तथा वाहन भी निःशक्त छात्रों को उपलब्ध करा रहा है।
7.	गुजरात राष्ट्रीय विधि, विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात	विश्वविद्यालय निःशक्त छात्रों को 3 प्रतिशत सपाट आरक्षण दे रहा है तथा इनके लिए शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है। वह निःशक्त जनों की गतिशीलता के लिए रैम्प, रेलिंग, विशेष शौचालय आदि भी उपलब्ध कराता है।
8.	सिक्किम विश्वविद्यालय, सिक्किम	विश्वविद्यालय एक विशेष पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के लिए नई भर्ती क्षमता में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट कार्यक्रम के लिए विशेषक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में अपेक्षित प्रतिशत की छूट दी जाती है। एम.फिल तथा पी–एच.डी. जैसे पाठ्यक्रमों के लिए दी गई विशेषक परीक्षा में अंकों में 10 प्रतिशत की रियायत देता है। निःशक्त जनों को निःशुल्क वाहन सुविधा, स्वचालित पहियेदार कुर्सियां भी उपलब्ध कराई गई है।
9.	तेजपुर विश्वविद्यालय, आसाम	विश्वविद्यालय अध्ययन के सभी कार्यक्रमों में स्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालय के सभी भवनों में वाहन की निःशुल्क सुविधा, रैम्प, विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।
10.	पोन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी	विश्वविद्यालय विविध रूप से सक्षम छात्रों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण तथा शुल्क में छूट दे रहा है। मैस तथा पुस्तकालय पर निःशक्त छात्रों के लिए विद्युतीय पहिएदार कुर्सी उपलब्ध कराई जा रही है। सभी विविध रूप से सक्षम छात्रों को आवास, आहार तथा वाहन सहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।
11.	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान (मानद विश्व विद्यालय) निरजुली, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	विश्वविद्यालय अपने सभी माड्युल्स / कार्यक्रमों में निःशक्तजनों को स्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रहा है। अनु. जाति / जनजाति छात्रों को जिस तरह की रियायत दी जाती है, शुल्क में उसी तरह की रियायत सभी निःशक्त छात्रों को दी जा रही है। परिसर में निःशक्त छात्रों के विमुक्त संचलन के लिए विंगर सुविधा प्रदान की जा रही है।

परिशिष्ट VI

नि:शक्तता के क्षेत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संगठन / संस्थान

(क) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

- राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ;छभ्थ्क्ब्द्ध की स्थापना 24 जनवरी, 1997 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। इस निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाभ नहीं कमाने वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसकी प्राधिकृत पूंजी 400 करोड़ रु॰ (रु॰ चार सौ करौड़ केवल) है। इस कंपनी को भारत सरकार द्वारा नामित किए गए निदेशकों के बोर्ड द्वारा चलाया जाता है।

1. अभिप्राय तथा लक्ष्य

- नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक विकास गतिविधियों और स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।
- स्वरोजगार उपक्रमों के उपयुक्त तथा कुशल प्रबन्धन हेतु नि:शक्त व्यक्तियों की उद्यमीय कुशलताओं के उन्नयन के लिए ऋण प्रदान करना।
- व्यावसायिक पुनर्वास / स्वरोजगार के उद्देश्य से संव्यवसायिक / तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नि:शक्त व्यक्तियों को ऋण देना।
- स्व–रोजगार में सलंग्न नि:शक्त व्यक्ति को उसके द्वारा उत्पादित सामान को बेचने में उसकी सहायता करना।

2. पात्रता

- कोई भी नि:शक्त व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन का पात्र है–

  क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता हो,

  ख) 18 से 60 के बीच की आयु हो

  ग) वार्षिक आय 5,00,000 रु॰ से कम शहरी क्षेत्रों के लिए और 3,00,000 रु॰ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

  घ) संगत शैक्षिक / तकनीकी / व्यावसायिक अर्हताएँ / अनुभव तथा पृष्ठभूमि।

3. ब्याज की दर (प्रतिवर्ष)

क्र. सं.	परियोजना लागत	एस.सी.एज. द्वारा एन.एच. एफ.डी.सी. को दी जाने वाली दर	लाभार्थियों द्वारा एस.सी. एज. को दी जाने वाली दर
1.	50,000/– रु. तक	2%	5%
2.	50,000/– रु. से अधिक 5.00 लाख रु. तक	3%	6%
3.	5.00 लाख रु. से अधिक	5%	8%

टिप्पणी

(i) सभी ऋण 10 वर्षों के भीतर वापस किए जाने होंगे। शिक्षा ऋण 7 वर्ष के भीतर तथा माइक्रो क्रेडिट ऋण 3 वर्ष में लौटाने होंगे।

(ii) निःशक्त महिलाओं को ब्याज में 1: की छूट दी जाती है। इस छूट का खर्च एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा वहन किया जाएगा।

4. प्रोत्साहक (प्रोमोटर) का अंशदान

क्र.सं.	परियोजना लागत	एन.एस.एफ.डी.सी. का हिस्सा	एस.सी.ए. हिस्सा	प्रोमोटर का अंशदान
1.	50,000/– रु. तक	100%	शून्य	शून्य
2.	(i) 50,000/– रु. से अधिक 1.00 लाख रु. तक	95%	5%	शून्य
	(ii) 1.00 लाख रु. से अधिक और 5.0 लाख रु. तक	90%	5%	5%

5. निगम की वित्त पोषण की निम्नलिखित योजनाएं हैं :–

(i) सेवा / व्यापार क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने के लिए योजना।

- विक्रय / व्यापार गतिविधि के लिए 1.0 लाख रु. तक का ऋण और सेवा क्षेत्र गतिविधि के लिए 3.00 लाख तक का ऋण।
- छोटे व्यापार, परियोजना या गतिविधि, जिसके लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है, को निःशक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं चलाया जाना होगा और अपने उद्यम में कम से कम 15: निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देना होगा।

(ii) व्यापारिक गतिविधि के लिए वाहन की खरीद हेतु :–

- 5.00 लाख रु. तक का ऋण।
- व्यापारिक गतिविधि के लिए ऑटो रिक्शा सहित वाहन की खरीद।

(iii) छोटा औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए

- 5 लाख रु. तक का ऋण
- विनिर्माण, फैब्रीकेशन और उत्पादन के लिए निःशक्त व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है। निःशक्त व्यक्ति कंपनी का स्वामी / मुख्य कार्यपालक होगा और कम से कम 15: निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देगा।

(iv) कृषि कार्यों के लिए योजना

- 5.00 लाख तक ऋण।
- निःशक्त व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी सेरीकल्चर, कृषि संबंधी मशीनों / कृषि सेवाओं के लिए उपकरणों की खरीद, कृषि उत्पादों के विपणन आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

(v) मानसिक मंदता, सेरेबल पाल्सी और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए।

- 3.00 लाख तक ऋण।
- इस प्रकार के मामलों में, आश्रित मानसिक मंदत्ता ग्रस्त निःशक्त व्यक्ति के माता–पिता या कानूनी अभिभावक या पति / पत्नी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vi) निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए ऋण :

- भारत में अध्ययन के लिए 7.50 लाख रु॰ तक और विदेश में अध्ययन के लिए 15.00 लाख रु॰ तक का ऋण।

(vii) कौशलों और उद्यमशीलता के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

(viii) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली माइक्रो वित्त पोषण योजना :

- 5.00 रु॰ लाख तक ऋण।

(ix) राज्य सरणीबद्ध अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली माइक्रो वित्त पोषण योजना।

(x) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली महिला समृद्धि योजना।

- गैर सरकारी संगठनों के लिए रु॰ 5.00 लाख तक ऋण, रु॰ 25,000/– तक प्रति महिला लाभार्थी।

(xi) मानसिक मंदत्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभिभावक संघ को रु॰ 5 लाख तक ऋण।

6. ऋण की अदायगी

- शिक्षा ऋण के अलावा जहां ऋण की अदायगी की अवधि 7 वर्ष है, सभी 10 वर्षों की अवधि (ऋण–स्थगन की अवधि सहित) में अदा करने होंगे।

7. रियायत

- निःशक्त महिलाओं के लिए ब्याज में 1 प्रतिशत की छूट।

8. ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया

एन.एच.एफ.डी.सी. के राज्य सरणीबद्ध अभिकरणों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन जमा करने होंगे। 1 लाख तक की परियोजनाएं राज्य सरणीबद्ध अभिकरणों द्वारा संस्वीकृत की जाती है और 1 लाख से अधिक के आवेदन एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा संस्वीकृत किए जाते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित राज्य / संघ क्षेत्र के राज्य सरणीबद्ध अभिकरण या एन.एच.एफ.डी.सी. से सम्पर्क करें।

मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों के अभिभावक संघ के लिए योजनाएं

लक्ष्य

- इस योजना का लक्ष्य मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों के अभिभावकों के संघों को मानसिक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए आय अर्जित करने वाले कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। आय पैदा करने वाले कार्य की प्रकृति ऐसी होगी कि इसमें मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्ति सीधे तौर पर शामिल हो सकें और आय को मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों में बांटा जा सकें। आय पैदा करने वाली गतिविधि अभिभावक संघ द्वारा चलायी जाएगी, जिनसे अपनी सेवाएँ स्वैच्छिक तौर पर दिया जाना प्रत्याशित है।

पात्रता

(क) अभिभावक संघ कम से कम तीन वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

(ख) इसमें कम से कम 10 अभिभावक सदस्य होने चाहिए।

(ग) यह संघ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र में किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि का वित्तीय बकायादार नहीं हो।

ऋण की मात्रा

- प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा की सीमा 5 लाख रु॰ है। गैर सरकारी संगठन का हिस्सा परियोजना की लागत का 5 प्रतिशत होगा। इस ऋण का उपयोग गैर सरकारी संगठन द्वारा एकल या बहु गतिविधि परियोजना के कार्यान्वयन में किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों का अधिक से अधिक भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

ब्याज की दर

ऋण की राशि पर लिया जाने वाला ब्याज निम्न तालिका के अनुसार होगा–

(i) 50,000/– रु॰ तक – 5 प्रतिशत प्रति वर्ष

(ii) 50,000/– रु॰ से अधिक और 5.0 लाख रु॰ से कम–6 प्रतिशत प्रति वर्ष

भुगतान अवधि

- ब्याज सहित ऋण की राशि बराबर तिमाही किस्तों में 10 वर्षों के भीतर वापस की जाएगी।

बीमा सुरक्षा

- एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा दिए गए ऋण में से गैर सरकारी संगठन द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए पर्याप्त बीमा सुरक्षा ली जाए। इस बीमा का प्रीमियम उस गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाएगा।

परियोजना का प्रबंधन

- आय पैदा करने की यह गतिविधि, जिसके लिए एन.एच.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण दिया जाता है, अभिभावक संघ के उन कार्यालय धारकों द्वारा चलाई जाएगी जो स्वयं मानसिक मंदन से ग्रसित बच्चों के माता–पिता होंगे। यह संघ एक तिमाही में कम से कम एक बैठक इस परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा के लिए करेगा। एन.एच.एफ.डी.सी. का एक प्रतिनिधि उस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक में उपस्थित होगा।

ऋण लेने की प्रक्रिया

- इस योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन गैर सरकारी संगठन द्वारा सीधे एन.एच.एफ.डी.सी. को दिया जाएगा। तथापि गैर सरकारी संगठन को अपनी प्रबंधन समिति / न्यासी बोर्ड से इस बारे में इस आशय का एक संकल्प आवेदन के साथ पारित करवा लेना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

संपर्क विवरण

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम लि॰

(सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय)

रेड क्रास भवन, सैक्टर–12,

फरीदाबाद–121007

दूरभाष सं॰ 0129–2287512, 2287513, 2226910

फैक्स सं॰ 0129–2284371

ई–मेल : nhfdc97@gmail.com

एन.एच.एफ.डी.सी. की राज्य सरणीबद्ध एजेंसियां

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं॰ 180, पोर्ट ब्लेयर, भारत दूरभाष : 03192–232098, 234108, 233659 फैक्स : 03192–235098
आंध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश विकलांगुता को–आपरेटिव निगम बी.आर.के.आर. भवन, हैदराबाद–500063, भारत दूरभाष : 040–23222703, फैक्स : 040–23261650
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास तथा वित्त निगम लि॰ सैक्टर–सी, पापुमपेयर, ईटानगर–791111 दूरभाष : (0360)–2212672, 2211763 फैक्स : (0360)–2211786
बिहार	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम चौथा तल, सोने भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना–800001, भारत दूरभाष : 0612–2226099
चंडीगढ़	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लि॰ टाउन हाल बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर–17 सी, चंडीगढ़, भारत दूरभाष : 0172–2700372, 2700609, 2705445 फैक्स : 0172–2700105
छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम समाज कल्याण विभाग का एक उपक्रम पुराना डी.आर.डी.ए. भवन, कलैक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत दूरभाष : 0771–4047295, फैक्स : 0771–2236197
दमन और दीव / दादर और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव अनु॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड दूसरा तल, दायां स्कंध, पी.डब्ल्यू.डी. काम्पलैक्स, दादरा और नगर हवेली, सिलवासा–396230, भारत दूरभाष : 0260–2642043, फैक्स : (0260)–2643141

दिल्ली	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन वित्तीय एवं विकास निगम लि॰ अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–16, रोहिणी, नई दिल्ली–110085, दूरभाष : (011)–27570627/0502 फैक्स : (011)–27572630
गोवा	गोवा राज्य अनुसूचित जाति और ओ.बी.सी. वित्त विकास निगम लि॰ चौथा तल, पाट्टो सेन्टर कदम्बा बस स्टैंड के पास, पणजी, गोवा, भारत, दूरभाष : 0832–2438179/80, फैक्स : 0832–2438178
गुजरात	गुजरात अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम उद्योग भवन, ब्लाक नं॰ 11, द्वितीय तल, डा॰ जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर–382010, भारत, दूरभाष : 079–23254152/23254581, फैक्स : (079)–23253843
हरियाणा	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम एस.सी.ओ. नं॰ 813–14, सैक्टर–22 ए, चंडीगढ़, भारत दूरभाष : 0172–2707539, 2701074, फैक्स : (0172)–2726826
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम एस.डी.ए. काम्पलैक्स ब्लाक नं॰ 38, प्रथम तल, कुसुमपति, शिमला–171009, भारत दूरभाष : 0177–2622164, 2621669 फैक्स : 0177'2622164
जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू और कश्मीर अनु॰ जा॰ / जन॰ जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि॰, जम्मू कार्यालय, रोमेश मार्किट, शास्त्री नगर, जम्मू–180004, भारत, दूरभाष : 0191–2433229, 2452009, फैक्स : 0191–2433229 2. जम्मू एवं कश्मीर अनु॰ जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि॰, एक्सचेंज रोड, नियर रेडक्रास, धर्मनाथ ट्रस्ट, कांसिल, श्रीनगर, टेलीफैक्स : (0194)–2481988 3. जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम श्रीनगर कार्यालय, होटल रिगादून डेलीगेट के पीछे, ब्लाक ए, पुराना सचिवालय, श्रीनगर, कश्मीर–190001 भारत, दूरभाष : 0194–2450432 फैक्स : 0194–2458013 जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम, जम्मू कार्यालय, 615–ए, गांधी नगर, जम्मू, भारत, दूरभाष : 0191–2430321

झारखंड	झारखंड जन जातीय विकास निगम, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची–834004 दूरभाष : 0651–2252398, फैक्स : 0651–2551686
कर्नाटक	कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम लि॰ छठा तल, जया नगर शापिंग काम्पलैक्स, जया नगर, बंगलौर–560011, भारत दूरभाष : 080–26632792, 26542307, फैक्स : 080–26542308
केरल	1. केरल राज्य विकलांग व्यक्ति कल्याण निगम, टी॰सी॰ 17/230(1), जुवेनाइल होम कंपाउंड, पुजापुरा, तिरुअनन्तपुरम : 695–012, भारत, दूरभाष : 0471–2380090, 2347768, फैक्स : 0471–2340568 2. केरल राज्य महिला विकास निगम लि॰ बसन्त टी॰सी॰ 20/2170, मनमोहन बंगलो के सामने, कावडियर पी॰ओ॰ तिरुअनन्तपुरम–695003 भारत दूरभाष : 0471–2316002, 2727668, फैक्स : 0471–2316006
लक्षदीप	लक्षदीप खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड संघ क्षेत्र लक्षदीप, कावारती–682555 दूरभाष : 04896–262396/94, टैलीफैक्स : 04896–262034
मध्य प्रदेश	1. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल–462002 दूरभाष : 0755–2738699, 2661181; फैक्स : 0755–2738699 2. मध्य प्रदेश विकलांग कल्याण और विकास सोसाइटी, तुलसी नगर, 1250 क्वार्टर, भोपाल–462003, भारत दूरभाष : 0755–2576325, फैक्स : 0755–2552665 3. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, पहला तल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल–462002 दूरभाष : 0755–2660207, 2660208 / 209 फैक्स : 0755–2660175 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल–662002, भारत दूरभाष : 0755–2661844 / 1744 फैक्स : 0755–2661612

महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम कमरा सं॰ 74, भू–तल, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, बिल्डिंग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400051 दूरभाष : 022–26591620 / 22, टैलीफैक्स : 022–26591621
मणिपुर	समाज कल्याण विभाग, मणिपुर सरकार, निदेशालय परिसर ए॰टी॰ लाईन, दूसरा एम॰आर॰ गेट, इम्फाल–795001, दूरभाष : 0385–2220033, 2320407 / 8 / 9, 2448532 फैक्स : 0385–2220033
मेघालय	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक महात्मा गांधी रोड, शिलांग–793002, भारत दूरभाष : 0364–2224160, फैक्स : 0385–2222026
मिजोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक, मुख्यालय बी–5, बाबू तिला, जटकावत, आईजाल, मिजोरम–796001 दूरभाष : 0389–2346380, फैक्स : 0389–2346387
नागालैंड	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विभाग नागालैंड सिविल सचिवालय, नागालैंड सरकार, कोहिमा–797001 दूरभाष : 0370–2270284, फैक्स : 0370–2245762
उड़ीसा	महिला विकास समाबाया निगम, ब्लाक ए–1, प्रथम तल, तोशाली प्लाजा, सत्यनगर, भुवनेश्वर–751007 भारत दूरभाष : 0674–2573023, फैक्स : 0674–2573024
पुडुचेरी	पांडिचेरी महिला एवं विकलांग जन विकास निगम लि॰ नं॰ 14, गोविन्दासामी स्ट्रीट, कामराज नगर, पुडुचेरी–605011 भारत दूरभाष : 0413–2211830, फैक्स : 0413–2244964
पंजाब	पंजाब अनुसूचित जाति भूमि वित्त एवं विकास निगम एस॰सी॰ओ॰ नं॰ 101 / 103, सैक्टर–17–सी, चंडीगढ–160017 दूरभाष : 0172–5062905 / 07,, फैक्स : 0172–5005907
राजस्थान	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, नेहरू सहकार भवन, सेंट्रल ब्लाक, तृतीय तल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, भारत दूरभाष : 0141–2740745, 2740544, 2740833, फैक्स : 0141–2740880

सिक्किम	सिक्किम अनु. जा. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि. सोनम शेरिंग पथ, गैंग्टोक–737101 दूरभाष : 03592–229670, फैक्स : 03592–205318
तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य एपेक्स सहकारी बैंक लि. सं. 4 (पुरानी सं. 233), नेताजी सुभाषचन्द्र बोस रोड, चैन्नई–600001 दूरभाष : 044–25340301 / 304, फैक्स : 044–25340508
त्रिपुरा	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि. पी.ओ. लेक, चौमुहानी अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा–799001 भारत दूरभाष : 0381–2226543, फैक्स : 0381–2326512
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानुपर–208001 दूरभाष : 0512–2530868, ई.पी.ए.बी.एक्स.–2530541–44, फैक्स : 0512–2531201
उत्तरांचल	उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, भवन सं. 161, नेहरू नगर (पुरानी नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड), देहरादून–248001 दूरभाष : 0135–2675226, फैक्स ' 0135–2675226/2671635
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल महिला विकास उपक्रम एल.ए. ब्लाक, बी–7, सैक्टर–3, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091 दूरभाष : 033–23353150

ख. राष्ट्रीय न्यास

- राष्ट्रीय न्यास, ''ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुनिःशक्तता अधिनियम (1999 का अधिनियम 44) के अन्तर्गत, स्थापित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ एक सांविधिक निकाय है।

  संपर्क विवरण :

  राष्ट्रीय न्यास
  10–बी, बडा बाजार, ओल्ड राजेन्द्र नगर
  नई दिल्ली–110016

  फोन नं. : 011–43187878 और 43187878
  ई–मेल : contactus@ thenationaltrust,in
  वेबसाइट : www.thenationaltrust.co.in

ग. भारतीय पुनर्वास परिषद्

- भारतीय पुनर्वास परिषद् निःशक्तता के क्षेत्र में व्यवसायों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण, नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए रीहेबिलटेशन काउन्सिल ऑल इंडिया अधिनियम, 1992 के अतर्गत स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है। यह सभी संव्यवसायिकों / कार्मिकों के लिए एक केन्द्रीय

पुनर्वास रजिस्टर (सी.आर.आर) का रख–रखाव करता है और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा में शोध को बढ़ावा देता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :

भारतीय पुनर्वास परिषद

बी–22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया

नई दिल्ली–110016

दूरभाष : 011–26532816, 26534287,
26532384, 26532408, 26511618

फैक्स : 011–26534291

ई–मेल : rehabstd@nde.vsnl.net.in

वेबसाइट : www.rehabcouncil.nic.in

घ. आर्टीफीशीयल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

- आर्टीफिशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ;।स्प्डब्द्ध की स्थापना कृत्रिम अंगों, सहायक उपकरणों और उनके घटकों के निर्माण की सुविधाएं मजबूत करने और निःशक्त व्यक्तियों, अस्पतालों और अन्य पुनर्वास संस्थानों को उचित दामों पर उनकी उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से की गई थी।

संपर्क विवरण :

आर्टीफीशियल लिंब्स मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया

जी.टी. रोड, कानपुर–208016

दूरभाष : 0512–2770172, 2770897, 2770817

फैक्स : 0512–2770617, 2770870, 2770172

ई–मेल : alimcohq@vsnl.net

वेबसाइट : www.artlimbs.com

राष्ट्रीय संस्थान

- राष्ट्रीय संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये, निःशक्तता के संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से प्रबंधित तथा विशेषज्ञता से युक्त संस्थान हैं और पुनर्वास संबंधी सुविधाओं से भली भांति सुसज्जित हैं। राष्ट्रीय संस्थानों / शीर्ष स्तर के संस्थानों के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं–

  क) मानव संसाधन विकास

  ख) पुनर्वास सेवाएं

  ग) शोध संबंधी गतिविधियां।

- पूरे देश में अधिक से अधिक निःशक्त व्यक्तियों तक पहुंच पाने की दृष्टि से राष्ट्रीय संस्थान के साथ जुड़े अपने क्षेत्रीय केन्द्रों, समग्र पुनर्वास केन्द्रों (सी.आर.सीज) और जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों (डी.डी.आर. सीज) के माध्यम से दूरदराज के इलाकों में निःशक्ताओं को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से संपर्क और विस्तार सेवाओं में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय संस्थान निःशक्तता के विभिन्न पक्षों जैसे कि बचाव, जल्द पता लगाना, हस्तक्षेप, निःशक्तों को मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं, उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में सुमदाय में जागरुकता भी पैदा करते हैं। वे समुदाय पर आधारित पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध करवाते हैं जैसे कि बीमारी का पता लगाना, विभिन्न संस्थानों पर कैंपों का आयोजन करके सहायता उपकरण ों और उपयंत्रों को लगाना और वितरित करना।

  निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के संस्थान / संगठन है :

1. jk"Vh; iuokZl if'k{k.k ,o vuqlèkku lLFkku ¼,u-vkbZ-vkj-Vh-,-vkj-½

   संपर्क विवरण

   ओलटपुर, पी.ओ. बाइरोई, जिला कटक, उड़ीसा,

   दूरभाष : 0671–2805552

   फैक्स : 0671–2805862

   ई–मेल : nirtar@ori.nic.in, dinirtar@ori.nic.in

   वेबसाइट : www.nirtar.nic.in

2. jk"Vh; vfLFk fodykx lLFkku ¼,u-vkb-vk-,p-½

संपर्क विवरण

बी.टी. रोड, बॉन हुगली, कोलकाता

दूरभाष : 033—25310279 / 0789, / 0610,

टेलीफैक्स : 033—25318379

ई—मेल : mail@nioh.in

वेबसाइट : www.nioh.in

3. jk"Vh; ekufld fodykx lLFkku ¼,u-vkb-,e-,p-½

संपर्क विवरण

मनोविकास नगर, सिकंदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

दूरभाष : 91—40—27751741—45

फैक्स : 91—40—27750198

ई—मेल : dir@nimhindia.govt.in

वेबसाइट : www.nimhindia.org

4. vyh ;koj tax jk"Vh; Jo.k fodykx lLFkku ¼,u-vkb-,p-,p-½

संपर्क विवरण

के.सी. मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), रिक्लेमेशन, मुम्बई—400050

दूरभाष : 022—26400215/26409176/26400263,

फैक्स : 022—26404170

ई—मेल : ayjnihhmum@gmail.com

वेबसाइट : http://ayjnhh.nic.in

5. jk"Vh; nf"Vckf/krkFk lLFkku ¼,u-vkb-oh-,p-½

116] jkt iqj jksM] mÙkjk[k.M

दूरभाष : 0135—2744491, 2748147, 2744578, 2735341, 2744979

फैक्स : 0135—2748147

ई—मेल : nivh@sancharnet.in

वेबसाइट : www.nivh.in

6. u'kuy bULVhV;wV QkWj ,EikojeSaV vkWQ ilZu fon eYVhiy fMlfcyhVht ¼,u-vkb-bZ-ih-,e-Mh-½

संपर्क विवरण

ई.सी. रोड, मुत्तूकोडु, कोवलम पोस्ट,

चैन्नई—603112 (तमिलनाडु)

दूरभाष : 044—27472113, 27472046,

फैक्स : 044—27472389

ई—मेल : niepmd@gmail.com

वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in

7. i- nhun;ky mik/;k;] 'kkjhfjd fodykx lLFkku ¼vkb-ih-,p-½

संपर्क विवरण

4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली—110002

दूरभाष : 011—23232403,

फैक्स : 011—23239690

ई—मेल : director@iphnewdelhi.in

परिशिष्ट VII

राज्यों/संघ क्षेत्रों में निःशक्तजन आयुक्तों की सूची

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
1.	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	श्री वी. कृष्णमूर्ति, आयुक्त, निःशक्तता अंडमान–निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर–744010	फोन : 03192–233356 (O) फैक्स : 03192–243817 E-mail : majhirk@gmail.com
2.	आंध्र प्रदेश	श्री चौलटी प्रभाकर, आयुक्त निःशक्तता, आंध्र–प्रदेश सरकार, 5वां ब्लॉक, ग्रांउड फ्लोर गुरूह कल्पा : एम.जे. रोड, गांधी भवन के सामने, नामपल्ली हैदराबाद–500001	फोन : (040) 24734873, 24619048, 24730430 टेली फैक्स : (040) 24734873, 24619048 E-mail : cdwaphyd@gmail.Com, dw_cheyutha@yahoo.co.in
3.	अरूणाचल प्रदेश	श्री हेग बट्ट, आयुक्त, निःशक्तता एवं सचिव, समाज कल्याण, महिला तथा बाल विकास विभाग, अरूणाचल प्रदेश सरकार, बैकट हाल, रूम नं. 11. ईटानगर–791111 अरूणाचल प्रदेश	टेली. सं. : (0360) 2006216 फैक्स : (0360) 2247208 E-mail : welfaresocial71@yahoo.in, ajantadotc@yahoo.in
4.	असम	श्रीमती मालबिका बरूआ, आयुक्त, निःशक्तता असम सरकार, लाटाकाटा, बसिष्ठा गुवाहाटी, असम–29	टेलीफैक्स : (0361) 2300724, 2541169 E-mail : malabika56@yahoo.com
5.	बिहार	श्री बी.के. सिंह, भा.प्र.से. आयुक्त, निःशक्तता बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, सिंचाई भवन, पुराना सचिवलय, पटना–800015	टेलीफैक्स : (का.) 0612–2215041 फैक्स : 0612–2215152 E-mail : socwel_bihar@hotmail.com, statecommissionerobisalility@yahoo.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
6.	चंडीगढ़	श्री अनिल कुमार, आयुक्त, निःशक्तता चंडीगढ़ प्रशासन, कमरा नं. 410, चतुर्थ तल, डीलक्स बिल्डिंग, सैक्टर–9 चंडीगढ़–160019	फोन : (0172) 2740216 (o) 2740008, फैक्स : (0172) 2740337
7.	छत्तीसगढ़	श्री इन्दर चौपड़ा, आयुक्त, निःशक्तता छत्तीसगढ़ सरकार जिला पंचायत परिसर, जी. रोड़, दुर्ग–491001, छत्तीसगढ़	टैलीफैक्स : (0788) 2325470 (O) E-mail : info@cgdisablities.org
8.	दादरा एवं नागर हवेली	श्रीमती अलका दिवान, आयुक्त–निःशक्तता दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन, सचिवालय, सिलवासा (पी ओ) दादरा एवं नागर हवेली–396230	फोन नं. (0260) 2533110 (o) फैक्स : 2642787, 2642043
9.	दमन और दीव	श्रीमती अलका दिवान. आयुक्त, निशक्तता दमन व दीव संघ क्षेत्र, प्रशासन समाज कल्याण विभाग कलैक्टोरेट, धोलार, मोती दमन, दमन–396220	फोन : (0260) 2231453 (O) फैक्स : (0260) 2230739
10.	दिल्ली	श्री अरुण माथुर आयुक्त, निःशक्तता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार 1, कैनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	फोन : 23073869 फैक्स : 23070532 E-mail : comdisdelhi@yahoo.co.in
11.	गोवा	श्री कृष्णमूर्ति, आयुक्त, निःशक्तता, गोवा सरकार सचिवालय, पोरवोरिम, वर्देज, गोवा–403521	टेलीफैक्स : (0832) 2419407 (O) फैक्स : (0832) 2419406 E-mail : pkrishanmurthy@nic.in, socialwelfaregoa@rediffmail.com
12.	गुजरात	श्री संजय नंदन अग्रवाल, आयुक्त, निःशक्तता गुजरात सरकार, डॉ. जीवराज मेहता भवन, ब्लॉक नं.–16 भूतल, गांधी नगर, गुजरात–382010	फोन : (079) 23256746–49 (O) टेलीफैक्स : (079) 23259378, 23256746 E-mail : commi-pwd@gujarat.gov.in
13.	हरियाणा	श्री शशि भारत भूषण आयुक्त, निःशक्तता समाज कल्याण तथा अधिकारिता विभाग हरियाणा सरकार, एस सी ओ सं.–68–70, सैक्टर–17ए, चंडीगढ़	फोन (0172) 2547517 टैलीफैक्स : (0172) 2714614 E-mail : sje@hry.nic.in, shashibharatbhushan@gmail.com
14.	हिमाचल प्रदेश	श्री वी.सी. फारका, आयुक्त, निःशक्तता तथा प्रधान सचिव, समाज कल्याण तथा अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश सरकार सचिवालय, शिमला–171002 हिमाचल प्रदेश	फोन : (0177) 2621877 टैलीफैक्स : (0177) 2880782 E-mail : ysssecy_hp@nic.in, socialjesecy_hp@nic.in

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
15.	जम्मू–कश्मीर	श्री जीत लाल गुप्ता,. आयुक्त, निःशक्तता समाज कल्याण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार सिविल सचिवालय जम्मू	(नवंबर–अप्रैल : जम्मू) फोन : (0191) 2579126 (o) फैक्स : (0191) 2542759 (मई–अक्टूबर : श्रीनगर) फोन : (0194) 2482568 (o) फैक्स : (0194) 2452271
16.	झारखंड	श्री रॉबर्ट मिन्ज, आयुक्त, निःशक्तता, झारखंड सरकार, भूतल, इंजीनियर्स–हास्टल बिल्डिग, सैक्टर–3, धुर्वा, रांची, झारखंड–834004	फोन : (0651) 2401825 (O) फैक्स : (0651) 2401886 E-mail : sdcjharkhand@gmail.com
17.	कर्नाटक	श्री के.वी. राजन्ना आुयक्त, निःशक्तता, कर्नाटक सरकार 40, थम्बू चैट्टी रोड़, कोक्स टाऊन, बंगलौर–560005	फोन (080) 25482639, 40, 41, 59; फैक्स : (080) 25482641, E-mail : kvrcomdis@gmail.com
18.	केरल	प्रो. डॉ. अहमद पिल्लई, आयुक्त, निःशक्तता तथा पदेन सचिव केरल सरकार, प्रथम तल, सरकार वी.टी.सी. बिल्डिंग, समाज कल्याण संस्थान परिसर, पूजनपुरा, तिरूवनंतपुर–695012	टेलीफैक्स : (0471) 2347704, फोन : (0471) 2444777 (आर.) E-mail : sepwdkerela@gmail.com
19.	लक्षद्वीप	श्री बी.के. झा, आयुक्त, निःशक्तता, समाज कल्याण एवं जन जातीय मामले विभाग लक्षद्वीप संघ क्षेत्र, कावारती–682555	फोन : (04896) 263703, 262314, फैक्स : (04896) 262547, 263647 E-mail : lkdsw@hub.nic.in
20.	मध्य प्रदेश	श्री दीपांकर बनर्जी आयुक्त, निःशक्तता, मध्य प्रदेश सरकार समुदाय भवन, न्यू मार्किट टी.टी. नगर, भोपाल–462003, मध्य प्रदेश	फोन : (0755) 2773008, फैक्स : (0755) 2552665, E-mail : comdismp@rediffmail.com
21.	महाराष्ट्र	श्री बाजीराव जाधव, आयुक्त, निःशक्तता महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र सरकार, 3, चर्च रोड, पुणे–411001	फोन : (020) 26122061, 26126471 फैक्स : 26111590, 26126698 E-mail : commissionerdisability@yahoo.co.in
22.	मणिपुर	श्री एल. होकिप, आयुक्त, निःशक्तता तथा सचिव, समाज कल्याण तथा कृषि विभाग, मणिपुर सरकार, पुराना सचिवालय, इम्फाल–795001	फोन : (0385) 2451183 फैक्स : (0385) 2452629 E-mail : L4letkhogin.haokib@gmail.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
23.	मेघालय	सुश्री आई.आर. संगमा आयुक्त, निःशक्तता मेघालय सरकार, समाज कल्याण विभाग टैम्पल रोड, लोवर लाचुमियर, शिलोंग, मेघालय–793001	फोन : (0364) 2506521, फैक्स : 2225978, 2225187, 2227029 Email : socwfare@yahoo.co.in, ionasangma@yahoo.com, megepbwd@gmail.com
24.	मिजोरम	श्रीमती बी. सैरंग पुई, आयुक्त, निःशक्तता, मिजोरम सरकार, सिविल सचिवालय, ब्लॉक–सी ट्रेजरी स्कवायर, आई जवाल–796001	फोन : (0389) 2348134 (O), 2343530 (SW) टेलीफैक्स : (0389) 2343531 E-mail : sairengiswd@rediffmail.com
25.	नागालैंड	श्रीमती डेलीरोज एम. सेखरी, आयुक्त, निःशक्तता तथा अति. सचिव, समाज कल्याण विभाग नागालैंड सिविल सचिवालय, ब्लॉक सी, नागालैंड सरकार, कोहिमा–797001, नागालैंड	फोन : (0370) 2270289, 2270279, टेलीफैक्स : (0370) 2270289 (O)
26.	उड़ीसा	श्रीमती कस्तूरी महापात्र आयुक्त, निःशक्तता, एस.आई.डी.आर. बिल्डिंग, केपिटल हास्पिटल परिसर, यूनिट–6 उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर–751001	फोन : (0674) 2390006, E-mail : kasturim@hotmail.com, scpdorissa@gmail.com
27.	पुड्डुचेरी	श्री जी. देवा नीथिदास, आयुक्त निःशक्तता, महिला तथा बाल कल्याण विभाग, मुख्य सचिवालय, पुड्डुचेरी, पुड्डुचेरी सरकार, पुड्डुचेरी	टेलीफैक्स : (0413) 2220884 फैक्स : (0413) 2334036 E-mail : gtndhas220658@gmail.com
28.	पंजाब	श्री सतवंत सिंह, आयुक्त निःशक्तता, पंजाब सरकार, कमरा नं. 317, तीसरा तल, पंजाब मिनी सचिवालय, सैक्टर–9, चंडीगढ़	फोन : (0172) 2743875 फैक्स : (0172) 2741723
29.	राजस्थान	श्रीमती अदिति मेहता, आयुक्त, निःशक्तता तथा मुख्य सचिव समाज कल्याण तथा अधिकारिता, सामाजिक सुरक्षा, राजस्थान सरकार, कमरा नं. 2017, सचिवालय, मुख्य भवन, जयपुर–302015	फोन : (0141) 2227380, फैक्स : (0141) 2227922, 2220336, फोन : (0141) 2701336 E-mail : Commdisraj@yahoo.co.in, ps_sjc@rayasthan.gov.in, aditimehta@gmail.com

क्र. सं.	राज्य	नाम एवं पता	टेलीफोन
30.	सिक्किम	श्री आर.के. पुरकायस्थ, आयुक्त, निःशक्तता सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा कल्याण विभाग, लोअर सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिक्किम सरकार, गंगटोक–737101	फोन : (03592) 202461 (O), फैक्स : (03592) 202309, 203676
31.	तमिलनाडु	श्री कन्नेगी पेकीनाथन, राज्य आयुक्त, निःशक्तता तमिलनाडु सरकार, स्टेट रिसोर्स कम ट्रेनिंग सैन्टर कैम्पस, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग रोड, के.के. नगर, चैन्नई–600078	फोन : (044) 24719945 (O) फैक्स : (044) 24719946 E-mail :scd@tn.nic.in
32.	त्रिपुरा	श्री नेपाल चन्द्र सिन्हा, आयुक्त, निःशक्तता समाज कल्याण तथा समाज शिक्षा विभाग, त्रिपुरा सरकार सिविल सचिवालय भवन, अगरतला, त्रिपुरा वैस्ट–799001	फोन : (0381) 2226033 टेलीफैक्स : (0381) 2414045 E-mail : ncsinha@hotmail.com, dswe_agt@yahoo.com
33.	उत्तर प्रदेश	श्री वी.एन. गर्ग, भा.प्र.से. अतिरिक्त प्रभार, आयुक्त, निःशक्तता उत्तर प्रदेश सरकार, 21, कृष्णा कालोनी, फैजाबाद रोड, निकट फातिमा अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	फोन : (0522) 2236392, 2288196, टेलीफैक्स : (0522) 2328004, 2236392 Email : Ayuktviklangjan@ rediffmail.com
34.	उत्तराखंड	श्री बी.आर. टमटा, आयुक्त, निःशक्तता समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार, 100 पुरानी नेहरू कालोनी, देहरादून–248001	टैलीफैकस : (0135) 2712451, 2711103 (SW) फोन : (0135) 2669981, 2711103, 2711226 A.S. E-mail : vishalirr@rediffmail.com
35.	पश्चिम बंगाल	सुश्री मीता बनर्जी, आयुक्त, निःशक्तता पश्चिम बंगाल सरकार आयुक्त निःशक्त जन का कार्यालय, 45, गणेश चंद्र, एवेन्यू, कोलकाता–700013	फोन : (033) 22374731, 22375379 टैलीफैक्स : (033) 22375379 E-mail : com.disabilitywb@gmial.com

परिशिष्ट VIII

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य–सचिवों के नाम और पतों की सूची

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
1.	श्री एस. रवि कुमार, सदस्य सचिव– विधिक सेवाएं प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश राज्य न्याय सेवा सदन, पुरानी हवेली हैदराबाद–500002	09440621437	23446700 23446701 23446701 (फैक्स) apslsauthority@yahoo.com	040
2.	श्री नानी ग्रेयू, सदस्य सचिव– अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, विधि एवं न्याय विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	09436052535	2284913 2284935 (फैक्स) Danibelo2008@rediffmail.com	0360
3.	श्री अख्तर फन अली बोरा सदस्य सचिव– असम राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, द्वितीय तल, डिस्ट्रीक्ट जज न्यू कोर्ट बिल्डिंग, गुवाहाटी–781001	09954869584	2601843 (टेलीफैक्स) aslsa@gmail.com, assamslsa@gmail.com	0361
4.	श्री राधा कृष्ण, सदस्य सचिव– बिहार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बुद्ध मार्ग, पटना म्यूजियम के सामने, पटना–800001	09431261007	2230943 2201390 (फैक्स) Bslsa87@yahoo.in	0612

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
5.	श्री आनंद कुमार सिंघल, सदस्य सचिव– छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ''वेयर हाउस विधिक सेवा रोड, बिलासपुर, (छत्तीसगढ़)	09425538211	417625, 410210 410530 (फैक्स) cgslsa.cg@nic.in	07752
6.	श्री बी. देशपाण्डे सदस्य सचिव, गोवा राज्य विधिक सेवाएं, गोवा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, न्यू हाई कोर्ट काम्प्लैक्स, एल्टिन्हो, पणजी, गोवा–403001	09850471189	2421169 2431910 224126 2420531 (फैक्स) reg-high.goa@nic.in	0832
7.	श्री ए.पी. ठाकर, सदस्य सचिव, गुजरात राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, प्रशासनिक भवन, तृतीय तल, शार्ट विंग, हाईकोर्ट काम्प्लैक्स, सोला, अहमदाबाद–380060 (गुजरात)	09978406325	27665400 27664964 27665296 (फैक्स) msguj.lsa@nic.in	079
8.	श्री दीपक गुप्ता सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, एस.सी.ओ.–142–043, प्रथम तल, सैक्टर–34–ए, सिटी सैन्टर, चंडीगढ़	07837541900	2660064, 2622875 2604055 (फैक्स) hlsa_haryana@gmail.com	0172
9.	श्री जे.एस. महन्तन सदस्य सचिव, हि.प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ब्लॉक नं. 22, एस.डी.ए. काम्प्लैक्स, कसुमपति, शिमला–171009 (हि.प्र.)	09418212345	2626962 2623862 (फैक्स) mslegal_hp@nic.in	0177
10.	श्री गुलाम हसन तांत्रे, सदस्य सचिव– जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण जे.डी.ए. काम्पलैक्स, जानीपुरा, जम्मू–180007	09419000723	2564764 (जे) 2450644 (एस) 2546753 (जे) (फैक्स) 2452267 (एस) (फैक्स) gytantray@rediffmail.com	0191 (जे) 0194 (एस)

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
11.	श्री वी.के. गोस्वामी सदस्य सचिव, झारखंड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, ''न्याय सदन'', ए.जी. ऑफिस के पास, डोरंडा, रांची–834002	08986601912	2482392, 2481520 2482397 (टेलीफैक्स) jhalsaranchi@gmail.com, jhalsaranchi@yahoo.co.in	0651
12.	श्री विश्वनाथ वी. अंगाड़ी सदस्य सचिव, कर्नाटक राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण न्याय देगुला, प्रथम तल, एच. सिद्धाय रोड, बंगलोर–560027	09448068444	22111875, 22111714, 22112935 (फैक्स) karslsa@gmail.com	080
13.	श्री पी. मोहनदास, सदस्य सचिव केरल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण नियामा सहाय भवन, हाई कोर्ट कम्पाउंड, एर्नाकुलम, कोची–682031	09447387151, 09447032528	2395717, 2396717 (फैक्स) klsa@ker.nic.in	0484
14.	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)	09425164996	2678352, 2624131, 2678537 (फैक्स) mplsajab@nic.in	0761
15.	श्री पी.एन. देशमुख, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण 105, हाईकोर्ट, पी.डब्ल्यू. डी. बिल्डिंग फोर्ट मुम्बई–400032	09923463355	22691395, 22691358 22674295 (फैक्स) mslsa_bhc@nic.in legalservices@maharashtra. gov.in	022
16.	श्री ए. गुनेश्वर शर्मा, सदस्य सचिव मणिपुर राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, डिस्ट्रीक्ट एंड सेशन्स कोर्ट काम्पलैक्स मणिपुर (ईस्ट), यूरीपोक, इम्फाल–795001	09436204458 09810089840	2410786, 2413552, 2410786 2411461 (फैक्स) aguneshwar@yahoo.com maslsainbhal@gmail.com	0385

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
17.	श्री डब्ल्यू. डियोंग दोह, सदस्य सचिव मेघालय राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कमरा नं.–120, माटी बिल्डिंग एडिशनल सेक्रेटेरिएट शिलांग–793001 (मेघालय)	09436103497	2501051, 2336619, 2336618, 2500064 (फैक्स) megshillong@gmail.com	0364
18.	श्री पी. सिंगथंगा सदस्य सचिव मिजोरम राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण जूनियर जज क्वार्टर्स बिल्डिंग, न्यू कैम्पिटल काम्प्लैक्स, खटला, आइजॉल, मिजोरम	2340961 (R) 09436155461	2336621, 2301484 (फैक्स) 2336619 Marlivank99@hotmail.com	0389
19.	श्री मयंग लिमा, सदस्य सचिव नागालैंड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड लॉ, कोहिमा–797004 (नागालैंड)	09346002482, 09774089670	2290338, 2292144 (फैक्स) mayanglima@yahoo.com.in mayanglima@gmail.com.in	0370
20.	श्री विजया चन्द्र रथ सदस्य सचिव उड़ीसा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण एस.ओ. क्वार्ट नं. 20, कैंटोनमेंट रोड, कटक–753002 (उड़ीसा)	09437027678, 09437234201	2307678, 2304389, 2305702 (फैक्स) Oslsa@nic.in	0671
21.	श्री मुनीश सिंघल, सदस्य सचिव पंजाब प्रदेश विधिक सेवाएं प्राधिकरण, एस.सी.ओ. नं. 3001, सैक्टर–22–डी, चंडीगढ़–160022	09814016466, 09463999399	फोन : 6576072, 4652568 टे. (फैक्स) Pslsa_1998@yahoo.co.in	0172

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
22.	श्री के.बी. कट्टा, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, राजस्थान हाईकोर्ट बिल्डिंग, जयपुर–302005 (राजस्थान)	09414913793	2227555, 2227481 2227602 (फैक्स) rslsajp@gmail.com	0141
23.	श्रीमती के.सी. बारफुंगपा, सदस्य सचिव सिक्किम राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, निकट पावर सब स्टेशन, सिचे, गंगटोक–737103, सिक्किम	2228209 (नि.) 09434006704	284753 Sikkim_slsa@live.in	03592
24.	श्री थिरू के. गनेशन, सदस्य सचिव तमिलनाडु राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हाईकोर्ट बिल्डिंग, चैन्नई–600014 (तमिलनाडु)	094444070601	25235767 25342834 25342268 (फैक्स) tnslsa@dataone.in	044
25.	श्री सत्यगोपाल, सदस्य सचिव त्रिपुरा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ईस्ट बैंक ऑफ मालरमथ दिघी अगरतला–799001 (त्रिपुरा)	09436120054	2223365, 2222481 2416269 (फैक्स) salsatripura@gmail.com	0381
26.	श्री अनंत कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ–266001 (उ.प्र.)	09415349101	2286395, 2286265, 2286260, 2286260 (फैक्स) upslsa@up.nic.in	0532
27.	श्री प्रशान्त जोशी, सदस्य सचिव उत्तराखंड राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड कम्पाउन्ड, नैनीताल, उत्तराखंड–263001	09412057720	236762, 236552 टे. (फैक्स) highcourt_ua@nic.in	05942

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
28.	सुश्री वंदना राय सदस्य सचिव (प्रभारी) पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट बिल्डिंग, प्रथम तल 2–3, किरन शंकर राय रोड, कोलकाता–70 (प.बं.)	09330068906	22483892 22484234 22484235 (फैक्स) bandanaroy@hotmail.com	033
29.	श्री शम्भुनाथ चटर्जी, सचिव (विधि) सह–सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अंडमान एंड निकोबार आईलैंड राज्य, सेक्रेटेरिएट, ए एंड एन एडमिनिस्ट्रेशन, पोर्ट ब्लेयर–744101	09434282460	233137 244083 (फैक्स)	03192
30.	श्री जगदीप जैन, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, संघ क्षेत्र, चंडीगढ़, एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग, चतुर्थ तल, सैक्टर–9, चंडीगढ़–160009	2544644 (नि.) 09872813120	2742999 2742888 (फैक्स) Slsa_utchd@yahoo.com	0172
31.	श्री बी.पी. पाटिल, सदस्य सचिव एवं डिस्ट्रीक्स्ट एंड सेशन जज राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा–396230	09974646777	2644452, 2641334 (फैक्स)	0260
32.	श्री बी.पी पाटिल सदस्य सचिव एवं डिस्ट्रीक्स्ट एंड सेशन जज दमन एंड दीव विधिक सेवाएं प्राधिकरण, मोती दमन–396220		2230887, 2230221	0260
33.	सुश्री आशा मेनन सदस्य सचिव दिल्ली प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, प्री.–फेब बिल्डिंग, पटियाला हाउस नई दिल्ली–110001	09910384664	23384781, 23387267 (फैक्स) dlsathebest@rediffmail.com dlsathbest@yahoo.com	011

क्र. सं.	सदस्य सचिवों का नाम और पता	मोबाइल नं.	दूरभाष कार्यालय/ ई-मेल	एस.टी.डी. कोड
34.	श्री हरिपाल सदस्य सचिव लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण डिस्ट्रीक्ट एंड सेशन जज, लक्षद्वीप, कावारती इजलैंड–682555	09447189138	262323 263138 262184 (फैक्स) haripalj@yahoo.com lslsa_lk@nic.in	04896
35.	थिरू डी. राम बथिरन, सदस्य सचिव, संघ क्षेत्र, पुंडेचेरी विधिक संवाएं प्राधिकरण, हाउस ऑफ लीगल एड नं. 46, गउबर्ट एवेन्यू (बीच रोड) पुडुचेरी–605001		2224658, 2238831, 2224658 (फैक्स)	0413
36.	श्री पी. के. बजाज, सचिव, भारत उच्चतम न्यायालय, भारत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं समिति, 109, लायर्स चैम्बर पोस्ट ऑफिस विंग, उच्चतम न्यायालय परिसर, नई दिल्ली–110001		23073970, 23388597 (फैक्स)	011

परिशिष्ट IX

नि:शक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की सूची

1. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय आजमाबाद, हैदराबाद–500020 आन्ध्र प्रदेश
2. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश
3. सहायक निदेशक, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नहरलगुन, अरुणाचल प्रदेश
4. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गुवाहाटी, असम
5. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जोरहाट, आसाम
6. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कंबाइंड बिल्डिंग, लेवर बेली रोड, पटना–800001 बिहार
7. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, सलाजोसी क्रास रोड, एस.वी. कालेज के सामने, अहमदाबाद–380001 गुजरात
8. उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोठी बिल्डिंग, बड़ौदा, गुजरात
9. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, महसाना, गुजरात

10. उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कूआसीवाला बंगलों, जंक्शन प्लाट, राजकोट, गुजरात
11. उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, नानपुरा, सूरत, गुजरात
12. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 1282, सैक्शन 13–सी, चंडीगढ़–160018 (स.क्षे.)
13. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, स्टाक पेलेस, शिमला–171002, हिमाचल प्रदेश
14. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जम्मू, जम्मू और कश्मीर
15. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नं. 5, क्रीसेंट रोड, हाई ग्राउंड, पश्चिम बंगलौर–560020, कर्नाटक
16. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गुलबर्गा, कर्नाटक
17. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मैसूर, कर्नाटक
18. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, आजमाबाद, हैदराबाद–500202, आन्ध्र प्रदेश
19. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, एर्नाकुलम, केरल
20. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोल्लम, केरल
21. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोट्टायम, केरल
22. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, कोझीकोड, केरल
23. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नेय्या थिंकारा, केरल
24. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नन्दावनम रोड, पालयम, त्रिवेन्द्रम, केरल

25. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 965, राइट टाउन, जबलपुर–482001 मध्य प्रदेश
26. विशेष रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मर्केन्टाइल चैम्बर्स, तीसरा तल, ग्राहम रोड, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई–400001, महाराष्ट्र
27. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
28. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, पुणे महाराष्ट्र
29. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, थाणे, महाराष्ट्र
30. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, इम्फाल, मणिपुर
31. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, फ्लैट नं. 367, साहिद नगर, भुवनेश्वर–751007, उड़ीसा
32. उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, ब्लॉक नं. 2, गिल रोड, लुधियाना, पंजाब
33. सहायक निदेशक, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अजमेर, राजस्थान
34. सहायक निदेशक, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अलवर, राजस्थान
35. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जयपुर–302001, राजस्थान
36. सहायक निदेशक, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 33, माउंट रोड, नन्दनम, चेन्नई–600035, तमिलनाडु
37. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा
38. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश
39. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

40. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश

41. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

42. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

43. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, जी.टी. रोड, कानुपर उत्तर प्रदेश

44. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

45. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश

46. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

47. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, 67, बेनटिंक्ट स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

48. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, संघ क्षेत्र, चंडीगढ़

49. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, बेरेक नं. 1/ई–5, ब्लॉक–ए, कर्जन रोड, नई दिल्ली–110001

50. रोजगार अधिकारी, शारीरिक रूप से विकलांग जनों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय, यमुनापार, दिल्ली

परिशिष्ट X

व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की सूची

1. विकलांग जनों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   ए.टी.आई. कैम्पस, विद्या नगर, हैदराबाद–500007,
   फोन : 040–27427381
   फैक्स : 040–27427381,
   ई–मेल : vrchyd@hub.nic.in
2. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   ओल्ड आई.टी.आई. कैम्पस, रेहबारी, गुवाहाटी–781008
   फोन : 0361–2607858
   ई–मेल : vrcguwahati@hub.nic.in
3. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   ए/84, प्लॉट नं. 1, गांधी विहार पुलिस कॉलोनी, अनीसाबाद, पटना–800002
   फोन : 0612–2250213,
   ई–मेल : vrcpatan@hub.nic.in
4. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (महिला)
   आफ्टर केयर होस्टल बिल्डिंग, पेंशनपुरा, वडोदरा–390002
   फोन : 0265–2782857,
   फैक्स : 0265–2430510 /2430362 ई–मेल : vrcvadodara@hub.nic.in
5. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   आई.टी.आई. कैम्पस कुबेर नगर, अहमदाबाद–382340,
   फोन : 079–22811629
   फैक्स : 22822486
   ई–मेल : vrcvahmd@hub.nic.in

6. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   मोहल्ला बागा माताजी, रोटरी चौक के नजदीक, उना–174303
   फोन : 01975–202222
7. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   गोगजी बाग, जवाहर नगर, के.जी. पोलीटेक्निक, कैम्पस, श्रीनगर–190008
   फोन : 0194–2310658
8. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   22, होसर रोड, बंगलोर–560029
   फोन : 080–26564995
   ई–मेल : vrcblore@hub.nic.in
9. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
   नलनचीरा, एम.सी. रोड, नलन चीरा, तिरुअनंतरपुरम–695015
   फोन : 0471–2531175, 2530371
   ई–मेल : vrctvm@hub.nic.in
10. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    नोपियर टाउन, बस स्टैंड के नजदीक, जबलपुर–482001
    फोन : 0761–2405581
    फैक्स : 2390169
    ई–मेल : vrcjabal@hub.nic.in
11. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    ए.टी.आई. कैम्पस, वी.एन. पूरब मार्ग, सियॉन, मुम्बई–400022,
    फोन : 022–24052707,
    फैक्स : 25221560
    ई–मेल : vrcmumbai@hub.nic.in
12. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    प्लॉट नं. 9, 10, 11 कड़कड़डूमा, विकास मार्ग, दिल्ली–110092
    फोन : 011–22372704
    ई–मेल : vrcdelhi@hub.nic.in
13. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    एस.आई.आर.डी. कैम्पस यूनिट–8, भुवनेश्वर–751012
    फोन : 0674–2560375,
    फैक्स : 2560375 / 2550800,
    ई–मेल : vrcbbnr@hub.nic.in

14. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    बोट हाउस के सामने, अरियनकुप्पम, पुडुचेरी–605007,
    फोन : 0413–2602024
15. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    ए.टी.आई. कैम्पस, गिल रोड, अरोड़ा टाकीज के नजदीक, लुधियाना–141003
    फोन : 0161–2490883
    फैक्स : 0161–2491871 ई–मेल : vrcludhiana@hub.nic.in
16. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    5–ए/23, जवाहर नगर, जयपुर–302004
    फोन : 0141–2652232
    फैक्स : 2200072
    ई–मेल : vrcjaipur@hub.nic.in
17. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    सी.टी.आई कैम्पस, गिंडी, चैन्नई–600032
    फोन : 044–22501534
    फैक्स : 044–22501211
    ई–मेल : vrcchennai@hub.nic.in
18. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    अभय नगर, अगरतला–799005,
    फोन : 0381–2325632
    ई–मेल : vrcagartala@hub.nic.in
19. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    ए.टी.आई. कैम्पस, गोविन्द नगर, कानपुर–208022,
    फोन : 0512–2296005,
    फैक्स : 0512–2296273
    ई–मेल : vrckanpur@hub.nic.in
20. विकलांग जनों के लिये व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र
    38, बदनराय लेन, बेलीघाटा, कोलकाता–700010
    फोन : 033–23508146
    फैक्स : 033–23378358
    ई–मेल : vrckolkata@hub.nic.in

परिशिष्ट XI

संगठन का चार्ट

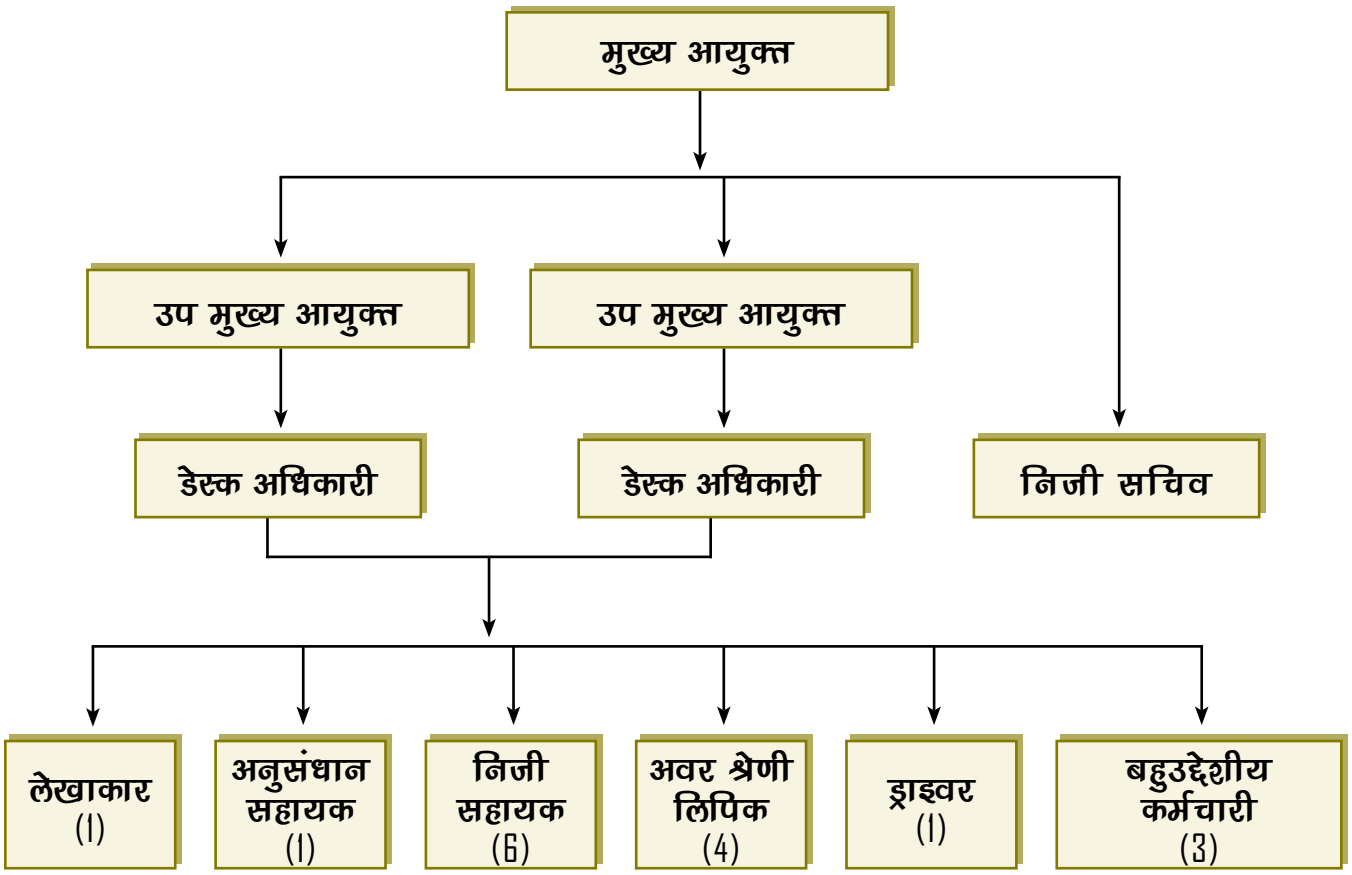

मुख्य आयुक्त (विकलांगजन) कार्यालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

सरोजिनी हाउस, 6 भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 011-23386054, 23386154, फैक्स: 011-23386006
ई-मेल: ccpd@nic.in
वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in